करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

जुलाई भाग-1
2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोनः 8750187501
ई-मेलः online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **7**

- ग्रीन हाइड्रोजन 7
- भारतनेट प्रोजेक्ट 9
- 'संघ' या 'केंद्र' सरकार 11
- वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक: ITU 12
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के छह वर्ष 14
- खुले में शौच करने वालों की संख्या में गिरावट : वॉश रिपोर्ट 16
- आंध्र प्रदेश-तेलंगाना जल विवाद 18
- UDISE+ 2019-20 रिपोर्ट 19
- पंजाब सूबा आंदोलन 21
- सर चेट्टूर शंकरन नायर 22
- निपुण भारत मिशन 24
- मुख्यमंत्री 26
- इटली में भारतीय सैनिक: द्वितीय विश्व युद्ध 27
- नए सहकारिता मंत्रालय का गठन 28
- केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) 31
- लोक उद्यम विभाग 32
- भारत का कोविड -19 आपातकालीन प्रतिक्रिया पैकेज: चरण II 35
- मंत्रिपरिषद 36
- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव 37
- दिल्ली विधानसभा की 'शांति एवं सद्भाव समिति' की न्यायसंगतता 39
- आईटी एक्ट की धारा 66ए 41

नोट :

- UAPA की सख्त प्रकृति 42
- असम-मिज़ोरम सीमा विवाद 44
- मंत्रिमंडलीय समितियाँ 46
- NRC की अपूर्णता के कारण आधार नामांकन में देरी 47
- संकल्प से सिद्धि: मिशन वन धन 48
- नई सौर परियोजनाएँ: एनटीपीसी 50
- दल-बदल विरोधी कानून में परिवर्तन की आवश्यकता 51
- राष्ट्रीय आयुष मिशन 53
- न्यायपालिका के लिये अवसंरचनात्मक सुविधाएँ 55

आर्थिक घटनाक्रम 57

- भारत के अनौपचारिक मज़दूर वर्ग को विश्व बैंक का समर्थन 57
- पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना को मंज़ूरी 59
- भारत के विनिर्माण क्षेत्र का संकुचन: PMI 60
- वस्तु एवं सेवा कर' प्रणाली के चार वर्ष 61
- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट: RBI 64
- विदेशी मुद्रा भंडार 66
- स्वतंत्र निदेशकों के लिये नए मानदंड 67
- एंटी-मेथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट: हरित धारा 69
- एंटी-डंपिंग ड्यूटी 70
- उत्पादन समझौता: ओपेक+ 71
- आत्मनिर्भर भारत: अवसर और चिंताएँ 72
- ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स 74
- जीआई प्रमाणित भालिया गेहूँ: गुजरात 76
- अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर कार्यक्रम 77
- युवा और खाद्य प्रणाली 79
- कृषि अवसंरचना कोष 80
- 'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट' योजना 81
- उर्वरक क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' 83
- मुद्रास्फीति डेटा: जून 2021 85
- विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज 86

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **89**

- G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 89
- हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी' का 7वाँ संस्करण 90
- अमेरिका की वापसी और अफगान शांति वार्ता 91
- OECD/G20 इन्क्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील में शामिल हुआ भारत 93
- GERD पर गतिरोध 95
- कृषि पर भारत-यूरोपीय संघ की बैठक 96
- OIC के प्रस्ताव को भारत ने खारिज किया 98
- भारत-नेपाल रेल सेवा समझौता 100
- हैती के राष्ट्रपति की हत्या 101
- भारत की तिब्बत नीति 103
- भारत में वियतनाम का पहला मानद महावाणिज्य दूत 105
- भूटान में लॉन्च हुआ भीम-UPI 107
- सेंट क्वीन केटेवन के अवशेष: जॉर्जिया 108

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **110**

- गुरुत्वाकर्षण तरंगों के नए स्रोत 110
- मंगल के 'असतत् औरोरा' 112
- कोविड-19 का लैम्ब्डा वेरिएंट 114
- शनि ग्रह के चंद्रमाओं पर मीथेन 115
- कप्पा वेरिएंट: कोविड-19 116
- एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम 117
- उपकक्षीय उड़ान 118
- अति तरल हीलियम गैस में फ्यू-इलेक्ट्रॉन बबल्स 120
- पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण 121
- गिद्धों का संरक्षण 123
- आर्कटिक के 'लास्ट आइस एरिया' का पिघलना 124
- फ्लाई ऐश 126
- किंग कोबरा एवं तिलारी रिज़र्व 127

नोट :

- समुद्री प्लास्टिक: समस्या और समाधान 128
- नवेगाँव-नागझिरा टाइगर रिज़र्व और ब्लैक पैंथर 131
- खतरनाक रसायनों के कारण मौतें 132
- मानव-वन्यजीव संघर्ष 135
- लेमरू हाथी रिज़र्व 137
- नदियों के किनारे बसे शहरों के लिये संरक्षण योजनाएँ 139
- पर्यावरणीय उल्लंघन से निपटने के लिये SOP 140
- भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन 141
- राइट-टू-रिपेयर' आंदोलन 143
- वर्ष 2020 के बाद वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क 144
- अपमार्जकों द्वारा जल प्रदूषण 147

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 149

- हीट डोम 149
- विश्व जनसंख्या दिवस 150
- आकाशीय बिजली (तड़ित) संबंधी घटनाएँ 152

सामाजिक न्याय 154

- जेंडर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन 154
- मानव तस्करी रिपोर्ट 155
- मानव तस्करी-रोधी विधेयक का मसौदा 158
- बाल सैनिकों को भर्ती करने वाले देशों की सूची 160
- टेली-लॉ 162
- मलेरिया मुक्त चीन 163
- झारखंड में ICDS सर्वेक्षण 165
- ज़िका वायरस रोग 167
- हाथीपाँव रोग 168
- जनजाति समुदायों हेतु 'संयुक्त पत्र' 170

नोट :

कला एवं संस्कृति **172**

- कालबेलिया नृत्य 172

आंतरिक सुरक्षा **174**

- नगा शांति वार्ता 174

चर्चा में **176**

- गिंडी राष्ट्रीय उद्यान: तमिलनाडु 176
- कुवेम्पु पुरस्कार 2020 177
- फर्स्ट मूवेबल फ्रेशवॉटर टनल एक्वेरियम: इंडियन रेलवे 178
- ताल ज्वालामुखी: फिलीपींस 178
- वेम्बनाड झील: केरल 179
- प्रोजेक्ट बोल्ड : KVIC 179
- स्वामी विवेकानंद 181
- मत्स्य सेतु 181
- सिलंबम Silambam 182
- स्पर्श : सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा 183
- dbGENVOC: ओरल कैंसर के जीनोमिक वेरिएंट का डेटाबेस 184
- उच्च-तुंगता पर पाए जाने वाले याक 185
- कोविड-19 वैक्सीन बूस्टर शॉट्स 186
- इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक 186
- आयुष सेक्टर से संबंधित नए पोर्टल 187
- जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा 188
- केसरिया बौद्ध स्तूप : बिहार 189
- राजस्थान में टाइगर कॉरिडोर 190

विविध **191**

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

ग्रीन हाइड्रोजन

चर्चा में क्यों ?

अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) के अनुसार, वर्ष 2050 तक कुल ऊर्जा मिश्रण में हाइड्रोजन की हिस्सेदारी 12% तक हो जाएगी।

- एजेंसी ने यह भी सुझाव दिया कि उपयोग किये जाने वाले इस हाइड्रोजन का लगभग 66% हिस्सा प्राकृतिक गैस के बजाय जल से प्राप्त किया जाना चाहिये।
- हाल ही में IRENA ने 'वर्ल्ड एनर्जी ट्रांज़ीशन आउटलुक' रिपोर्ट जारी की है।

हाइड्रोजन

- स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन विकल्प के लिये हाइड्रोजन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्त्वों में से एक है।
- हाइड्रोजन का प्रकार उसके बनने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है:
  - ग्रीन हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा (जैसे सौर, पवन) का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा निर्मित होता है और इसमें कार्बन फुटप्रिंट कम होता है।
    - इसके तहत विद्युत द्वारा जल (H_2O) को हाइड्रोजन (H) और ऑक्सीजन (O_2) में विभाजित किया जाता है।
    - उपोत्पाद: जल, जलवाष्प।
  - ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन कोयले का उपयोग करके किया जाता है जहाँ उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है।
  - ग्रे हाइड्रोजन (Grey Hydrogen) प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है जहाँ संबंधित उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है।
  - ब्लू हाइड्रोजन (Blue Hydrogen) प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है, जहाँ कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का उपयोग करके उत्सर्जन को कैप्चर किया जाता है।

उपयोग:

- हाइड्रोजन एक ऊर्जा वाहक है, न कि स्रोत और यह ऊर्जा की अधिक मात्रा को वितरित या संग्रहीत कर सकता है।
- इसका उपयोग फ्यूल सेल में विद्युत या ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न करने के लिये किया जा सकता है।
  - वर्तमान में पेट्रोलियम शोधन और उर्वरक उत्पादन में हाइड्रोजन का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, जबकि परिवहन एवं अन्य उपयोगिताएँ इसके लिये उभरते बाज़ार हैं।
- हाइड्रोजन और ईंधन सेल वितरित या संयुक्त ताप तथा शक्ति सहित विविध अनुप्रयोगों में उपयोग के लिये ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं; अतिरिक्त उर्जा; अक्षय ऊर्जा के भंडारण और इसे सक्षम करने के लिये सिस्टम; पोर्टेबल बिजली आदि।
- इनकी उच्च दक्षता और शून्य या लगभग शून्य-उत्सर्जन संचालन के कारण हाइड्रोजन एवं फ्यूल सेलों जैसे कई अनुप्रयोगों में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की क्षमता है।

प्रमुख बिंदु

दुनिया भर में वर्तमान स्थिति:

- कुल उत्पादित हाइड्रोजन का 1% से भी कम हिस्सा 'ग्रीन हाइड्रोजन' होता है।

नोट :

- इलेक्ट्रोलाइज़र के निर्माण और तैनाती को 0.3 गीगावाट की वर्तमान क्षमता से वर्ष 2050 तक अभूतपूर्व दर से लगभग 5,000 गीगावाट तक बढ़ाना आवश्यक है।

भारतीय परिदृश्य

- हाइड्रोजन की खपत: भारत उर्वरक और रिफाइनरियों सहित औद्योगिक क्षेत्रों में अमोनिया और मेथनॉल के उत्पादन हेतु प्रतिवर्ष लगभग छह मिलियन टन हाइड्रोजन की खपत करता है।
  - उद्योग की बढ़ती मांग और परिवहन एवं बिजली क्षेत्रों के विस्तार के कारण यह वर्ष 2050 तक बढ़कर 28 मिलियन टन हो सकता है।
- ग्रीन हाइड्रोजन की लागत: वर्ष 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन की लागत हाइड्रोकार्बन ईंधन (जैसे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस आदि) के समान ही हो जाएगी।
  - उत्पादन और बिक्री बढ़ने पर कीमत में और कमी आएगी। यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत की हाइड्रोजन की मांग वर्ष 2050 तक पाँच गुना बढ़ जाएगी, जिसमें से 80% ग्रीन हाइड्रोजन होगी।
- ग्रीन हाइड्रोजन का निर्यातक: भारत अपने सस्ते नवीकरणीय ऊर्जा शुल्कों के कारण वर्ष 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन का शुद्ध निर्यातक बन जाएगा।

भारत के लिये ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग का महत्त्व:

- 'ग्रीन हाइड्रोजन' भारत को स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जा सकता है, साथ ही यह देश में जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में भी मददगार हो सकता है।
  - पेरिस जलवायु समझौते के तहत भारत ने वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को 33-35% तक कम करने की प्रतिबद्धता ज़ाहिर की है।
- इससे भारत जीवाश्म ईंधन पर अपनी आयात निर्भरता को कम करेगा।
- इलेक्ट्रोलाइज़र उत्पादन का स्थानीयकरण और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के विकास से भारत में 18-20 बिलियन डॉलर का एक नया ग्रीन प्रौद्योगिकी बाज़ार विकसित हो सकता है तथा हज़ारों की संख्या में नौकरियों का सृजन हो सकता है।

संभावनाएँ:

- भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन हेतु एक अनुकूल भौगोलिक स्थिति, धूप और वायु की प्रचुर मात्रा विद्यमान है।
- ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों को उन क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जा रहा है जहाँ प्रत्यक्ष विद्युतीकरण संभव नहीं है।
  - अत्यधिक शुल्क, लंबी दूरी का परिवहन, कुछ औद्योगिक क्षेत्र और दीर्घकालिक विद्युत भंडारण उन क्षेत्रों में शामिल हैं जहाँ ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy- MNRE) ने देश में हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने हेतु एक मसौदा नीति जारी की है।
- इस उद्योग का प्रारंभिक चरण क्षेत्रीय हब के निर्माण पर आधारित है जो उच्च मूल्य वाले ग्रीन उत्पादों और इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण सेवाओं के निर्यात पर केंद्रित है।

चुनौतियाँ:

- आर्थिक स्थिरता: ग्रीन हाइड्रोजन के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली आर्थिक स्थिरता व्यावसायिक रूप से हाइड्रोजन का उपयोग करने पर उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।
  - परिवहन ईंधन सेल्स (Transportation Fuel Cells) के लिये हाइड्रोजन को प्रति मील के आधार पर पारंपरिक ईंधन और प्रौद्योगिकियों के साथ लागत-प्रतिस्पर्द्धी होना चाहिये।
- उच्च लागत और सहायक बुनियादी ढाँचे की कमी:
  - ईंधन सेल (Fuel cells) तकनीकी जिसका उपयोग कारों में प्रयोग होने वाले हाइड्रोजन ईंधन को ऊर्जा में परिवर्तित करने हेतु किया जाता है, अभी भी महँगे हैं।

- कारों में हाइड्रोजन ईंधन भरने हेतु आवश्यक हाइड्रोजन स्टेशन का बुनियादी ढाँचा अभी भी व्यापक रूप से विकसित नहीं है।

उठाए गए कदम:

- केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन (National Hydrogen Energy Mission-NHM) की घोषणा की गई है, जो हाइड्रोजन को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिये एक रोडमैप तैयार करेगा।
- अक्षय ऊर्जा के लिये भारतीय पहलें:
  - जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (JNNSM)
  - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
  - PM-कुसुम
  - राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति
  - रूफटॉप सौर योजना

आगे की राह

- ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइज़र क्षमता के लिये एक राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करना: भारत में एक जीवंत हाइड्रोजन उत्पाद निर्यात उद्योग जैसे कि ग्रीन स्टील (वाणिज्यिक हाइड्रोजन स्टील प्लांट) के निर्माण हेतु एक चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम का उपयोग किया जाना चाहिये।
- पूरक समाधान लागू कर सुदृढ़ चक्र (Virtuous Cycles) बनाना: उदाहरण के लिये हवाई अड्डों पर ईंधन भरने, ऊर्जा प्रदान करने और विद्युत उत्पन्न करने के लिये हाइड्रोजन बुनियादी ढाँचा स्थापित किया जा सकता है।
- विकेंद्रीकृत उत्पादन: विकेंद्रीकृत हाइड्रोजन उत्पादन को एक इलेक्ट्रोलाइज़र (जो बिजली का उपयोग करके H_2 और O_2 बनाने हेतु पानी को विभाजित करता है) के लिये अक्षय ऊर्जा की खुली पहुँच के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- वित्त प्रदान करना: नीति निर्माताओं को भारत में उपयोग हेतु प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिये प्रारंभिक चरण के पायलट स्तर और अनुसंधान एवं विकास में निवेश की सुविधा प्रदान करनी चाहिये।

भारतनेट प्रोजेक्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से भारतनेट परियोजना के कार्यान्वयन के लिये 19,041 करोड़ रुपए (कुल 29,430 करोड़ रुपए के खर्च में से) तक की व्यवहार्यता अंतराल अनुदान सहायता को मंज़ूरी दी।

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership- PPP) प्रक्रिया में एक सरकारी एजेंसी और एक निजी क्षेत्र की कंपनी के बीच सहयोग शामिल है जिसका उपयोग परियोजनाओं के वित्तपोषण, निर्माण और संचालन के लिये किया जा सकता है। दूरसंचार के इस महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे में PPP मॉडल एक नई पहल है।
- व्यवहार्यता अंतराल अनुदान (Viability Gap Funding- VGF) का अर्थ एक ऐसा अनुदान होता है जो सरकार द्वारा ऐसे आधारभूत ढाँचा परियोजना को प्रदान किया जाता है जो आर्थिक रूप से उचित हो लेकिन उनकी वित्तीय व्यवहार्यता कम हो (Economically Justified but not Financially Viable), ऐसा अनुदान दीर्घकालीन परिपक्वता अवधि वाली परियोजना को प्रदान किया जाता है।

प्रमुख बिंदु:

परिचय:

- यह ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कर विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख मिशन भी।
  - BBNL, भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 1000 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) है।

- यह राज्यों और निजी क्षेत्र की साझेदारी में डिजिटल इंडिया के विज़न को साकार करने हेतु एक उच्च मापनीय नेटवर्क अवसंरचना है जिसे गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर सभी घरों के लिये 2Mbps से 20Mbps तथा सभी संस्थानों को उनकी मांग क्षमता के अनुसार सस्ती ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिये एक्सेस किया जा सकता है।
- इसे संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- अक्तूबर 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (National Optical Fibre Network- NOFN) को लॉन्च किया गया था, वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर भारत नेट प्रोजेक्ट (Bharat Net Project) कर दिया गया।
  - NOFN को ग्राम पंचायतों (Gram Panchayats) तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुँचाने हेतु एक मज़बूत बुनियादी ढाँचे के निर्माण के माध्यम से एक सूचना सुपरहाइवे के रूप में परिकल्पित किया गया था।
- वर्ष 2019 में संचार मंत्रालय ने संपूर्ण देश भर में ब्रॉडबैंड सेवाओं की सार्वभौमिक और समान पहुँच की सुविधा हेतु 'राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन' (National Broadband Mission) भी शुरू किया था।

वित्तपोषण:

- संपूर्ण परियोजना को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (Universal Service Obligation Fund- USOF) द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है, जिसे देश के ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से स्थापित किया गया था।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में ई-गवर्नेंस (e-governance), ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-बैंकिंग, इंटरनेट और अन्य सेवाओं के वितरण को सुगम बनाना है।

परियोजना के चरण:

- प्रथम चरण:
  - दिसंबर 2017 तक भूमिगत ऑप्टिक फाइबर केबल (Optic Fibre Cable- OFC) लाइन बिछाकर एक लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना।
- द्वितीय चरण:
  - मार्च 2019 तक भूमिगत फाइबर, बिजली लाइनों पर फाइबर, रेडियो और सैटेलाइट मीडिया के इष्टतम उपयोग से देश की सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान करना।
- तृतीय चरण:
  - वर्ष 2019 से 2023 तक एक अत्याधुनिक, फ्यूचर-प्रूफ नेटवर्क (Future-Proof Network) के तहत ज़िलों और ब्लॉकों के मध्य फाइबर को विस्तारित करने हेतु रिंग टोपोलॉजी (Ring Topology) का उपयोग किया जाएगा।

भारतनेट का वर्तमान विस्तार:

- इस परियोजना को 16 राज्यों में ग्राम पंचायतों से परे बसे हुए सभी गाँवों में विस्तारित किया जाएगा जो इस प्रकार हैं:
  - केरल, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश।
- संशोधित रणनीति में निजी क्षेत्र के भागीदारों द्वारा भारतनेट का निर्माण, उन्नयन, संचालन, रखरखाव और उपयोग शामिल होगा जिसे प्रतिस्पर्द्धी अंतर्राष्ट्रीय बोली प्रक्रिया द्वारा चुना जाएगा।
- चयनित निजी क्षेत्र के भागीदार से पूर्वनिर्धारित सेवा स्तर समझौते (Services Level Agreement- SLA) के अनुसार विश्वसनीय, उच्च गति ब्रॉडबैंड सेवाएँ प्रदान करने की उम्मीद है।

भारतनेट में PPP का महत्त्व:

- तीव्र कार्यान्वयन:
  - PPP मॉडल संचालन, रखरखाव, उपयोग तथा राजस्व सृजन के लिये निजी क्षेत्र की दक्षता का लाभ उठाएगा और इसके परिणामस्वरूप भारतनेट का तेज़ी से रोल आउट होने की उम्मीद है।

- बढ़ा हुआ निवेश:
  - निजी क्षेत्र के भागीदार से एक इक्विटी निवेश लाने और पूंजीगत व्यय के लिये और नेटवर्क के संचालन एवं रखरखाव हेतु संसाधन जुटाने की उम्मीद है।
- बेहतर पहुँच:
  - बसे हुए सभी गाँवों में भारतनेट का विस्तार विभिन्न सरकारों द्वारा दी जाने वाली ई-सेवाओं तक बेहतर पहुँच को सक्षम करेगा, साथ ही यह ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, कौशल विकास, ई-कॉमर्स और ब्रॉडबैंड के अन्य अनुप्रयोगों को भी सक्षम करेगा।

'संघ' या 'केंद्र' सरकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपने आधिकारिक पत्राचार या संचार में 'केंद्र सरकार' (Central Government) शब्द के उपयोग को बंद करने एवं इसके स्थान पर 'संघ सरकार' (Union Government) शब्द का उपयोग करने का फैसला किया है।

- सामान्य तौर पर भारत में "संघ सरकार" और "केंद्र सरकार" शब्दों का उपयोग किया जाता है। हालाँकि संविधान सभा के मूल संविधान के 22 भागों में 395 अनुच्छेदों और आठ अनुसूचियों को पढ़ने के बाद यह कहा जा सकता है कि 'केंद्र' या 'केंद्र सरकार' शब्द का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया है।

प्रमुख बिंदु

संविधान सभा का पक्ष :

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) में कहा गया है, "भारत, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा।"
- 13 दिसंबर, 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इस संकल्प के माध्यम से संविधान सभा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पेश किया था कि भारत, "स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य" में शामिल होने के इच्छुक क्षेत्रों का एक संघ होगा।
  - एक मज़बूत संयुक्त देश बनाने के लिये विभिन्न प्रांतों और क्षेत्रों के एकीकरण और संधि पर जोर दिया गया था।
- 1948 में संविधान का मसौदा प्रस्तुत करते समय मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ. बी आर अंबेडकर ने कहा था कि समिति ने 'संघ' शब्द का इस्तेमाल किया था क्योंकि:
  (a) भारतीय संघ इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम नहीं था और
  (b) घटक इकाइयों को संघ से अलग होने की कोई स्वतंत्रता नहीं थी।
- संविधान सभा के सदस्य संविधान में 'केंद्र' या 'केंद्र सरकार' शब्द का प्रयोग न करने के लिये बहुत सतर्क थे क्योंकि उनका उद्देश्य एक इकाई में शक्तियों के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को दूर रखना था।

'संघ' और 'केंद्र' का अर्थ:

- संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के अनुसार, शाब्दिक दृष्टि से 'केंद्र' एक वृत्त के मध्य में एक बिंदु को इंगित करता है, जबकि 'संघ' संपूर्ण वृत्त है।
  - भारत में संविधान के अनुसार, 'केंद्र' और राज्यों के बीच का संबंध वास्तव में संपूर्ण और उसके हिस्सों के बीच का संबंध है।
- संघ और राज्य दोनों संविधान द्वारा बनाई गई इकाइयाँ हैं और दोनों को संविधान के माध्यम से अपने-अपने अधिकार प्राप्त हैं।
  - एक इकाई अपने स्वतंत्र क्षेत्र में दूसरी इकाई के अधीन नहीं है और एक का अधिकार दूसरे के साथ समन्वित है।
- इसी प्रकार भारतीय संविधान में न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय, जो कि देश की सबसे ऊँची अदालत है, का उच्च न्यायालय पर कोई अधीक्षण नहीं है।
  - यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार न केवल उच्च न्यायालयों पर बल्कि अन्य न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर भी है, किंतु उन्हें इसके अधीनस्थ घोषित नहीं किया जा सकता है।

- वास्तव में उच्च न्यायालयों के पास ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति होने के बावजूद विशेषाधिकार रिट जारी करने की व्यापक शक्तियाँ हैं।

- सामान्य शब्दों में 'संघ', संघीय भावना को इंगित करता है, जबकि 'केंद्र' एकात्मक सरकार की भावना को इंगित करता है।
  - किंतु व्यावहारिक रूप से दोनों शब्द भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में समान हैं।

संघीय बनाम एकात्मक सरकार

संघीय सरकार	एकात्मक सरकार
द्वैध शासन व्यवस्था (केंद्र और प्रांत)	एकात्मक सरकार- केवल केंद्र सरकार (प्रांतीय सरकार केंद्र सरकार द्वारा गठित की जाती है)
लिखित संविधान	लिखित (फ्राँस) और अलिखित (ब्रिटेन) संविधान
केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन	शक्तियों का विभाजन नहीं
संविधान की सर्वोच्चता	संविधान की सर्वोच्चता की गारंटी नहीं
कठोर संविधान	लचीला (ब्रिटेन) और कठोर (फ्राँस) संविधान
स्वतंत्र न्यायपालिका	न्यायपालिका स्वतंत्र हो सकती है अथवा नहीं
द्विसदनीय विधायिका	द्विसदनीय और एक सदनीय विधायिका

केंद्र सरकार पद से संबद्ध मुद्दे

- संविधान सभा द्वारा खारिज: संविधान में 'केंद्र' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है; संविधान निर्माताओं ने इसे विशेष रूप से खारिज कर दिया और इसके बजाय 'संघ' शब्द का इस्तेमाल किया।
- औपनिवेशिक विरासत: 'केंद्र' औपनिवेशिक काल का अवशेष है और नौकरशाही केंद्रीय कानून, केंद्रीय विधायिका आदि शब्द का उपयोग करने की आदी हो गई है, इसलिये मीडिया सहित अन्य सभी ने इस शब्द का उपयोग करना शुरू कर दिया।
- संघवाद के विचार के साथ संघर्ष: भारत एक संघीय सरकार है। शासन करने की शक्ति पूरे देश के लिये एक सरकार के बीच विभाजित है, जो सामान्य राष्ट्रीय हित के विषयों और राज्यों हेतु ज़िम्मेदार है, जो राज्य के विस्तृत दिन-प्रतिदिन के शासन की देखभाल करती है।
  - सुभाष कश्यप के अनुसार, 'केंद्र' या 'केंद्र सरकार' शब्द का उपयोग करने का मतलब होगा कि राज्य सरकारें इसके अधीन हैं।

आगे की राह

- संविधान की संघीय प्रकृति इसकी मूल विशेषता है और इसे बदला नहीं जा सकता है, इस प्रकार सत्ता में रहने वाले हितधारक हमारे संविधान की संघीय विशेषता की रक्षा करना चाहते हैं।
- भारत जैसे विविध और बड़े देश को संघवाद के स्तंभों, यानी राज्यों की स्वायत्तता, राष्ट्रीय एकीकरण, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, राष्ट्रीयकरण और क्षेत्रीयकरण के बीच एक उचित संतुलन की आवश्यकता है।
  - अत्यधिक राजनीतिक केंद्रीकरण या अराजक राजनीतिक विकेंद्रीकरण दोनों ही भारतीय संघवाद को कमज़ोर कर सकते हैं।
- विकट समस्या का संतोषजनक और स्थायी समाधान विधान-पुस्तक में नहीं बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की अंतरात्मा में खोजना है।

वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक: ITU

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union- ITU) के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक (Global Cybersecurity Index- GCI) 2020 में 37 स्थानों की बढ़त के साथ 10वें स्थान पर पहुँच गया है।

- 1 जुलाई को डिजिटल इंडिया (Digital India) की छठी वर्षगाँठ से ठीक पहले इसकी पुष्टि की गई है।

शीर्ष रैंकिंग:

- अमेरिका शीर्ष पर रहा, उसके बाद यूके (यूनाइटेड किंगडम) और सऊदी अरब एक साथ दूसरे स्थान पर रहे।
- एस्टोनिया सूचकांक में तीसरे स्थान पर रहा।

भारत की स्थिति:

- भारत ने GCI 2020 में दसवें स्थान पर पहुँचने के लिये अधिकतम 100 अंकों में से कुल 97.5 अंक प्राप्त किये।
- एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत चौथे स्थान पर रहा।
- भारत एक वैश्विक आईटी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, जो डेटा गोपनीयता और नागरिकों के ऑनलाइन अधिकारों की रक्षा हेतु दृढ़ उपायों के साथ अपनी डिजिटल संप्रभुता का दावा प्रस्तुत कर रहा है।
- साइबर सुरक्षा डोमेन के सभी मापदंडों के तहत प्राप्त परिणाम पर्याप्त समग्र सुधार और भारत की मज़बूत स्थिति को दर्शाते हैं।

आकलन का आधार:

- साइबर सुरक्षा के प्रदर्शन का आधार पाँच मापदंडों पर निहित है जो इस प्रकार हैं:
  - कानूनी उपाय, तकनीकी उपाय, संगठनात्मक उपाय, क्षमता विकास और सहयोग।
- इनके आधार पर प्रदर्शन का एक समग्र स्कोर प्राप्त किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ:

- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union- ITU) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
- इसे संचार नेटवर्क में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा के लिये वर्ष 1865 में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।
- यह वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम और उपग्रह की कक्षाओं को आवंटित करता है, तकनीकी मानकों को विकसित करता है ताकि नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों को निर्बाध रूप से आपस में जोड़ा जा सके और दुनिया भर में कम सेवा वाले समुदायों के लिये ICT तक पहुँच में सुधार करने का प्रयास किया जाए।
- भारत को अगले 4 वर्षों की अवधि (2019-2022) के लिये पुन: अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) परिषद का सदस्य चुना गया है। भारत वर्ष 1952 से इसका एक नियमित सदस्य बना हुआ है।

भारत में साइबर सुरक्षा की चुनौतियाँ

- विभिन्न साइबर सुरक्षा उपकरणों को तैनात करना एक खंडित और जटिल सुरक्षा वातावरण को मज़बूती प्रदान करता है, हालाँकि यह मानवीय त्रुटि से उत्पन्न जोखिमों के प्रति सुभेद्य होता है।
- भारतीय कंपनियाँ भी साइबर सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहीं हैं, क्योंकि कोविड-19 के कारण कंपनियों के अधिकांश कर्मचारियों को 'वर्क फ्रॉम होम' मोड में स्थानांतरित कर दिया गया है।
- भारत में हार्डवेयर के साथ-साथ सॉफ्टवेयर साइबर सुरक्षा उपकरणों में स्वदेशीकरण का अभाव है। यह भारत के साइबरस्पेस को राज्य और गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं द्वारा प्रेरित साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील बनाता है।
  - भारत के पास यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) या अमेरिका के 'क्लेरिफाइंग लॉफुल ओवरसीज़ यूज़ ऑफ डेटा' (CLOUD) एक्ट जैसी कोई 'सक्रिय साइबर डिफेंस' नीति नहीं है।

भारत में साइबर सुरक्षा में सुधार के प्रयास:

- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020: इस रणनीति को और अधिक कठिन ऑडिट प्रकिया के माध्यम से साइबर जागरूकता एवं साइबर सुरक्षा में सुधार के लिये तैयार किया गया है।
- नागरिकों के डेटा को सुरक्षित करने के लिये व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक मसौदा, 2018 (न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति की सिफारिश के आधार पर)।

- सभी प्रकार के साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिये अक्तूबर 2018 में I4C (भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र) स्थापित करने की योजना को मंज़ूरी दी गई थी।
- भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) सभी साइबर सुरक्षा प्रयासों, आपातकालीन प्रतिक्रियाओं और संकट प्रबंधन के समन्वय के लिये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
- राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (National Critical Information Infrastructure Protection Centre- NCIIPC) की स्थापना के साथ महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचनाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय तंत्र:

- साइबर अपराध पर बुडापेस्ट अभिसमय: यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो राष्ट्रीय कानूनों के सामंजस्य, जाँच तकनीकों में सुधार और राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाकर इंटरनेट तथा कंप्यूटर से जुड़े अपराधों से निपटने का प्रयास करती है। यह संधि 1 जुलाई, 2004 को लागू हुई। भारत इस अभिसमय/कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं है।
- इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IGF): यह इंटरनेट गवर्नेंस संबंधी चर्चाओं/डिबेट पर सभी हितधारकों यानी सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक साथ लाने का कार्य करता है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के छह वर्ष

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (Digital India Programme) के छह वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक आभासी कार्यक्रम को संबोधित किया।

प्रमुख बिंदु:

संबोधन के मुख्य बिंदु:

- भारत का टेकेड (India's Techade): भारत के सिद्ध तकनीकी कौशल के साथ संयुक्त डेटा और जनसांख्यिकीय लाभांश देश के लिये बड़े अवसर प्रस्तुत करता है और आने वाला दशक भारत का टेकेड यानी 'तकनीक का दशक' होगा।
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला गया:
  - दीक्षा (Diksha): इसका संक्षिप्त रूप नॉलेज शेयरिंग के लिये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। यह शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना के रूप में कार्य करता है। देश भर के सभी शिक्षक उन्नत डिजिटल तकनीक से लैस होंगे।
  - ई-नाम (eNAM): इसे 14 अप्रैल, 2016 को राज्यों में कृषि उपज बाज़ार समितियों (APMCs) को जोड़ने वाले अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल के रूप में लॉन्च किया गया था।
  - ई-संजीवनी (eSanjeevani): यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक टेलीमेडिसिन सेवा मंच है।
  - डिजीबुनाई (DigiBunai): यह बुनकरों को डिजिटल कलाकृति बनाने और करघे में लोड की जाने वाली साड़ी के डिज़ाइन विकसित करने में सहायता करता है। DigiBunai™ जैक्वार्ड और डॉबी वीविंग के लिये अपनी तरह का पहला ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है।
  - प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi scheme): केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय' (Ministry of Housing and Urban Affairs- MoHUA) द्वारा छोटे दुकानदारों और फेरीवालों (Street Venders) को आर्थिक सहयोग प्रदान करने हेतु 'प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (The Pradhan Mantri Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi- PM SVANidhi) या पीएम स्वनिधि नामक योजना की शुरुआत की। यह सड़क पर सामान विक्रेताओं के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करता है।
- कोविड-19 के दौरान डिजिटल समाधान: संपर्क अनुरेखण एप, आरोग्य सेतु।
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम: इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। कार्यक्रम को कई महत्त्वपूर्ण सरकारी योजनाओं जैसे- भारतनेट, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया, औद्योगिक गलियारों आदि के लिये समर्थ बनाया गया है।

- दृष्टि क्षेत्र:
  - प्रत्येक नागरिक के लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर एक उपयोगिता के रूप में;
  - मांग पर शासन और सेवाएँ;
  - नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण।
- उद्देश्य:
  - भारत को एक ज्ञान भविष्य के लिये तैयार करना।
  - परिवर्तन को साकार करना अर्थात् आईटी (इंडियन टैलेंट) + आईटी (इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी = आईटी (इंडिया टुमोरो) को वास्तविक रूप देना।
  - परिवर्तन को सक्षम करने के लिये प्रौद्योगिकी को केंद्रीय बनाना।
  - एक शीर्ष कार्यक्रम बनाना जो कई विभागों तक पहुँचे।
- डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ:
  - ब्रॉडबैंड हाईवे
  - मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुँच
  - पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम
  - ई-गवर्नेंस : प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार
  - ई-क्रांति : सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी
  - सभी के लिये सूचना
  - इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण
  - नौकरियों के लिये आईटी
  - अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम
- महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ:
  - डिजिटल भुगतान: एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) की शुरुआत ने देश के हर हिस्से में डिजिटल भुगतान के लाभों की शुरुआत की।
    - भुगतान और लेनदेन के मामले में UPI समृद्ध व्यवसायियों से लेकर मामूली रेहड़ी-पटरी वालों तक सभी की मदद कर रहा है।
    - यह कई निजी अभिकर्त्ताओं को डिजिटल भुगतान का विकल्प प्रदान करने के लिये प्रोत्साहित करता है जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है।
  - व्यवसायों के संचालन को आसान बनाना: इलेक्ट्रॉनिक ग्राहक पहचान प्रणाली (e-KYC), इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ भंडारण प्रणाली (DigiLocker) और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रणाली (eSign) व्यवसायों व उनके संचालन को सुव्यवस्थित करने में मदद के लिये पेश किया गया था।
  - जैम ट्रिनिटी से परे: सिस्टम में खामियों को दूर करने हेतु JAM (जन धन, आधार और मोबाइल) ट्रिनिटी को एक सरल कदम के रूप में शुरू किया गया। यह कोविड टीकाकरण अभियान को सशक्त बनाता है जिसके चलते भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने 20 करोड़ टीके लगाए।

आगे की राह:

- इसके सफल कार्यान्वयन के रास्ते में कई प्रकार की बाधाएँ हैं, जैसे- डिजिटल निरक्षरता, खराब बुनियादी ढाँचा, इंटरनेट की धीमी गति, विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय की कमी, कराधान से संबंधित मुद्दे आदि। कार्यक्रम की पूरी क्षमता का उपयोग करने हेतु इन चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है।

- चूँकि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने छह वर्ष पूरे कर लिये हैं इसलिये यहाँ छह ठोस रणनीतिक कदम दिये जा रहे हैं जो भारत की सफलता की कहानी में योगदान देने तथा पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के सपने को पूरा करने हेतु डिजिटल 4.0 के लिये नए डिजिटल राष्ट्र के निर्माण में सहायता कर सकते हैं:
  - वैज्ञानिक सोच का समावेश, जहाँ धारणा/सोच नीति को संचालित नहीं करती है।
  - डेटा तक पहुँच और उपकरणों की कम लागत, विशेष रूप से स्मार्टफोन।
  - उच्च गति प्रौद्योगिकी और निर्बाध कनेक्टिविटी (5G, 6G)।
  - गुणवत्ता और स्थानीय भाषा सामग्री।
  - निवारण, लोकपाल, शिकायत निवारण अधिकारियों हेतु निश्चित स्थानों के साथ एक सुरक्षित साइबरस्पेस।
  - अक्षय ऊर्जा, बिजली की निर्बाध आपूर्ति, हरित प्रौद्योगिकी और अधिक-से-अधिक सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाना तथा अधिक-से-अधिक विभागों को एक-दूसरे से जोड़ना।
- डिजिटल इंडिया एक सशक्त तकनीकी समाधान है जो वर्षों से बुनियादी ढाँचे के निर्माण में सहायक रहा है और आज यह स्टार्ट-अप, डिजिटल शिक्षा, निर्बाध बैंकिंग एवं भुगतान समाधान, एग्रीटेक, स्वास्थ्य तकनीक, स्मार्ट सिटीज़, शासन तथा खुदरा प्रबंधन जैसे अन्य उभरते क्षेत्रों के आधार के रूप में कार्य कर रहा है।

खुले में शौच करने वालों की संख्या में गिरावट : वॉश रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

वाश (WASH) इंस्टीट्यूट (एक वैश्विक गैर-लाभकारी संगठन) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2015 के बाद से (पूर्ण संख्या के संदर्भ में) खुले में शौच करने वालों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई।

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत् विकास लक्ष्य (SDG) 6 को अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के लिये पानी, साफ-सफाई और स्वच्छता (Water, Sanitation and Hygiene- WASH) तक सार्वभौमिक पहुँच पर भी ज़ोर दिया गया।

वॉश (WASH):

- WASH पानी, साफ-सफाई और स्वच्छता (Water, Sanitation and Hygiene- WASH) का संक्षिप्त रूप है। ये क्षेत्र परस्पर संबंधित हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की वॉश रणनीति 2018-25 को सदस्य राज्य संकल्प (WHA 64.4) तथा सतत विकास के लिये 2030 एजेंडा (SDG 3: अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, SDG 6: स्वच्छ जल व स्वच्छता) की अनुक्रिया के रूप में विकसित किया गया है।
- यह WHO के 13वें जनरल प्रोग्राम ऑफ वर्क 2019-2023 का एक घटक है जिसका उद्देश्य बेहतर आपातकालीन तैयारियों और प्रतिक्रिया जैसे बहुक्षेत्रीय कार्रवाइयों के माध्यम से तीन बिलियन लोगों तथा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज़ (UHC) के माध्यम से एक बिलियन लोगों की स्वास्थ्य सुविधा में योगदान करना है।
- यह जुलाई 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता जैसे मानवाधिकारों की प्रगतिशीलता पर भी ज़ोर देता है।

प्रमुख बिंदु:

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- खुले में शौच से संबंधित:
  - भारत के भीतर खुले में शौच कम-से-कम वर्ष 2006 के बाद से क्षेत्रीय रूप से अत्यधिक परिवर्तनशील रहा परंतु वर्ष 2016 तक सभी राज्यों में खुले में शौच में कमी आई थी, जिसमें सबसे बड़ी गिरावट हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में देखी गई थी।

- उप-सहारा अफ्रीका में खुले में शौच पर अंकुश लगाने की प्रगति धीमी थी।
- SDG 6 से संबंधित:
  - वर्ष 2016 और 2020 के बीच घर पर सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल की पहुँच वाली वैश्विक आबादी 70% से बढ़कर 74% हो गई।
  - ऑन-सोर्स जल संसाधनों और ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियों में सुधार हुआ है।
    - ऑन-सोर्स जल संसाधनों में पाइप्ड वाटर, बोरहोल या ट्यूबवेल, संरक्षित खोदे गए कुएँ, संरक्षित झरने, वर्षा जल और पैकेज्ड या डिलीवर किया गया जल शामिल है।
    - ऑनसाइट स्वच्छता प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मल और अपशिष्ट जल को उस भूखंड पर एकत्र, संग्रहीत और/या संसाधित किया जाता है जहाँ वे उत्पन्न होते हैं।
  - सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता सेवाओं में वर्ष 2016 और 2020 के बीच 47% - 54% की वृद्धि हुई है।

चुनौतियाँ:

- केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत स्वच्छता दोनों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये, उचित धन और निवेश की आवश्यकता थी।
- रिपोर्ट में स्वच्छता [विशेष रूप से नोवल कोरोनावायरस रोग (कोविड -19) के संदर्भ में] के बारे में भी बात की गई है।
  - जून 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से 'हैंड हाइजीन फॉर ऑल' पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य हाथ धोने के बुनियादी ढाँचे तक पहुँच में सुधार करना और जहाँ संसाधन उपलब्ध हो वहाँ हाथ धोने की प्रथाओं में बदलाव को प्रोत्साहित करना है।
  - साबुन और पानी से हाथ धोने की सुविधाएँ 67 प्रतिशत से बढ़कर 71 प्रतिशत हो गई।
- हालाँकि जल संसाधनों की कमी के कारण कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया भर में 10 में से 3 लोग घर पर साबुन और पानी से हाथ नहीं धो सके।

खुले में शौच

- यह उस प्रथा को संदर्भित करता है जहाँ लोग शौच के लिये शौचालय का उपयोग करने के बजाय खेतों, झाड़ियों, जंगलों, खुले जलाशयों या अन्य खुले स्थानों का प्रयोग करते हैं।
- यह भारत में बच्चों के स्वास्थ्य के लिये एक गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।
- यह प्रथा महिलाओं को शारीरिक हमलों आदि के प्रति संवेदनशील बनाती है।
- खराब स्वच्छता स्थिति सरकार को शिक्षा जैसे उत्पादक निवेश के बजाय लोगों की मेहनत की कमाई को स्वास्थ्य पर (जो कि लोगों की गरीबी का प्रमुख कारण है) खर्च करने के लिये मजबूर करती है, जो कि राष्ट्रीय विकास को भी बाधित करता है।

इस संबंध में सरकार द्वारा किये गए प्रयास

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति:

- जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) ने वर्ष 2019 से वर्ष 2029 तक 10 वर्षीय 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति' शुरू की है।
- यह नीति स्थानीय सरकारों, नीति-निर्माताओं, कार्यान्वयनकर्त्ताओं और अन्य संबंधित हितधारकों को खुले में शौच मुक्त (ODF) प्लस स्थिति के लिये योजना में उनके मार्गदर्शन करने हेतु एक रूपरेखा तैयार करता है, जिसके तहत प्रत्येक नागरिक शौचालय का उपयोग करने में सक्षम हो और प्रत्येक गाँव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध हो।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण-II:

- यह चरण-I के तहत उपलब्धियों की स्थिरता सुनिश्चित करने और ग्रामीण भारत में ठोस/तरल एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) हेतु पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करने पर ज़ोर देता है।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-I के तहत मिशन के शुभारंभ के बाद से 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है; परिणामस्वरूप सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों ने 2 अक्तूबर, 2019 को स्वयं को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया है।

ODF, ODF+, ODF++ (शहरों और कस्बों के लिये)

- ODF: किसी क्षेत्र को ODF के रूप में अधिसूचित या घोषित किया जा सकता है यदि दिन के किसी भी समय, एक भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है।
- ODF+: एक शहर को ODF+ घोषित किया जा सकता है, यदि किसी दिन किसी भी व्यक्ति को खुले में शौच और/या पेशाब करते हुए नहीं पाया जाता है और सभी सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालय कार्यात्मक अवस्था में एवं सुव्यवस्थित हैं।
- ODF++: एक शहर को ODF++ घोषित किया जा सकता है, यदि वह पहले से ही ODF+ स्थिति में है और वहाँ मल कीचड़/सेप्टेज (Faecal sludge/Septage) और नालियों का सुरक्षित रूप से प्रबंधन तथा उपचार किया जाता है एवं किसी प्रकार के अनुपचारित कीचड़/सेप्टेज (Sludge/Septage) और नालियों की निकासी जल निकायों या खुले क्षेत्रों के नालों में नहीं होती है।

आंध्र प्रदेश-तेलंगाना जल विवाद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमावर्ती ज़िलों में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं (Hydel Power Projects) पर पुलिस बलों को तैनात किया गया।

- आंध्र प्रदेश ने कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (Krishna River Management Board- KRMB) में शिकायत की है कि तेलंगाना द्वारा बिजली उत्पादन हेतु श्रीशैलम परियोजना (Srisailam project) के जल का प्रयोग किया जा रहा है।
- KRMB ने अपने हालिया आदेशों में तेलंगाना से बिजली उत्पादन बंद करने को कहा था। तेलंगाना सरकार द्वारा KRBM के आदेशों की अवहेलना के कारण तनाव पैदा हो गया है।

प्रमुख बिंदु:

विवाद के बारे में:

- तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कृष्णा और गोदावरी (Krishna and the Godavari) एवं उनकी सहायक नदियों के जल को साझा करते हैं।
- दोनों राज्यों ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत नदी बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग और शीर्ष परिषद से मंज़ूरी लिये बिना कई नई परियोजनाओं का प्रस्ताव दिया है।
  - आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के कामकाज की निगरानी हेतु केंद्र सरकार द्वारा एक शीर्ष परिषद के गठन को अनिवार्य बनाता है।
  - शीर्ष परिषद में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हैं।
- आंध्र प्रदेश सरकार के श्रीशैलम जलाशय (Srisailam Reservoir) के ऊपरी हिस्से से कृष्णा नदी के जल के उपयोग को बढ़ाने के प्रस्ताव के कारण तेलंगाना सरकार ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ शिकायत दर्ज की।
  - श्रीशैलम जलाशय आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनाया गया है। यह नल्लामाला पहाड़ियों में स्थित है।
- आंध्र प्रदेश सरकार ने शिकायतों का जवाब देते हुए कहा कि कृष्णा नदी पर पलामुरू रंगारेड्डी, डिंडी लिफ्ट सिंचाई परियोजना और गोदावरी नदी पर कालेश्वरम, तुपाकुलगुडेम परियोजनाएँ तथा प्रस्तावित कुछ बैराज सभी नई परियोजनाओं के अंतर्गत आती हैं।

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद:

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद-262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के अधिनिर्णयन का प्रावधान करता है।
  - इसके तहत संसद किसी भी अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के निपटान के लिये कानून द्वारा प्रावधान कर सकती है।
  - संसद यह भी प्रावधान कर सकती है कि इस तरह के किसी भी विवाद या शिकायत के संबंध में न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेंगे।

- इस संबंध में संसद ने दो कानून- नदी बोर्ड अधिनियम (1956) और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम (1956) अधिनियमित किये हैं।
- नदी बोर्ड अधिनियम अंतर-राज्यीय नदी और नदी घाटियों के नियमन और विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा नदी बोर्डों की स्थापना का प्रावधान करता है।
  - संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर उन्हें सलाह देने हेतु एक नदी बोर्ड की स्थापना की गई है।
- अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार को एक अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के संबंध में दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद के निर्णय के लिये एक तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है।
  - न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होता है और विवाद के पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है।
  - किसी भी जल विवाद के संबंध में न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे इस अधिनियम के तहत किसी न्यायाधिकरण को संदर्भित किया जा सकता है।

गोदावरी नदी

- उद्भव: गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
- अपवाह तंत्र: गोदावरी बेसिन महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा पुदुचेरी के मध्य क्षेत्र के छोटे हिस्सों में फैला हुआ है।
- सहायक नदियाँ: प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता (वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा का संयुक्त प्रवाह), इंद्रावती, मनेर और सबरी।

कृष्णा नदी

- स्रोत: इसका उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर (सतारा) के निकट है। यह गोदावरी नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है।
- अपवाह तंत्र: यह नदी बंगाल की खड़ी में मिलने से पहले चार राज्यों यथा- महाराष्ट्र (303 किमी.), उत्तरी कर्नाटक (480 किमी.) और शेष 1300 किमी. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है।
- सहायक नदियाँ: तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, घाटप्रभा, वर्ना, डिंडी, मुसी, दूधगंगा आदि प्रमुख सहायक नदियाँ हैं।

UDISE+ 2019-20 रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भारत में स्कूली शिक्षा के लिये 'यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस' (UDISE+) 2019-20 रिपोर्ट जारी की है।

यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+)

- यह स्कूली शिक्षा पर सबसे बड़ी प्रबंधन सूचना प्रणाली में से एक है। इसे वर्ष 2018-2019 में डेटा प्रविष्टि में तेज़ी लाने, त्रुटियों को कम करने, डेटा गुणवत्ता में सुधार करने और डेटा सत्यापन को आसान बनाने हेतु लॉन्च किया गया था।
- यह स्कूल और उसके संसाधनों से संबंधित कारकों के विषय में विवरण एकत्र करने संबंधी एक एप्लीकेशन है।
  - यह UDISE का एक अद्यतित और उन्नत संस्करण है, जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012-13 में शुरू किया गया था।
- इसमें 1.5 मिलियन से अधिक स्कूल, 8.5 मिलियन शिक्षक और 250 मिलियन बच्चे शामिल हैं।
- यह भारत भर के सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षा मानकों को मापने में मदद करता है।

प्रमुख बिंदु:

कुल छात्र:

- वर्ष 2019-20 में प्री-प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक स्कूली शिक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 26.45 करोड़ के पार पहुँच गई है। यह 2018-19 की तुलना में 42.3 लाख अधिक है।

सकल नामांकन अनुपात:

- स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात (GER) में 2018-19 की तुलना में 2019-20 में सुधार हुआ है।
  - उच्च प्राथमिक स्तर 87.7% से बढ़कर 89.7% हो गया।
  - प्राथमिक स्तर 96.1% से बढ़कर 97.8% हो गया।
  - माध्यमिक स्तर 76.9% से बढ़कर 77.9% हो गया।
  - हायर सेकेंडरी लेवल 50.1% से बढ़कर 51.4% हो गया।
- GER शिक्षा के किसी दिये गए स्तर में नामांकित छात्रों की संख्या है, चाहे वह किसी भी उम्र के हों, शिक्षा के समान स्तर के अनुरूप आधिकारिक स्कूल-आयु की आबादी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है।

छात्र अध्यापक अनुपात:

- वर्ष 2019-20 में 96.87 लाख शिक्षक विद्यालयी शिक्षा में संलग्न थे। यह वर्ष 2018-19 की तुलना में लगभग 2.57 लाख अधिक हैं।
- स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्र शिक्षक अनुपात में सुधार हुआ है।

दिव्यांग छात्रों का नामांकन:

- वर्ष 2018-19 की तुलना में दिव्यांग छात्रों के नामांकन में 6.52% की वृद्धि हुई है।

लड़कियों का नामांकन:

- वर्ष 2019-20 में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक लड़कियों का नामांकन 12.08 करोड़ से अधिक है। इसमें वर्ष 2018-19 की तुलना में 14.08 लाख की वृद्धि हुई है।

लिंग समानता सूचकांक:

- वर्ष 2012-13 और 2019-20 के बीच माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक दोनों स्तरों पर लिंग समानता सूचकांक (GPI) में सुधार हुआ है।
  - प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा में GPI, शिक्षा के प्राथमिक, माध्यमिक व तृतीयक स्तरों पर नामांकित महिला छात्रों की संख्या तथा प्रत्येक स्तर पर पुरुष छात्रों की संख्या का अनुपात है।
- उच्चतर माध्यमिक स्तर पर GPI में सर्वाधिक सुधार हुआ है, जो वर्ष 2012-13 के 0.97 से 2019-20 में 1.04 हो गया है।

स्कूलों में सुविधाएँ:

- विद्युत: 2019-20 में भारत के 80% से अधिक स्कूलों में कार्यात्मक बिजली थी। इसमें पिछले वर्ष 2018-19 की तुलना में 6% से अधिक का सुधार है।
- कंप्यूटर: कार्यात्मक कंप्यूटर वाले स्कूलों की संख्या 2018-19 में 4.7 लाख से बढ़कर 2019-20 में 5.2 लाख हो गई।
- इंटरनेट: इंटरनेट सुविधा वाले स्कूलों की संख्या 2018-19 के 2.9 लाख से बढ़कर 2019-20 में 3.36 लाख हो गई।
- हाथ धोने की सुविधा: 2019-20 में भारत के 90% से अधिक स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा थी। यह एक बड़ा सुधार है क्योंकि 2012-13 में यह सुविधा केवल 36.3% थी।
- मेडिकल चेक-अप: 2019-20 में 82% से अधिक स्कूलों ने छात्रों का मेडिकल चेक-अप किया, जो पिछले वर्ष 2018-19 की तुलना में 4% से अधिक है।

कुछ महत्त्वपूर्ण सरकारी पहलें:

- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020
- सर्व शिक्षा अभियान
- मध्याह्न भोजन योजना
- शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

पंजाब सूबा आंदोलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee- SGPC) ने 4 जुलाई, 1955 को पंजाब सूबा आंदोलन (मोर्चा) के दौरान स्वर्ण मंदिर (Golden Temple) के अंदर पुलिस बल द्वारा की गई कार्यवाही को याद करते हुए एक कार्यक्रम आयोजित किया।

प्रमुख बिंदु:

पंजाब सूबा आंदोलन के बारे में:

- आज़ादी के तुरंत बाद पंजाब में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। शिरोमणि अकाली दल (राजनीतिक दल) द्वारा एक पंजाबी भाषी राज्य को लेकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया।
  - हालाँकि इस विचार का विरोध भी हुआ।
  - जो लोग इसकी मांग के पक्ष में थे उनके द्वारा पंजाबी सूबा अमर रहे (Punjabi Suba Amar Rahe) का नारा लगाया गया तथा मांग का विरोध करने वाले लोग 'महा-पंजाब' (Maha-Punjab) के समर्थन में नारे लगा रहे थे।
  - अप्रैल 1955 में सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure- CrPC) की धारा 144 के तहत कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिये नारों पर प्रतिबंध लगा दिया।
- पंजाबी सूबे के निर्माण की मांग ने स्वत: ही अलग हरियाणा राज्य की मांग का आधार निर्मित कर दिया।

आंदोलन की मांग:

- एक पंजाबी भाषी राज्य का निर्माण जिसमें पंजाबी भाषी क्षेत्रों की जनसंख्या शामिल होगी।
- किसी भी स्थायी तरीके से इसके आकार को बढ़ाने या घटाने हेतु कोई उग्र/हिंसक प्रयास न करना। पंजाबी भाषी राज्य भारतीय संविधान के अधीन होगा।

पंजाब का गठन (Formation of Punjab):

- पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 (और राज्य पुनर्गठन आयोग की पूर्व सिफारिशों के अनुसार) के पारित होने के साथ हरियाणा वर्ष 1966 में पंजाब से अलग होकर भारत का 17वाँ राज्य बन गया।
- इस प्रकार पूर्वी पंजाब का पूर्व राज्य अब दो राज्यों हरियाणा और पंजाब में विभाजित हो गया था।
- कुछ क्षेत्र केंद्रशासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश में भी स्थानांतरित कर दिया गया था।
- पंजाब और हरियाणा दोनों की अस्थायी राजधानी के रूप में सेवा करने के लिये चंडीगढ़ को एक केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया।

राज्यों के निर्माण के लिये संवैधानिक प्रावधान:

- भारतीय संविधान केंद्र सरकार को मौजूदा राज्यों में से एक नया राज्य बनाने या दो राज्यों का विलय करने का अधिकार देता है। इस प्रक्रिया को राज्यों का पुनर्गठन कहा जाता है।
  - पुनर्गठन का आधार भाषायी, धार्मिक, जातीय या प्रशासनिक हो सकता है।

- अनुच्छेद 3 निम्नलिखित प्रक्रिया प्रदान करता है:
  - राष्ट्रपति का संदर्भ (Reference) राज्य विधानसभा को भेजा जाता है।
  - राष्ट्रपति के संदर्भ के बाद एक प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया जाता है और पारित किया जाता है।
  - विधानसभा को नए राज्य/राज्यों के निर्माण के लिये एक विधेयक पारित करना होता है।
  - एक अलग विधेयक को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

नए राज्यों के निर्माण के फायदे और नुकसान

लाभ	नुकसान
आर्थिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन	अंतर्राज्यीय जल, विद्युत एवं सीमा विवाद में वृद्धि की संभावना
अधिक निवेश के अवसर	क्षेत्रीय स्वायत्तता के नारे में राष्ट्रवाद की भावना कम होगी
तेज़ आर्थिक विकास	छोटे राज्य वित्तीय सहायता के लिये काफी हद तक केंद्र सरकार पर निर्भर हैं
छोटे राज्य के लोग अपने राज्य के मामलों में राय अच्छी तरह से रख सकेंगे	अलग-अलग राज्य का दर्जा प्रमुख समुदाय के आधिपत्य की ओर ले जा सकता है

भारत में राज्य के दर्जे को लेकर वर्तमान मांगें:

- विदर्भ
  - इसमें पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती और नागपुर डिवीज़न शामिल हैं।
- दिल्ली
  - विभिन्न मौलिक एवं बुनियादी शक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिये दिल्ली सरकार पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रही है।
- हरित प्रदेश
  - इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि प्रधान ज़िले शामिल हैं।
- पूर्वांचल
  - यह उत्तर-मध्य भारत का एक भौगोलिक क्षेत्र है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य का पूर्वी हिस्सा शामिल है।
- बोडोलैंड
  - बोडो उत्तरी असम में सबसे बड़ा जातीय और भाषायी समुदाय है, जो अपने लिये अलग राज्य की मांग कर रहा है।
- सौराष्ट्र
  - दक्षिण-पश्चिमी गुजरात राज्य में काठियावाड़ प्रायद्वीप, जिसे सौराष्ट्र प्रायद्वीप भी कहा जाता है, के लिये भी अलग राज्य की मांग की जा रही है।
- गोरखालैंड
  - यह एक प्रस्तावित राज्य है, जिसमें गोरखा (नेपाली) लोगों के निवासित स्थान जैसे- पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में दार्जिलिंग पहाड़ियाँ और डुआर्स आदि शामिल हैं।

सर चेट्टूर शंकरन नायर

चर्चा में क्यों?

शीघ्र ही सर चेट्टूर शंकरन नायर (Sir Chettur Sankaran Nair) के जीवन पर आधारित एक बायोपिक का निर्माण किया जाएगा।

- यह वर्ष 2019 में रघु पलत और पुष्पा पलत द्वारा लिखित पुस्तक 'द केस दैट शुक द एम्पायर' (The case that shook the Empire) पर आधारित होगी।

प्रमुख बिंदु:

संक्षिप्त परिचय:

- इनका जन्म वर्ष 1857 में मालाबार क्षेत्र में पालक्काड़ ज़िले के मनकारा गाँव में हुआ।
- इन्हें सामाजिक सुधारों के समर्थक और भारत के आत्मनिर्णय में दृढ़ विश्वास हेतु जाना जाता है।
- वे मद्रास उच्च न्यायालय में एक प्रशंसित वकील और न्यायाधीश थे।

उपलब्धियाँ:

- INC के अध्यक्ष: ये वर्ष 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (Indian National Congress- INC) के शुरुआती निर्माताओं में से एक थे।
  - वर्ष 1885 में कॉन्ग्रेस पार्टी के इतिहास में वे सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने और इस पद को संभालने वाले एकमात्र मलयाली थे।
- रैले विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य: वर्ष 1902 में लॉर्ड कर्ज़न (Lord Curzon) ने उन्हें रैले विश्वविद्यालय आयोग का सदस्य नियुक्त किया।
- नाइटहुड: वर्ष 1904 में ब्रिटेन की महारानी द्वारा इन्हें कम्पैनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर (Companion of The Indian Empire) के रूप में नियुक्त किया गया था तथा वर्ष 1912 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी।
- मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश: उन्हें वर्ष 1908 में मद्रास उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
- वायसराय परिषद का हिस्सा: वर्ष 1915 में वे वायसराय की परिषद का हिस्सा बने, जिसे शिक्षा विभाग का प्रभारी बनाया गया था।

स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका:

- एक उत्कट स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भारत के स्वशासन के अधिकार में इनका दृढ़ विश्वास था।
- मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार: वर्ष 1919 में वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होकर उन्होंने मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों (Montagu-Chelmsford reforms) में प्रावधानों के विस्तार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - इससे प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि हुई।
- वायसराय की परिषद से इस्तीफा: जलियाँवाला बाग नरसंहार (13 अप्रैल, 1919) के पश्चात् सर चेट्टूर शंकरन नायर ने विरोध स्वरूप वायसराय की परिषद से इस्तीफा दे दिया था।
  - उनके इस्तीफे ने ब्रिटिश सरकार को झकझोर कर रख दिया था और इस इस्तीफे के तुरंत बाद पंजाब में प्रेस सेंसरशिप हटा दी गई तथा मार्शल लॉ समाप्त कर दिया गया।
  - इसके अलावा पंजाब में गड़बड़ी की जाँच के लिये लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।
- गांधीवादी पद्धति के आलोचक: अपनी पुस्तक 'गांधी एंड एनार्की' में उन्होंने गांधी जी के तरीकों, विशेष रूप से अहिंसा, सविनय अवज्ञा और असहयोग आदि की व्यापक आलोचना की थी।
  - उनका मानना था कि ये सभी तरीके अंततः दंगों और रक्तपात को ही जन्म देंगे।

माइकल ओ'डायर के खिलाफ कानूनी लड़ाई:

- मानहानि का मुकदमा: सर चेट्टूर शंकरन नायर ने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'डायर को अपनी पुस्तक 'गांधी एंड एनार्की' में जलियाँवाला बाग हत्याकांड में हुए अत्याचारों के लिये उत्तरदायी ठहराया था।
  - इसके लिये उन्हें माइकल ओ'डायर द्वारा इंग्लैंड में दायर मानहानि के मुकदमे का भी सामना करना पड़ा था।
- मुकदमे का प्रभाव: यद्यपि सर शंकरन नायर यह मामला हार गए थे, किंतु मुकदमे का भारत में ब्रिटिश साम्राज्य पर गहरा प्रभाव पड़ा था।
  - ऐसे समय में जब राष्ट्रवादी आंदोलन ज़ोर पकड़ रहा था, तो तमाम भारतीयों ने इस मामले के तहत दिये गए निर्णय को ब्रिटिश सरकार के स्पष्ट पूर्वाग्रह और अपने लोगों के विरुद्ध अत्याचार करने वालों को बचाने के एक प्रयास के रूप में देखा।

- यह निर्णय इस लिहाज़ से काफी महत्त्वपूर्ण था कि इसने स्वशासन के लिये लड़ने हेतु राष्ट्रवादियों के दृढ़ संकल्प को मज़बूत किया।

समाज सुधार:

- मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनके प्रसिद्ध निर्णय सामाजिक सुधारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।
- बुडासना बनाम फातिमा (वर्ष 1914) वाद में उन्होंने महत्त्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि जो लोग हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए हैं उन्हें बहिष्कृत नहीं माना जा सकता है।
- कुछ अन्य मामलों में उन्होंने अंतर्जातीय और अंतर-धार्मिक विवाहों को भी मान्यता दी।

निपुण भारत मिशन

चर्चा में क्यों?

शिक्षा मंत्रालय ने 'बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिये राष्ट्रीय पहल- निपुण' (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy- NIPUN) भारत मिशन की शुरुआत की है।

- इसका उद्देश्य 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना है।

प्रमुख बिंदु

NEP 2020 का हिस्सा:

- यह पहल NEP (राष्ट्रीय शिक्षा नीति) 2020 के एक भाग के रूप में शुरू की जा रही है।
- इस नीति का उद्देश्य देश में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है। इस नीति ने 34 वर्षीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE), 1986 को प्रतिस्थापित किया।

उद्देश्य:

- आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिये एक सक्षम वातावरण बनाना ताकि ग्रेड 3 का प्रत्येक बच्चा वर्ष 2026-27 तक पढ़ने, लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके।

केंद्रबिंदु के क्षेत्र:

- यह स्कूली शिक्षा के मूलभूत वर्षों में बच्चों तक शिक्षा की पहुँच प्रदान करने और उन्हें बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करेगा जैसे- शिक्षक क्षमता निर्माण, उच्च गुणवत्ता और छात्र एवं शिक्षक संसाधनों/शिक्षण सामग्री का विकास तथा सीखने के परिणामों को लेकर प्रत्येक बच्चे की प्रगति पर नज़र रखना।

कार्यान्वयन:

- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा NIPUN को भारत में कार्यान्वित किया जाएगा।
- समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रीय, राज्य, ज़िला, ब्लॉक, स्कूल स्तर पर एक पाँच स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा।
  - 'समग्र शिक्षा' कार्यक्रम तीन मौजूदा योजनाओं- सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षा (TE) को मिलाकर शुरू किया गया था।
  - इस योजना का उद्देश्य पूर्व-विद्यालय से बारहवीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा को समग्र रूप से सुनिश्चित करना है।
- निष्ठा (National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement- NISHTHA) के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (Foundational Literacy and Numeracy- FLN) के लिये एक विशेष पैकेज NCERT द्वारा विकसित किया जा रहा है।

- इस वर्ष प्री-प्राइमरी से प्राइमरी कक्षा तक पढ़ाने वाले लगभग 25 लाख शिक्षकों को FLN का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- निष्ठा "एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार" के लिये एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है।

- पूर्व-प्राथमिक या बालवाटिका कक्षाओं के क्रम में चरण-वार लक्ष्य निर्धारित किये जा रहे हैं।

अपेक्षित परिणाम:

- प्राथमिक कौशल बच्चों को कक्षा में रखने में सक्षम बनाते हैं जिससे बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को कम किया जा सकता है तथा इससे प्राथमिक से उच्च प्राथमिक व माध्यमिक चरणों में पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी आएगी।
- गतिविधि आधारित लर्निंग और सीखने के अनुकूल माहौल से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।
- खिलौना आधारित और अनुभवात्मक लर्निंग जैसी अभिनव अध्यापन कला कक्षा कार्य में इस्तेमाल की जाएगी जिससे लर्निंग (सीखना) एक आनंदमय और आकर्षक गतिविधि बनेगी।
- शिक्षकों का उच्च क्षमता निर्माण उन्हें सशक्त बनाता है और अध्यापन कला चुनने के लिये अधिक स्वायत्ता प्रदान करता है।
- शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, साक्षरता व संख्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, जीवन कौशल आदि जैसे परस्पर संबंधित और निर्भर विकास के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर बच्चे का समग्र विकास किया जाएगा जो उसके प्रगति कार्ड में परिलक्षित होगा।
- इस प्रकार बच्चे तेज़ी से सीखने की क्षमता हासिल करेंगे जो उनकी शिक्षा के बाद के जीवन परिणामों और रोज़गार पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
- चूँकि शिक्षा ग्रहण हेतु हर बच्चा प्रारंभिक ग्रेड में प्रवेश लेता है, इसलिये उस स्तर पर ध्यान देने से सामाजिक-आर्थिक व अलाभकारी समूह को भी लाभ होगा, इस प्रकार समान तथा समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित होगी।

भारत में शिक्षा

संवैधानिक प्रावधान:

- भारतीय संविधान के भाग IV- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 (f) में राज्य द्वारा वित्तपोषण के साथ-साथ समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान है।
- 42वें संविधान संशोधन 1976 ने शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया।
  - केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियाँ एक व्यापक दिशा प्रदान करती हैं और राज्य सरकारों से इनका पालन करने की अपेक्षा की जाती है लेकिन यह अनिवार्य नहीं है, उदाहरण के लिये तमिलनाडु राज्य वर्ष 1968 की प्रथम शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित त्रि-भाषा फार्मूले का पालन नहीं करता है।
- 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 ने शिक्षा को अनुच्छेद 21-A के तहत लागू किये जाने योग्य अधिकार बना दिया।

संबंधित कानून:

- शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करना है।
  - यह गैर-अल्पसंख्यक निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को अधिक एकीकृत तथा समावेशी स्कूली शिक्षा प्रणाली बनाने हेतु अपनी प्रवेश स्तर की सीटों में से कम-से-कम 25% सीटें वंचित वर्गों के बच्चों के लिये आरक्षित रखने का आदेश देता है।

सरकार द्वारा की गई पहल:

- सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय तथा शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का परिणाम है।

मुख्यमंत्री

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री (CM) के रूप में शपथ ग्रहण की।

- उन्होंने वर्ष 2022 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले ही पदभार ग्रहण किया है।

प्रमुख बिंदु

नियुक्ति:

- संविधान के अनुच्छेद 164 यह प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा।
  - विधानसभा चुनावों में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है।
  - राज्यपाल के पास नाममात्र का कार्यकारी अधिकार है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास है।
  - हालाँकि राज्यपाल द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्तियाँ राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार, प्रभाव, प्रतिष्ठा और भूमिका को कुछ हद तक कम कर देती हैं।
- एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, उसे छह महीने के लिये मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, उस समयसीमा के भीतर उसे राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, ऐसा न करने पर उसे मुख्यमंत्री पद का त्याग करना होता है।

CM का कार्यकाल:

- मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
  - राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है।
- यदि वह विधानसभा में विश्वास मत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिये अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है।

शक्तियाँ एवं कार्य:

- मंत्रिपरिषद के संबंध में:
  - राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है।
  - वह मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल करता है।
  - वह पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद का विघटन कर सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है।
- राज्यपाल के संबंध में:
  - संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।
  - मुख्यमंत्री द्वारा महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग आदि के अध्यक्ष और सदस्यों जैसे महत्त्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह दी जाती है।
- राज्य विधानमंडल के संबंध में:
  - सभी नीतियों की घोषणा उसके द्वारा सदन के पटल पर की जाती है।
  - वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश करता है।
- अन्य कार्य:
  - वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है।
  - वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और एक समय में इसका कार्यकाल एक वर्ष का होता है।
  - वह अंतर-राज्य परिषद और नीति आयोग का सदस्य होता है, इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
  - वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है।
  - आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है।

- राज्य के एक नेता के रूप में वह लोगों के विभिन्न वर्गों से मिलता है और उनकी समस्याओं के बारे में ज्ञापन प्राप्त करता है।
- वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख है।

इटली में भारतीय सैनिक: द्वितीय विश्व युद्ध

चर्चा में क्यों?

भारतीय थल सेनाध्यक्ष (COAS) ब्रिटेन और इटली की आधिकारिक यात्रा के दौरान इटली के कैसिनो शहर में एक भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन करेंगे।

- यह स्मारक 3,100 से अधिक राष्ट्रमंडल सैनिकों को श्रद्धांजलि देने हेतु बनाया गया है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) में इटली को आज़ाद कराने के प्रयास में भाग लिया था।
- इस स्मारक पर 900 भारतीय सैनिकों को भी श्रद्धांजलि दी गई है।

प्रमुख बिंदु:

इटली में भारतीय सेना:

- भारतीय सेना के तीन इन्फैन्ट्री डिवीज़नों (चौथे, आठवें और दसवें) ने इतालवी अभियान में भाग लिया था।
  - 8वाँ भारतीय इन्फैंट्री डिवीजन इटली में पहुँचने वाला देश का पहला डिवीज़न था जिसने वर्ष 1941 में अंग्रेज़ों द्वारा इराक और ईरान में हुए हमलों के समय कार्रवाई की।
  - दूसरा आगमन चौथे भारतीय डिवीज़न का था जो दिसंबर 1943 में उत्तरी अफ्रीका से इटली आया था। वर्ष 1944 में इसे कैसीनो में तैनात किया गया था।
  - तीसरा आगमन 10वें भारतीय डिवीजन का था जिसे वर्ष 1941 में अहमदनगर में गठित किया गया और वर्ष 1944 में यह इटली पहुँचा।
- पंजाब और भारतीय मैदानी इलाकों के पुरुषों ने इटली की अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया।
  - यहाँ तक कि नेपाल के गोरखाओं ने भी भारी और लगातार वर्षा तथा इटली के पहाड़ों में बर्फीली रातों का सामना किया।
- सभी तीन डिवीजनों ने इतालवी अभियान में अच्छा प्रदर्शन किया और मित्र देशों तथा एक्सिस/धुरी कमांडरों द्वारा समान रूप से उनका सम्मान किया गया।

द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक:

- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना सबसे बड़ी स्वयंसेवी शक्ति थी, जिसमें 2.5 मिलियन (20 लाख से अधिक) भारतीयों ने भाग लिया था।
- इन सैनिकों ने मित्र राष्ट्रों के हिस्से के रूप में धुरी शक्तियों (जर्मनी, इटली और जापान) से लड़ाई लड़ी। वे विभिन्न स्रोत संगठनों से संबंधित थे, जैसे:
  - भारतीय सेना:
    - 1940 के दशक के पूर्वार्द्ध में भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और भारतीय सेना ने दोनों विश्व युद्धों में भाग लिया। इसमें भारतीय और यूरोपीय दोनों सैनिक शामिल थे।
  - ईस्ट इंडिया कंपनी सेना और ब्रिटिश सेना:
    - भारतीय सेना के अलावा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने भारतीय और यूरोपीय दोनों सैनिकों की भर्ती की तथा ब्रिटिश सेना भी मौजूद थी।

द्वितीय विश्व युद्ध

परिचय:

- द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939-45 के बीच होने वाला एक सशस्त्र विश्वव्यापी संघर्ष था।
- जर्मनी द्वारा 1 सितंबर, 1939 को पोलैंड पर आक्रमण के दो दिन बाद ब्रिटेन और फ्राँस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की।
- यह इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष था जो लगभग छह वर्षों तक चला था।
- 2 सितंबर, 1945 को जब यह एक अमेरिकी युद्धपोत के डेक पर समाप्त हुआ, तब इसमें लगभग 60-80 मिलियन लोग शामिल हुए थे जो दुनिया की आबादी का लगभग 3% था।
- मरने वालों में अधिकांश साधारण नागरिक थे, जिनमें 6 मिलियन यहूदी भी शामिल थे, जो युद्ध के दौरान नाजी बंदी शिविरों में मारे गए थे।

प्रतिद्वंद्वी गुट:

- धुरी शक्तियाँ- जर्मनी, इटली और जापान।
- मित्र राष्ट्र- फ्राँस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन।

युद्ध के कारण:

- प्रथम विश्व युद्ध (1914-18) के बाद वर्साय संधि की कठोर शर्तें।
- दुनिया भर में आर्थिक मंदी।
- जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय।
- राष्ट्र संघ की विफलता।

द्वितीय विश्व युद्ध में इटली

- बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्त्व में इटली वर्ष 1936 में जर्मन नेशनल सोशलिस्ट (नाज़ी) जर्मनी में शामिल हो गया था और वर्ष 1940 में मित्र राष्ट्रों के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया।
- वर्ष 1943 में मुसोलिनी को परास्त कर दिया गया और इसके बजाय इटली ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की।
- मित्र राष्ट्रों द्वारा इटली पर आक्रमण उसी समय हुआ जब इतलियों के साथ एक युद्धविराम समझौता किया गया था।
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दो वर्षों तक इटली युद्ध के सबसे "थकाऊ अभियानों" में से एक बना रहा क्योंकि वे एक कुशल और दृढ़ दुश्मन का सामना कर रहे थे।

नए सहकारिता मंत्रालय का गठन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 'सहकार से समृद्धि' (सहकारिता के माध्यम से समृद्धि) के दृष्टिकोण को साकार करने और सहकारिता आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिये एक अलग 'सहकारिता मंत्रालय' बनाया है।

- इस कदम से सरकार ने समुदाय आधारित विकासात्मक भागीदारी के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता का संकेत दिया है। यह वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2021 में की गई बजट घोषणा को भी पूरा करता है।

प्रमुख बिंदु:

सहकारिता मंत्रालय का महत्त्व:

- यह देश में सहकारिता आंदोलन को मज़बूत करने के लिये एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढाँचा प्रदान करेगा।
- यह सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुँचाने वाले एक जन आधारित आंदोलन के रूप में मज़बूत करने में मदद करेगा।

- यह सहकारी समितियों के लिये 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' के लिये प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और बहु-राज्य सहकारी समितियों (MSCS) के विकास को सक्षम करने के लिये काम करेगा।

'सहकारिता' के विषय में:

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation- ILO) के अनुसार, सहकारिता सहकारी व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ है जो संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये स्वेच्छा से एकजुट होते हैं।
- सहकारी समितियाँ कई प्रकार की होती हैं जैसे उपभोक्ता सहकारी समिति (Consumer Cooperative Society), उत्पादक सहकारी समिति (Producer Cooperative Society), ऋण सहकारी समिति (Credit Cooperative Society), आवास सहकारी समिति (Housing Cooperative Society) और विपणन सहकारी समिति (Marketing Cooperative Society)।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) ने वर्ष 2012 को सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था।
- भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसने विश्व के सबसे बड़े सहकारी आंदोलन की नींव रखी।
- भारत में एक सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल बहुत प्रासंगिक है जहाँ प्रत्येक सदस्य ज़िम्मेदारी की भावना के साथ काम करता है।

सहकारिता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- संविधान (97वाँ संशोधन) अधिनियम, 2011 ने भारत में काम कर रही सहकारी समितियों के संबंध में भाग IXA (नगरपालिका) के ठीक बाद एक नया भाग IXB जोड़ा।
- संविधान के भाग-III के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(c) में "यूनियन (Union) और एसोसिएशन (Association)" के बाद "सहकारिता" (Cooperative) शब्द जोड़ा गया था। यह सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार का दर्जा देकर सहकारी समितियाँ बनाने में सक्षम बनाता है।
- राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों (Directive Principles of State Policy-भाग IV) में "सहकारी समितियों के प्रचार" के संबंध में एक नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया था।

भारत में सहकारी आंदोलन

स्वतंत्रता पूर्व भारत में सहकारी आंदोलन:

- सहकारिता की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई थी और ब्रिटिश सरकार में विशेष रूप से साहूकारों के उत्पीड़न से भारत में गरीब किसानों के दुखों को कम करने के उद्देश्य से इसे अपनाया गया।
- सहकारी समिति शब्द तब अस्तित्व में आया जब पुणे और अहमदनगर (महाराष्ट्र) के किसानों ने साहूकारों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया, जो किसानों से अत्यधिक ब्याज दर वसूल रहे थे।
- ब्रिटिश सरकार ने आगे चलकर तीन अधिनियम- दक्कन कृषि राहत अधिनियम (1879), भूमि सुधार ऋण अधिनियम (1883) और कृषक ऋण अधिनियम (1884) पारित किये।
  - वर्ष 1903 में बंगाल सरकार के सहयोग से बैंकिंग में पहली क्रेडिट सहकारी समिति का गठन किया गया था। इसे ब्रिटिश सरकार के फ्रेंडली सोसाइटीज़ एक्ट (Friendly Societies Act) के तहत पंजीकृत किया गया था।
- लेकिन सहकारी साख समिति अधिनियम, 1904 के अधिनियमन ने सहकारिता को एक निश्चित संरचना और आकार प्रदान किया ।
- वर्ष 1919 में, सहकारिता एक प्रांतीय विषय बन गया और भारत शासन अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935) में प्रांतों का वर्गीकरण किया गया जो मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों (Montague-Chelmsford Reforms) के तहत अपने स्वयं के सहकारी कानून बनाने हेतु अधिकृत हैं।

- वर्ष 1942 में ब्रिटिश भारत सरकार ने एक से अधिक प्रांतों की सदस्यता वाली सहकारी समितियों को कवर करने हेतु बहु-इकाई सहकारी समिति अधिनियम बनाया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सहकारी आंदोलन:

- स्वतंत्रता प्रति के बाद सहकारिता पंचवर्षीय योजनाओं का एक अभिन्न अंग बन गई।
- वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) ने सहकारी कर्मियों के प्रशिक्षण एवं सहकारी विपणन समितियों की स्थापना के लिये सहकारिता पर एक राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की थी।
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 के तहत 'राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम' (NCDC) के रूप में एक सांविधिक निकाय की स्थापना की गई।
- वर्ष 1984 में भारत की संसद द्वारा एक ही प्रकार के समाज को शासित करने वाले विभिन्न कानूनों को समाप्त करने हेतु बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम को लागू किया गया।
- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2002 में सहकारिता पर एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई।

सहकारिता का महत्त्व:

- यह उस क्षेत्र को कृषि ऋण और धन प्रदान करता है जहाँ राज्य तथा निजी क्षेत्र की पहुँच अप्रभावी है।
- यह कृषि क्षेत्र के लिये रणनीतिक इनपुट प्रदान करता है, जिससे उपभोक्ता रियायती दरों पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
- यह उन गरीबों का एक संगठन है जो सामूहिक रूप से अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं।
- यह वर्ग संघर्षों और सामाजिक दूरियों को कम करता है।
- यह नौकरशाही की बुराइयों और राजनीतिक गुटबाज़ी को कम करता है;
- यह कृषि विकास की बाधाओं को दूर करता है;
- यह लघु और कुटीर उद्योगों के लिये अनुकूल वातावरण तैयार करता है।

चुनौतियाँ:

- कुप्रबंधन एवं हेरफेर:
  - व्यापक संख्या में सदस्यता कुप्रबंधन का एक कारण होती है जब तक कि ऐसी सहकारी समितियों के प्रबंधन हेतु कुछ सुरक्षित तरीकों का उपयोग नहीं किया जाता है।
  - शासी निकायों के चुनावों में धन इतना शक्तिशाली उपकरण बन गया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के शीर्ष पद सामान्यत: सबसे अमीर किसानों के पास जाते थे जिन्होंने अपने लाभ के लिये संगठन में हेरफेर किया था।
- जागरुकता की कमी:
  - लोगों को आंदोलन के उद्देश्यों, सहकारी संस्थाओं के नियमों और विनियमों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है।
- प्रतिबंधित क्षेत्रों तक पहुँच:
  - इनमें से अधिकांश समितियाँ कुछ सदस्यों तक ही सीमित हैं और उनका संचालन केवल एक या दो गाँवों तक ही सीमित है।
- कार्यात्मक क्षमता में कमी:
  - सहकारी आंदोलन को प्रशिक्षित कर्मियों की अपर्याप्तता का सामना करना पड़ता है।

आगे की राह

- प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ नए क्षेत्र उभर रहे हैं और सहकारी समितियाँ लोगों को उन क्षेत्रों तथा प्रौद्योगिकियों से परिचित कराने में एक बड़ी भूमिका निभा सकती हैं।
- सहकारिता आंदोलन का सिद्धांत गुमनाम रहते हुए भी सभी को एकजुट करना है। सहकारिता आंदोलन में लोगों की समस्याओं को हल करने की क्षमता है।

- हालाँकि सहकारी समितियों में अनियमितताएँ हैं जिन्हें रोकने के लिये नियमों का और सख्त कार्यान्वयन होना चाहिये।
- सहकारी समितियों को मज़बूत करने के लिये किसानों के साथ-साथ इनका भी बाज़ार से संपर्क होना चाहिये।

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ और सभी राज्यों को केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) एवं राज्य सूचना आयोगों (SIC) में रिक्तियों तथा पेंडेंसी के संबंध में नवीनतम घटनाओं पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

प्रमुख बिंदु:

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के संदर्भ में:

- स्थापना: CIC की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) के प्रावधानों के तहत वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। यह संवैधानिक निकाय नहीं है।
- सदस्य: इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और दस से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं।
- नियुक्ति: उन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
- क्षेत्राधिकार: आयोग का अधिकार क्षेत्र सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरणों तक है।
- कार्यकाल: मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) पद पर रह सकता है।
  - वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं हैं।
- CIC की शक्तियाँ और कार्य:
  - आयोग का कर्तव्य है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किसी विषय पर प्राप्त शिकायतों के मामले में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करे।
  - आयोग उचित आधार होने पर किसी भी मामले में स्वत: संज्ञान (Suo-Moto Power) लेते हुए जाँच का आदेश दे सकता है।
  - आयोग के पास पूछताछ करने हेतु सम्मन भेजने, दस्तावेज़ों की आवश्यकता आदि के संबंध में सिविल कोर्ट की शक्तियाँ होती हैं।

राज्य सूचना आयोग:

- इसका गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
- इसमें एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (State Chief Information Commissioner- SCIC) तथा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली नियुक्ति समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये जाने वाले अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त (State Information Commissioners- SIC) शामिल होते हैं।

मुद्दे:

- देरी और बैकलॉग:
  - CIC को आयोग के समक्ष दायर की गई अपील/शिकायत के निपटान में औसतन 388 दिन (एक वर्ष से अधिक) लगते हैं।
  - पिछले वर्ष जारी एक रिपोर्ट बताती है कि केंद्र और राज्य सूचना आयोगों (IC) में सूचना के अधिकार के अब तक 2.2 लाख से अधिक मामले लंबित हैं।
- दंड का कोई प्रावधान नहीं:
  - रिपोर्ट में पाया गया कि कानून के उल्लंघन के लिये सरकारी अधिकारियों को शायद ही किसी सज़ा का सामना करना पड़ता है।
  - पिछले विश्लेषण में लगभग 59% उल्लंघनों के बावजूद केवल 2.2% मामलों में जुर्माना लगाया गया था, जो कि जुर्माना लगाना चाहिये।

- रिक्तियाँ:
  - न्यायालय के बार-बार निर्देश के बावजूद CIC में अभी भी तीन रिक्तियाँ हैं।
- पारदर्शिता की कमी:
  - चयन के मानदंड आदि का भी रिकॉर्ड नहीं रखा गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम:

- श्री कुलवाल बनाम जयपुर नगर निगम मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से वर्ष 1986 में आरटीआई कानून की उत्पत्ति हुई, जिसमें यह निर्देश दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान की गई भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्पष्ट रूप से सूचना का अधिकार है, जैसा कि सूचना वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नागरिकों द्वारा पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता है
- इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को व्यावहारिक रूप से सरकार और विभिन्न सार्वजनिक उपयोगिता सेवा प्रदाताओं से कुछ प्रासंगिक प्रश्न पूछने के अपने अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम बनाना है।
- सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को आरटीआई अधिनियम में बदल दिया गया।
- इस अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी एजेंसियों की त्वरित सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करना था क्योंकि यह अधिनियम उन्हें यह सवाल पूछने में सक्षम बनाता है कि किसी विशेष आवेदन या आधिकारिक कार्यवाही में देरी क्यों होती है।
- इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को साकार करना है।

मांगी जा सकने वाली जानकारी

- कोई भी भारतीय नागरिक किसी सरकारी प्राधिकरण से विलंबित आईटी रिफंड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट के लिये आवेदन करने या बुनियादी ढाँचा परियोजना के पूर्ण होने या मौजूदा विवरण की प्राप्ति के लिये आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है।
- मांगी गई जानकारी देश में विभिन्न प्रकार के राहत कोषों के तहत आवंटित राशि से भी संबंधित हो सकती है।
- यह अधिनियम छात्रों को इस अधिनियम के तहत विश्वविद्यालयों से उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियाँ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

आगे की राह

- लोकतंत्र जनता द्वारा, जनता के लिये, जनता का शासन है। तीसरे प्रतिमान को प्राप्त करने हेतु राज्य को जागरूक जनता के महत्त्व और एक राष्ट्र के रूप में देश के विकास में उसकी भूमिका को स्वीकार करना करना होगा। इस संदर्भ में RTI अधिनियम से संबंधित अंतर्निहित मुद्दों को हल किया जाना चाहिये, ताकि यह समाज की सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।
- विशेष रूप से कोविड -19 के दौरान सूचना आयोगों की भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग स्वास्थ्य सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों एवं संकट के समय लोगों हेतु आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।
- 2019 के आदेश में शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को पारदर्शी व समयबद्ध तरीके से केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोगों में रिक्त पदों को भरने के लिये कई निर्देश जारी किये थे।
- अभिलेखों का त्वरित रूप से डिजिटलीकरण और उचित रिकॉर्ड प्रबंधन महत्त्वपूर्ण है क्योंकि लॉकडाउन में अभिलेखों तक दूरस्थ पहुँच (Remote Access) की कमी को व्यापक रूप से आयोगों द्वारा अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई करने में बाधक होने का कारण बताया गया है।

लोक उद्यम विभाग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (Department of Public Enterprises-DPE) को भारी उद्योग मंत्रालय के दायरे से हटाकर पुन: वित्त मंत्रालय के दायरे में ला दिया है।

- वित्त मंत्रालय में अब छह विभाग होंगे जबकि DPE के मूल मंत्रालय, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय को अब केवल भारी उद्योग मंत्रालय कहा जाएगा।

प्रमुख बिंदु

सार्वजनिक उद्यम विभाग के विषय में:

- लोक उद्यम विभाग सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (Central Public Sector Enterprises-CPSEs) का नोडल विभाग है और CPSEs से संबंधित नीतियाँ तैयार करता है।
  - CPSEs ऐसी कंपनियाँ हैं जिनमें केंद्र सरकार या अन्य CPSEs की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक है।
- यह विशेष रूप से, CPSEs में निष्पादकता सुधार एवं मूल्यांकन, स्वायत्तता तथा वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन और कार्मिक प्रबंधन के बारे में नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करता है।
- इसके अलावा यह केंद्रीय सरकारी उद्यमों से संबंधित बहुत से क्षेत्रों के संबंध में सूचना एकत्र करता है और उसका रखरखाव भी करता है।
  - यह अब आर्थिक मामले, राजस्व, व्यय, वित्तीय सेवाएँ और निवेश तथा सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (Department of Investment and Public Asset Management-DIPAM) के अलावा वित्त मंत्रालय में छठा विभाग होगा।
- DPE को वित्त मंत्रालय में स्थानांतरित किये जाने से CPSEs के पूंजीगत व्यय, परिसंपत्ति मुद्रीकरण और वित्तीय स्वास्थ्य की कुशल निगरानी में मदद मिलेगी।

पृष्ठभूमि:

- तीसरी लोकसभा (1962-67) की प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) ने अपनी रिपोर्ट में, एक केंद्रीकृत समन्वय इकाई स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया था, जो सार्वजनिक उद्यमों के प्रदर्शन का निरंतर मूल्यांकन भी कर सके।
- जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1965 में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (Bureau of Public Enterprises-BPE) की स्थापना हुई।
- वर्ष 1985 में, BPE को उद्योग मंत्रालय का हिस्सा बनाया गया था। मई 1990 में BPE को एक पूर्ण विभाग बनाया गया जिसे लोक उद्यम विभाग (Department of Public Enterprises- DPE) के रूप में जाना जाता है।

प्रमुख कार्य:

- सभी लोक उद्यमों (Public Sector Enterprises- PSEs) को प्रभावित करने वाले सामान्य नीति संबंधी मामलों का समन्वय।
- लोक उद्यमों का पुनर्गठन करने या बंद करने तथा उनके लिये तंत्र से संबंधित सलाह देना।
- पुनरुद्धार से संबंधित सलाह देना।
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों में कर्मचारियों को परामर्श, प्रशिक्षण एवं उनका पुनर्वास।
- 'रत्न' का दर्जा देने सहित केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों का अन्य प्रकार का वर्गीकरण।
  - CPSEs को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है- महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न। वर्तमान में 10 महारत्न, 14 नवरत्न और 74 मिनीरत्न CPSEs हैं।

CPSEs का वर्गीकरण

श्रेणी

- महारत्न
- नवरत्न
- मिनीरत्न

शुरुआत

- CPSEs के लिये महारत्न योजना मई, 2010 में शुरू की गई थी, ताकि मेगा CPSEs को अपने संचालन का विस्तार करने और वैश्विक दिग्गजों के रूप में उभरने के लिये सशक्त बनाया जा सके।

- नवरत्न योजना वर्ष 1997 में शुरू की गई थी ताकि उन CPSEs की पहचान की जा सके जो अपने संबंधित क्षेत्रों में तुलनात्मक लाभ प्राप्त करते हैं और वैश्विक खिलाड़ी बनने के उनके अभियान में उनका समर्थन करते हैं।
- मिनीरत्न योजना की शुरूआत वर्ष 1997 में सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक कुशल एवं प्रतिस्पर्द्धी बनाने और लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अधिक स्वायत्तता तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन प्रदान करने के नीतिगत उद्देश्य के अनुसरण में की गई थी।

मानदंड

महारत्न:

- कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिये।
- कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Security Exchange Board of India- SEBI) के नियामकों के अंतर्गत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी (Minimum Prescribed Public Shareholding) के साथ भारतीय शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध होनी चाहिये।
- विगत तीन वर्षों की अवधि में औसत वार्षिक व्यवसाय (Average Annual Turnover) 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिये।
- पिछले तीन वर्षों में औसत वार्षिक निवल मूल्य (Average Annual Net Worth) 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिये।
- पिछले तीन वर्षों का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ (Average Annual Net Profit) 5,000 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिये।
- कंपनियों की व्यापार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिये।
- उदाहरण: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड, आदि।

नवरत्न:

- मिनीरत्न श्रेणी - I और अनुसूची 'A' के तहत आने वाली CPSEs, जिन्होंने पिछले पाँच वर्षों में से तीन में समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत 'उत्कृष्ट' या 'बहुत अच्छी' रेटिंग प्राप्त की है और छह प्रदर्शन मापदंडों में 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर प्राप्त किया हो। ये छह मापदंड हैं:
  - शुद्ध पूंजी और शुद्ध लाभ
  - उत्पादन की कुल लागत के सापेक्ष मैनपॉवर पर आने वाली कुल लागत
  - मूल्यह्रास के पहले कंपनी का लाभ, वर्किंग कैपिटल पर लगा टैक्स और ब्याज
  - ब्याज भुगतान से पहले लाभ और कुल बिक्री पर लगा कर
  - प्रति शेयर कमाई
  - अंतर-क्षेत्रीय प्रदर्शन
- उदाहरण: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, आदि।

मिनीरत्न:

- मिनीरत्न श्रेणी- 1: मिनीरत्न कंपनी श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि कंपनी ने पिछले तीन वर्षों से लगातार लाभ प्राप्त किया हो तथा तीन साल में एक बार कम से कम 30 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया हो।
  - उदाहरण (श्रेणी- I): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आदि।
- मिनीरत्न श्रेणी- 2 : CPSE द्वारा पिछले तीन साल से लगातार लाभ अर्जित किया हो और उसकी निवल संपत्ति सकारात्मक हो, वे मिनीरत्न- II का दर्जा देने के लिये पात्र हैं।
  - उदाहरण (श्रेणी- II): भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO), भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड (BPCL), आदि।
- मिनीरत्न CPSE को सरकार के किसी भी ऋण पर ऋण / ब्याज भुगतान के पुनर्भुगतान में चूक नहीं करनी चाहिये।
- मिनीरत्न CPSE कंपनियाँ बजटीय सहायता या सरकारी गारंटी पर निर्भर नहीं होंगे।

प्राक्कलन समिति

परिचय :

- इसे प्रथम बार 1920 के दशक में ब्रिटिश काल के दौरान स्थापित किया गया था लेकिन स्वतंत्र भारत की पहली प्राक्कलन समिति वर्ष 1950 में स्थापित की गई थी।
- यह समिति बजट में शामिल अनुमानों की जाँच करती है तथा सार्वजनिक व्यय में 'अर्थनीति' का सुझाव देती है।
- संसद की अन्य वित्तीय समितियों में शामिल हैं - लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रमों की समिति।

सदस्य:

- इसमें 30 सदस्य होते हैं तथा ये सभी सदस्य लोकसभा से होने चाहिये।
- सदस्यों को लोकसभा सदस्यों द्वारा प्रत्येक वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम स्वीकृत किया जाता है, ताकि सभी दलों को इसमें उचित प्रतिनिधित्त्व मिल सके।
- किसी मंत्री को प्राक्कलन समिति के सदस्य/अध्यक्ष के रूप निर्वाचित नहीं किया जा सकता है।
- इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सत्तारूढ़ दल या गठबंधन के सदस्यों में से की जाती है।

कार्य:

- यह समिति व्यय में मितव्ययिता और दक्षता की रिपोर्ट करने का प्रयास करती है।
- यह सुझाव देती है कि नीति या प्रशासनिक ढाँचे में क्या परिवर्तन किये जा सकते हैं तथा मितव्ययिता एवं दक्षता लाने के लिये किन वैकल्पिक नीतियों पर विचार किया जा सकता है।
  - इस समिति का कार्य वित्तीय वर्ष के दौरान निरंतर चलता रहता है तथा यह परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान सदन को रिपोर्ट करती रहती है।
  - इसी कारण इस समिति को 'सतत् अर्थव्यवस्था समिति' भी कहा जाता है।

भारत का कोविड -19 आपातकालीन प्रतिक्रिया पैकेज: चरण II

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को बढ़ावा देने हेतु 23,123 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है।

- इसमें 20,000 अतिरिक्त आईसीयू (गहन देखभाल इकाई) बिस्तरों के लिये धन और देश में कोविड -19 की संभावित तीसरी लहर से पहले सभी ज़िलों में बाल चिकित्सा इकाइयों की स्थापना शामिल है।

प्रमुख बिंदु:

पृष्ठभूमि:

- चरण I का पैकेज: मार्च 2020 में जब देश कोविड-19 महामारी की पहली लहर का सामना कर रहा था, तब 15,000 करोड़ रुपए की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना "भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज" ("India Covid-19 Emergency Response and Health Systems Preparedness Package) की घोषणा की गई थी।
  - इसका उद्देश्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) तथा राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों को गति देने एवं महामारी के प्रबंधन हेतु स्वास्थ्य प्रणाली की गतिविधियों को प्रोत्साहन देना था।
- फरवरी 2021 के मध्य से देश एक दूसरी लहर का अनुभव कर रहा है जो ग्रामीण, शहरों के बाहर और आदिवासी क्षेत्रों में फैल गई है।

चरण II का पैकेज:

- पैकेज के दूसरे चरण में केंद्रीय क्षेत्र (Central Sector- CS) और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes- CSS) के घटक शामिल हैं।
  - केंद्र सरकार केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को पूरी तरह से वित्तपोषित करती है, जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं को केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है।
- इसे 1 जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक लागू किया जाएगा।

उद्देश्य:

- इसमें सभी 736 ज़िलों में बाल चिकित्सा इकाइयों के लिये धन और 20,000 आईसीयू बिस्तरों की स्थापना शामिल है, जिनमें से 20% "हाइब्रिड" यानी वयस्कों और बच्चों दोनों हेतु होंगे।
  - कोविड-19 की तीसरी लहर से बच्चों के पहले से ज़्यादा प्रभावित होने की आशंका है।
- इसका उद्देश्य ऑक्सीजन के परिवहन की सुविधाओं और दवाओं की कमी सहित दूसरी लहर के दौरान देखी गई समस्याओं को दुबारा होने से रोकना है।
- केंद्र अपने अस्पतालों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों और राष्ट्रीय महत्त्व के अन्य संस्थानों को कोविड-19 प्रबंधन के लिये 6,688 बिस्तरों के पुनर्निमाण हेतु सहायता प्रदान करेगा।
- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (National Centre for Disease Control) को जीनोम अनुक्रमण (Genome sequencing) मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी।
- यह पैकेज राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म और ई-संजीवनी के विस्तार के लिये भी प्रदान किया जाएगा, जिसमे दैनिक परामर्श को वर्तमान के 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख कर कर दिया जाएगा।
- राज्यों को एक दिन में कम-से-कम 21.5 लाख परीक्षण करने और 8,800 एम्बुलेंस जोड़ने के लिये सहायता प्रदान की जाएगी।

मंत्रिपरिषद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद (Council Of Ministers-COM) का विस्तार तथा उसमें फेरबदल किया। प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद में वर्तमान में 77 मंत्री हैं, जिनमें लगभग 50% मंत्री नए हैं।

प्रमुख बिंदु

परिचय :

- संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, ज़िम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है।
- मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की तीन श्रेणियाँ होती हैं, अर्थात् कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इन सभी मंत्रियों में शीर्ष स्थान पर प्रधानमंत्री होता है।
  - कैबिनेट मंत्री: ये केंद्र सरकार के महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे-गृह, रक्षा, वित्त, विदेश मामलों आदि के प्रमुख होते हैं।
    - कैबिनेट केंद्र सरकार के महत्त्वपूर्ण मामलों में नीति निर्धारण निकाय है।
  - राज्य मंत्री: इन्हें या तो मंत्रालयों/विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है या कैबिनेट मंत्रियों से संबद्ध किया जा सकता है।
  - उप मंत्री: ये कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों से संबंधित होते हैं तथा उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कर्तव्यों में उनकी सहायता करते हैं।
- कभी-कभी मंत्रिपरिषद में एक उप प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकता है। उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति अधिकतर राजनीतिक कारणों से की जाती है।

संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 74 (राष्ट्रपति की सहायता और उसे सलाह देने के लिये मंत्रिपरिषद): मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी अदालत में जाँच नहीं की जाएगी।
  - राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने के लिये मंत्रिपरिषद की आवश्यकता हो सकती है और राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा।
- अनुच्छेद 75 (मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान): प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी।
  - मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिये।
    - यह प्रावधान वर्ष 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।
  - मंत्रियों के लिये यह ज़रूरी है कि वे संसद के सदस्य हों, यदि संबंधित व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना मंत्री बनता है तो उसे छः महीने के भीतर संसद का सदस्य होना पड़ेगा, ऐसा न हो पाने की स्थिति में उसे अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा।
- अनुच्छेद 77 (भारत सरकार के कार्यों का संचालन): राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यवसाय को अधिक सुविधाजनक और मंत्रियों के बीच उक्त व्यवसाय के आवंटन के लिये नियम बनाएगा।
- अनुच्छेद 78 (प्रधानमंत्री के कर्तव्य): मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गए संघ के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करना।
- अनुच्छेद 88 (सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार): प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन की कार्यवाही, सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति, जिसका वह सदस्य नामित किया जा सकता है, की कार्यवाही में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार होगा लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

मंत्रियों के उत्तरदायित्व:

- सामूहिक उत्तरदायित्व:
  - अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी मंत्री अपने सभी भूल और कार्यों के लिये लोकसभा के प्रति संयुक्त रुप से ज़िम्मेदार हैं।
- व्यक्तिगत उत्तरदायित्व:
  - अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को ऐसे समय में भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो।
  - हालाँकि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटाता है।

राज्यों में मंत्रिपरिषद:

- अनुच्छेद 163 केंद्र में मंत्रिपरिषद के समान राज्यों में मंत्रिपरिषद के गठन और कार्यों का प्रावधान करता है (अनुच्छेद 163: राज्यपाल की सहायता और उसे सलाह देने के लिये COM) और अनुच्छेद 164: मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान)।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव

चर्चा में क्यों?

महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) का पद फरवरी, 2021 से खाली है, जबकि लोकसभा और कई राज्य विधानसभाओं में उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) नहीं है।

- संविधान में प्रावधान है कि अध्यक्ष का पद कभी भी खाली नहीं होना चाहिये।

प्रमुख बिंदु:

अध्यक्ष का चुनाव:

- योग्यताएँ:
  - भारतीय संविधान के अनुसार, अध्यक्ष को सदन का सदस्य होना आवश्यक है।
  - हालाँकि अध्यक्ष चुने जाने के लिये कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, संविधान और देश के कानूनों की समझ को अध्यक्ष पद धारक हेतु एक प्रमुख गुण माना जाता है।
  - आमतौर पर सत्ताधारी दल के सदस्य को अध्यक्ष चुना जाता है। यह प्रक्रिया उन वर्षों में विकसित हुई है जहाँ सत्तारूढ़ दल सदन में अन्य दलों और समूहों के नेताओं के साथ अनौपचारिक परामर्श के बाद अपने उम्मीदवार को नामित करता है।
  - यह परंपरा सुनिश्चित करती है कि एक बार निर्वाचित होने के बाद अध्यक्ष को सदन के सभी वर्गों का सम्मान प्राप्त हो।
- मतदान: अध्यक्ष (उपसभापति के साथ) को लोकसभा सदस्यों में से सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से चुना जाता है।
  - एक बार उम्मीदवार पर निर्णय हो जाने के बाद उसके नाम का प्रस्ताव आमतौर पर प्रधानमंत्री या संसदीय कार्य मंत्री द्वारा किया जाता है।
- अध्यक्ष का कार्यकाल: अध्यक्ष अपने चुनाव की तिथि से अगली लोकसभा की पहली बैठक (5 वर्ष के लिये) के ठीक पहले तक पद धारण करता है।
  - एक बार निर्वाचित अध्यक्ष फिर से चुनाव के लिये पात्र है।
  - जब भी लोकसभा भंग होती है, अध्यक्ष अपना पद खाली नहीं करता है और नव-निर्वाचित लोकसभा की बैठक तक अपने पद पर बना रहता है।
- अध्यक्ष की भूमिका और शक्तियाँ:
  - व्याख्या: वह भारत के संविधान के प्रावधानों, लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों और सदन के भीतर संसदीय मिसालों का अंतिम व्याख्याकार है।
  - दोनों सदनों की संयुक्त बैठक: वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है।
    - किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिये राष्ट्रपति द्वारा ऐसी बैठक बुलाई जाती है।
  - बैठक का स्थगन: वह सदन को स्थगित कर सकता है या सदन की कुल संख्या का दसवाँ हिस्सा (जिसे गणपूर्ति कहा जाता है) की अनुपस्थिति में बैठक को स्थगित कर सकता है।
  - निर्णायक मत: स्पीकर पहली बार में वोट नहीं देता लेकिन बराबरी की स्थिति में; जब किसी प्रश्न पर सदन समान रूप से विभाजित हो जाता है, तो अध्यक्ष को मत देने का अधिकार होता है।
    - ऐसे वोट को निर्णायक मत कहा जाता है और इसका उद्देश्य गतिरोध का समाधान करना है।
  - धन विधेयक: वह निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं और इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होता है।
  - निरर्ह सदस्य: दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दल-बदल के आधार पर उत्पन्न होने वाले लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्नों का निर्णय स्पीकर ही करता है।
    - भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में यह शक्ति स्पीकर में निहित है।
    - वर्ष 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इस संबंध में अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
  - भारतीय संसदीय समूह की अध्यक्षता: वह भारतीय संसदीय समूह (IPG) के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है जो भारत की संसद और दुनिया की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है।
    - वह देश में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के पदेन अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है।
  - समितियों का गठन: सभा की समितियाँ अध्यक्ष द्वारा गठित की जाती हैं और अध्यक्ष के समग्र निर्देशन में कार्य करती हैं।
    - सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष इसके द्वारा ही मनोनीत किये जाते हैं।

- इसकी अध्यक्षता में कार्य सलाहकार समिति (Business Advisory Committee), सामान्य प्रयोजन समिति (General Purposes Committee) और नियम समिति (Rules Committee) जैसी समितियाँ सीधे काम करती हैं।
- अध्यक्ष के विशेषाधिकार: अध्यक्ष सदन, उसकी समितियों और सदस्यों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है।

- स्पीकर को पद से हटाना: निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत स्पीकर को कार्यकाल से पहले अपने पद को खाली करना पड़ सकता है:
  - यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है।
  - यदि वह उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर इस्तीफा दे देता है।
  - यदि उसे लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाता है।
    - ऐसा प्रस्ताव अध्यक्ष को 14 दिन की अग्रिम सूचना देने के बाद ही पेश किया जा सकता है।
    - जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन के विचाराधीन हो, तो वह बैठक में उपस्थित हो सकता है लेकिन अध्यक्षता नहीं कर सकता।

लोकसभा का उपाध्यक्ष:

- निर्वाचन:
  - लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने के ठीक बाद उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) का चुनाव भी लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाता है।
  - उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा (अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा) निर्धारित की जाती है।
- कार्यकाल की अवधि और पदमुक्ति:
  - अध्यक्ष की तरह ही उपाध्यक्ष भी आमतौर पर लोकसभा के कार्यकाल (5 वर्ष) तक अपने पद पर बना रहता है।
  - उपाध्यक्ष निम्नलिखित तीन मामलों में अपना पद पहले खाली कर सकता है:
    - यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है।
    - यदि वह अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस्तीफा दे देता है।
    - यदि उसे लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाता है।
    - ऐसा प्रस्ताव उपाध्यक्ष को 14 दिन की अग्रिम सूचना देने के बाद ही पेश किया जा सकता है।
- ज़िम्मेदारियाँ और शक्तियाँ:
  - उपाध्यक्ष, अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उसके कर्तव्यों का पालन करता है।
    - सदन की बैठक से अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने की स्थिति में उपाध्यक्ष उसके रूप में कार्य करता है।
    - यदि अध्यक्ष ऐसी बैठक से अनुपस्थित रहता है तो वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की भी अध्यक्षता करता है।
  - उपाध्यक्ष के पास एक विशेष विशेषाधिकार होता है अर्थात् जब भी उसे संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह स्वत: ही उसका अध्यक्ष बन जाता है।

दिल्ली विधानसभा की 'शांति एवं सद्भाव समिति' की न्यायसंगतता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने अपने निर्णय में फरवरी 2020 की सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में फेसबुक इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी को तलब करने के दिल्ली विधानसभा की 'शांति एवं सद्भाव समिति' के अधिकार को बरकरार रखा है।

प्रमुख बिंदु

केंद्र सरकार और फेसबुक का दावा:

- केंद्र सरकार और फेसबुक के मुताबिक, चूँकि कानून-व्यवस्था तथा दिल्ली पुलिस केंद्रीय विषय हैं, ऐसे में 'शांति एवं सद्भाव समिति' का गठन दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

दिल्ली सरकार का पक्ष

- दिल्ली विधानसभा ने राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल विभिन्न प्रविष्टियों का उपयोग किया था, जिनके तहत दिल्ली विधानसभा को इस मुद्दे पर चर्चा करने तथा बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है।
  - दिल्ली विधानसभा ने राज्य सूची में प्रविष्टि-1 का हवाला दिया, जो कि 'सार्वजनिक व्यवस्था' से संबंधित है और कानून-व्यवस्था से अलग है, साथ ही इस मामले में समवर्ती सूची की प्रविष्टि-1 को भी आधार बनाया गया है, जो राज्य विधानसभाओं को 'आपराधिक कानून' विषय पर कानून बनाने की व्यापक शक्ति देती है।
  - इसके अलावा दिल्ली विधानसभा ने राज्य सूची की प्रविष्टि-39 का भी उपयोग किया है, जो कि विधानसभाओं को बयान दर्ज करने के उद्देश्य से गवाहों की उपस्थिति को अनिवार्य बनाने की शक्ति प्रदान करती है।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- फेसबुक के तर्क को अस्वीकृति:
  - न्यायालय ने फेसबुक द्वारा अपनाए गए इस दृष्टिकोण को पूर्णत: खारिज कर दिया कि वह केवल तीसरे पक्ष की जानकारी पोस्ट करने वाला एक मंच है और उस जानकारी को उत्पन्न करने, नियंत्रित करने या संशोधित करने में इसकी कोई भूमिका नहीं है।
  - न्यायालय के अनुसार, फेसबुक दिल्ली विधानसभा द्वारा गठित 'शांति एवं सद्भाव समिति' के समक्ष उपस्थित होने से बचने के लिये किसी भी 'असाधारण विशेषाधिकार' का दावा नहीं कर सकता है।
- समिति की शक्तियाँ:
  - अपने निर्वाचन क्षेत्र में ऑनलाइन सामूहिक घृणा और हिंसा से निपटने के सर्वोत्तम उपायों पर विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा की गई 'सुविज्ञ मंत्रणा' (Informed Deliberation) काफी हद तक समिति की कार्यनिर्वाह क्षमता के अनुरूप थी।
    - हालाँकि समिति के समक्ष उपस्थित होने वाले फेसबुक प्रतिनिधियों को कानून-व्यवस्था और पुलिस के विषय में सीधे समिति के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे विषय हैं जिन पर दिल्ली विधानसभा कानून नहीं बना सकती है।
- विधानसभा की शक्ति:
  - न्यायालय ने फेसबुक के इस तर्क को खारिज कर दिया कि विधानसभा को दंगों की परिस्थितियों की जाँच करने के बजाय स्वयं को कानून बनाने तक सीमित रखना चाहिये।
  - विधानसभा न केवल कानून बनाने का कार्य करती है बल्कि शासन के कई अन्य पहलू भी हैं जो विधानसभा और समिति के आवश्यक कार्यों का हिस्सा बन सकते हैं।
    - विधायी विशेषाधिकार अपने विधायी कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिये विधायिका से संबंधित अधिकार हैं।
    - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 क्रमश: संसद सदस्यों (सांसदों) और राज्य विधानसभाओं की शक्तियों, विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करते हैं।
  - शांति और सद्भाव की अवधारणा कानून-व्यवस्था तथा पुलिस की तुलना में अधिक व्यापक है।
- दोहरा शासन:
  - केंद्र और दिल्ली सरकार को राजधानी क्षेत्र में शासन के मुद्दों पर मिलकर काम करना चाहिये तथा अपने स्तर पर परिपक्वता दिखाने की ज़रूरत है।
    - सोशल मीडिया कंपनी (फेसबुक) ने "दृष्टिकोण के विचलन" और केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों की "दिल्ली में शासन के मुद्दों पर नज़र रखने" की अक्षमता का लाभ उठाने की मांग की।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली के दोहरे प्रशासन, जिसमें केंद्र सरकार को कई प्रमुख क्षेत्रों में विशेषाधिकार प्राप्त है, ने केंद्र और राज्य दोनों में सत्ता में विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के साथ कई वर्षों तक अच्छा काम किया है।

विधायी शक्तियों में अंतर करने के लिये सूचियाँ:

- तीन ऐसी सूचियाँ हैं जो विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान करती हैं (संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत):
  - संघ सूची (सूची I)- इसमें 98 विषय (मूल रूप से 97) शामिल हैं और इसमें वे विषय शामिल होते हैं जो राष्ट्रीय महत्त्व के हैं तथा जिनके लिये पूरे देश में समान कानून है।

- इन मामलों के संबंध में केवल केंद्रीय संसद ही कानून बना सकती है, उदाहरण के लिये- रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, मुद्रा, संघ कर आदि।

- राज्य सूची (सूची II)- इसमें 59 विषय (मूल रूप से 66) हैं और इसमें स्थानीय या राज्य हित के विषय शामिल हैं।
  - ये विषय राज्य विधानमंडलों की विधायी क्षमता के अंतर्गत आते हैं। जैसे- लोक व्यवस्था, पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि और वन आदि।
- समवर्ती सूची (सूची-III)- इसमें 52 (मूल रूप से 47) विषय हैं जिनके संबंध में केंद्रीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास कानून बनाने की शक्ति है। समवर्ती सूची का उद्देश्य अत्यधिक कठोरता से बचने के लिये विषयों को केंद्र एवं राज्य दोनों को एक उपकरण के रूप में प्रदान करना था।
  - यह एक 'ट्विलाइट ज़ोन' है, क्योंकि महत्त्वपूर्ण मामलों के लिये राज्य पहल नहीं कर सकते हैं, जबकि संसद ऐसा कर सकती है।

आगे की राह:

- सोशल मीडिया पर किसी भी विषय के संबंध में गलत सूचनाओं का सीधा प्रभाव उस विशाल क्षेत्र पर पड़ता है जो अंततः राज्यों के शासन को प्रभावित करता है।
- जैसा कि न्यायालय ने पाया शांति और सद्भाव समिति अभी भी केंद्र के अधिकारों पर अतिक्रमण किये बिना फेसबुक अधिकारी को बुला सकती है, यह अब अन्य राज्यों के लिये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जाँच के द्वार खोलती है।

आईटी एक्ट की धारा 66ए

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, (Information Technology Act), 2000 की धारा 66A के इस्तेमाल पर केंद्र को नोटिस जारी किया है, जिसे कई वर्ष पहले खत्म कर दिया गया था।

- वर्ष 2015 में न्यायालय ने श्रेया सिंघल मामले में दिये गए अपने निर्णय में आईटी एक्ट के प्रावधानों को असंवैधानिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया।
- आईटी अधिनियम, 2000 इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से लेन-देन को कानूनी मान्यता प्रदान करता है, जिसे ई-कॉमर्स (e-commerce) भी कहा जाता है। यह अधिनियम साइबर अपराध के विभिन्न रूपों पर जुर्माना/दंड भी आरोपित करता है।

प्रमुख बिंदु:

धारा 66A के बारे में:

- इसने पुलिस को इस संदर्भ में गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया कि पुलिसकर्मी अपने विवेक से 'आक्रामक' या 'खतरनाक' या बाधा, असुविधा आदि को परिभाषित कर सकते हैं।
- इसमे कंप्यूटर या किसी अन्य संचार उपकरण जैसे- मोबाइल फोन या टैबलेट के माध्यम से संदेश भेजने पर सज़ा को निर्धारित किया है जिसमें दोषी को अधिकतम तीन वर्ष की जेल हो सकती है।

धारा 66A से संबंधित मुद्दे:

- अपरिभाषित कार्यों के आधार पर:
  - न्यायालय ने देखा कि धारा 66A की कमज़ोरी इस तथ्य में निहित है कि इसमें अपरिभाषित कार्यों को अपराध का आधार बनाया गया था: जैसे कि "असुविधा, खतरा, बाधा और अपमान" (Inconvenience, Danger, Obstruction and Insult)। ये सभी संविधान के अनुच्छेद 19 जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है, के अपवादों की श्रेणी में नहीं आते हैं।
- विषयपरक प्रकृति:
  - न्यायालय ने यह भी देखा कि चुनौती यह पहचान करने में थी कि रेखा कहाँ खीची जाए। परंपरागत रूप से इसे उकसाने पर खींचा गया है, जबकि बाधा और अपमान जैसे शब्द व्यक्तिपरक हैं।

- कोई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नहीं:
  - इसके अतिरिक्त अदालत ने पाया था कि धारा 66A में समान उद्देश्य वाले कानून के अन्य वर्गों की तरह प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नहीं थे जैसे- कार्रवाई करने से पहले केंद्र की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता।
    - स्थानीय अधिकारी स्वायत्त रूप से अपने राजनीतिक गुरुओं की मर्जी से आगे बढ़ सकते थे।
  - न्यायालय ने दो अन्य प्रावधानों यथा-आईटी अधिनियम की धारा 69ए और 79 को रद्द नहीं किया तथा कहा कि ये कुछ प्रतिबंधों के साथ लागू रह सकते हैं।
    - धारा 69ए किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी की सार्वजनिक पहुँच को अवरुद्ध करने के लिये निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है और धारा 79 कुछ मामलों में मध्यस्थ के दायित्व से छूट प्रदान करती है।
- मौलिक अधिकारों के विरुद्ध:
  - धारा 66A संविधान के अनुच्छेद 19 (भाषण की स्वतंत्रता) और 21 (जीवन का अधिकार) दोनों के विपरीत थी।
    - सूचना का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) द्वारा प्रदान किये गए भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत आता है।

आगे की राह

- एक ऐसी प्रणाली से आगे बढ़ने की सख्त आवश्यकता है जहाँ न्यायिक निर्णयों के विषय में संचार ईमानदार अधिकारियों की पहल की दया पर हो, एक ऐसे तरीके से जो मानवीय त्रुटि पर निर्भर न हो। तात्कालिकता (Urgency) को बढ़ा-चढ़ाकर (Overstate) नहीं पेश किया जा सकता है।
- असंवैधानिक कानूनों को लागू करना जनता के पैसे की बर्बादी है।
- इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जब तक इस बुनियादी दोष को दूर नहीं किया जाता है, तब तक कुछ व्यक्ति अपने जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित रहेंगे।
- ये गरीबी और अज्ञानता तथा अपने अधिकारों की मांग करने में असमर्थता के अलावा किसी अन्य कारण से कानून विहीन गिरफ्तारी एवं नज़रबंदी का अपमान सहेंगे।

UAPA की सख्त प्रकृति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जेसुइट पुजारी और आदिवासी अधिकार कार्यकर्त्ता फादर स्टेन स्वामी (Father Stan Swamy) की न्यायिक हिरासत में मृत्यु ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम [Unlawful Activities (Prevention) Act- UAPA] के कड़े प्रावधानों की तरफ सबका ध्यान खींचा है।

- UAPA भारत का प्रमुख आतंकवाद विरोधी कानून है, जिसके कारण जमानत प्राप्त करना अधिक कठिन हो जाता है।
- इस कठिनाई को फादर स्वामी की अस्पताल में कैदी के रूप में मौत के प्रमुख कारणों में से एक के तौर पर देखा जा रहा है और इस तरह संवैधानिक स्वतंत्रता से समझौता किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- UAPA की पृष्ठभूमि:
  - भारत सरकार ने वर्ष 1960 के दशक के मध्य में विभिन्न अलगाव आंदोलनों को रोकने के लिये एक सख्त कानून बनाने पर विचार किया।
  - इसे बनाने की तत्कालीन प्रेरणा मार्च 1967 में नक्सलबाड़ी में एक किसान विद्रोह ने प्रदान की।
  - राष्ट्रपति ने 17 जून, 1966 को गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अध्यादेश जारी किया था।
    - इस अध्यादेश का उद्देश्य "व्यक्तियों और संघों की गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम करना" था।
  - संसद के प्रारंभिक प्रतिरोध (इसकी कठोर प्रकृति के कारण) के बाद वर्ष 1967 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम पारित किया गया।

- इस अधिनियम में किसी संघ या व्यक्तियों के निकाय, जो किसी ऐसी गतिविधि में लिप्त है तथा अलगाव की परिकल्पना करती है या देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को अस्वीकार करती है, को "गैरकानूनी" घोषित करने का प्रावधान है।
- UAPA के अधिनियमन से पहले संघों को आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम [Criminal Law (Amendment) Act], 1952 के अंतर्गत गैरकानूनी घोषित किया जाता था।
  - हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रतिबंधों का प्रावधान गैरकानूनी था क्योंकि किसी भी प्रतिबंध की वैधता की जाँच करने के लिये कोई न्यायिक तंत्र नहीं था।
- इसलिये UAPA में एक अधिकरण (Tribunal) का प्रावधान शामिल किया गया था, जिसे छ: महीने के भीतर संगठनों को गैरकानूनी घोषित करने वाली अधिसूचना की पुष्टि करनी होती है।
- आतंकवाद रोकथाम अधिनियम (Prevention of Terrorism Act- POTA), 2002 के निरस्त होने के बाद UAPA का विस्तार किया गया ताकि पहले के कानूनों में आतंकवादी कृत्यों को शामिल किया जा सके।

- अधिनियम की वर्तमान स्थिति:
  - UAPA के दायरे का विस्तार करने के लिये इसे वर्ष 2004 और वर्ष 2013 में संशोधित किया गया।
  - कानून का विस्तारित दायरा:
    - आतंकवादी कृत्यों और गतिविधियों के लिये सज़ा।
    - देश की सुरक्षा के लिये खतरा पैदा करने वाले कार्य, उसकी आर्थिक सुरक्षा (वित्तीय और मौद्रिक सुरक्षा, भोजन, आजीविका, ऊर्जा पारिस्थितिक तथा पर्यावरण सुरक्षा) शामिल है।
    - आतंकवादी उद्देश्यों के लिये धन के उपयोग को रोकने के प्रावधान।
  - संगठनों पर प्रतिबंध शुरू में दो वर्ष के लिये था लेकिन वर्ष 2013 से अभियोजन की अवधि को बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दिया गया है।
  - इसके अलावा इन संशोधनों का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विभिन्न आतंकवाद विरोधी प्रस्तावों और वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की आवश्यकताओं को प्रभावी बनाना है।
  - वर्ष 2019 में व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिये सरकार को सशक्त बनाने हेतु अधिनियम में संशोधन किया गया था।
- UAPA का काम करने का ढंग:
  - नशीले पदार्थों से निपटने वाले अन्य विशेष कानूनों और आतंकवाद पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित समाप्त हो चुके कानूनों की तरह UAPA भी इसे और अधिक मज़बूत करने के लिये आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) को संशोधित करता है। उदाहरण के लिये-
    - रिमांड आदेश सामान्यत: 15 के बजाय 30 दिनों के लिये हो सकता है।
    - चार्जशीट दाखिल करने से पहले न्यायिक हिरासत की अधिकतम अवधि सामान्यत: 90 दिनों से 180 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।
- UAPA को लेकर विवाद:
  - आतंकवादी अधिनियम की अस्पष्ट परिभाषा: UAPA के तहत एक "आतंकवादी अधिनियम" की परिभाषा 'आतंकवाद का मुकाबला करते हुए मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक' द्वारा प्रचारित परिभाषा से काफी भिन्न है।
    - दूसरी ओर UAPA "आतंकवादी अधिनियम" की एक व्यापक और अस्पष्ट परिभाषा प्रदान करता है जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु या व्यक्ति को चोट लगना, किसी भी संपत्ति को नुकसान आदि शामिल है।
  - जमानत से इनकार: UAPA के साथ बड़ी समस्या इसकी धारा 43 (डी) (5) है, जिससे किसी भी आरोपी व्यक्ति के लिये जमानत प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।
    - इस मामले में यदि पुलिस ने आरोप-पत्र दायर किया है कि यह मानने के लिये उचित आधार हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही है, तो जमानत नहीं दी जा सकती।

- इसके अलावा इस पर सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले में स्पष्ट कहा गया है कि जमानत पर विचार करने वाली अदालत को सबूतों की बहुत गहराई से जाँच नहीं करनी चाहिये, बल्कि व्यापक संभावनाओं के आधार पर अभियोजन पक्ष से संबंधित होना चाहिये।
- इस प्रकार UAPA वस्तुत: जमानत से इनकार करता है, जो स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार की सुरक्षा और गारंटी है।

- ट्रायल में देरी: भारत में न्याय वितरण प्रणाली की स्थिति को देखते हुए मुकदमों के स्तर पर लंबित मामलों की दर औसतन 95.5% है।
- राज्य को अधिक शक्ति मिलना: इसमें कोई भी ऐसा कार्य शामिल हो सकता है जो "धमकी देने की संभावना" या "लोगों में आतंक फैलाने की संभावना" से संबंधित हो तथा जो इन कृत्यों की वास्तविक जाँच के बिना सरकार को किसी भी सामान्य नागरिक या कार्यकर्त्ता को आतंकवादी घोषित करने के लिये बेलगाम शक्ति प्रदान करता है।
  - यह राज्य प्राधिकरण को उन व्यक्तियों को हिरासत में लेने और गिरफ्तार करने की अस्पष्ट शक्ति देता है, जिनके बारे में राज्य यह मानता है कि वे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे।
- संघवाद को कम आँकना: कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह संघीय ढाँचे के खिलाफ है क्योंकि यह आतंकवाद के मामलों में राज्य पुलिस के अधिकार की उपेक्षा करता है, यह देखते हुए कि 'पुलिस' भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य का विषय है।

आगे की राह:

- व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करने के राज्य के दायित्व के बीच रेखा खींचना दुविधा का मामला है।
- संवैधानिक स्वतंत्रता की अनिवार्यता और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के बीच संतुलन बनाना राज्य, न्यायपालिका, नागरिक समाज पर निर्भर करता है।

असम-मिज़ोरम सीमा विवाद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में असम के कछार ज़िले के अंदर कथित तौर पर मिज़ोरम के निवासियों द्वारा कई 'इम्प्रोवाइज़्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस' यानी आईईडी विस्फोट किये गए हैं। ये विस्फोट लंबे समय से अनसुलझे असम-मिज़ोरम सीमा विवाद के फिर से उभरने का संकेत देते हैं।

- असम और मिज़ोरम के बीच सीमा का मुद्दा मिज़ोरम के गठन के बाद अस्तित्त्व में आया था। मिज़ोरम सर्वप्रथम वर्ष 1972 में एक केंद्रशासित प्रदेश के रूप में और फिर वर्ष 1987 में एक पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्त्व में आया।
- भारत में अंतर्राज्यीय विवाद बहुआयामी हैं, सीमा विवादों के अलावा देश में पानी (नदियों) के बँटवारे और प्रवासन को लेकर भी विवाद देखने को मिलते हैं, जो कि भारत की संघीय राजनीति को भी प्रभावित करते हैं।

नोट

- औपनिवेशिक काल के दौरान मिज़ोरम को असम के 'लुशाई हिल्स' ज़िले के नाम से जाना जाता था।
- मिज़ोरम राज्य अधिनियम, 1986 द्वारा वर्ष 1987 में मिज़ोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था।
- असम वर्ष 1950 में भारत का एक घटक राज्य बन गया और 1960 तथा 1970 के दशक की शुरुआत के बीच इसके अधिकांश क्षेत्र को पूर्वोत्तर में स्वतंत्र राज्य बना दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- असम-मिज़ोरम सीमा विवाद- पृष्ठभूमि
  - असम और मिज़ोरम के बीच मौजूदा सीमा विवाद की शुरुआत औपनिवेशिक युग के दौरान तब हुई थी जब ब्रिटिश राज की प्रशासनिक ज़रूरतों के अनुसार इस क्षेत्र का आंतरिक सीमांकन किया गया था।
  - असम-मिज़ोरम विवाद ब्रिटिश काल में पारित दो अधिसूचनाओं के कारणउत्पन्न हुआ।
    - सबसे पहली अधिसूचना वर्ष 1875 में जारी की गई, जिसके तहत 'लुशाई हिल्स' क्षेत्र को कछार के मैदानी इलाकों से अलग कर दिया गया।
    - दूसरी अधिसूचना वर्ष 1933 में जारी हुई और इसके तहत 'लुशाई हिल्स' तथा मणिपुर के बीच एक सीमा का सीमांकन किया गया।

- मिज़ोरम का मानना है कि सीमा का सीमांकन वर्ष 1875 की अधिसूचना के आधार पर किया जाना चाहिये था, जो कि 'बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन' (BEFR) अधिनियम, 1873 के तहत जारी की गई थी।
  - मिज़ो नेता वर्ष 1933 में अधिसूचित सीमांकन के विरुद्ध हैं, क्योंकि उनके अनुसार इस अधिसूचना के दौरान मिज़ो समाज से परामर्श नहीं किया गया था।
  - वहीं दूसरी ओर असम सरकार वर्ष 1933 के सीमांकन को अपना आधार मानती है।
  - परिणामस्वरूप दोनों राज्यों की अपनी-अपनी सीमा के बारे में अलग-अलग धारणा बनी हुई है और यही विवाद का मुख्य कारण है।
- असम और मिज़ोरम को अलग करने वाली 164.6 किलोमीटर की अंतर-राज्यीय सीमा है, जिसमें असम के तीन ज़िले- कछार, हैलाकांडी और करीमगंज, मिज़ोरम के कोलासिब, ममित एवं आइज़ोल ज़िलों के साथ सीमा साझा करते हैं।
- इसके अलावा मिज़ोरम और असम के बीच की सीमा पहाड़ियों, घाटियों, नदियों तथा जंगलों के कारण स्वाभाविक रूप से विभाजित है एवं दोनों पक्षों के बीच यह विवाद एक काल्पनिक रेखा संबंधी धारणात्मक मतभेदों पर आधारित है।
- हालाँकि पूर्वोत्तर के जटिल सीमा समीकरणों में असम और मिज़ोरम के निवासियों के बीच संघर्ष असम के अन्य पड़ोसी राज्यों जैसे नगालैंड की तुलना में काफी कम है।

- भारत में अंतर्राज्यीय विवादों की समग्र स्थिति:
  - सीमा का मुद्दा: राज्यों के बीच सीमा विवाद भारत में अंतर्राज्यीय विवादों के प्रमुख कारणों में से एक है। उदाहरण के लिये
    - कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों ही बेलगाम पर अपना दावा करते हैं, जिससे इन दोनों के बीच समय-समय पर विवाद देखने को मिलता रहता है।
    - पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम [North-Eastern Areas (Reorganisation) Act], 1971 ने मणिपुर और त्रिपुरा जैसे राज्यों की स्थापना तथा मेघालय के गठन से पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र को बदल दिया।
    - इस पुनर्गठन के परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई सीमा विवाद हुए हैं जैसे- असम-नगालैंड, असम-मेघालय आदि।
  - प्रवासन का मुद्दा: कुछ राज्यों में दूसरे राज्यों के प्रवासियों और नौकरी चाहने वालों को लेकर हिंसक आंदोलन हुए हैं।
    - ऐसा इसलिये है क्योंकि मौजूदा संसाधन और रोज़गार के अवसर बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं।
    - संबंधित राज्यों में रोज़गार में वरीयता के लिये 'सन ऑफ द साइल' (Sons of The Soil) की अवधारणा संघवाद की जड़ों को नष्ट कर देती है।
  - जल संसाधनों के बँटवारे पर विवाद: सबसे लंबे समय से चल रहा और विवादास्पद अंतर्राज्यीय मुद्दा नदी के पानी के बँटवारे का रहा है।
    - भारत की अधिकांश नदियाँ अंतर्राज्यीय हैं, अर्थात् ये एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं।
    - पानी की मांग में वृद्धि के कारण नदी के पानी के बँटवारे को लेकर कई अंतर्राज्यीय विवाद सामने आए हैं।

आगे की राह:

- राज्यों के बीच सीमा विवादों को वास्तविक सीमा स्थानों के उपग्रह मानचित्रण का उपयोग करके सुलझाया जा सकता है।
- अंतर-राज्यीय परिषद को पुनर्जीवित करना अंतर-राज्यीय विवाद के समाधान के लिये एक विकल्प हो सकता है।
  - संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्यीय परिषद से विवादों पर पूछताछ और सलाह देने, सभी राज्यों के लिये सामान्य विषयों पर चर्चा करने तथा बेहतर नीति समन्वय हेतु सिफारिशें करने की अपेक्षा की जाती है।
- इसी तरह प्रत्येक क्षेत्र में राज्यों की सामान्य चिंता के मामलों पर चर्चा करने हेतु क्षेत्रीय परिषदों को पुनर्जीवित किये जाने की आवश्यकता है। जैसे- सामाजिक और आर्थिक योजना, सीमा विवाद, अंतर-राज्यीय परिवहन आदि से संबंधित मामले।
- भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है। हालाँकि इस एकता को और मज़बूत करने के लिये केंद्र तथा राज्य सरकारें दोनों को सहकारी संघवाद के लोकाचार को आत्मसात करने की आवश्यकता है।

मंत्रिमंडलीय समितियाँ

चर्चा में क्यों?

मंत्रिपरिषद में बड़े पैमाने पर फेरबदल के बाद प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडलीय समितियों में कुछ बदलाव किये हैं।

प्रमुख बिंदु:

- आठ मंत्रिमंडलीय समितियाँ:
  - मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति।
  - आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति।
  - आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति।
  - संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति।
  - राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति।
  - केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति।
  - निवेश और विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति।
  - रोज़गार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति।
- आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति और संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को छोड़कर सभी समितियों का नेतृत्त्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है।
- दूसरे शब्दों में उनका संविधान में उल्लेख नहीं है। हालाँकि 'रूल ऑफ बिज़नेस' उनकी स्थापना के लिये प्रावधान करता है।
- भारत में कार्यपालिका भारत सरकार की कार्य आवंटन नियमावली, 1961 के तहत काम करती है।
  - ये नियम संविधान के अनुच्छेद 77(3) से प्रेरित हैं। जिसमें कहा गया है कि "राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों को अधिक सुविधाजनक और उक्त कार्यों को मंत्रियों के बीच आवंटन के लिये नियम बनाएगा।"
- प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की स्थायी समितियों का गठन करता है और उन्हें सौंपे गए विशिष्ट कार्यों को निर्धारित करता है। वह समितियों की संख्या को बढ़ा या घटा सकता है।
  - समितियों के अलावा विभिन्न मुद्दों/विषयों को देखने के लिये मंत्रियों के कई समूह (GoMs) गठित किये जाते हैं।
- मंत्रिमंडलीय समितियों की भूमिका:
  - इन समितियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के अत्यधिक कार्यभार को कम करने के लिये एक संगठनात्मक उपकरण के रूप में किया जाता है। वे नीतिगत मुद्दों की गहन जाँच और प्रभावी समन्वय की सुविधा प्रदान करती हैं। ये समितियाँ श्रम विभाजन एवं प्रभावी प्रतिनिधित्त्व के सिद्धांतों पर आधारित हैं।
  - वे न केवल मुद्दों को हल करती हैं और मंत्रिमंडल के विचार के लिये प्रस्ताव तैयार करती हैं, बल्कि महत्त्वपूर्ण निर्णय भी लेती हैं, हालाँकि मंत्रिमंडल इनके फैसलों की समीक्षा कर सकती है।
- मंत्री समूह (GoM):
  - ये कुछ आकस्मिक मुद्दों और महत्त्वपूर्ण समस्याओं पर मंत्रिमंडल को सिफारिशें देने के लिये गठित तदर्थ निकाय हैं।
  - इनमें से कुछ GoMs को मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लेने का अधिकार है, जबकि अन्य केवल मंत्रिमंडल को सिफारिशें देते हैं।
    - ये विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय का एक व्यवहार्य और प्रभावी साधन बन गया है।
  - संबंधित मंत्रालयों का नेतृत्त्व करने वाले मंत्रियों को संबंधित GoMs में शामिल किया जाता है और उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात् उन्हें भंग कर दिया जाता है।

NRC की अपूर्णता के कारण आधार नामांकन में देरी

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizen- NRC) की प्रक्रिया को पूरा करने में देरी के चलते असम में 27 लाख से अधिक लोगों के आधार नामांकन में भी अनिश्चितता/देरी हुई है।

- अगस्त 2019 में एनआरसी के प्रकाशन के बाद इन लोगों के बायोमेट्रिक्स (Biometric) अवरुद्ध (frozen) कर दिये गए थे।
- केंद्र को पहले बायोमेट्रिक्स की अवरुद्धता हटाने के लिये कहा गया था क्योंकि एनआरसी को अभी तक नागरिकता हेतु एक दस्तावेज़ के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी।

आधार

- यह भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India- UIDAI) द्वारा जारी 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है।
  - जुलाई 2016 में भारत सरकार द्वारा आधार अधिनियम (Aadhaar Act), 2016 के प्रावधानों का पालन करते हुए यूआईडीएआई इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है।
- यह भारत में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। यह 2 रूपों यथा- भौतिक तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप (ई-आधार) में उपलब्ध है।
- भारत का कोई भी निवासी (वह व्यक्ति जो आधार के नामांकन के आवेदन की तारीख से पहले एक वर्ष में 182 दिनों तक भारत में रहा हो) चाहे वह किसी भी उम्र, लिंग, वर्ग का हो इसका लाभ उठा सकता है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर
  - 'राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर' (NRC) प्रत्येक गाँव के संबंध में तैयार किया गया एक रजिस्टर होता है, जिसमें घरों या जोतों को क्रमानुसार दिखाया जाता है और प्रत्येक घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या और नाम का विवरण भी शामिल होता है।
  - यह रजिस्टर पहली बार भारत की वर्ष 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था और हाल ही में इसे अपडेट भी किया गया है।
  - इसे अभी तक केवल असम में ही अपडेट किया गया है और सरकार इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी अपडेट करने की योजना बना रही है।
  - इसका उद्देश्य 'अवैध' अप्रवासियों को 'वैध' निवासियों से अलग करना है।
  - महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, 'राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर' के लिये नोडल एजेंसी है।
- असम में 'राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर' का मुद्दा- पृष्ठभूमि
  - असम में इसे अपडेट करने का मुद्दा इस लिहाज़ से महत्त्वपूर्ण है कि असम में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और वर्तमान बांग्लादेश (वर्ष 1971 के बाद) से काफी बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासन देखा गया है।
  - इसके परिणामस्वरूप अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने के लिये वर्ष 1979 से वर्ष 1985 तक छह वर्षीय लंबा आंदोलन भी हुआ।
  - वर्ष 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही यह आंदोलन समाप्त हो गया। इसके तहत अवैध प्रवासियों के निर्वासन के लिये 25 मार्च, 1971 को कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया गया था।
    - चूँकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 और 6 के तहत निर्धारित कट-ऑफ तिथि 19 जुलाई, 1949 थी, इसलिये नई तिथि को लागू करने के लिये नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन कर एक नया खंड पेश किया गया और इसे केवल असम के लिये लागू किया गया था।
    - असम समझौते पर अखिल असम छात्र संघ (AASU), अखिल असम गण संग्राम परिषद और केंद्र सरकार द्वारा हस्ताक्षर किये गए थे।
  - असम लोक निर्माण नामक एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) द्वारा वर्ष 2009 में सर्वोच्च न्यायालय (SC) में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें असम में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान और उनके निर्वासन की मांग की गई थी।

- दिसंबर 2014 में सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने आदेश दिया कि NRC को समयबद्ध तरीके से अपडेट किया जाए।
- वर्ष 2018 के एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने पुन: सत्यापन की संभावना का उल्लेख करते हुए कहा था कि वह NRC में शामिल 10% नामों को पुन: सत्यापित करने पर विचार कर सकता है।
- जुलाई 2019 में असम सरकार ने उच्चतम न्यायलय में एक हलफनामा (Affidavit) दायर किया था, जिसमें राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा से सटे ज़िलों से NRC में शामिल 20% नामों और शेष ज़िलों से 10% नामों के पुन: सत्यापन किये जाने की मांग की थी।
  - हालाँकि तत्कालीन एनआरसी समन्वयक (NRC Coordinator) द्वारा नामों के पुनर्सत्यापन की बात कहे जाने के बाद सर्वोच्च न्यायलय ने राज्य सरकार की मांग को खारिज कर दिया था।
- असम सरकार ने वर्ष 2019 में जारी 'राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर' (National Register of Citizens- NRC) में शामिल राष्ट्रीयता के दावों के 10-20% नामों के पुन: सत्यापन की अपनी मांग को दोहराया है।

- वर्तमान परिदृश्य:
  - असम की राज्य सरकार ने राज्य में ' विदेशियों' का पता लगाने के संबंध में नवीनतम डेटा प्रदान किया है।
  - इस डेटा के पुन: सत्यापन की आवश्यकता है क्योंकि असम के लोग एक सही NRC चाहते हैं।
  - इसके अलावा 19 लाख से अधिक बहिष्कृत लोगों की अस्वीकृति पर्ची (Rejection Slips) जारी करने में देरी हुई है जिसके माध्यम से वे राष्ट्रीयता का दावा करने के लिये न्यायालय तक जा सकें।
    - अधिकारियों ने देरी के कारणों के रूप में कोविड -19 महामारी (Covid-19 pandemic) तथा राज्य में बाढ़ का हवाला दिया है।
    - प्रत्येक व्यक्ति के लिये अस्वीकृति पर्चियों में अस्वीकृति का कारण भिन्न होगा और इस कारण के आधार पर वे 'विदेशी अधिकरण' (Foreigners' Tribunal- FT) में अपने निष्कासन को चुनौती देने में सक्षम होंगे।
    - प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम अंतिम NRC में नहीं है, विदेशी ट्रिब्यूनल के सामने अपने मामले का प्रतिनिधित्व कर सकता है।

संकल्प से सिद्धि: मिशन वन धन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्री ने भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ- ट्राइफेड (TRIFED) द्वारा जारी 'संकल्प से सिद्धि-मिशन वन धन' (Sankalp Se Siddhi-Mission Van Dhan) के तहत विभिन्न पहलों की समीक्षा की।

ट्राइफेड (TRIFED):

- TRIFED का गठन वर्ष 1987 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्त्वावधान में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में किया गया।
- इसका उद्देश्य जनजातीय लोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास, आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, ज्ञान, उपकरण और सूचना के साथ जनजातीय लोगों का सशक्तीकरण एवं क्षमता निर्माण करना है। यह मुख्य रूप से दो कार्य करता है पहला- लघु वन उपज (Minor Forest Produce (MFP) विकास, दूसरा- खुदरा विपणन एवं विकास (Retail Marketing and Development)।

प्रमुख बिंदु:

'संकल्प से सिद्धि' के संदर्भ में:

- 'संकल्प से सिद्धि' पहल, जिसे 'मिशन वन धन' के रूप में भी जाना जाता है, को केंद्र सरकार द्वारा भारत की आदिवासी आबादी के लिये एक स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री के उद्देश्य के अनुरूप वर्ष 2021 में प्रस्तुत किया गया था।
- इस मिशन के माध्यम से TRIFED का उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से अपने संचालन का विस्तार करना तथा विभिन्न आदिवासी विकास कार्यक्रमों को मिशन मोड में लॉन्च करना है।

- इस मिशन के माध्यम से कई वन धन विकास केंद्रों (VDVKs), हाट, बाज़ारों, मिनी TRIFOOD इकाइयों, सामान्य सुविधा केंद्रों, TRIFOOD पार्कों, पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिये फंड की योजना (Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries- SFURTI), समूहों, ट्राइब्स इंडिया रिटेल स्टोर, ई-कॉमर्स की स्थापना, ट्राइफूड एवं जनजातियों के लिये मंच और भारतीय ब्रांडों को लक्षित किया जा रहा है।
- TRIFED आदिवासियों के सशक्तीकरण के लिये कई उल्लेखनीय कार्यक्रमों को लागू कर रहा है।
  - विगत दो वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के माध्यम से लघु वनोपज (MFP) के विपणन के लिये तंत्र और MFP हेतु मूल्य श्रृंखला के विकास ने जनजातीय पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है।
  - ऐसे कठिन परिस्थिति के दौरान ट्राइफेड (TRIFED) ने भी आदिवासी अर्थव्यवस्था में सीधे तौर पर 3000 करोड़ रुपए की सरकारी राहत राशि के रूप में सहायता प्रदान की।
  - वन धन आदिवासी स्टार्टअप्स भी इसी योजना का एक घटक है, जो आदिवासी संग्रहकर्त्ताओं तथा वनवासियों एवं घर में रहने वाले आदिवासी कारीगरों के लिये रोज़गार सृजन का एक स्रोत बनकर उभरा है।

ट्राइफेड निम्नलिखित पहलों से जुड़ा है:

- वन धन विकास योजना:
  - वन धन योजना को 'लघु वनोपज (MFP) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के एक घटक रूप में वर्ष 2018 में शुरू किया गया था।
  - यह जनजातीय संग्रहकर्त्ताओं हेतु आजीविका सृजन को लक्षित करने वाली तथा उन्हें उद्यमियों में स्थानांतरित करने के लिये एक पहल है।
  - इसके तहत मुख्य रूप से वनाच्छादित जनजातीय ज़िलों में वन धन विकास केंद्रों (VDVK) के स्वामित्व वाले जनजातीय समुदाय को स्थापित करना है।
  - वन धन विकास केंद्रों का लक्ष्य आदिवासियों के कौशल उन्नयन और उन्हें क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करना तथा प्राथमिक प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्द्धन सुविधा स्थापित करना है।
- लघु वनोत्पाद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य:
  - 'न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वनोत्पाद के विपणन हेतु तंत्र एवं लघु वनोत्पाद के लिये मूल्य श्रृंखला विकास' योजना, वन उपज संग्रहकर्त्ताओं हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था करती है।
  - यह योजना लघु वनोत्पाद संग्रहकर्त्ताओं, जो कि मुख्य तौर पर अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, के लिये सामाजिक सुरक्षा के उपाय हेतु कार्य करती है।
  - इस योजना के तहत संग्रहण, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन आदि जैसे संग्रहकर्त्ताओं के प्रयासों हेतु उचित मौद्रिक रिटर्न सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रणाली का भी गठन किया गया है।
  - लघु वनोत्पाद में पौधीय मूल के सभी गैर-काष्ठ उत्पाद जैसे- बाँस, बेंत, चारा, पत्तियाँ, गम, वेक्स, डाई, रेज़िन और कई प्रकार के खाद्य जैसे- मेवे, जंगली फल, शहद, लाख, रेशम आदि शामिल हैं।
- टेक फॉर ट्राइबल्स:
  - टेक फॉर ट्राइबल्स अर्थात् आदिवासियों हेतु तकनीकी कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री वन धन योजना (Pradhan Mantri Van Dhan Yojana- PMVDY) के तहत नामांकित वनोपज संग्रहकर्त्ताओं के क्षमता निर्माण एवं उद्यमिता कौशल संवर्द्धन द्वारा 5 करोड़ जनजातीय उद्यमियों को लाभ पहुँचाना है।
  - यह कार्यक्रम गुणवत्ता प्रमाणपत्रों और विपणन योग्य उत्पादों के साथ व्यवसाय संचालन को सक्षम बनाकर जनजातीय उद्यमियों की उच्च सफलता दर सुनिश्चित करेगा।
- ट्राइफूड योजना (TRIFOOD Scheme):
  - इस योजना को अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था और यह लघु वनोत्पाद के मूल्यवर्द्धन को बढ़ावा देती है।

- ट्राइफूड पार्क, लघु वनोपज के साथ-साथ उस क्षेत्र के जनजातीय लोगों द्वारा एकत्र किये गए खाद्यान्न से भी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ का उत्पादन करेंगे।

- गाँव एवं डिजिटल कनेक्ट पहल:
  - इस पहल की शुरुआत यह सुनिश्चित करने के लिये की गई थी कि मौजूदा योजनाएँ और पहल आदिवासियों तक पहुँचती हैं अथवा नहीं। इसके तहत ट्राइफेड के क्षेत्रीय अधिकारियों ने देश भर में उल्लेखनीय जनजातीय आबादी वाले चिह्नित गाँवों का दौरा किया तथा विभिन्न कार्यक्रमों एवं पहलों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण किया।

नई सौर परियोजनाएँ: एनटीपीसी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड' (NTPC) रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (REL) ने देश का पहला 'ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट' स्थापित करने हेतु केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

- NTPC REL गुजरात के कच्छ के रण में एक सौर पार्क भी स्थापित करेगी जहाँ से यह अल्ट्रा-मेगा अक्षय ऊर्जा पावर पार्क (UMREPP) योजना के तहत व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन भी उत्पन्न करेगी।
  - नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहा जाता है।

अल्ट्रा-मेगा अक्षय ऊर्जा पावर पार्क (UMREPP) योजना:

- यह मौजूदा सौर पार्क योजना के तहत अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क (UMREPPs) विकसित करने की एक योजना है।
  - यह योजना वर्ष 2014 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा शुरू की गई थी।
  - सौर पार्क योजना भी देश के विभिन्न राज्यों में सौर पार्क स्थापित करने के लिये MNRE की एक योजना है। यह सौर पार्क स्थापित करने हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव करती है।
- UMREPP का उद्देश्य परियोजना विकासकर्त्ता को अग्रिम भूमि उपलब्ध कराना तथा अक्षय ऊर्जा आधारित सौर/पवन/हाइब्रिड सहित भंडारण प्रणालियों के साथ विद्युत पार्क विकसित करने के लिये पारेषण बुनियादी ढाँचे की सुविधा प्रदान करना है।

प्रमुख बिंदु:

ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट:

- NTPC REL ने इस क्षेत्र में शुरुआत के लिये 5 हाइड्रोजन बसें चलाने की योजना बनाई है और कंपनी लेह में एक सौर संयंत्र तथा एक हरित हाइड्रोजन उत्पादन इकाई स्थापित करेगी।
- यह लेह को हरित हाइड्रोजन आधारित गतिशीलता परियोजना लागू करने वाला देश का पहला शहर बना देगा। यह सही मायने में ज़ीरो एमिशन मोबिलिटी होगी।
- यह प्रधानमंत्री के 'कार्बन न्यूट्रल' लद्दाख के दृष्टिकोण के अनुरूप भी है।
- यह लद्दाख को अक्षय स्रोतों और हरित हाइड्रोजन पर आधारित कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था विकसित करने में मदद करेगा।

भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क:

- NTPC REL गुजरात के कच्छ के रण में 4.75 गीगावाट अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा। यह भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा, जिसका निर्माण देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी करेगी।
  - गुजरात में कच्छ क्षेत्र, जो देश का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है और यहाँ भारत के दो सबसे बड़े कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र हैं, अब अपनी उपलब्धियों में एक और नाम जोड़ देगा।

एनटीपीसी की अन्य प्रमुख परियोजनाएँ :

- हाल ही में एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के सिम्हाद्री ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर भारत का सबसे बड़ा 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर भी चालू किया है। इसके अतिरिक्त 15 मेगावाट की क्षमता वाले सयंत्र को अगस्त, 2021 तक चालू किया जाएगा।
- इसके अलावा तेलंगाना स्थित रामागुंडम ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना कार्यान्वयन के अग्रिम चरण में है।

अन्य सौर ऊर्जा पहलें:

- राष्ट्रीय सौर मिशन: सौर ऊर्जा ने राष्ट्रीय सौर मिशन (National Solar Mission) के साथ जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (National Action Plan on Climate Change) में एक केंद्रीय स्थान ले लिया है।
- INDC का लक्ष्य: यह वर्ष 2022 तक 100 GW ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।
  - यह गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने और वर्ष 2005 के स्तर पर वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद प्रदूषण उत्सर्जन को 33% से 35% तक कम करने के लिये भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions- INDC) के लक्ष्य के अनुरूप है।
- ISA का शुभारंभ: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance- ISA) के शुभारंभ की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री और फ्राँस के राष्ट्रपति द्वारा 2015 में पेरिस, फ्राँस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी-21) के 21वें सत्र में की गई थी।
- सरकारी योजनाएँ: जैसे- सोलर पार्क योजना, कैनाल बैंक और कैनाल टॉप योजना, बंडलिंग योजना, ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप योजना आदि।
- वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड: भारत के पास एक महत्त्वाकांक्षी सीमा पार पावर ग्रिड योजना 'वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड' (One Sun One World One Grid) है जो एक क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को दूसरों की बिजली की मांगों को पूरा करने हेतु स्थानांतरित करना चाहता है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (NTPC)

- एनटीपीसी लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (Public Sector Undertaking- PSU) है।
  - एनटीपीसी आरईएल (NTPC REL), एनटीपीसी (NTPC) की 100 % हिस्सेदारी वाली कंपनी है।
- भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी, एनटीपीसी की स्थापना वर्ष 1975 में भारत के विद्युत विकास में तेज़ी लाने के लिये की गई थी।
- इसका उद्देश्य नवाचार द्वारा संचालित किफायती, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से विश्वसनीय बिजली तथा संबंधित समाधान प्रदान करना है।
- मई 2010 में इसे महारत्न कंपनी (Maharatna company) घोषित किया गया।
- यह नई दिल्ली में स्थित है।

दल-बदल विरोधी कानून में परिवर्तन की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

गोवा विधानसभा में विपक्ष के नेता दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) से जुड़े विभिन्न मुद्दों के समाधान हेतु केंद्र सरकार को सिफारिश करने के लिये एक गैर-सरकारी सदस्य के प्रस्ताव को पेश करने के लिये तैयार हैं।

प्रमुख बिंदु

दल-बदल विरोधी कानून के बारे में :

- दसवीं अनुसूची (जिसे 'दल-बदल विरोधी कानून' के नाम से जाना जाता था) को वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से पारित किया गया तथा यह किसी अन्य राजनीतिक दल में दल-बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान निर्धारित करती है।
- दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के आधार इस प्रकार हैं:
  - यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है।
  - यदि वह पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अपने राजनीतिक दल या ऐसा करने के लिये अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जारी किसी भी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है।
    - उसकी अयोग्यता के लिये पूर्व शर्त के रूप में ऐसी घटना के 15 दिनों के भीतर उसकी पार्टी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा मतदान से मना नहीं किया जाना चाहिये।
  - यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
  - यदि छह महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
- 1985 के अधिनियम के अनुसार, एक राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों के एक-तिहाई सदस्यों द्वारा 'दलबदल' को 'विलय' माना जाता था।
  - लेकिन 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने इसे बदल दिया और दल-बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि उसके कम-से-कम दो-तिहाई सदस्य विलय के पक्ष में हों।
- इस प्रकार अयोग्य सदस्य उसी सदन की एक सीट के लिये किसी भी राजनीतिक दल के लिये चुनाव लड़ सकते हैं।
- दल-बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय के लिये उसे सदन के सभापति या अध्यक्ष के पास भेजा जाता है, जो कि 'न्यायिक समीक्षा' के अधीन होता है।

दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित मुद्दे:

- प्रतिनिधि लोकतंत्र को कमज़ोर करना: दलबदल विरोधी कानून के लागू होने के पश्चात् सांसद या विधायक को पार्टी के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करना होता है।
  - यह उन्हें किसी भी मुद्दे पर अपने निर्णय के अनुरूप वोट देने की स्वतंत्रता नहीं देता है जिससे प्रतिनिधि लोकतंत्र कमज़ोर होता है।
- विधायिका को कमज़ोर करना: एक निर्वाचित विधायक या सांसद की मुख्य भूमिका नीति, विधेयक/बिल और बजट की जाँच करना और निर्णय लेना है।
  - इसके विपरीत सांसद किसी भी वोट का समर्थन या विरोध करने के लिये पार्टी के समर्थन में सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाता है।
- संसदीय लोकतंत्र को कमज़ोर करना: संसदीय रूप में सरकार प्रश्नों और प्रस्तावों के माध्यम से प्रतिदिन जवाबदेह होती है और उसे किसी भी समय लोकसभा के अधिकांश सदस्यों का समर्थन खो देने पर हटाया जा सकता है।
  - दल-बदल विरोधी कानून के चलते विधायकों को मुख्य रूप से राजनीतिक दल के प्रति जवाबदेह बनाकर जवाबदेही की इस शृंखला को तोड़ा गया है।
  - इस प्रकार दल-बदल विरोधी कानून संसदीय लोकतंत्र की अवधारणा के खिलाफ काम कर रहा है।
- अध्यक्ष की विवादास्पद भूमिका: कई उदाहरणों में अध्यक्ष (आमतौर पर सत्ताधारी दल से) ने अयोग्यता पर निर्णय लेने में देरी की है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले को रोकने की कोशिश की है कि अध्यक्ष (स्पीकर) को तीन महीने में मामले का फैसला करना है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि अगर स्पीकर ऐसा नहीं करता है तो क्या होगा।
- विभाजन की कोई मान्यता नहीं: 91वें संवैधानिक संशोधन 2004 के कारण दल-बदल विरोधी कानून ने दल-बदल विरोधी शासन को एक अपवाद बनाया।

नोट :

- इसके अनुसार यदि किसी दल के दो-तिहाई सदस्य 'विलय' के लिये सहमत हों तो इसे दल-बदल नहीं माना जाएगा।
  - हालाँकि यह संशोधन एक विधायक दल में 'विभाजन' को मान्यता नहीं देता है बल्कि इसके बजाय 'विलय' को मान्यता देता है।

प्रस्तावित परिवर्तन:

- एक विकल्प यह है कि ऐसे मामलों को सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को एक स्पष्ट निर्णय हेतु भेजा जाए, जो कि 60 दिनों की अवधि के भीतर दिया जाना चाहिये।
- दूसरा विकल्प यह है कि अगर किसी पार्टी या पार्टी नेतृत्व के संबंध में कोई मतभेद है, तो उसे इस्तीफा देने और लोगों को नया जनादेश का अधिकार हो।
- इन परिवर्तनों में एक निर्वाचित प्रतिनिधि के लिये लोगों के प्रति जवाबदेह और ज़िम्मेदार होने की आवश्यकता की परिकल्पना की गई है।

आगे की राह:

- अंतर-पार्टी लोकतंत्र को मज़बूत करना: यद्यपि सरकार की स्थिरता एक मुद्दा है जो कि लोगों के अपने दलों से अलग होने के कारण है, इसके लिये पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र को मज़बूत करना होगा।
- राजनीतिक दलों को विनियमित करना: भारत में राजनीतिक दलों को नियंत्रित करने वाले कानून की प्रबल आवश्यकता है। इस तरह के कानून में राजनीतिक दलों को आरटीआई के तहत लाया जाना चाहिये, साथ ही पार्टी के भीतर लोकतंत्र को मज़बूत करना चाहिये।
- निर्णायक शक्तियों से अध्यक्ष को राहत देना: सदन के अध्यक्ष का दल-बदल के मामले में अंतिम प्राधिकारी होना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को प्रभावित करता है।
  - इस संदर्भ में इस शक्ति को उच्च न्यायपालिका या चुनाव आयोग (दूसरी एआरसी रिपोर्ट द्वारा अनुशंसित) को हस्तांतरित करने से दल-बदल के खतरे को रोका जा सकता है।
- दल-बदल विरोधी कानून के दायरे को सीमित करना: प्रतिनिधि लोकतंत्र को दल-बदल विरोधी कानून के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिये कानून का दायरा केवल उन कानूनों तक सीमित किया जा सकता है, जहाँ सरकार की हार से विश्वास की हानि हो सकती है।

राष्ट्रीय आयुष मिशन

चर्चा में क्यों?

सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM) को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में वर्ष 2026 तक जारी रखने का निर्णय लिया है।

- परियोजना की कुल लागत 4,603 करोड़ रुपए है, जिसमें से 3,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा और शेष राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा।
- हाल ही में आयुष क्षेत्र संबंधी नए पोर्टल भी लॉन्च किये गए थे।

'आयुष' का अर्थ:

- स्वास्थ्य देखभाल और उपचार की पारंपरिक एवं गैर-पारंपरिक प्रणालियाँ जिनमें आयुर्वेद (Ayurveda), योग (Yoga), प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी (Unani), सिद्ध (Siddha), सोवा-रिग्पा (Sowa-Rigpa) व होम्योपैथी (Homoeopathy) आदि शामिल हैं।
- भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की सकारात्मक विशेषताओं अर्थात् उनकी विविधता और लचीलापन; अभिगम्यता; सामर्थ्य, आम जनता के एक बड़े वर्ग द्वारा व्यापक स्वीकृति; तुलनात्मक रूप से कम लागत तथा बढ़ते आर्थिक मूल्य के कारण उनके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बनने की काफी संभावनाएँ हैं, साथ ही लोगों के बड़े हिस्से को उनकी आवश्यकता है।

प्रमुख बिंदु:

शुरुआत:

- इस मिशन को सितंबर 2014 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आयुष विभाग द्वारा 12वीं योजना के दौरान राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वयन के लिये शुरू किया गया था।
- वर्तमान में इसे आयुष मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है।

इसके संबंध में:

- इस योजना में भारतीयों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये आयुष क्षेत्र का विस्तार शामिल है।
- यह मिशन देश में विशेष रूप से कमज़ोर और दूर-दराज़ के क्षेत्रों में आयुष स्वास्थ्य सेवाएँ/शिक्षा प्रदान करने के लिये राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के प्रयासों का समर्थन कर स्वास्थ्य सेवाओं में अंतराल को संबोधित करता है।

राष्ट्रीय आयुष मिशन के घटक

- अनिवार्य घटक:
  - आयुष (AYUSH) सेवाएँ
  - आयुष शैक्षणिक संस्थान
  - आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी तथा होमियोपैथी (ASU&H) औषधों का गुणवत्ता नियंत्रण
  - औषधीय पादप/पौधे
- नम्य घटक:
  - योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष स्वास्थ्य केंद्र
  - टेली-मेडिसिन
  - सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित आयुष में नवाचार
  - सूचना, शिक्षा तथा संचार (Information, Education and Communication- IEC) कार्यकलाप
  - स्वैच्छिक प्रमाणन स्कीम: परियोजना आधारित

अपेक्षित परिणाम:

- आयुष सेवाओं एवं दवाओं की बेहतर उपलब्धता एवं प्रशिक्षित श्रमबल प्रदान कर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से आयुष स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुँच।
- बेहतर सुविधाओं से व्यवस्थित अनेकों आयुष शिक्षण संस्थानों के माध्यम से आयुष शिक्षा में सुधार करना।
- आयुष स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों का इस्तेमाल करते हुए लक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से संचारी/गैर-संचारी रोगों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना ।

केंद्रीय योजनाएँ

- केंद्रीय योजनाओं को दो भागों- केंद्रीय क्षेत्रक योजना (Central Sector Schemes) और केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Schemes) में विभाजित किया है।

केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएँ (CSS):

- इन योजनाओं का 100 प्रतिशत वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
- इनका कार्यान्वयन भी केंद्रीय तंत्र द्वारा ही किया जाता है।
- ये योजनाएँ मुख्य रूप से संघ सूची में उल्लेखित विषयों पर बनाई जाती हैं।
- उदाहरण: भारतनेट, नमामि गंगे-राष्ट्रीय गंगा योजना आदि।

केंद्र प्रायोजित योजनाएँ:

- ये केंद्र सरकार की ऐसी योजनाएँ हैं जिनमें केंद्र और राज्यों दोनों की वित्तीय भागीदारी होती है।
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं को 'कोर ऑफ कोर स्कीम', 'कोर स्कीम' और 'वैकल्पिक स्कीमों' में विभाजित किया गया है।
  - वर्तमान में 6 'कोर ऑफ कोर स्कीम्स' हैं, जबकि 23 कोर स्कीम्स हैं।
- इनमें से अधिकांश योजनाओं में राज्यों की विशिष्ट वित्तीय भागीदारी निर्धारित हैं। उदाहरण के लिये मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम) के मामले में राज्य सरकारों को 25% व्यय वहन करना पड़ता है।

छह 'कोर ऑफ कोर स्कीम्स' में शामिल हैं

- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम।
- अनुसूचित जाति के विकास हेतु अम्ब्रेला कार्यक्रम।
- अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु अम्ब्रेला कार्यक्रम।
- अल्पसंख्यकों के विकास हेतु अम्ब्रेला कार्यक्रम।
- अन्य संवेदनशील समूहों के विकास हेतु अम्ब्रेला कार्यक्रम।

न्यायपालिका के लिये अवसंरचनात्मक सुविधाएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिये केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) को आगामी पाँच वर्षों यानी वर्ष 2026 तक जारी रखने की मंज़ूरी दे दी है।

- इस योजना के कार्यान्वयन के लिये ग्राम न्यायालय योजना तथा न्याय वितरण और कानूनी सुधार के लिये राष्ट्रीय मिशन के ज़रिये मिशन मोड में 50 करोड़ रुपए आवंटित किये जाएंगे।

न्याय वितरण और कानूनी सुधार के लिये राष्ट्रीय मिशन

- शुरुआत: इसे जून 2011 में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- उद्देश्य: प्रणाली में देरी को कम करके न्याय तक पहुँच बढ़ाना तथा संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही को बढ़ाना।

प्रमुख बिंदु

केंद्र प्रायोजित योजना के विषय में:

- इस योजना का प्रचालन वर्ष 1993-94 से न्यायपालिका के लिये बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु किया जा रहा है।
- योजना को जारी रखने के इस प्रस्ताव से ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिये 3800 कोर्ट हॉल तथा 4000 आवासीय इकाइयों, 1450 वकील हॉल, 1450 शौचालय परिसर एवं 3800 डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण में मदद मिलेगी।
- यह देश में न्यायपालिका के कामकाज़ और प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करेगा तथा नए भारत के लिये बेहतर अदालतों के निर्माण की दिशा में एक नया कदम होगा।
- उन्नत "न्याय विकास-2.0" (Nyaya Vikas-2.0) वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग पूर्ण तथा चालू परियोजनाओं की जियो-टैगिंग द्वारा सीएसएस न्यायिक बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिये किया जाता है।

ग्राम न्यायालय:

- भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय प्रणाली की त्वरित और आसान पहुँच सुनिश्चित करने हेतु ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत ग्राम न्यायालय स्थापित किये गए हैं।
- यह अधिनियम 2 अक्तूबर, 2009 को लागू हुआ था।

- अधिकार क्षेत्र:
  - संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी निर्दिष्ट क्षेत्र पर ग्राम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र होता है।
  - ग्राम न्यायालय अपने विशिष्ट अधिकार क्षेत्र में किसी भी स्थान पर एक मोबाइल न्यायालय के रूप में कार्य कर सकते हैं।
  - उनके पास अपराधों पर फौजदारी (क्रिमिनल) और दीवानी (सिविल) दोनों क्षेत्राधिकार होते हैं।
- निगरानी:
  - ग्राम न्यायालय पोर्टल, राज्यों को ग्राम न्यायालयों के कामकाज की ऑनलाइन निगरानी करने में मदद करता है।

भारत में न्यायपालिका से संबंधित मुद्दे:

- देश में न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात बहुत अधिक प्रशंसनीय नहीं है।
  - जबकि अन्य देशों में यह अनुपात लगभग 50-70 न्यायाधीश प्रति मिलियन व्यक्ति है, जबकि भारत में यह 20 न्यायाधीश प्रति मिलियन व्यक्ति है।
- महामारी के बाद से अदालती कार्यवाही भी आभासी रूप से संचालित होने लगी है, पहले न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी की भूमिका ज़्यादा नहीं थी।
- न्यायपालिका में पदों को आवश्यकतानुसार शीघ्रता से नहीं भरा जाता है।
  - उच्च न्यायपालिका के लिये कॉलेजियम द्वारा सिफारिशों में देरी के कारण न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया में देरी हो रही है।
  - निचली न्यायपालिका के लिये राज्य आयोग/उच्च न्यायालयों द्वारा की गई भर्ती में देरी भी खराब न्यायिक व्यवस्था का एक कारण है।
- अदालतों द्वारा अधिवक्ताओं को बार-बार स्थगन दिये जाने से न्याय प्रदान करने में अनावश्यक देरी होती है।

आगे की राह:

- CSS योजना संपूर्ण देश में ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के लिये सुसज्जित कोर्ट हॉल और आवास की उपलब्धता में वृद्धि करेगी।
- डिजिटल कंप्यूटर रूम की स्थापना से डिजिटल क्षमताओं में भी सुधार होगा और भारत के डिजिटल इंडिया विज़न के हिस्से के रूप में डिजिटलीकरण की शुरुआत को बढ़ावा मिलेगा।
- इससे न्यायपालिका के समग्र कामकाज और प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिलेगी। यह ग्राम न्यायालयों को निरंतर सहायता, आम आदमी को उसके दरवाज़े पर त्वरित, पूर्ण और किफायती न्याय प्रदान करने के लिये भी प्रोत्साहन देगी।

आर्थिक घटनाक्रम

भारत के अनौपचारिक मज़दूर वर्ग को विश्व बैंक का समर्थन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व बैंक (World Bank) ने वर्तमान महामारी संकट से उबरने के लिये भारत के अनौपचारिक श्रमिक वर्ग का समर्थन करने हेतु 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण कार्यक्रम को मंज़ूरी दी है।

- यह ऋण राज्यों को वर्तमान महामारी, भविष्य की जलवायु और आपदा के झटकों से निपटने हेतु अधिक नम्यता प्रदान करेगा।

प्रमुख बिंदु

विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता:

- विश्व बैंक की वित्तीय सहायता के विषय में:
  - 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता में से 112.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर को इसकी रियायती ऋण देने वाली शाखा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (International Development Association- IDA) द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा और शेष राशि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (International Bank for Reconstruction and Development- IBRD) से वित्तपोषित होगी।
  - ऋण की परिपक्वता अवधि 18.5 वर्ष है जिसमें पाँच वर्ष की छूट अवधि शामिल है।
- महामारी की शुरुआत के बाद से फंडिंग:
  - वर्ष 2020 में पहले से मौजूद राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से चिह्नित लगभग 320 मिलियन व्यक्तिगत बैंक खातों में तत्काल आपातकालीन राहत नकद हस्तांतरण प्रदान किया गया।
  - साथ ही लगभग 80 करोड़ लोगों के लिये अतिरिक्त राशन की व्यवस्था की गई है।

महत्त्व:

- उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रियाओं को डिज़ाइन और कार्यान्वित करने के लिये राज्य अब आपदा प्रतिक्रिया निधि से लचीला वित्तपोषण (Flexible Funding) प्राप्त कर सकते हैं।
- शहरी अनौपचारिक श्रमिकों, गिग वर्कर्स (Gig Worker) और प्रवासियों के लिये सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में धन का उपयोग किया जाएगा।
  - गिग वर्कर, गिग इकॉनमी से संबंधित होता है जो एक मुक्त बाज़ार प्रणाली है जिसमें सामान्यत: अस्थायी पद होते हैं और संगठन अल्पकालिक समय के लिये स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध करते हैं।
- इसका उद्देश्य समुदायों की अर्थव्यवस्थाओं और आजीविका के लचीलेपन का निर्माण करना है।
- नगरपालिका स्तर पर निवेश राष्ट्रीय डिजिटल शहरी मिशन (National Digital Urban Mission) को बढ़ावा देगा जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये एक साझा डिजिटल बुनियादी ढाँचा तैयार करेगा और अनौपचारिक श्रमिकों हेतु शहरी सुरक्षा जाल तथा सामाजिक बीमा को बढ़ाएगा।
  - इसमें महिला श्रमिकों और महिला प्रधान परिवारों पर लिंग-विभाजित जानकारी भी शामिल होगी।
  - यह नीति निर्माताओं को लिंग-आधारित सेवा वितरण अंतराल को दूर करने और विशेष रूप से विधवाओं, किशोर लड़कियों तथा आदिवासी महिलाओं तक प्रभावी ढंग से पहुँचने की अनुमति देगा।

- स्ट्रीट वेंडर (Street Vendor) भारत की शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग हैं। यह कार्यक्रम स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 रुपए तक के किफायती कार्यशील पूंजी ऋण तक पहुँच प्रदान करेगा।
  - नए क्रेडिट कार्यक्रम से करीब 50 लाख शहरी स्ट्रीट वेंडर लाभान्वित हो सकते हैं।

अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यबल:

- अनौपचारिक क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जिस पर न तो सरकार द्वारा किसी प्रकार का कर लगाया जाता है और न ही उसकी निगरानी की जाती है।
  - अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक या अनौपचारिक श्रमिक हैं।
- अनौपचारिक क्षेत्र गरीबों के लिये महत्त्वपूर्ण आर्थिक अवसर प्रदान करता है।
- यह काफी हद तक औपचारिक शिक्षा, आसान प्रवेश, स्थिर नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों की कमी और संचालन के एक छोटे पैमाने के बाहर प्राप्त कौशल की विशेषता है।
- औपचारिक अर्थव्यवस्था के विपरीत अनौपचारिक क्षेत्र के घटकों को सकल घरेलू उत्पाद की गणना में शामिल नहीं किया जाता है।

अनौपचारिक कार्यबल की रक्षा करने की आवश्यकता:

- भारत के अनुमानित 450 मिलियन अनौपचारिक श्रमिकों में इसके कुल कार्यबल का 90% शामिल है, जिसमें 5-10 मिलियन कर्मचारी वार्षिक रूप से जोड़े जाते हैं।
- इसके अतिरिक्त ऑक्सफैम (Oxfam's) की नवीनतम वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में अपनी नौकरी गँवाने वाले कुल 122 मिलियन में से 75% अनौपचारिक क्षेत्र में चले गए थे।
- कोविड -19 महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के कारण नौकरी छूटने तथा अनौपचारीकरण में और वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप गरीबों में सामाजिक सुरक्षा का अभाव है।
- इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था में 7.7% की गिरावट आई है। इसलिये रोज़गार सृजन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र अधिक श्रम प्रधान है।

सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ पहलें

- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM)
- श्रम सुधार
- प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (PMRPY)
- पीएम स्वनिधि: स्ट्रीट वेंडर्स के लिये माइक्रो क्रेडिट स्कीम
- आत्मनिर्भर भारत अभियान
- दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

विश्व बैंक समूह

- विश्व बैंक समूह एक विशिष्ट वैश्विक साझेदारी है, जिसमें पाँच विकास संस्थान शामिल हैं।
  - अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) ऋण, क्रेडिट और अनुदान प्रदान करता है।
  - अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) कम आय वाले देशों को कम या बिना ब्याज वाले ऋण प्रदान करता है।
  - अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) कंपनियों और सरकारों को निवेश, सलाह तथा परिसंपत्तियों के प्रबंधन संबंधी सहायता प्रदान करता है।
  - बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA) ऋणदाताओं और निवेशकों को युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है।
  - निवेश विवादों के निपटारे के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID) निवेशकों और देशों के मध्य उत्पन्न निवेश-विवादों के सुलह और मध्यस्थता के लिये सुविधाएँ प्रदान करता है।
    - भारत 'निवेश विवादों के निपटारे के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र' का सदस्य नहीं है।
- वर्तमान में 189 देश IBRD के सदस्य हैं, जबकि IDA में 173 सदस्य देश हैं।

आगे की राह

- MSME को सुदृढ़ बनाना: अनौपचारिक कार्यबल का लगभग 40% हिस्सा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) में कार्यरत है। इसलिये स्वाभाविक है कि MSMEs के मज़बूत होने से आर्थिक सुधार, रोज़गार सृजन और अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण होगा।
- CSR व्यय के तहत कौशल विकास: बड़े कॉरपोरेट घरानों को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) व्यय के तहत असंगठित क्षेत्रों में लोगों को कुशल बनाने की ज़िम्मेदारी भी लेनी चाहिये।
- अदृश्य श्रम को पहचानना: घरेलू कामगारों के अधिकारों को पहचानने और बेहतर काम करने की स्थिति को बढ़ावा देने के लिये जल्द-से-जल्द एक राष्ट्रीय नीति लाने की आवश्यकता है।

पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 3.03 ट्रिलियन रुपए की एक सुधार-आधारित और परिणाम से जुड़ी पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (Revamped Distribution Sector Scheme) को मंज़ूरी दी है, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 97,631 करोड़ रुपए होगी।

- इसका उद्देश्य डिस्कॉम (निजी क्षेत्र के डिस्कॉम को छोड़कर) की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है।

प्रमुख बिंदु:

- संदर्भ:
  - यह डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) की आपूर्ति के आधारभूत ढाँचे को मज़बूत करने के लिये सशर्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
    - वित्तीय सहायता पूर्व-अर्हता मानदंडों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क की उपलब्धि पर आधारित होगी।
  - एकीकृत विद्युत विकास योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जैसी सभी मौजूदा विद्युत् क्षेत्र सुधार योजनाओं को इस अम्ब्रेला कार्यक्रम में शामिल कर दिया जाएगा।
  - यह योजना वर्ष 2025-26 तक उपलब्ध रहेगी।
- कार्यान्वयन:
  - यह प्रत्येक राज्य के लिये बनाई गई कार्य योजना पर आधारित होगा, न कि 'वन-साईज-फिट्स-ऑल' दृष्टिकोण पर।
- नोडल एजेंसियाँ:
  - ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और विद्युत वित्त निगम।
- घटक:
  - उपभोक्ता मीटर और सिस्टम मीटर:
    - इस योजना में वितरण क्षेत्र- बिजली फीडर से लेकर उपभोक्ता स्तर तक, जिसमें लगभग 250 मिलियन परिवार शामिल हैं, में एक अनिवार्य स्मार्ट मीटरिंग इकोसिस्टम शामिल है।
    - प्रथम चरण में वर्ष 2023 तक लगभग 10 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाने का प्रस्ताव है।
  - फीडर का वर्गीकरण:
    - यह योजना असंबद्ध फीडरों के लिए फीडर वर्गीकरण हेतु वित्तपोषण पर भी ध्यान केंद्रित करती है, जो पीएम-कुसुम योजना के तहत सौरकरण को सक्षम बनाएगा।
    - फीडरों के सौरकरण से सिंचाई के लिये दिन में सस्ती/नि:शुल्क बिजली मिलेगी और किसानों को अतिरिक्त आय होगी।
  - शहरी क्षेत्रों में वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण:
    - सभी शहरी क्षेत्रों में पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (Supervisory Control and Data Acquisition-SCADA)।

- ग्रामीण और शहरी क्षेत्र प्रणाली का सुदृढ़ीकरण।
- विशेष श्रेणी के राज्य:
  - पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम और जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों सहित सभी विशेष श्रेणी के राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्यों के रूप में माना जाएगा।
- उद्देश्य:
  - वर्ष 2024-25 तक अखिल भारतीय स्तर पर AT&C हानियों (अक्षम बिजली व्यवस्था के कारण परिचालन नुकसान) को 12-15% तक कम करना।
  - वर्ष 2024-25 तक लागत-राजस्व अंतराल को घटाकर शून्य करना।
  - आधुनिक डिस्कॉम्स के लिये संस्थागत क्षमताओं का विकास करना।

संबंधित योजनाएँ:

- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य): देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना।
- एकीकृत विद्युत विकास योजना (IPDS): योजना के तहत किये गए प्रावधानों में शामिल हैं:
  - शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क को मज़बूत करना;
  - शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मर/फीडर/उपभोक्ताओं की मीटरिंग; तथा
  - वितरण क्षेत्र की आईटी सक्षमता और वितरण नेटवर्क को मज़बूत करना।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY): इस ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के के तहत किये गए प्रावधानों में शामिल हैं:
  - कृषि और गैर-कृषि फीडरों को अलग करना;
  - वितरण ट्रांसफार्मर, फीडर और उपभोक्ताओं के स्तर पर मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण तथा वितरण बुनियादी ढाँचे को मज़बूती प्रदान करने के साथ ही इनमें वृद्धि करना।
- गर्व (ग्रामीण विद्युतीकरण) एप: विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता की निगरानी के लिये सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युत अभियंताओं (GVAs) को GARV एप के माध्यम से प्रगति की रिपोर्ट करने के लिये नियुक्त किया गया है।
- उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY): डिस्कॉम के परिचालन और वित्तीय बदलाव के लिये।
- संशोधित टैरिफ नीति में '4 E': 4ई में सभी के लिये विद्युत्, किफायती टैरिफ सुनिश्चित करने की क्षमता, एक स्थायी भविष्य के लिये पर्यावरण, निवेश को आकर्षित करने और वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिये व्यापार करने में आसानी शामिल है।

भारत के विनिर्माण क्षेत्र का संकुचन: PMI

चर्चा में क्यों?

आईएचएस मार्किट इंडिया (IHS Markit India) के सर्वेक्षण के अनुसार, विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (Purchasing Managers' Index- PMI) जून में घटकर 48.1 पर आ गया, यह मई में 50.8 था, जो संकुचन से विकास को अलग करते हुए 50 के स्तर से नीचे चला गया।

- भारत की विनिर्माण गतिविधि जून में 11 महीनों में पहली बार संकुचित हुई क्योंकि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर और सख्त नियंत्रण उपायों ने मांग को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया तथा कारखाने के आदेशों, उत्पादन, निर्यात एवं खरीद की मात्रा में संकुचन को प्रभावित किया।

प्रमुख बिंदु:

- PMI एक सर्वेक्षण-आधारित प्रणाली है जो उत्तरदाताओं को पिछले माह की तुलना में प्रमुख व्यावसायिक चर के संदर्भ में उनकी धारणा में बदलाव के बारे में बताती है।

- PMI का उद्देश्य कंपनी के नीति निर्माताओं, विश्लेषकों और निवेशकों को वर्तमान एवं भविष्य की व्यावसायिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है।
- विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों हेतु इसकी गणना अलग से की जाती है तथा फिर एक समग्र सूचकांक भी बनाया जाता है।
  - PMI में 0 से 100 तक की संख्याएँ अंकित होती हैं।
  - सूचकांक में 50 से अधिक अंक अर्थव्यवस्था के विस्तार को, जबकि इससे नीचे का स्कोर संकुचन की स्थिति को दर्शाता है।
  - 50 का स्कोर किसी बदलाव को नहीं दर्शाता है।
- यदि पिछले माह का PMI चालू माह के PMI से अधिक है, तो यह अर्थव्यवस्था के संकुचन को दर्शाता है।
- सामान्यत: इसे हर माह की शुरुआत में जारी किया जाता है, इसलिये इसे आर्थिक गतिविधि का एक अच्छा अग्रणी संकेतक माना जाता है।
- IHS मार्किट द्वारा दुनिया भर में 40 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं के लिये 'क्रय प्रबंधक सूचकांक' का संकलन किया जाता है।
  - IHS मार्किट विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख उद्योगों और बाज़ारों हेतु सूचना, विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत करने वाली एक अग्रणी वैश्विक कंपनी है।
- चूँकि औद्योगिक उत्पादन, विनिर्माण और सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित आँकड़े काफी देर से प्राप्त होते हैं, ऐसे में PMI प्रारंभिक स्तर पर सूचित निर्णय लेने में मदद करता है।
- यह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) से अलग है, जो अर्थव्यवस्था में गतिविधि के स्तर को भी मापता है।
  - PMI की तुलना में IIP अधिक व्यापक औद्योगिक क्षेत्र को कवर करता है।
  - हालाँकि मानक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की तुलना में PMI अधिक गतिशील है।

वस्तु एवं सेवा कर' प्रणाली के चार वर्ष

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 'वस्तु एवं सेवा' (GST) प्रणाली के चार वर्ष पूरे होने के अवसर को चिह्नित करने हेतु लगभग 54,000 करदाताओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

GST की उपलब्धियाँ

- स्वचालित अप्रत्यक्ष कर पारिस्थितिकी तंत्र:
  - ई-वे बिल की शुरुआत के साथ-साथ नकली चालान पर कार्रवाई करने से जीएसटी राजस्व में बढ़ोतरी करने में मदद मिली है, जिसकी या तो अब तक चोरी की जा रही थी या कम राजस्व दर्ज किया जा रहा था।
  - ई-चालान प्रणाली करदाताओं को पूरी तरह से स्वचालित अनुपालन व्यवस्था प्रदान करती है, जिसमें कर देनदारियों की गणना और इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान आसनी से किया जा सकता है।
- अनुपालन का सरलीकरण:
  - आयात पर क्रेडिट उपलब्धता हेतु सीमा शुल्क पोर्टल को जीएसटी पोर्टल से जोड़ने, इनपुट टैक्स क्रेडिट के मिलान हेतु उचित साधन उपलब्ध कराने, चालान रजिस्ट्री पोर्टल के निर्बाध संचालन हेतु रिफंड प्रक्रिया के स्वचालन मंट वृद्धि जैसी विभिन्न पहलों ने कर अनुपालन को आसान बनाने में मदद की है।
- जीएसटी परिषद की कार्यप्रणाली:
  - जीएसटी परिषद ने कानून में सुधार किया, जटिल मुद्दों पर स्पष्टीकरण जारी किया, जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाया और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिये छूट की शुरुआत की, जो कि जीएसटी परिषद की बेहतरीन कार्यात्मक संरचना का परिणाम है।

- विश्व के लिये एक उदाहरण
  - भारत ने 'वस्तु एवं सेवा कर' जैसी सर्वाधिक जटिल कर परिवर्तन परियोजनाओं में से एक को सफलतापूर्वक लागू कर दुनिया के लिये एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है।

चुनौतियाँ

- राजकोषीय संघवाद:
  - यह मुद्दा तब विवादास्पद हो गया जब महामारी के कारण जीएसटी संग्रह में गिरावट दर्ज की गई।
  - चूँकि जीएसटी ने राज्यों की कराधान शक्तियों के एक बड़े हिस्से का अधिग्रहण कर लिया, उदाहरण के लिये राज्य प्रत्यक्ष कर या सीमा शुल्क नहीं अधिरोपित कर सकते हैं, ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा उन्हें पाँच वर्ष की अवधि के लिये 14% की गारंटीकृत राजस्व वृद्धि की पेशकश की गई थी।
- 15वें वित्त आयोग द्वारा रेखांकित मुद्दे:
  - 15वें वित्त आयोग ने जीएसटी शासन में कर दरों की बहुलता, पूर्वानुमान के मुकाबले जीएसटी संग्रह में कमी, जीएसटी संग्रह में उच्च अस्थिरता, रिटर्न दाखिल करने में असंगति, मुआवज़े को लेकर केंद्र पर राज्यों की निर्भरता आदि विभिन्न क्षेत्रों पर प्रकाश डाला था।
- बड़े व्यवसाय बनाम छोटे व्यवसाय
  - जीएसटी कानून को लाए जाने के मूलभूत सिद्धांतों जैसे- इनपुट क्रेडिट का निर्बाध प्रवाह और अनुपालन में आसानी आदि पर सूचना प्रोद्योगिकी (IT) संबंधित गड़बड़ियों एवं चुनौतियों का काफी प्रभाव पड़ा है।
  - अप्रत्यक्ष कर, आयकर जैसे प्रत्यक्ष करों के विपरीत अमीर और गरीब के बीच के अंतर को नहीं देखता हैं और इसलिये इस प्रकार के कर का गरीबों पर भारी बोझ पड़ता है।
  - इसके अलावा छोटे एवं मध्यम व्यवसाय अभी भी तकनीक-सक्षम शासन के अनुकूल होने की चुनौती से जूझ रहे हैं।

सुझाव:

- देश भर में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, ऐसे में नीति निर्माताओं को पेट्रोलियम और संबंधित उत्पादों को जीएसटी के दायरे में शामिल करने पर विचार करने की आवश्यकता है।
- साथ ही जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन करना भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि सभी करदाताओं के पास प्रत्येक व्यावहारिक चुनौती से निपटने के लिये उच्च न्यायालय के पास जाने हेतु वित्तीय साधन और समय नहीं है।
- मुनाफाखोरी को रोकने संबंधी उपायों को सुव्यवस्थित करने और अनुपालन प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर भी फिर से विचार करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जीएसटी कानून के तहत परिकल्पित लागत दक्षता तथा कीमतों में कमी का लाभ अंततः आम आदमी तक पहुँच सके।

वस्तु एवं सेवा कर (GST):

परिचय :

- वस्तु एवं सेवा कर (GST) घरेलू उपभोग के लिये बेचे जाने वाले अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला मूल्यवर्द्धित कर है।
- GST का भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, लेकिन यह वस्तुओं और सेवाओं को बेचने वाले व्यवसायों द्वारा सरकार को प्रेषित किया जाता है।
- GST, जिसने लगभग सभी घरेलू अप्रत्यक्ष करों (पेट्रोलियम, मादक पेय और स्टांप शुल्क प्रमुख अपवाद हैं) को एक मंच के अंतर्गत समाहित कर दिया, शायद यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा कर सुधार है। इसे 1 जुलाई, 2017 की मध्यरात्रि को परिचालन में लाया गया था।

जीएसटी की विशेषताएँ:

- आपूर्ति पक्ष पर लागू: वस्तु के निर्माण या वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान पर पुरानी अवधारणा के विपरीत वस्तुओं या सेवाओं की 'आपूर्ति' पर जीएसटी लागू है।
- गंतव्य आधारित कराधान: GST मूल-आधारित कराधान के सिद्धांत के विपरीत गंतव्य-आधारित उपभोग कराधान के सिद्धांत पर आधारित है।
- दोहरा GST: यह केंद्र और राज्यों पर एक साथ, एक समान आधार पर लगाया जाने वाला कर है। केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को केंद्रीय जीएसटी (CGST) कहा जाता है और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले को राज्य जीएसटी (SGST) कहते हैं।
  - वस्तुओं या सेवाओं के आयात को अंतर-राज्य आपूर्ति के रूप में माना जाएगा तथा यह लागू सीमा शुल्क के अतिरिक्त एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) के अधीन होगा।
- पारस्परिक रूप से तय की जाने वाली जीएसटी दरें: CGST, SGST व IGST केंद्र और राज्यों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत दरों पर लगाए जाते हैं। जीएसटी परिषद की सिफारिश पर दरें अधिसूचित की जाती हैं।
- बहुगामी दरें: जीएसटी चार दरों (5%, 12%, 18% और 28%) पर लगाया जाता है। जीएसटी परिषद द्वारा इन बहुतायत चरणों (Slabs) के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की अनुसूची या सूची तैयार की जाती है।
  - इसमें अलग से जीएसटी के तहत मोटे कीमती और अर्द्ध-कीमती पत्थरों पर 0.25% की एक विशेष दर तथा सोने पर 3% की दर निश्चित की गई है।

GST परिषद:

- यह वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिये एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 279A) है।
- इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करता है और अन्य सदस्य केंद्रीय राजस्व या वित्त मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री होते हैं।
- इसे एक संघीय निकाय के रूप में माना जाता है जहाँ केंद्र और राज्य दोनों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है।

GST द्वारा लाए गए सुधार:

- एक साझा राष्ट्रीय बाज़ार का निर्माण: बड़ी संख्या में केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए जा रहे करों को मिलाकर एक ही कर बनाना।
- व्यापक प्रभाव का शमन:
  - वस्तु या सेवाओं (यानी इनपुट पर) की खरीद के लिये एक व्यापारी जो जीएसटी का भुगतान करता है, उसे बाद में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू करने के लिये तैयार या सेट किया जा सकता है। सेट ऑफ टैक्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। इस प्रकार जीएसटी कर पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव को कम कर सकता है क्योंकि इससे अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ बढ़ जाता है।
- कर के बोझ में कमी: उपभोक्ताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि वस्तुओं पर लगने वाले कर के बोझ में कमी आ सकेगी।
- भारतीय उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाना: उत्पादन की मूल्य शृंखला में इनपुट करों के पूर्ण निष्प्रभावीकरण के कारण जीएसटी की शुरुआत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भारतीय उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्द्धी बना रही है।

आगे की राह

- अभी भी ऐसे कई कानून हैं जिनका 'कार्य-प्रगति' पर है तथा इतनी जटिल यात्रा में विकास की प्रक्रिया को समाप्त नहीं किया जा सकता है। सरकार को आने वाले समय में 'अच्छे और सरल कर' के अपने वादे को पूरा करने के लिये उपाय करना जारी रखना चाहिये।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट: RBI

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) का 23वाँ अंक जारी किया।

- FSR जो कि द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित होती है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC- आरबीआई के गवर्नर की अध्यक्षता में) की उप-समिति द्वारा वित्तीय स्थिरता और वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन तथा जोखिम के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाती है।
- रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई है।

प्रमुख बिंदु:

कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रभाव:

- भारतीय बैंकों की बैलेंस शीट पर कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रभाव पहले की तुलना में कम रहा है और पूंजी बफर भविष्य के झटकों का सामना करने के लिये यथोचित है।
  - एक पूंजी बफर आवश्यक भंडार होता है जो नियामकों द्वारा घोषित वित्तीय संस्थानों द्वारा रखा जाता है। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में बैंकिंग संगठनों को अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के साधन के रूप में डिज़ाइन किये गए हैं।
- कोविड-19 की दूसरी लहर ने आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया है, लेकिन मौद्रिक, नियामक और राजकोषीय नीति उपायों ने वित्तीय संस्थाओं के सॉल्वेंसी जोखिम को कम करने, बाज़ारों को स्थिर करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद की है।
  - ऋणशोधन जोखिम, उपलब्ध पूंजी के साथ सभी प्रकार के जोखिमों से उत्पन्न नुकसान को अवशोषित करने में असमर्थ होने का जोखिम है।

वैश्विक रिकवरी:

- निरंतर नीति समर्थन, अनुकूल वित्तीय स्थिति और टीकाकरण की गति एक असमान वैश्विक सुधार का समर्थन कर रही हैं।
- नीतिगत समर्थन ने बैंकों की वित्तीय स्थिति को मज़बूत करने में मदद की है, जिसमें गैर-निष्पादित ऋण शामिल हैं जो कि वैश्विक स्तर पर शोधन क्षमता और तरलता बनाए रखते हैं।

नए जोखिम:

- जब रिकवरी चल रही होती है, नए जोखिम सामने आते हैं जो इस प्रकार हैं:
  - उदीयमान और सुधार की स्थिति (अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार)।
  - अर्थव्यवस्था की सुभेद्यता और भविष्य में महामारी की लहरों के प्रति संवेदनशीलता।
  - अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी की कीमतें और मुद्रास्फीति दबाव।
  - उच्च अनिश्चितता के बीच वैश्विक स्पिलओवर।
  - डेटा उल्लंघनों और साइबर हमलों की बढ़ती घटनाएँ।

सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात:

- भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात 2021-22 के अंत तक बढ़कर 11.2 फीसदी तक पहुँच सकता है, जो मार्च 2021 में 7.48% था।
  - बेसलाइन परिदृश्य के तहत SCBs का GNPA अनुपात मार्च 2022 तक बढ़कर 9.8% हो सकता है।
- जहाँ बेहतर रेटिंग वाले बड़े उधारकर्त्ताओं के प्रति बैंकों का एक्सपोज़र घट रहा है, वहीं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) तथा खुदरा क्षेत्रों में तनाव के शुरुआती संकेत हैं।
- बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) में उपभोक्ता ऋण की मांग में कमी आई है, खुदरा उधारकर्त्ताओं के जोखिम प्रोफाइल में कुछ गिरावट स्पष्ट हो रही है।

- संपत्ति, वाहन या अन्य संपत्ति जैसे- आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने के लिये खुदरा ऋण प्रदान किया जाता है।

CRAR & PCR:

- बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान खुद को अच्छी तरह से भुनाने में कामयाबी हासिल की है, जिससे उन्हें दबाव की स्थितियों में भी पर्याप्त पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने में मदद मिली है।
- मार्च 2021 में SCBs का जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात (CRAR) बढ़कर 16.03% हो गया और 'प्रोविज़निंग कवरेज अनुपात' (PCR) 68.86% हो गया।

ऋणों का पुनर्गठन:

- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान RBI ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित कर्जदारों की सहायता के लिये एकमुश्त पुनर्गठन योजना शुरू की थी।
- इस योजना को दिसंबर 2020 तक लागू किया जाना था और खुदरा उधारकर्त्ताओं के लिये 90 दिनों के भीतर तथा कॉर्पोरेट उधारकर्त्ताओं के लिये 180 दिनों के भीतर लागू किया जाना था।
- मार्च 2021 तक कुल बैंक अग्रिम (ऋण) का 0.9% पुनर्गठन के अधीन था।
  - MSMEs का पुनर्गठन अनुपात 1.7% पर उच्चतम था।
  - कॉर्पोरेट उधारकर्त्ताओं का कुल अग्रिमों का 0.9% का पुनर्संरचित अनुपात था।
  - कुल खुदरा अग्रिमों का 0.7% पुनर्संरचित किया गया।

सुझाव:

- बैलेंस शीट तनाव:
  - बैंकों को अपनी पूंजी और तरलता की स्थिति को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि संभावित बैलेंस शीट तनाव के खिलाफ खुद को मज़बूत किया जा सके।
- नीति समर्थन:
  - वित्तीय संस्थाओं द्वारा निरंतर नीतिगत समर्थन और साथ ही पूंजी एवं चलनिधि बफर का बढ़ा हुआ सुदृढ़ीकरण महत्त्वपूर्ण है।
- वित्तीय ज़रूरतें:
  - मज़बूत पूंजी स्थिति, सुशासन और वित्तीय मध्यस्थता में दक्षता इस प्रयास के मापदंड हो सकते हैं ताकि अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, जबकि बैंकों और वित्तीय संस्थानों की अखंडता और सुदृढ़ता स्थायी आधार पर सुरक्षित हो।

गैर-निष्पादित परिसंपत्ति

- NPA उन ऋणों या अग्रिमों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है जो डिफॉल्ट हैं या मूलधन या ब्याज के भुगतान बकाया है।
- ज़्यादातर मामलों में ऋण को गैर-निष्पादित के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब ऋण का भुगतान न्यूनतम 90 दिनों की अवधि में नहीं किया गया हो।
- सकल गैर-निष्पादित संपत्ति उन सभी ऋणों का योग है जो वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा नहीं चुकाए गए हैं।
- निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ वह राशि है जो सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों से कटौती के बाद प्राप्त होती है।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात:

- यह जोखिम भारित आस्तियों और चालू देनदारियों के संबंध में बैंक की पूंजी का अनुपात है। इसे कैपिटल-टू-रिस्क वेटेड एसेट रेशियो (CRAR) के रूप में भी जाना जाता है।
- वाणिज्यिक बैंकों को अतिरिक्त लीवरेज लेने और प्रक्रिया में दिवालिया होने से रोकने के लिये केंद्रीय बैंकों द्वारा यह निर्णय लिया जाता है।

प्रोविज़निंग कवरेज अनुपात:

- यह खराब ऋणों के कारण संभावित नुकसान को कवर करने के लिये बैंकों द्वारा अलग रखी जाने वाली निधियों के निर्धारित प्रतिशत को संदर्भित करता है।

विदेशी मुद्रा भंडार

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक के हालिया आँकड़ों के मुताबिक 25 जून, 2021 को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5 बिलियन डॉलर बढ़कर 609 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है।

- विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (FCA) में वृद्धि समग्र भंडार का प्रमुख घटक है।

प्रमुख बिंदु

विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी:

- विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति (FCA) 4.7 अरब डॉलर बढ़कर 566 अरब डॉलर पर पहुँच गई है।
- सोने का भंडार 365 मिलियन डॉलर बढ़कर 36.296 बिलियन डॉलर पर पहुँच गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ विशेष आहरण अधिकार (SDRs) 1.498 अरब डॉलर पर अपरिवर्तित है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ देश का रिज़र्व ट्रेंच सप्ताह में मामूली 10 लाख डॉलर बढ़कर 4.965 अरब डॉलर हो गया है।

विदेशी मुद्रा भंडार:

- विदेशी मुद्रा भंडार का आशय केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित संपत्ति से होता है, जिसमें बॉण्ड, ट्रेज़री बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल होती हैं।
  - गौरतलब है कि अधिकांश विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी डॉलर में आरक्षित किये जाते हैं।
- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल हैं:
  - विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ
  - स्वर्ण भंडार
  - विशेष आहरण अधिकार (SDR)
  - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ रिज़र्व ट्रेंच

विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने का उद्देश्य:

- मौद्रिक और विनिमय दर प्रबंधन के लिये नीतियों का समर्थन तथा उनमें विश्वास बनाए रखना।
- राष्ट्रीय मुद्रा के समर्थन में हस्तक्षेप करने की क्षमता प्रदान करता है।
- यह संकट के समय या जब ऋण तक पहुँच में कटौती की स्थिति में नुकसान को कम करने के लिये विदेशी मुद्रा तरलता को बनाए रखते हुए बाह्य भेद्यता को सीमित करता है।

बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार का महत्त्व:

- सरकार के लिये आरामदायक स्थिति: बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार भारत के बाहरी और आंतरिक वित्तीय मुद्दों के प्रबंधन में सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को सुविधा प्रदान करता है।
- संकट का प्रबंधन: यह आर्थिक मोर्चे पर भुगतान संतुलन (Balance of Payment) को लेकर संकट की स्थिति में मदद करता है।
- रुपए के मूल्य में अभिवृद्धि (Appreciation): भारत के विदेशी मुद्रा के बढ़ते भंडार ने डॉलर के मुकाबले रुपए को मज़बूती प्रदान करने में मदद की है।
- बाज़ार में विश्वास: यह भंडार बाज़ारों और निवेशकों को विश्वास का स्तर प्रदान करेगा जिससे एक देश अपने बाहरी दायित्वों को पूरा कर सकता है।

विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (FCA):

- FCA ऐसी संपत्तियाँ हैं जिनका मूल्यांकन देश की स्वयं की मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा के आधार पर किया जाता है।

- FCA विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक है। इसे डॉलर के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- FCA में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्रा की कीमतों में उतार-चढ़ाव या मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल है।

विशेष आहरण अधिकार (SDRs)

- विशेष आहरण अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिये अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था।
- SDR न तो एक मुद्रा है और न ही IMF पर इसका दावा किया जा सकता है। बल्कि यह IMF के सदस्यों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं पर एक संभावित दावा है। इन मुद्राओं के लिये SDR का आदान-प्रदान किया जा सकता है।
- SDR के मूल्य की गणना 'बास्केट ऑफ करेंसी' में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर की जाती है। इस बास्केट में पाँच देशों की मुद्राएँ शामिल हैं- अमेरिकी डॉलर, यूरोप का यूरो, चीन की मुद्रा रॅन्मिन्बी, जापानी येन और ब्रिटेन का पाउंड।
- विशेष आहरण अधिकार ब्याज (SDRi) सदस्य देशों को उनके द्वारा धारण किये जाने वाले SDR पर मिलने वाला ब्याज है।

IMF के पास रिज़र्व ट्रेंच

- रिज़र्व ट्रेंच वह मुद्रा होती है जिसे प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को प्रदान किया जाता है और जिसका उपयोग वे देश अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिये कर सकते हैं।
- रिज़र्व ट्रेंच मूलत: एक आपातकालीन कोष होता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों द्वारा बिना किसी शर्त पर सहमत हुए अथवा सेवा शुल्क का भुगतान किये किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है।

स्वतंत्र निदेशकों के लिये नए मानदंड

चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित कड़े मानदंडों को मंज़ूरी दे दी है और अन्य उपायों के साथ-साथ मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिये एक रूपरेखा प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है।

- सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित एक वैधानिक निकाय है। सेबी का मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाज़ार को बढ़ावा देने के साथ ही इसे विनियमित करना है।

प्रमुख बिंदु:

स्वतंत्र निदेशक:

- शेयरधारकों द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से ही स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जा सकती है। एक विशेष प्रस्ताव को पारित होने के पक्ष में 75% मतों की आवश्यकता होती है।
- नियामक ने स्वतंत्र निदेशक बनने के लिये आवश्यक कौशल प्रकटीकरण आवश्यकताओं को भी विस्तृत और मज़बूत किया है।
- निदेशक मंडल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति, जो नियुक्तियों और मुआवजे से संबंधित निर्णय लेती है एवं लेखा परीक्षा समिति में अब साधारण बहुमत की तुलना में दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिये।
  - संबंधित पार्टी के सभी लेन-देन (एक कंपनी और उसकी संबंधित संस्थाओं के बीच) को ऑडिट समिति में केवल स्वतंत्र निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- साथ ही एक सूचीबद्ध कंपनी को एक स्वतंत्र निदेशक के त्यागपत्र का खुलासा करना आवश्यक होगा।
  - साथ ही एक स्वतंत्र निदेशक के लिये एक ही कंपनी/होल्डिंग/सहायक/सहयोगी कंपनी या प्रमोटर समूह से संबंधित किसी भी कंपनी में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में संक्रमण के लिये एक वर्ष की 'कूलिंग अवधि' होगी।

स्वतंत्र निदेशक

- स्वतंत्र निदेशक (जिसे प्राय: बाह्य निदेशक के रूप में भी जाना जाता है) अल्पसंख्यक शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक मंडल में शामिल एक निदेशक होता है और जिसका कंपनी या संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई आर्थिक संबंध (बैठक शुल्क के अतिरिक्त) नहीं होता है।
- स्वतंत्र निदेशक का प्राथमिक कार्य स्वतंत्र पक्ष लेना होता है, ताकि बहुसंख्यक शेयरधारकों पर नियंत्रण और संतुलन स्थापित किया जा सके, जो कंपनी को अनुचित जोखिमों में डाल सकता है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 ने सभी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों के लिये कुल निदेशकों में से कम-से-कम एक-तिहाई को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना अनिवार्य किया है।
- स्वतंत्र निदेशक के तौर पर उनकी भूमिका उन्हें सैद्धांतिक होने को मजबूर करती है, वहीं व्यवसाय उनसे व्यावहारिक होने की उम्मीद करता है, जिसके कारण उनके लिये संतुलन स्थापित करना चुनौतीपूर्ण होता है।

मान्यता प्राप्त निवेशक

- सेबी ने समृद्ध एवं जानकार निवेशकों की इस नई श्रेणी को मंज़ूरी दी है, जिन्हें जोखिम वाले उत्पादों में निवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जबकि आमतौर पर निजी व्यक्तियों को इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।
- ये संस्थाएँ (मान्यता प्राप्त निवेशक) व्यक्ति, पारिवारिक ट्रस्ट, स्वामित्व आदि हो सकती हैं।
- उन्हें सेबी के नियमों में अनिवार्य न्यूनतम राशि से कम निवेश करने की छूट दी जाएगी और कुछ हद तक नियामक आवश्यकताओं से छूट भी मिलेगी।
- यह 'वैकल्पिक निवेश कोष' (AIFs) के आकर्षण को बढ़ाएगा।
  - 'वैकल्पिक निवेश कोष' का आशय भारत में स्थापित किसी भी ऐसे फंड से है, जो अपने निवेशकों के लाभ के लिये एक परिभाषित निवेश नीति के अनुसार निवेश करने हेतु परिष्कृत निवेशकों, चाहे भारतीय हो या विदेशी, से धन एकत्र करता है।

अन्य महत्त्वपूर्ण परिवर्तन:

- विभिन्न भुगतान माध्यमों का उपयोग करके निवेशकों को सार्वजनिक/अधिकार के मुद्दों में भाग लेने हेतु आसान पहुँच प्रदान करने तथा सेबी ने अनुसूचित बैंकों के अलावा अन्य बैंकों को ऐसे मुद्दों के लिये बैंकर के रूप में कार्य करने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया है।
  - प्रारंभिक और अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्तुतीकरण के विपरीत राइट्स इश्यू आम जनता हेतु नहीं बल्कि कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों के लिये खुला है।
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध नियमन के तहत सूचना देने वालों के लिये इनाम की राशि को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अधिकतम 10 करोड़ रुपए कर दिया है।
  - इनसाइडर ट्रेडिंग में किसी सार्वजनिक कंपनी के स्टॉक में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा व्यापार करना शामिल है जिसके पास किसी भी कारण से उस स्टॉक के बारे में गैर-सार्वजनिक, भौतिक जानकारी है।
- नियामक ने अपने म्यूचुअल फंड नियमों में संशोधन को भी मंज़ूरी दे दी है, जिसके लिये परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (AMC) को जोखिम वाली योजनाओं (नए फंड) में अधिक धन का उपयोग करने की आवश्यकता होती है।
  - वर्तमान में AMC को नए फंड ऑफर में एकत्रित की गई राशि का केवल 1% या 50 लाख रुपए, जो भी कम हो, का निवेश करना होता है।
- नए मानदंड 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होंगे।

महत्त्व:

- ये परिवर्तन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कार्यों को मज़बूत करने के साथ-साथ अधिक निवेशकों को आकर्षित करना चाहते हैं।
- यह कॉरपोरेट कार्यालय (Boardroom) में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हित को बनाए रखने में मदद करेगा जहाँ उनका प्रतिनिधित्व न्यूनतम है।

- आशा है कि इसके माध्यम से स्वतंत्र निदेशक वास्तव में 'स्वतंत्र' हो सकेंगे और उनके पास केवल नाम की स्वतंत्रता नहीं होगी।

एंटी-मेथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट: हरित धारा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research- ICAR) ने 'हरित धारा' (Harit Dhara) नामक एक एंटी-मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट (Anti-Methanogenic Feed Supplement) विकसित किया है, जो मवेशियों द्वारा किये जाने वाले मीथेन उत्सर्जन में 17-20% की कटौती कर सकता है और इसके परिणामस्वरूप दूध का उत्पादन भी बढ़ सकता है।

प्रमुख बिंदु

हरित धारा के विषय में:

- हरित धारा हाइड्रोजन उत्पादन के लिये ज़िम्मेदार आमाशय/रुमेण (Rumen) में प्रोटोजोआ रोगाणुओं की आबादी को कम करता है और मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) की कमी हेतु आर्किया (बैक्टीरिया समान संरचना) को उपलब्ध कराता है।
- इसे टैनिन युक्त पौधों पर आधारित स्रोतों से बनाया गया है। टैनिन, कड़वे और कसैले रासायनिक यौगिकों वाले उष्णकटिबंधीय पौधों को रुमेण से प्रोटोजोआ को हटाने के लिये जाना जाता है।
- हरित धारा का उपयोग करने के बाद किण्वन अधिक प्रोपियॉनिक अम्ल (Propionic Acid) का उत्पादन करने में मदद करेगा, जो लैक्टोज (दूध शर्करा) के उत्पादन और शरीर के वज़न को बढ़ाने के लिये अधिक ऊर्जा प्रदान करता है।

मवेशियों में मीथेन का उत्पादन:

- रुमेण, चार कोष्ठ (Stomachs) में से पहला है जहाँ मवेशी द्वारा खाए गए पदार्थ का सेलूलोज़, फाइबर, स्टार्च, शर्करा आदि पचता है। ये आगे पाचन और पोषक तत्त्वों के अवशोषण से पहले सूक्ष्मजीवों द्वारा किण्वित कर दिये जाते हैं।
- कार्बोहाइड्रेट किण्वन से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का उत्पादन होता है। इनका उपयोग रुमेण में मौजूद रोगाणुओं (आर्किया) द्वारा मीथेन का उत्पादन करने के लिये किया जाता है।

मवेशियों द्वारा मीथेन उत्सर्जन:

- वैश्विक स्तर पर कुल 90 मिलियन टन से अधिक पशुधन में से भारत में बेल्चिंग मवेशी, भैंस, भेड़ तथा बकरियाँ वार्षिक अनुमानित 9.25 मिलियन टन से 14.2 मिलियन टन मीथेन का उत्सर्जन करती हैं।
- 2019 की पशुधन जनगणना के अनुसार भारत की मवेशियों की आबादी में 193.46 मिलियन गाय के साथ-साथ 109.85 मिलियन भैंसे, 148.88 मिलियन बकरियाँ, 74.26 मिलियन भेड़ें थी।
- बड़े पैमाने पर कृषि अवशेषों- गेहूँ / धान की भूसी और मक्का, ज्वार या बाजरा को चारे के रूप में खिलाए जाने के कारण भारत में जुगाली करने वाले पशु अपने समकक्ष औद्योगिक देशों की तुलना में 50-100% अधिक मीथेन का उत्पादन करते हैं, जिन्हें अधिक आसानी से किण्वित / पचने योग्य सांद्रता, साइलेज और हरा चारा दिया जाता है।
- मीथेन की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता इसे 100 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) का 25 गुना अधिक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस बनाती है।

पशुधन से संबंधित सरकारी पहल:

- पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF): इसकी स्थापना डेयरी प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और पशु आहार इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश को सपोर्ट करने के लिये की गई थी।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन: इसका उद्देश्य गोजातीय आबादी की स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है, साथ ही दूध उत्पादन को बढ़ाना और इसे किसानों के लिये अधिक लाभकारी बनाना है।

- राष्ट्रीय पशुधन मिशन: इसे वर्ष 2014-15 में पशुधन उत्पादन प्रणालियों और सभी हितधारकों के क्षमता निर्माण में मात्रात्मक तथा गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने के लिये शुरू किया गया था।
- राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम: इसे कुछ रोगों के प्रसार को रोकने के लिये शुरू किया गया था जो कि जननांग प्रकृति के होते हैं, जिससे नस्ल की दक्षता में वृद्धि होती है।

एंटी-डंपिंग ड्यूटी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने चीन, थाईलैंड, कोरिया और तीन अन्य देशों से तांबे के कुछ उत्पादों के आयात पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी (Anti-Dumping Duty- ADD) नहीं लगाने का फैसला किया है।

प्रमुख बिंदु:

संदर्भ:

- अप्रैल में व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) ने एक जाँच के बाद चीन, कोरिया, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड से "कॉपर और कॉपर अलॉय फ्लैट-रोल्ड उत्पादों" के आयात पर शुल्क लगाने की सिफारिश की।
- हालाँकि वित्त मंत्रालय इन सिफारिशों को लागू करने के लिये अंतिम निर्णय लेता है और उसी के आधार पर अधिसूचना जारी करता है।

डंपिंग:

- एंटी-डंपिंग ड्यूटी (अवधारणा):
  - डंपिंग का अभिप्राय किसी देश के निर्माता द्वारा किसी उत्पाद को या तो इसकी घरेलू कीमत से नीचे या उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसी दूसरे देश में निर्यात करने से है।
  - यह एक अनुचित व्यापार प्रथा है जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विकृत प्रभाव पड़ सकता है।
- उद्देश्य:
  - एंटी-डंपिंग शुल्क डंपिंग को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में समानता स्थापित करने के लिये लगाया जाता है।
    - लंबी अवधि में एंटी-डंपिंग ड्यूटी समान वस्तुओं का उत्पादन करने वाली घरेलू कंपनियों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा को कम कर सकती है।
  - यह एक संरक्षणवादी टैरिफ है जिसे एक देश की सरकार द्वारा विदेशी आयातों पर लगाया जाता है, जिसका अर्थ है कि इसकी कीमत उचित बाज़ार मूल्य से कम है।
  - विश्व व्यापार संगठन द्वारा उचित प्रतिस्पर्द्धा के साधन के रूप में डंपिंग-रोधी उपायों के उपयोग की अनुमति दी गई है।
- काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी-डंपिंग ड्यूटी के बीच अंतर:
  - 'एंटी-डंपिंग ड्यूटी' आयात पर अधिरोपित वह सीमा शुल्क है, जो सामान्य मूल्य से काफी कम कीमतों पर माल की डंपिंग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि 'काउंटर वेलिंग ड्यूटी' ऐसी वस्तुओं पर अधिरोपित की जाती है, जिन्हें मूल या निर्यात करने वाले देश में सरकारी सब्सिडी प्राप्त हुई है।
- 'एंटी-डंपिंग ड्यूटी' से संबंधित विश्व व्यापार संगठन के प्रावधान:
  - वैधता: एक एंटी-डंपिंग शुल्क इसके लागू होने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिये वैध रहता है, यदि इसे वैधता अवधि से पूर्व रद्द नहीं किया गया हो।
  - 'सनसेट रिव्यू': इसे सनसेट या समाप्ति समीक्षा जाँच के माध्यम से पाँच वर्ष की अवधि के लिये और बढ़ाया जा सकता है।
  - सनसेट रिव्यू या समाप्ति समीक्षा का अभिप्राय किसी एक विशिष्ट कार्यक्रम, गतिविधि या एक एजेंसी के निरंतर अस्तित्व में रहने की आवश्यकता और उसके मूल्यांकन से है। यह प्रक्रिया उस विशिष्ट कार्यक्रम या एजेंसी की प्रभावशीलता एवं प्रदर्शन का आकलन करने की अनुमति देती है।

- इस प्रकार की 'स्वत: संज्ञान' के माध्यम से या घरेलू उद्योग अथवा उस घरेलू उद्योग की ओर से प्राप्त विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर इसे शुरू किया जा सकता है।

व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR)

- यह सभी डंपिंग-रोधी, काउंटरवेलिंग शुल्क और अन्य व्यापार सुधारात्मक उपायों को लागू करने के लिये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राधिकरण है।
- यह घरेलू उद्योग और निर्यातकों को अन्य देशों द्वारा उनके खिलाफ लागू किये गए व्यापार उपायों की जाँच के बढ़ते मामलों से निपटने में सहायता प्रदान करता है।

उत्पादन समझौता: ओपेक+

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने 'पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन प्लस' (ओपेक+) समूह द्वारा अप्रैल 2022 के बाद तेल उत्पादन में कटौती करने हेतु वैश्विक समझौते का विस्तार करने की योजना को अनुचित ठहराते हुए इसे समाप्त करने पर ज़ोर दिया है।

प्रमुख बिंदु

उत्पादन समझौता और तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव:

- 'पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन प्लस' (ओपेक+) समूह ने अप्रैल 2020 में दो वर्षीय उत्पादन समझौता (आउटपुट पैक्ट) किया था, जिसमें कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप तेल की कीमत में तीव्र गिरावट से निपटने के लिये कच्चे तेल के उत्पादन में भारी कटौती की बात की गई थी।
  - अप्रैल 2020 में ब्रेंट क्रूड ऑइल की कीमत 18 वर्ष के सबसे निचले स्तर पर 20 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से भी कम हो गई थी, क्योंकि महामारी के कारण दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियाँ काफी प्रभावित हुई थीं और तमाम देश महामारी से निपटने का प्रयास कर रहे थे।
- इसके पश्चात् नवंबर 2020 में कीमतें बढ़ने लगीं और जुलाई 2021 में वे 76.5 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुँच गई, इसके लिये मुख्य तौर से दुनिया भर में टीकाकरण कार्यक्रमों के स्थिर रोलआउट को उत्तरदायी माना जा सकता है।
- हालाँकि ओपेक+ समूह में शामिल देशों ने कच्चे तेल की कीमतें पूर्व-कोविड स्तर तक पहुँचने के बावजूद उत्पादन के निचले स्तर को बनाए रखा, साथ ही सऊदी अरब ने विशेष तौर पर फरवरी से अप्रैल की अवधि के बीच उत्पादन में प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल की और अधिक कटौती करने की घोषणा कर दी, जिससे कीमतों में और अधिक वृद्धि हुई।
  - इसके पश्चात् ओपेक+ समूह को भारत सहित तमाम विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से कीमतों को बढ़ाने के लिये जान-बूझकर कम आपूर्ति स्तर बनाए रखने हेतु आलोचना का सामना करना पड़ा।
- अप्रैल माह में ओपेक+ समूह ने कच्चे तेल के उत्पादन में धीरे-धीरे वृद्धि करने पर सहमति व्यक्त की थी, जिसमें जुलाई तक उत्पादन में सऊदी अरब के 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कटौती का चरणबद्ध अंत भी शामिल है।

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की आपत्ति:

- UAE ने सहमति व्यक्त की है कि अगस्त 2021 से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है, परंतु वह ओपेक की संयुक्त मंत्रिस्तरीय निगरानी समिति (JMMC) की दो वर्ष के उत्पादन समझौते को छह महीने तक बढ़ाए जाने वाली शर्त से सहमत नहीं था।
- मौजूदा समझौते पर UAE की प्रमुख आपत्ति प्रत्येक तेल-निर्यातक देश के लिये कुल उत्पादन की गणना हेतु उपयोग किया जाने वाला संदर्भ आउटपुट है।
  - मौजूदा समझौते में प्रयोग किया गया बेसलाइन उत्पादन स्तर संदर्भ संयुक्त अरब अमीरात की उत्पादन क्षमता को प्रतिबिंबित नहीं करता था और इसलिये संयुक्त अरब अमीरात को कच्चे तेल के कुल उत्पादन का कम हिस्सा बाँटना पड़ा।

- यदि सभी पक्षों हेतु उचित आधारभूत उत्पादन स्तरों की समीक्षा की जाती है तो UAE समझौते का विस्तार करने के लिये तैयार होगा।

भारत पर OPEC+ संघर्ष का प्रभाव:

- विलंबित राहत:
  - यदि संयुक्त अरब अमीरात और अन्य ओपेक+ राष्ट्र अगस्त में उत्पादन बढ़ाने के लिये एक समझौते पर नहीं पहुँचते हैं तो कच्चे तेल की कम कीमतों के रूप में अपेक्षित राहत में देरी हो सकती है।
- उच्च घरेलू कीमतें:
  - भारत वर्तमान में पेट्रोल व डीज़ल की रिकॉर्ड उच्च कीमतों का सामना कर रहा है। कच्चे तेल की उच्च कीमतों के कारण भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने वर्ष 2021 की शुरुआत से पेट्रोल की कीमत में लगभग 19.3% और डीज़ल की कीमत में लगभग 21% की बढ़ोतरी की है।
- धीमी रिकवरी:
  - कच्चे तेल की उच्च कीमत महामारी के बाद विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक सुधार को धीमा कर रही थी।
- मुद्रास्फीति:
  - ऊँची कीमतों से चालू खाता घाटा भी बढ़ सकता है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव भी बढ़ सकता है।

पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन

ओपेक के विषय में:

- यह एक स्थायी, अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेज़ुएला द्वारा की गई थी।
- इस संगठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना तथा उपभोक्ता को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक व नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये तेल बाज़ारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना है।

मुख्यालय:

- वियना (आस्ट्रिया)।

सदस्यता:

- ओपेक की सदस्यता ऐसे किसी भी देश के लिये खुली है जो तेल का एक बड़ा निर्यातक है और संगठन के आदर्शों को साझा करता है।
- ओपेक के कुल 14 देश (ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो गणराज्य, अंगोला, इक्वाडोर और वेनेज़ुएला) सदस्य हैं।

ओपेक प्लस

- यह ओपेक सदस्यों और विश्व के 10 प्रमुख गैर-ओपेक तेल निर्यातक देशों का गठबंधन हैं:
  - अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कज़ाखस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान।

आत्मनिर्भर भारत: अवसर और चिंताएँ

चर्चा में क्यों?

यूके-इंडिया बिज़नेस काउंसिल (UKIBC) ने 'रोड टू ए यूके-इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट: एन्हांसिंग द पार्टनरशिप एंड अचीविंग सेल्फ-रिलायंस' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

- भारत में व्यापार करने को लेकर 'यूके-इंडिया बिज़नेस काउंसिल' के वार्षिक सर्वेक्षण के मुताबिक ब्रिटेन की 77 प्रतिशत कंपनियों का मानना है कि 'आत्मानिर्भर भारत अभियान' एक चुनौती के बजाय एक अवसर प्रदान करता है।

- हालाँकि परिषद ने अपनी रिपोर्ट में ज़ोर देते हुए कहा है कि 'आत्मनिर्भर अभियान' के तहत लागू कुछ सुधारों के कारण ब्रिटेन और सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

प्रमुख बिंदु

आत्मनिर्भर भारत अभियान द्वारा प्रस्तुत अवसर:

- 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' को वर्ष 2014 में शुरू किये गए 'मेक इन इंडिया' अभियान के विस्तार के रूप में देखा जाना चाहिये, क्योंकि ये दोनों ही अभियान घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विनिर्माण निवेश हासिल करने के उद्देश्य को साझा करते हैं।
- इस अभियान के हिस्से के रूप में घोषित पैकेज के तहत भारतीय समाज के संवेदनशील और वंचित वर्गों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs), कृषि क्षेत्र के लिये तथा व्यवसायों हेतु नियमों को आसान बनाने और अर्थव्यवस्था का समर्थन करने हेतु अन्य समाधानों की एक शृंखला हेतु कई वित्तीय सहायता उपायों की पेशकश की गई थी।
- इस अभियान ने विदेशी निवेशकों के लिये रक्षा, परमाणु ऊर्जा, कृषि, बीमा, स्वास्थ्य सेवा और नागरिक उड्डयन सहित कई क्षेत्रों में निवेश के अवसर प्रदान किये हैं।

बढ़ती चिंता:

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश का कम होना: इस कार्यक्रम के कुछ पहलुओं जैसे- आयात एवं आयात प्रतिस्थापन पर टैरिफ व गैर-टैरिफ प्रतिबंध में वृद्धि आदि में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश को कम करने की क्षमता है।
  - गैर-टैरिफ बैरियर, जैसे- कोटा (Quota), अधिरोध (Embargo) या सैंक्शन (Sanction) आदि व्यापार अवरोधक हैं, जिनका उपयोग देश अपने राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिये करते हैं।
  - देश मानक टैरिफ बैरियर (जैसे सीमा शुल्क) के स्थान पर गैर-टैरिफ बैरियर का उपयोग कर सकते हैं।
- DISCOMS द्वारा तदर्थ नीति में परिवर्तन: बिजली वितरण कंपनियाँ (DISCOMS) और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के मामले में बिजली खरीद समझौतों पर दुबारा बातचीत करने के लिये तदर्थ (Ad-Hoc) परिवर्तनों को अपनाती हैं।
- नीतिगत मुद्दे: भारत की बौद्धिक संपदा प्रवर्तन व्यवस्था में कठिनाइयाँ, फार्मा क्षेत्र के नियमों में अंतराल, दवा मूल्य नियंत्रण और डेटा स्थानीयकरण तथा शासन से संबंधित मानदंड।
  - डेटा स्थानीयकरण (देश की सीमाओं के भीतर डेटा संग्रहीत करना) वैश्विक आपूर्ति शृंखला तक पहुँच सीमित करके स्थानीय कंपनियों की वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा करने की क्षमता को सीमित कर सकता है।
  - इससे निवेश, पूंजी और ग्राहकों तक पहुँच में कमी हो सकती है।
- अंतरिक्ष क्षेत्र में : अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी निवेशकों के लिये खोलना एक महत्त्वपूर्ण कदम था, लेकिन इससे जुड़ी प्रक्रियाओं से संबंधित कई पहलुओं के बारे में 'स्पष्टता की कमी' थी।
  - भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र (IN-SPACe) भारतीय अंतरिक्ष अवसंरचना का उपयोग करने हेतु निजी क्षेत्र की कंपनियों को समान अवसर उपलब्ध कराएगा।
- रक्षा क्षेत्र में: रक्षा उपकरणों की 101 वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध को 4 वर्ष की अवधि तक या वर्ष 2024 तक लागू करने की योजना है।
  - इसके अतिरिक्त रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 में परिवर्तन के कारण यह संभावना सुनिश्चित की गई है कि इस सूची में कोई भी वस्तु कट-ऑफ तिथि से आगे आयात नहीं की जाती है।
  - इससे भारत में विदेशी निवेश प्रभावित हो सकता है।

सुझाव :

- भविष्य की रणनीति बनाना :
  - एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण जो क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं और स्थान संबंधी निर्णय लेने पर विचार करता है, सफल होने के लिये आवश्यक है।
- भारत में मुक्त और निष्पक्ष व्यापार हेतु खुलेपन को बढ़ावा देना :

- भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों को भारत में निवेश करने और मेक इन इंडिया को एक उपकरण के रूप में टैरिफ का उपयोग करने के बजाय अपनी क्षमता के कारण निवेशकों को आकर्षित करना चाहिये।

- नवोन्मेषकों के विकास और समर्थन पर ध्यान देना :
  - STEM, डिजिटल, रचनात्मक और महत्त्वपूर्ण विचार कौशल पर ध्यान केंद्रित करने से यह ऐसे नेतृत्त्वकर्त्ताओं और कार्यकर्ताओं का निर्माण करेगा जो नवाचार कर सकते हैं तथा समस्याओं को हल कर सकते हैं।
  - भारत को एक नवप्रवर्तक-अनुकूल बौद्धिक संपदा नीति और प्रवर्तन व्यवस्था भी विकसित करनी चाहिये।
- डिजिटल और डेटा:
  - वैश्विक व्यापार में डिजिटल और डेटा सेवाओं का तीव्रता से बढ़ते महत्त्व के साथ भारत के समक्ष अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक बाज़ारों के साथ पूरी तरह से एकीकृत होने का अवसर उपलब्ध है।
  - भारत को अपनी विकास क्षमता को प्राप्त करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence), डिजिटल तकनीक (Digital Technology) और डेटा के मौजूद अवसरों का दोहन करने के लिये इन क्षेत्रों में सक्रिय रूप से निवेश करना जारी रखना चाहिये।
- भारत की व्यापार और निवेश रणनीति को स्थिरता प्रदान करना :
  - अगर व्यापारिक व्यवस्थाओं को सही ढंग से आकार दिया जाए, तो ये संस्थाएँ गरीबों का समर्थन करने और पर्यावरण की रक्षा करने में मदद कर सकती हैं।
  - देश और विभिन्न व्यापरिक समूह इस तथ्य से अवगत हैं तथा वे अपने व्यापार समझौतों और रणनीतियों में स्थिरता और मानवाधिकारों को तेज़ी से एकीकृत कर रहे हैं।

आत्मनिर्भर भारत अभियान:

- मई 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के इस कार्यक्रम को आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के साथ शुरू किया गया था - जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करना था।
  - वर्ष 2019-20 हेतु घोषित आर्थिक पैकेज भारत के सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP) का 10% था।
  - 20 लाख करोड़ रुपए की धनराशि में RBI के उपायों और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana) के तहत भुगतान को शामिल करते हुए लॉकडाउन की शुरुआत में पहले से घोषित पैकेज शामिल हैं।
  - उम्मीद है कि इस पैकेज का उपयोग भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु किया जाएगा।

लक्ष्य:

- इसका उद्देश्य वैश्विक बाज़ार में हिस्सेदारी हासिल करने हेतु सुरक्षा अनुपालन और सामानों की गुणवत्ता में सुधार करते हुए प्रतिस्थापन पर ध्यान केंद्रित करके आयात निर्भरता को कम करना है।
- आत्मनिर्भरता न तो किसी बहिष्करण या अलगाववादी रणनीतियों का प्रतीक है बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर एक सहायता के रूप में देखे जाने की ज़रूरत है।
- मिशन "स्थानीय" उत्पादों को बढ़ावा देने के महत्त्व पर केंद्रित है।

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स

चर्चा में क्यों?

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) ने 'ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स' (ONDC) परियोजना के लिये एक सलाहकार समिति नियुक्त करने के आदेश जारी किये हैं, जिसका उद्देश्य "डिज़िटल एकाधिकार" को रोकना है।

- यह ई-कॉमर्स प्रक्रियाओं को ओपन सोर्स बनाने की दिशा में एक कदम है, इस प्रकार एक ऐसा मंच तैयार किया जा रहा है जिसका उपयोग सभी ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं द्वारा किया जा सकता है।
- इससे पहले, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण के लिये ई-कॉमर्स नियमों का मसौदा जारी किया था, जिसमें ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस जैसे- अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट छोटे व्यवसायों द्वारा शिकायत (कि ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस बाज़ार के प्रभुत्व का दुरुपयोग करते हैं तथा एक अनुचित लाभ हासिल करने के लिये गहरी छूट देते हैं।) किये जाने के बाद कैसे काम करते हैं, में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं।

प्रमुख बिंदु:

परिचय:

- ONDC का उद्देश्य किसी विशिष्ट प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्र, खुले विनिर्देशों और ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए ओपन-सोर्स पद्धति पर विकसित ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना है।
- ओपन-सोर्स तकनीक पर आधारित नेटवर्क के माध्यम से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एकीकृत करने की परियोजना को भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India) को सौंपा गया है।
- ONDC जिसका कार्यान्वयन एकीकृत भुगतान प्रणाली (UPI) की तर्ज पर होने की उम्मीद है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा किये गए विभिन्न परिचालन पहलुओं को समान स्तर पर ला सकता है।
  - विभिन्न परिचालन पहलुओं में विक्रेताओं की ऑनबोर्डिंग, विक्रेता की खोज, मूल्य की खोज और उत्पाद सूचीकरण आदि शामिल हैं।
- ONDC पर खरीदार और विक्रेता इस तथ्य के बावजूद लेन-देन कर सकते हैं कि वे एक विशिष्ट ई-कॉमर्स पोर्टल से जुड़े हुए हैं।

महत्त्व:

- यदि 'ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स' (ONDC) को अनिवार्य रूप से लागू किया जाता है, तो इसका अर्थ यह होगा कि सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को समान प्रक्रियाओं (जैसे एंड्रॉइड आधारित मोबाइल डिवाइस आदि) का उपयोग करना होगा।
- यह छोटे ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं और नए प्रवेशकों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है।
  - हालाँकि यदि इसे अनिवार्य किया जाता है तो यह बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिये समस्यायुक्त हो सकता है, जिनके पास ई-कॉमर्स क्षेत्र में संचालन के लिये पहले से ही प्रक्रियाएँ और तकनीक मौजूद हैं।
- 'ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स' के माध्यम से संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को डिजिटाइज़ करने, संचालन का मानकीकरण करने, आपूर्तिकर्त्ताओं के समावेश को बढ़ावा देने, रसद में दक्षता प्राप्त करने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ प्रदान करने में मदद मिलेगी।

ओपन-सोर्स का अर्थ

- एक सॉफ्टवेयर या एक प्रक्रिया के ओपन-सोर्स होने का अर्थ है कि उसके कोड या उस प्रक्रिया के चरणों को दूसरों के उपयोग, पुनर्वितरण और संशोधन के लिये स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया जाता है।
  - उदाहरण के लिये 'एप्पल' कंपनी के 'iPhones' (iOS) का ऑपरेटिंग सिस्टम 'क्लोज़्ड सोर्स' है, जिसका अर्थ है कि इसे कानूनी रूप से संशोधित या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
  - वहीं दूसरी ओर गूगल का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम 'ओपन-सोर्स' है और इसलिये सैमसंग, श्याओमी, वनप्लस जैसे स्मार्टफोन निर्माताओं द्वारा इसे कुछ विशिष्ट संशोधनों के साथ प्रयोग किया जाता है।

भारत में ई-कॉमर्स संबंधी सरकारी पहल:

- उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

ई-कॉमर्स

- इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई-कॉमर्स एक व्यवसाय मॉडल है जो फर्मों और व्यक्तियों को इंटरनेट के माध्यम से चीजें खरीदने एवं बेचने की सुविधा देता है।

- स्मार्टफोन की बढ़ती पहुँच 4जी नेटवर्क के लॉन्च और बढ़ती उपभोक्ता संपत्ति से प्रेरित भारतीय ई-कॉमर्स बाज़ार के वर्ष 2026 तक 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है जो कि वर्ष 2017 में 38.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी।
- भारतीय ई-कॉमर्स उद्योग तेज़ी से विकास के पथ पर अग्रसर है और यह आशा व्यक्त की जा रही है वर्ष 2034 तक भारत, अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स बाज़ार बन जाएगा।

जीआई प्रमाणित भालिया गेहूँ: गुजरात

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भौगोलिक संकेत (GI) प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूँ की पहली खेप गुजरात से केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई है।

प्रमुख बिंदु

गेहूँ की भालिया किस्म

- गेहूँ की भालिया किस्म को जुलाई 2011 में भौगोलिक संकेत (GI) प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ था।
- गेहूँ की इस किस्म में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और यह स्वाद में मीठा होता है।
- यह फसल मुख्य तौर पर गुजरात के भाल क्षेत्र में उगाई जाती है जिसमें अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, भावनगर, सुरेंद्रनगर, भरूच ज़िले शामिल हैं।
- यह किस्म बिना सिंचाई के रेनशेड परिस्थितियों में उगाई जाती है।

गुजरात के अन्य GI उत्पाद हैं

- इस श्रेणी में नवीनतम उत्पाद पेठापुर की लकड़ी के प्रिंटिंग ब्लॉक शामिल हैं, वहीं अन्य उत्पादों में सांखेड़ा में बने फर्नीचर, खंभात से एगेट, कच्छ की कढ़ाई, सूरत से ज़री शिल्प, पाटन से पटोला साड़ी, जामनगर से बंधनी और गिर से केसर आम शामिल हैं।

भौगोलिक संकेत

- भौगोलिक संकेत (GI) एक प्रकार का विशिष्ट संकेतक है जिसका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न किसी विशिष्ट विशेषताओं वाले सामानों की पहचान करने हेतु किया जाता है।
  - इसका उपयोग कृषि, प्राकृतिक और विनिर्मित वस्तुओं के लिये किया जाता है।
- 'माल का भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999' भारत में माल से संबंधित भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है।
  - अधिनियम का संचालन पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक द्वारा किया जाता है, जो कि भौगोलिक संकेतकों का रजिस्ट्रार है।
  - भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है।
- भौगोलिक संकेत का पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि के लिये वैध होता है, हालाँकि इसे समय-समय पर 10-10 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिये नवीनीकृत किया जा सकता है।
- यह विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलुओं (TRIPS) का भी एक हिस्सा है।
- हाल के उदाहरण: झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग, तेलंगाना की तेलिया रुमाल, तिरूर वेटिला (केरल), डिंडीगुल लॉक और कंडांगी साड़ी (तमिलनाडु), ओडिशा रसगुल्ला, शाही लीची (बिहार) आदि।
- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) का ध्यान GI उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने पर है।
  - हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर ज़िले से दहानु घोलवड़ सपोटा की एक खेप का निर्यात किया गया था।

गेहूँ:

- यह रबी की फसल है जो अक्तूबर-दिसंबर में बोई जाती है और अप्रैल-जून में काटी जाती है।
- तापमान: तेज़ धूप के साथ 10-15 डिग्री सेल्सियस (बुवाई के समय) और 21-26 डिग्री सेल्सियस (पकने और कटाई के समय) के बीच।
- वर्षा: लगभग 75-100 सेमी।
- मृदा का प्रकार: अच्छी तरह से सूखी उपजाऊ दोमट और चिकनी दोमट (गंगा-सतलुज मैदान तथा दक्कन का काली मिट्टी क्षेत्र)।
- भारत में प्रमुख गेहूँ उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात हैं।
  - चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक है।
  - हरित क्रांति की सफलता ने रबी फसलों विशेषकर गेहूँ के विकास में योगदान दिया।
- कृषि हेतु मैक्रो प्रबंधन मोड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना गेहूँ की खेती का समर्थन करने के लिये कुछ सरकारी पहलें हैं।
- वित्त वर्ष 2020-21 में भारत से गेहूँ के निर्यात मूल्य में 808% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।
  - भारत ने वर्ष 2020-21 के दौरान सात नए देशों - यमन, इंडोनेशिया, भूटान, फिलीपींस, ईरान, कंबोडिया और म्याँमार को पर्याप्त मात्रा में अनाज का निर्यात किया।

अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes & Customs- CBIC) ने अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों (Authorised Economic Operators- AEO) के आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग की व्यवस्था शुरु की है।

- इस वेब एप्लीकेशन को समय-समय पर निगरानी एवं लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से वास्तविक समय में भौतिक रूप से दायर AEO एप्लीकेशंस की निरंतरता और डिजिटल निगरानी सुनिश्चित करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- AEO विश्व सीमा शुल्क संगठन (World Customs Organization- WCO) के तत्त्वावधान में एक कार्यक्रम (वर्ष 2007) है, जो वैश्विक व्यापार को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने हेतु मानकों का एक सुरक्षित ढाँचा प्रदान करता है।
- इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा को बढ़ाना और माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है।
- इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगी एक इकाई को WCO द्वारा आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा मानकों के अनुपालन के रूप में अनुमोदित किया जाता है और AEO का दर्जा प्रदान किया जाता है।
  - AEO का दर्जा प्राप्त इकाई को 'सुरक्षित' और एक विश्वसनीय व्यापारिक भागीदार माना जाता है।
  - AEO की स्थिति प्राप्त होने पर व्यापारिक इकाई को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं जिनमें शीघ्र निकासी, कम निरीक्षण , बेहतर सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों के मध्य संचार शामिल हैं।

भारतीय AEO कार्यक्रम:

- AEO कार्यक्रम को वर्ष 2011 में एक पायलट परियोजना के रूप में पेश किया गया था।
- WCO SAFE फ्रेमवर्क में विस्तृत सुरक्षा मानक भारतीय AEO कार्यक्रम के आधार हैं।
- निर्यातकों और आयातकों के लिये तीन स्तरीय AEO स्थिति है। तीन स्तर AEO T1, AEO T2, AEO T3 हैं, जहाँ AEO T3 मान्यता का उच्चतम स्तर है।

भारतीय AEO कार्यक्रम का उद्देश्य:

- व्यावसायिक संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन प्रदान करना।
- व्यावसायिक संस्थाओं को "सुरक्षित और विश्वसनीय" व्यापारिक भागीदारों के रूप में मान्यता देना।
- परिभाषित लाभों के माध्यम से व्यावसायिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करना जिससे समय और लागत की बचत होती है।
- निर्यात के स्थान से आयात होने के स्थान तक सुरक्षित आपूर्ति शृंखला।
- बढ़ी हुई सीमा निकासी।
- आवास के समय और संबंधित लागतों में कमी।
- सीमा शुल्क सलाह/सहायता यदि व्यापार देशों के सीमा शुल्क के साथ अप्रत्याशित मुद्दों का सामना करता है।

लाभ:

- सुरक्षित और अनुपालनकारी व्यवसाय के रूप में पहचान: इसके माध्यम से भारतीय व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुरक्षित एवं अनुपालनकारी व्यापार भागीदारों के रूप में विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त करने में आसानी होगी।
- पारस्परिक मान्यता: इससे भारत को ऐसे देशों से व्यापार सुविधा प्राप्त होती है जिनके साथ भारत ने 'पारस्परिक मान्यता समझौते (MRA) किये हैं।
  - 'पारस्परिक मान्यता समझौता (MRA) एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक देश एक-दूसरे के अनुरूपता मूल्यांकन परिणामों (उदाहरण के लिये प्रमाणन या परीक्षण परिणाम) को मान्यता देने हेतु सहमत होते हैं।
- कार्गो सुरक्षा का सुव्यवस्थीकरण: यह भारतीय सीमा शुल्क विभाग को अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति शृंखला के प्रमुख हितधारकों जैसे- आयातक, निर्यातक, रसद प्रदाता, संरक्षक या टर्मिनल ऑपरेटर, कस्टम ब्रोकर और वेयरहाउस ऑपरेटर आदि के साथ बेहतर सहयोग के माध्यम से कार्गो सुरक्षा को बढ़ाने एवं सुव्यवस्थित करने में सक्षम बनाता है।
- 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' को प्रोत्साहन: उदारीकृत, सरलीकृत और युक्तियुक्त AEO प्रत्यायन प्रक्रिया में 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' को बढ़ावा देने तथा वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुकरण करने की क्षमता है।
- आयात कंटेनरों की प्रत्यक्ष पोर्ट डिलीवरी और/या निर्यात कंटेनरों की सीधी पोर्ट एंट्री की सुविधा।
  - यह रिफंड और अधिनिर्णयन की प्रक्रिया को भी तेज़ करता है।
- ऐसे में भारतीय 'अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर' (AEO) कार्यक्रम को काफी महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है। यह न केवल 'मेक इन इंडिया' के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा, बल्कि भारत को एक विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने में भी सहायता करेगा।

विश्व सीमा शुल्क संगठन

- इस संगठन की स्थापना वर्ष 1952 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद (Customs Co-operation Council- CCC) के रूप में की गई। यह एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी निकाय है, जिसका उद्देश्य सीमा शुल्क प्रशासन की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाना है।
- वर्तमान में यह पूरे विश्व के 183 सीमा शुल्क प्रशासनों का प्रतिनिधित्व करता है, जिनके द्वारा विश्व में सामूहिक रूप से लगभग 98% व्यापार किया जाता है।
- भारत को दो वर्ष की अवधि के लिये (जून 2020 तक) इसके एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष (क्षेत्रीय प्रमुख) बनाया गया था।
- यह सीमा शुल्क मामलों को देखने में सक्षम एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसलिये इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क समुदाय की आवाज़ कहा जा सकता है।
- इसका मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में है।

सेफ फ्रेमवर्क

- WCO परिषद ने जून 2005 में वैश्विक व्यापार को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिये सेफ फ्रेमवर्क (SAFE Framework) को अपनाया, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के निवारक, राजस्व संग्रह को सुरक्षित करने और पूरे विश्व में व्यापार सुविधा को बढ़ावा देने के रूप में कार्य करेगा।

- यह फ्रेमवर्क वैश्विक सीमा शुल्क समुदाय की आपूर्ति श्रृंखला के खतरों के प्रति ठोस प्रतिक्रिया के रूप में उभरा है और समान रूप से वैध तथा सुरक्षित व्यवसायों की सुविधा का समर्थन करता है।
- यह आधारभूत मानकों को निर्धारित करता है, जिनका परीक्षण किया गया है और पूरे विश्व में अच्छी तरह से काम कर रहे हैं।

युवा और खाद्य प्रणाली

चर्चा में क्यों?

युवाओं और कृषि पर संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) की एक नई रिपोर्ट में वैश्विक खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के भविष्य को सुरक्षित करने हेतु कृषि-खाद्य प्रणालियों को युवाओं के लिये अधिक आकर्षक बनाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

- विश्व खाद्य सुरक्षा समिति (Committee on World Food Security-CFS) द्वारा 'प्रमोटिंग यूथ इंगेजमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम' शीर्षक से यह रिपोर्ट तैयार की गई है।
- विश्व खाद्य सुरक्षा समिति (CFS) सभी हितधारकों के लिये खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु साथ कार्य करने के लिये एक समावेशी अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर-सरकारी मंच है। 'विश्व खाद्य सुरक्षा समिति' की मेज़बानी संयुक्त राष्ट्र (UN) के 'खाद्य और कृषि संगठन' (FAO) द्वारा की जाती है।

प्रमुख बिंदु

वैश्विक स्तर पर युवाओं की स्थिति

- आँकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2019 में 15 से 24 वर्ष तक के युवाओं का कुल आबादी में 16 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व था।
- इस मामले में मध्य और दक्षिण एशिया (361 मिलियन) पहले स्थान पर है, जिसके बाद पूर्वी एवं दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र (307 मिलियन) तथा उप-सहारा अफ्रीकी क्षेत्र (211 मिलियन) शामिल हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का अनुमान है कि वर्ष 2015 और वर्ष 2030 के बीच अफ्रीकी महाद्वीप के 440 मिलियन युवा श्रम बाज़ार में प्रवेश करेंगे।

प्रमुख निष्कर्ष

- खाद्य प्रणालियाँ सबसे बड़ी नियोक्ता: रिपोर्ट के मुताबिक, खाद्य प्रणालियाँ विकासशील देशों में सबसे बड़ी नियोक्ता हैं, किंतु इसके बावजूद वे सार्थक काम या पर्याप्त आजीविका के अवसर प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं, साथ ही विभिन्न पीढ़ियों की ज़रूरतों और अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने में भी सक्षम नहीं हैं।
  - खाद्य प्रणाली उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, वितरण, विपणन, पहुँच, खरीद, खपत, खाद्य हानि और अपशिष्ट के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय परिणामों सहित इन गतिविधियों के आउटपुट से जुड़ी गतिविधियों का एक जटिल वेब है।
- अधिक रोज़गार के अवसर: कोविड-19 ने पूरे विश्व के श्रम बाज़ारों को प्रभावित किया है, जिससे युवाओं के रोज़गार पर अधिक प्रभाव पड़ा है। वैश्विक स्तर पर वयस्कों (Adult) के 3.7% की तुलना में वर्ष 2020 में युवाओं (Youth) के रोज़गार में 8.7% की गिरावट आई है।
  - यदि कृषि-खाद्य प्रणाली को युवाओं के लिये अधिक आकर्षक एवं न्यायसंगत बनाया जाए तो यह रोज़गार के और अधिक अवसर प्रदान कर सकती है।
- विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित करने का महत्त्व: विश्व में लगभग 1.2 अरब युवा हैं जो बहुत कम आमदनी पर जीवन निर्वहन करते हैं जैसे- अफ्रीका में जहाँ 70% से अधिक युवा प्रतिदिन 2 अमेरिकी डॉलर या उससे कम पर निर्वाह करते हैं।
- सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना: सतत् कृषि-खाद्य प्रणालियों में युवा जुड़ाव और रोज़गार एक साथ साकार होने वाले लक्ष्य हैं तथा सतत् विकास लक्ष्यों एवं आर्थिक कल्याण की उपलब्धि के साधन हैं।
- युवा जलवायु परिवर्तन, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं तथा राजनीतिक जोखिमों को वहन करते हुए भविष्य की खाद्य प्रणालियों के निर्माण के लिये अग्रिम पंक्ति में हैं।

अनुशंसाएँ:

- खाद्य प्रणालियों में युवा जुड़ाव और रोज़गार को मज़बूत करने के लिये दृष्टिकोण, पहल और नीतियों को अधिकारों, इक्विटी, एजेंसी तथा मान्यता के स्तंभों पर आधारित होने की आवश्यकता है।
- युवा केंद्रित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों, श्रम कानूनों और विनियमों तथा संसाधनों (भूमि, वन, मत्स्य पालन आदि), वित्त, बाज़ार, डिजिटल प्रौद्योगिकियों, ज्ञान एवं सूचना तक युवाओं की पहुँच में सुधार करना।
- युवा नेतृत्व वाली स्टार्ट-अप पहलों का समर्थन करना भी महत्त्वपूर्ण है जिसके लिये एक सहायक नीति वातावरण की आवश्यकता होती है।
- संसाधनों, ज्ञान और अवसरों का पुनर्वितरण युवाओं हेतु रोज़गार के अवसर पैदा करने में योगदान दे सकता है, साथ ही स्थायी कृषि-खाद्य प्रणालियों का समर्थन कर सकता है।

भारतीय परिदृश्य

युवाओं की संख्या:

- भारत की जनसंख्या में युवाओं (18-29 वर्ष) की कुल संख्या 22% है जो 261 मिलियन से अधिक है।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, भारतीय जनसंख्या की औसत आयु वर्ष 2021 में लगभग 28 वर्ष है तथा वर्ष 2031 तक यह 31 वर्ष हो जाएगी।
- भारत भी जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) के चरण से गुज़र रहा है।
- मुश्किल से 5% युवा कृषि में लगे हुए हैं, हालाँकि 60% से अधिक ग्रामीण लोग अपनी आजीविका को पूरी तरह या आंशिक रूप से खेती और इससे संबंधित गतिविधियों से प्राप्त करते हैं।
  - जाहिर है आधुनिक युवा कृषि कार्यों में रुचि नहीं ले रहे हैं तथा इस पेशे को छोड़ रहे हैं।

संबंधित पहलें:

- MAYA रोडमैप, 2018: 'मोटीवेटिंग एंड अट्रेक्टिंग यूथ इन एग्रीकल्चर' (Motivating and Attracting Youth in Agriculture- MAYA) को नई दिल्ली में एक सम्मेलन में तैयार किया गया था।
  - MAYA रोड मैप में युवाओं को आर्थिक विकास, सामाजिक सम्मान, खेती और संबद्ध गतिविधियों में आधुनिक तकनीकों के अनुप्रयोग हेतु कई प्रकार के अवसर प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।
- ARYA (अट्रेक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर): इस कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research- ICAR) द्वारा की गई है। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
  - ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को विभिन्न कृषि संबद्ध सेवा क्षेत्रों में शामिल करने हेतु प्रोत्साहित करना और उन्हें सशक्त बनाना।
  - संसाधन और पूंजी गहन गतिविधियों जैसे- प्रसंस्करण, मूल्य संवर्द्धन तथा विपणन हेतु नेटवर्क समूह स्थापित करने के लिये युवाओं, कृषकों को सक्षम करना।
- किसानों के लिये राष्ट्रीय नीति, 2007: इस नीति के तहत ऐसे उपायों को शुरू करना जो युवाओं को खेती, कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के प्रति आकर्षित करने और बनाए रखने में मदद कर सकें, ताकि यह युवाओं के लिये बौद्धिक एवं आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो।

कृषि अवसंरचना कोष

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'कृषि अवसंरचना कोष' के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की वित्तपोषण सुविधा योजना में कुछ संशोधनों को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- शुरुआत : इसे 2020 में कोविड-19 संकट के विरुद्ध प्रोत्साहन पैकेज के रूप में 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा के साथ शुरू किया गया।
- उद्देश्य: फसल उपरांत बुनियादी ढाँचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिये व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु मध्यम-लंबी अवधि के ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करना।

- केंद्र / राज्य / स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित फसल एकत्रीकरण के लिये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) परियोजनाओं के अलावा कोल्ड स्टोर, चेन वेयरहाउसिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग इकाइयों, ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े ई-मार्केटिंग पॉइंट्स की स्थापना के लिये धन उपलब्ध कराया जाएगा।

- अवधि: 13 वर्षों तक बढ़ाई गई (2032-33 तक)।
- विशेषताएँ:
  - पात्र लाभार्थी:
    - इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों में, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PAC), विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), स्वयं सहायता समूहों (SHGs), किसानों, संयुक्त देयता समूहों (Joint Liability Groups-JLG), बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअपों और केंद्रीय/राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक-निजी साझीदारी परियोजनाएँ आदि को शामिल किया गया है।
    - राज्य एजेंसियों और कृषि उपज विपणन समितियों (APMC) के साथ-साथ सहकारी संगठनों, FPO तथा SHG के संघों के लिये पात्रता बढ़ा दी गई है।
  - वित्तीय सहायता: पात्र लाभार्थियों को ऋण के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए प्रदान किये जाएंगे।
    - पुनर्भुगतान के लिये अधिस्थगन न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 2 वर्षों के अधीन भिन्न हो सकता है।
  - ब्याज सबवेंशन: ऋणों पर 2 करोड़ रुपए की सीमा तक 3% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सबवेंशन होगा। यह सबवेंशन अधिकतम सात साल की अवधि के लिये उपलब्ध होगा।
  - CGTMSE योजना: इस वित्तपोषण सुविधा से ऋण प्राप्त करने वाले पात्र उधारकर्त्ताओं को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण हेतु सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises-CGTMSE) योजना के तहत एक क्रेडिट गारंटी कवरेज़ उपलब्ध होगा।
- प्रबंधन: कोष का प्रबंधन और निगरानी एक ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (Management Information System-MIS) प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। यह सभी योग्य संस्थाओं को कोष के तहत ऋण हेतु आवेदन करने में सक्षम बनाएगा।
  - वास्तविक समय अर्थात् रियल टाइम निगरानी और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय, राज्य एवं ज़िला स्तर की निगरानी समितियों का गठन किया जाएगा।

'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट' योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट' योजना की घोषणा की है।

- फरवरी 2021 में रिज़र्व बैंक ने खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में प्रत्यक्ष निवेश करने की सुविधा प्रदान करने हेतु केंद्रीय बैंक के साथ गिल्ट प्रतिभूति खाता खोलने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा था।

प्रमुख बिंदु

'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट' योजना

- इस योजना के तहत व्यक्तिगत खुदरा निवेशकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ 'खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता' (RDG Account) खोलने और उसे नियंत्रित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  - खुदरा निवेशक एक गैर-पेशेवर निवेशक होता है, जो प्रतिभूतियों या फंडों, जिसमें म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) आदि शामिल हैं, को खरीदता एवं बेचता है।
  - एक गिल्ट खाते की तुलना बैंक खाते से की जा सकती है, किंतु इस खाते में पैसे के बजाय ट्रेज़री बिल या सरकारी प्रतिभूतियों को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है।

- गिल्ट खाते इस योजना के प्रयोजन के उद्देश्य से उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खोले जा सकते हैं।
- यह ऑनलाइन पोर्टल पंजीकृत उपयोगकर्त्ताओं को सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक जारीकर्त्ता और 'नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग सिस्टम' (NDS-OM) तक पहुँच प्रदान करेगा।
  - रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2005 में 'नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग सिस्टम' की शुरुआत की थी। यह सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिये एक इलेक्ट्रॉनिक, स्क्रीन आधारित, ऑर्डर संचालन व्यापार प्रणाली है।
- यह व्यक्तिगत निवेशकों के लिये सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा को आसान बनाने हेतु वन-स्टॉप समाधान है।
  - रिज़र्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों एवं म्यूचुअल फंड से परे सरकारी ऋण प्रतिभूतियों के स्वामित्व का प्रजातंत्रीकरण (Democratize) करना चाहता है।

वर्तमान सरकारी प्रतिभूति (G-sec) बाज़ार:

- सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में संस्थागत निवेशकों का दबदबा है जो बैंक, म्युचुअल फंड और बीमा कंपनियों जैसे बड़े बाज़ारों को नियंत्रित करते हैं।
  - ये संस्थाएँ 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक आकार में व्यापार करती हैं।
- इसलिये ऐसे छोटे निवेशक जो छोटे आकार में व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिये द्वितीयक बाज़ार में तरलता की कमी है।
  - प्राथमिक बाज़ार वे होते है जहाँ प्रतिभूतियाँ बनाई जाती हैं, जबकि द्वितीयक बाज़ार वह होता है जहाँ निवेशकों द्वारा उन प्रतिभूतियों का कारोबार किया जाता है।
- उनके लिये अपने निवेश से बाहर निकलने का कोई आसान तरीका नहीं होता है। इस प्रकार वर्तमान में प्रत्यक्ष सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार खुदरा निवेशकों के बीच लोकप्रिय नहीं है।

लाभ:

- ईज़ ऑफ एक्सेस में सुधार (Improved Ease of Access):
  - यह छोटे निवेशकों के लिये G-sec ट्रेडिंग की प्रक्रिया को आसान बना देगा, इसलिये यह G-sec में खुदरा भागीदारी बढ़ाएगा और ईज़ ऑफ एक्सेस में सुधार करेगा।
- सरकारी उधार की सुविधा:
  - यह उपाय अनिवार्य होल्ड टू मेच्योरिटी (ऐसी प्रतिभूतियाँ जो परिपक्वता तक स्वामित्व के लिये खरीदी जाती हैं) प्रावधानों में छूट के साथ वर्ष 2021-22 में सरकारी उधार कार्यक्रम को सुचारु रूप से पूरा करने की सुविधा प्रदान करेगा।
- घरेलू बचत का वित्तीयकरण:
  - G-Sec बाज़ार में प्रत्यक्ष खुदरा भागीदारी की अनुमति देने से घरेलू बचत के विशाल पूल के वित्तीयकरण को बढ़ावा मिलेगा और यह भारत के निवेश बाज़ार में गेम-चेंजर हो सकता है।

सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा निवेश बढ़ाने को किये गए अन्य उपाय :

- प्राथमिक नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्द्धी (Non-Competitive) नीलामी।
  - गैर-प्रतिस्पर्द्धी बोली का अर्थ है कि एक व्यक्ति दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों (Dated Government Security) की गैर-प्रतिस्पर्द्धी नीलामी में मूल्य उद्धृत किये बिना भाग ले सकता है।
- शेयर बाज़ार खुदरा बोलियों के लिये सेवा समूह (Aggregator) और सहायक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।
- द्वितीयक बाज़ार में एक विशिष्ट खुदरा क्षेत्र की अनुमति।

सरकारी प्रतिभूति (Government Security)

- सरकारी प्रतिभूतियाँ केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाने वाली एक व्यापार योग्य साधन होती हैं।

- ये सरकार के ऋण दायित्व को स्वीकार करती हैं। ऐसी प्रतिभूतियाँ अल्पकालिक (आमतौर पर एक वर्ष से भी कम समय की मेच्योरिटी वाली इन प्रतिभूतियों को ट्रेज़री बिल कहा जाता है जिसे वर्तमान में तीन रूपों में जारी किया जाता है, अर्थात् 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन) या दीर्घकालिक (आमतौर पर एक वर्ष या उससे अधिक की मेच्योरिटी वाली इन प्रतिभूतियों को सरकारी बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ कहा जाता है) होती हैं।
- भारत में केंद्र सरकार ट्रेज़री बिल और बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ दोनों को जारी करती है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण (SDL) कहा जाता है।
- सरकारी प्रतिभूतियों में व्यावहारिक रूप से डिफॉल्ट का कोई जोखिम नहीं होता है, इसलिये इन्हें जोखिम रहित गिल्ट-एज्ड उपकरण भी कहा जाता है।
  - गिल्ट-एज्ड प्रतिभूतियाँ सरकार और बड़े निगमों द्वारा उधार ली गई निधि के साधन के रूप में जारी किये जाने वाले उच्च-श्रेणी के निवेश बॉण्ड हैं।

उर्वरक क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता'

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने भारत को उर्वरक क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर' बनाने हेतु उर्वरक विभाग द्वारा शुरू की गई पहलों की समीक्षा की।

- ज्ञात हो कि सरकार वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये 'बाज़ार विकास सहायता' (MDA) नीति को उदार बनाने की योजना बना रही है।

प्रमुख बिंदु

- 'बाज़ार विकास सहायता' (MDA) नीति
  - 'बाज़ार विकास सहायता' (MDA) नीति प्रारंभ में केवल शहरी खाद तक ही सीमित थी।
  - लंबे समय से इस नीति के विस्तार और इसमें जैविक कचरे जैसे- बायोगैस, हरी खाद, ग्रामीण क्षेत्रों की जैविक खाद, ठोस/तरल घोल आदि को शामिल करने की मांग की जा रही थी।
  - यह विस्तार पूर्णत: 'स्वच्छ भारत अभियान' का पूरक होगा।
- सरकारी पहल और योजनाएँ:
  - नीम कोटेड यूरिया (Neem Coated Urea- NCU)
    - उर्वरक विभाग (DoF) ने सभी घरेलू उत्पादकों के लिये शत-प्रतिशत यूरिया का उत्पादन 'नीम कोटेड यूरिया' (NCU) के रूप में करने को अनिवार्य कर दिया है।
    - 'नीम कोटेड यूरिया' के उपयोग के लाभ
    - मृदा स्वास्थ्य में सुधार।
    - पौध संरक्षण रसायनों के उपयोग में कमी।
    - कीट और रोग के हमले में कमी।
    - धान, गन्ना, मक्का, सोयाबीन, अरहर/लाल चने आदि की उपज में वृद्धि।
    - गैर-कृषि उद्देश्यों के लिये उपयोग में कमी।
    - नाइट्रोजन के धीमे रिसाव के कारण 'नीम कोटेड यूरिया' की नाइट्रोजन उपयोग दक्षता (NUE) बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप सामान्य यूरिया की तुलना में 'नीम कोटेड यूरिया' में नाइट्रोजन की खपत कम होती है।
  - नई यूरिया नीति (NUP) 2015
    - नीति के उद्देश्य-
    - स्वदेशी यूरिया उत्पादन को अधिकतम करना।

- यूरिया इकाइयों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना।
- भारत सरकार पर सब्सिडी के बोझ को युक्तिसंगत बनाना।

- नई निवेश नीति, 2012:
  - सरकार ने जनवरी 2013 में नई निवेश नीति (New Investment Policy- NIP), 2012 की घोषणा की जिसे वर्ष 2014 में यूरिया क्षेत्र में नए निवेश की सुविधा तथा भारत को यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिये संशोधित किया गया।
- शहरी खाद के संवर्द्धन पर नीति:
  - भारत सरकार ने शहरी खाद के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिये 1500 रुपए की बाज़ार विकास सहायता (Market Development Assistance) प्रदान करने के लिये वर्ष 2016 में डीओएफ द्वारा अधिसूचित सिटी कम्पोस्ट को बढ़ावा देने की नीति को मंज़ूरी दी।
  - बिक्री की मात्रा बढ़ाने के लिये शहरी खाद का विपणन करने के इच्छुक खाद निर्माताओं को सीधे किसानों को थोक में शहरी खाद बेचने की अनुमति दी गई थी।
  - शहरी खाद का विपणन करने वाली उर्वरक कंपनियाँ उर्वरकों के लिये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer-DBT) के अंतर्गत आती हैं।
- उर्वरक क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग:
  - डीओएफ ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India) और परमाणु खनिज निदेशालय (Atomic Mineral Directorate) के सहयोग से इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (National Remote Sensing Centre) द्वारा "परावर्तन स्पेक्ट्रोस्कोपी एवं पृथ्वी अवलोकन डेटा का उपयोग करके चट्टानी फॉस्फेट के संसाधन का मानचित्रण" (Resource Mapping of Rock Phosphate using Reflectance
  - Spectroscopy and Earth Observations Data) पर तीन वर्ष का प्रारंभिक अध्ययन शुरू किया।
- पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी योजना:
  - इसे डीओएफ द्वारा अप्रैल 2010 से लागू किया गया है।
  - इस योजना के अंतर्गत वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक निश्चित राशि सब्सिडी वाले फॉस्फेटिक और पोटासिक (Phosphatic & Potassic) उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर इसकी पोषक सामग्री के आधार पर प्रदान की जाती है।
  - इसका उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना, कृषि उत्पादकता में सुधार, स्वदेशी उर्वरक उद्योग के विकास को बढ़ावा देना और सब्सिडी के बोझ को कम करना है।

भारत में उर्वरक की खपत:

- वित्तीय वर्ष 20 में भारत की उर्वरक खपत लगभग 61 मिलियन टन थी, जिसमें से 55% यूरिया था और अनुमान है कि वित्त वर्ष 2015 में इसमें 5 मिलियन टन की वृद्धि हुई थी।
- चूँकि गैर-यूरिया (MoP, DAP, जटिल) किस्मों की लागत अधिक होती है, कई किसान वास्तव में ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया का उपयोग करना पसंद करते हैं।
- सरकार ने यूरिया की खपत को कम करने के लिये कई उपाय किये हैं। इसने गैर-कृषि उपयोग हेतु यूरिया के अवैध प्रयोग को कम करने के लिये नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत की। इसने जैविक और शून्य-बजट खेती को बढ़ावा दिया।
- वर्तमान में देश का उर्वरक उत्पादन 42-45 मिलियन टन है और आयात लगभग 18 मिलियन टन है।
- यूरिया पर सब्सिडी:
  - केंद्र प्रत्येक संयंत्र में उत्पादन लागत के आधार पर उर्वरक निर्माताओं को यूरिया पर सब्सिडी का भुगतान करता है और इकाइयों को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर उर्वरक बेचना आवश्यक है।
- गैर-यूरिया उर्वरकों पर सब्सिडी:
  - गैर-यूरिया उर्वरकों की MRP कंपनियों द्वारा नियंत्रित या तय की जाती है। हालाँकि केंद्र इन पोषक तत्त्वों पर एक फ्लैट प्रति टन सब्सिडी का भुगतान करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी कीमत "उचित स्तर" पर है।

- गैर-यूरिया उर्वरकों के उदाहरण: डाई अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी)।
- सभी गैर-यूरिया आधारित उर्वरकों को पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत विनियमित किया जाता है।

मुद्रास्फीति डेटा: जून 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग' के तहत आर्थिक सलाहकार कार्यालय ने जून, 2021 के लिये 'थोक मूल्य सूचकांक' (WPI) जारी किया है।

प्रमुख बिंदु

थोक मूल्य- मुद्रास्फीति:

- थोक कीमतों में मुद्रास्फीति जून 2021 में भी उच्च स्तर (12.07 प्रतिशत) पर रही, जो कि मई 2021 में अपने रिकॉर्ड स्तर 12.94 पर पहुँच गई थी।

कारण

- जून 2021 में मुद्रास्फीति की उच्च दर मुख्य रूप से 'बेस इफेक्ट' के निम्न रहने के कारण रही।
  - बेस इफेक्ट: इसका आशय दो डेटा बिंदुओं के बीच तुलना के लिये अलग-अलग संदर्भ बिंदु चुनने के कारण तुलना के परिणाम पर पड़ने वाले प्रभाव से है।
- खनिज तेल जैसे- पेट्रोल, डीज़ल, नेफ्था, फर्नेस ऑयल आदि की कीमतों में वृद्धि।
- बीते वर्ष के इसी माह की तुलना में विनिर्मित उत्पादों जैसे- धातु, खाद्य उत्पाद, रासायनिक उत्पाद आदि की लागत में वृद्धि।
  - उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति जून 2021 मंत 6.26 प्रतिशत पर थी।

प्रभाव

- थोक मूल्य-मुद्रास्फीति का खुदरा मूल्य मुद्रास्फीति (CPI मुद्रास्फीति) के स्तर पर भी प्रभाव पड़ेगा, जो कि अंततः मौद्रिक नीति को प्रभावित करेगा।
  - मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित व्यापक आर्थिक नीति होती है। इसमें मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर का प्रबंधन शामिल होता है तथा इसका उपयोग देश की सरकार द्वारा मुद्रास्फीति, खपत, विकास और तरलता जैसे व्यापक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये किया जाता है।

थोक मूल्य सूचकांक (WPI)

- यह थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को बेचे जाने वाले सामानों की कीमतों में बदलाव को मापता है।
- इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- यह भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक (Inflation Indicator) है।
- इस सूचकांक की सबसे प्रमुख समस्या यह है कि आम जनता थोक मूल्य पर उत्पाद नहीं खरीदती है।
- वर्ष 2017 में अखिल भारतीय WPI के लिये आधार वर्ष को 2004-05 से संशोधित कर 2011-12 कर दिया गया था।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

- यह खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य में हुए परिवर्तन को मापता है तथा इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office- NSO) द्वारा जारी किया जाता है।
- यह उन वस्तुओं और सेवाओं जैसे- भोजन, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि की कीमत में अंतर की गणना करता है, जिसे भारतीय उपभोक्ता उपयोग के लिये खरीदते हैं।
- इसके कई उप-समूह हैं जिनमें खाद्य और पेय पदार्थ, ईंधन तथा प्रकाश, आवास एवं कपड़े, बिस्तर व जूते शामिल हैं।

- इसके निम्नलिखित चार प्रकार हैं:
  - औद्योगिक श्रमिकों (Industrial Workers- IW) के लिये CPI
  - कृषि मज़दूर (Agricultural Labourer- AL) के लिये CPI
  - ग्रामीण मज़दूर (Rural Labourer- RL) के लिये CPI
  - CPI (ग्रामीण/शहरी/संयुक्त)
  - इनमें से प्रथम तीन के आँकड़े श्रम और रोज़गार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो (labor Bureau) द्वारा संकलित किये जाते हैं, जबकि चौथे प्रकार की CPI को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation) के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (Central Statistical Organisation-CSO) द्वारा संकलित किया जाता है।
- सामान्य तौर पर CPI के लिये आधार वर्ष 2012 है। हालाँकि औद्योगिक श्रमिकों हेतु CPI (CPI-IW) आधार वर्ष 2016 है।
- मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) मुद्रास्फीति (रेंज 4+/-2% के भीतर) को नियंत्रित करने के लिये CPI डेटा का उपयोग करती है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अप्रैल 2014 में CPI को मुद्रास्फीति के अपने प्रमुख उपाय के रूप में अपनाया था।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाम थोक मूल्य सूचकांक

- थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का उपयोग उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति का पता लगाने के लिये किया जाता है और CPI उपभोक्ता स्तर पर कीमतों के स्तर में बदलाव को मापता है।
- WPI सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को शामिल नहीं करता है, जबकि CPI में सेवाओं की कीमतों को शामिल किया जाता है।

मुद्रास्फीति

- मुद्रास्फीति का तात्पर्य दैनिक या सामान्य उपयोग की अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं जैसे- भोजन, कपड़े, आवास, मनोरंजन, परिवहन आदि की कीमतों में वृद्धि से है।
- मुद्रास्फीति समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य परिवर्तन को मापती है।
- मुद्रास्फीति किसी देश की मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी का संकेत है।
  - यह अंततः आर्थिक विकास में मंदी का कारण बन सकती है।
- हालाँकि उत्पादन वृद्धि सुनिश्चित करने के लिये अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के एक संतुलित स्तर की आवश्यकता होती है।
- भारत में मुद्रास्फीति को प्रमुख रूप से दो मुख्य सूचकांकों (WPI और CPI) द्वारा मापा जाता है, जो क्रमशः थोक एवं खुदरा स्तर पर मूल्य में परिवर्तन को मापते हैं।

कोर मुद्रास्फीति

- यह वस्तुओं और सेवाओं की लागत में बदलाव को दर्शाता है, लेकिन इसमें खाद्य तथा ईंधन की लागतों को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि उनकी कीमतें बहुत अधिक अस्थिर होती हैं।
  - कोर मुद्रास्फीति = हेडलाइन मुद्रास्फीति - (खाद्य और ईंधन) मुद्रास्फीति।

विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs- CCEA) ने विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज के कार्यान्वयन को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

पैकेज के विषय में:

- उद्देश्य: पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में लगे 10 करोड़ किसानों के लिये पशुपालन (Animal Husbandry) को अधिक लाभकारी बनाना।
- कुल राशि: इस क्षेत्र में लगभग 55,000 करोड़ रुपए के बाहरी निवेश का लाभ उठाने के लिये केंद्र सरकार अगले पाँच वर्षों में पशुधन विकास पर 9,800 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
  - इसमें राज्य सरकारों, राज्य सहकारी समितियों, वित्तीय संस्थानों, बाहरी वित्तपोषण एजेंसियों और अन्य हितधारकों द्वारा निवेश शामिल है।

योजनाओं का विलय:

- वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाले इस पैकेज को अगले पाँच वर्षों के लिये पशुपालन और डेयरी विभाग की योजनाओं के विभिन्न घटकों को संशोधित तथा पुन: व्यवस्थित करके डिज़ाइन किया गया है।
- विभाग की सभी योजनाओं को तीन व्यापक श्रेणियों में मिला दिया जाएगा:
  - विकास कार्यक्रम: इसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन (Rashtriya Gokul Mission), डेयरी विकास के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Programme for Dairy Development), राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission) और पशुधन जनगणना एवं एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (Livestock Census and Integrated Sample Survey) उप-योजनाओं के रूप में शामिल हैं।
  - रोग नियंत्रण कार्यक्रम: इसका नाम बदलकर पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (Livestock Health and Disease Control) कर दिया गया है, जिसमें वर्तमान पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना तथा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (National Animal Disease Control Programme) शामिल हैं।
  - इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड: पशुपालन बुनियादी ढाँचा विकास कोष (Animal Husbandry Infrastructure Development fund) और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (Dairy Infrastructure Development Fund) का विलय कर दिया गया है तथा डेयरी गतिविधियों में लगे डेयरी सहकारी समितियों (Dairy Cooperative) एवं किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organization) को समर्थन करने वाली वर्तमान योजना भी इस तीसरी श्रेणी में शामिल है।

प्रभाव:

- राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण में मदद करेगा तथा ग्रामीण गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में भी योगदान देगा।
- राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) योजना का लक्ष्य लगभग 8900 मिल्क कूलर स्थापित करना है, जिससे 8 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को लाभ मिलेगा और प्रतिदिन 20 लाख लीटर दूध अतिरिक्त रूप से खरीदा जाएगा।
  - NPDD के तहत जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) से वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी, जिससे 4500 गाँवों में नए बुनियादी ढाँचे को मज़बूती के साथ तैयार किया जा सकेगा।

भारत में पशुपालन:

- बड़ी संख्या में किसान अपनी आजीविका के लिये पशुपालन पर निर्भर हैं। यह लगभग 55% ग्रामीण आबादी की आजीविका का समर्थन करता है।
- आर्थिक सर्वेक्षण-2021 के अनुसार, कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र में पशुधन का योगदान सकल मूल्यवर्द्धन (स्थिर कीमतों पर) पर 24.32 प्रतिशत (2014-15) से बढ़कर 28.63% (2018-19) हो गया है।
- भारत में दुनिया का सर्वाधिक पशुधन मौजूद है।

- 20वीं पशुधन गणना के अनुसार, देश में पशुधन की कुल जनसंख्या 535.78 मिलियन है, जो पशुधन गणना-2012 की तुलना में 4.6% अधिक है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM):

- NLM को वित्तीय वर्ष 2014-15 में लॉन्च किया गया था और यह पशुधन उत्पादन प्रणालियों तथा सभी हितधारकों की क्षमता निर्माण में मात्रात्मक एवं गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
- इस योजना को अप्रैल 2019 से श्वेत क्रांति- राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना की उप-योजना के रूप में लागू किया जा रहा है।
- मिशन को निम्नलिखित चार उप-मिशनों में व्यवस्थित किया गया है:
  - पशुधन विकास पर उप-मिशन।
  - उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सुअर विकास पर उप-मिशन।
  - चारा विकास पर उप-मिशन।
  - कौशल विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विस्तार पर उप-मिशन।

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

G20 विदेश मंत्रियों की बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इटली ने कोविड-19 का मुकाबला करने, वैश्विक अर्थव्यवस्था में रिकवरी को तीव्र करने और अफ्रीका में सतत् विकास को बढ़ावा देने जैसे विषयों के लिये G-20 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की।

- वर्तमान में इटली के पास G-20 की अध्यक्षता है। G-20 शिखर सम्मेलन अक्तूबर, 2021 में इटली में आयोजित होने वाला है।
- भारत द्वारा वर्ष 2023 में G-20 की अध्यक्षता करने की उम्मीद है।

G-20

- G-20 समूह विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रतिनिधि, यूरोपियन संघ एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है।
- G-20 समूह विश्व की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक साथ लाता है। यह वैश्विक व्यापार का 75%, वैश्विक निवेश का 85%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% तथा विश्व की दो-तिहाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है
- G-20 के सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्राँस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
- इसका कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है।

प्रमुख बिंदु:

मीटिंग के संदर्भ में:

- Covid-19 पर:
  - मीटिंग में वैक्सीन कूटनीति में शामिल होने के लिये चीन और रूस की आलोचना की गई।
    - वैक्सीन कूटनीति वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति की वह शाखा है जिसमें एक राष्ट्र अन्य देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करने के लिये टीकों के विकास या वितरण का उपयोग करता है।
  - विज्ञान आधारित समग्र वन हेल्थ अप्रोच को बढ़ावा देना।
    - 'वन हेल्थ' कार्यक्रमों, नीतियों, कानून एवं अनुसंधान को डिज़ाइन और कार्यान्वित करने का एक दृष्टिकोण है जिसमें कई क्षेत्र बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को प्राप्त करने के लिये संवाद करते हैं तथा मिलकर कार्य करते हैं।
- जलवायु परिवर्तन पर:
  - बढ़ती जलवायु परिवर्तनशीलता और चरम मौसम की घटनाएँ कृषि उत्पादन को प्रभावित करती हैं तथा वैश्विक भूख में वृद्धि के कारकों में से एक है।
- अफ्रीका पर:
  - कोविड-19 महामारी, संघर्ष, सूखा, आर्थिक संकट और चरम मौसमी घटनाएँ विकास की गति में बाधक बन रहे हैं।
  - संपूर्ण अफ्रीका में लगभग 250 मिलियन लोग भूख का शिकार हैं, जो कि जनसंख्या का (वर्ष 2019 तक) लगभग 20% है।

भारत का रुख:

- भारत ने मीटिंग के दौरान "वैक्सीन इक्विटी" के मुद्दे को उठाया।
  - यह बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं (ट्रिप्स समझौता) के तहत बौद्धिक संपदा नियमों के कुछ हिस्सों को छूट देकर टीकों के बड़े पैमाने पर निर्माण के भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव के विरोध के मद्देनज़र यूरोपीय संघ (EU) द्वारा उठाया गया था।

- ये नियम अंतर्राष्ट्रीय फर्मों को लाइसेंस संबंधी मुद्दों के कारण अनुमोदित टीकाकरण का उत्पादन करने से रोकते हैं।
- अर्थव्यवस्था को विनिर्माण, खाद्य और स्वास्थ्य सहित विकेंद्रीकृत वैश्वीकरण की आवश्यकता है। इसके समानांतर लचीली आपूर्ति शृंखला विकसित होनी चाहिये।
  - आज दुनिया बहुत अधिक परस्पर जुड़ी हुई और अन्योन्याश्रित है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिये कि वैश्वीकरण केवल संसाधनों और बाज़ारों पर लागू हो, जबकि उत्पादन केंद्र कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित रहे।
  - भारत सहित कई देशों को महामारी के दौरान चिकित्सा उपकरण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कंप्यूटर चिप की कमी तथा ऑटोमोबाइल उत्पादन को रोकने जैसे कई क्षेत्रों में व्यवधान का सामना करना पड़ा।

वैक्सीन इक्विटी:

- इसमें भौगोलिक और भू-राजनीति की परवाह किये बिना वैश्विक आबादी हेतु टीकों की वहनीयता और पहुँच दोनों के अवसर शामिल हैं।
- आवश्यकता:
  - वैक्सीन के असमान वितरण से न केवल लाखों लोग वायरस की चपेट में आ रहे हैं बल्कि वैश्विक स्तर पर वायरस घातक रूप में उभरकर सामने आ रहा है।
  - उन्नत टीकाकरण कार्यक्रमों वाले देशों द्वारा सख्त सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को लागू करने तथा यात्राओं पर प्रतिबंध लागू करने के बावजूद वायरस के विभिन्न वेरिएंट लगातार फैल रहे हैं।
- वैक्सीन इक्विटी सुनिश्चित करने हेतु पहल:
  - COVAX: यह एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य यूनिसेफ (UNICEF), गावी (वैक्सीन एलायंस), विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization), महामारी की तैयारी हेतु गठबंधन और अन्य के नेतृत्व में कोविड -19 टीकों की समान पहुँच सुनिशित करना है।
  - भारत ने विभिन्न देशों को कोविड वैक्सीन की आपूर्ति हेतु अपनी 'वैक्सीन मैत्री' (Vaccine Maitri) पहल की शुरुआत की है।

हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी' का 7वाँ संस्करण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी' (IONS) के 7वें संस्करण की मेज़बानी फ्राँसीसी नौसेना द्वारा रीयूनियन द्वीप पर की गई थी।

- यह एक द्विवार्षिक आयोजन है, जिसकी कल्पना भारतीय नौसेना ने वर्ष 2008 में की थी।

प्रमुख बिंदु

परिचय

- 'हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी' (IONS) एक स्वैच्छिक और समावेशी पहल है, जो समुद्री सहयोग को बढ़ाने व क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों की नौसेनाओं को एक साथ लाता है।
- यह प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध एक प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) सुनिश्चित करने का भी कार्य करता है।
- 'हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी' (IONS) की अध्यक्षता भारत (2008-10), संयुक्त अरब अमीरात (2010-12), दक्षिण अफ्रीका (2012-14), ऑस्ट्रेलिया (2014-16), बांग्लादेश (2016-18) और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान (2018-21) द्वारा की गई है।
  - फ्राँस ने जून 2021 में दो वर्षीय कार्यकाल के लिये अध्यक्षता ग्रहण की है।

सदस्य देश:

- IONS में 24 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं जो हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region- IOR) क्षेत्र की सीमा पर मौजूद हैं तथा 8 पर्यवेक्षक देश शामिल हैं।

- सदस्यों को भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर निम्नलिखित चार उप-क्षेत्रों में बाँटा गया है:
  - दक्षिण एशियाई समुद्र तट: बांग्लादेश, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, सेशेल्स, श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र)।
  - पश्चिम एशियाई समुद्र तट: ईरान, ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात।
  - पूर्वी अफ्रीकी समुद्र तट: फ्राँस (रीयूनियन), केन्या, मॉरीशस, मोज़ाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया।
  - दक्षिण-पूर्व एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई समुद्र तट: ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्याँमार, सिंगापुर, थाईलैंड और तिमोर-लेस्ते।

भारत के लिये महत्त्व:

- IONS इस क्षेत्र में भारत की तीन महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करता है:
  - हिंद महासागर के तटवर्ती राज्यों के साथ संबंधों को मज़बूत और गहरा करना।
  - शुद्ध सुरक्षा प्रदाता (Net Security Provider) होने की अपनी नेतृत्व क्षमता और आकांक्षाओं को स्थापित करना।
  - IOR में नियम-आधारित और स्थिर समुद्री व्यवस्था के भारत के दृष्टिकोण को पूरा करना।
- यह भारत को मलक्का जलडमरूमध्य (Straits of Malacca) से होर्मुज़ (Hormuz) तक अपने प्रभाव क्षेत्र को मज़बूत करने में मदद करेगा।
- IONS का उपयोग इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति को प्रतिसंतुलित करने के लिये किया जा सकता है।

IOR से जुड़े अन्य महत्त्वपूर्ण समूह/पहल:

- हिंद महासागर रिम एसोसिएशन: हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) की स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी।
  - इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के भीतर क्षेत्रीय सहयोग और सतत् विकास को मज़बूत करना है।
- हिंद महासागर आयोग: हाल ही में भारत को हिंद महासागर आयोग के पर्यवेक्षक के रूप में अनुमोदित किया गया है, यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जो दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में बेहतर सागरीय-अभिशासन (Maritime Governance) की दिशा में कार्य करता है।
- क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास (SAGAR): इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था।
  - सागर के माध्यम से भारत अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक एवं सुरक्षा सहयोग को मज़बूत करना चाहता है और उनकी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के निर्माण में सहायता करना चाहता है।
- एशिया अफ्रीका विकास गलियारा: वर्ष 2016 में भारत और जापान द्वारा जारी संयुक्त घोषणा में एशिया अफ्रीका विकास गलियारा (Asia Africa Growth Corridor- AAGC) का विचार उभरा था।
  - AAGC को विकास और सहयोग परियोजनाओं, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचे तथा संस्थागत कनेक्टिविटी, क्षमता व कौशल बढ़ाने जैसे लोगों की भागीदारी के चार स्तंभों पर खड़ा किया गया है।

अमेरिका की वापसी और अफगान शांति वार्ता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद अफगानिस्तान के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि:

- 11 सितंबर, 2001 को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों में लगभग 3,000 लोगों की मृत्यु हुई थी।
  - इस्लामिक आतंकवादी समूह अल-कायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन को इन हमलों के लिये उत्तरदायी ठहराया गया था।

- कट्टरपंथी इस्लामवादी तालिबान, जो कि उस समय अफगानिस्तान पर शासन कर रहा था ने लादेन की रक्षा की और उसे सौंपने से इनकार कर दिया। इसलिये 9/11 हमले के एक महीने बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के विरुद्ध हवाई हमले (ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम) शुरू कर दिये।
- इसके पश्चात् नाटो गठबंधन ने भी अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी।
- लंबी कार्रवाई के पश्चात् अमेरिका ने तालिबान शासन को उखाड़ फेंका और अफगानिस्तान में एक ट्रांज़ीशनल सरकार की स्थापना की।

अमेरिका की वापसी के कारण

- अमेरिका का मानना है कि तालिबान के विरुद्ध चल रहा यह युद्ध अजेय है।
- अमेरिकी प्रशासन ने वर्ष 2015 में 'मुरी' में पाकिस्तान द्वारा आयोजित तालिबान और अफगान सरकार के बीच पहली बैठक के लिये अपना एक प्रतिनिधि भेजा था।
  - हालाँकि 'मुरी' वार्ता से कुछ प्रगति हासिल नहीं की जा सकी थी।
- दोहा वार्ता: तालिबान के साथ सीधी बातचीत के उद्देश्य से अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिये एक विशेष दूत नियुक्त किया। उन्होंने दोहा में तालिबान प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जिसके परिणामस्वरूप फरवरी 2020 में अमेरिका और विद्रोहियों के बीच समझौता हुआ।
  - दोहा वार्ता शुरू होने से पहले तालिबान ने कहा था कि वह केवल अमेरिका के साथ सीधी बातचीत करेगा, न कि काबुल सरकार के साथ, जिसे उन्होंने मान्यता नहीं दी थी।
  - अमेरिका ने प्रक्रिया से अफगान सरकार को अलग रखते हुए इस मांग को प्रभावी ढंग से स्वीकार कर लिया और विद्रोहियों के साथ सीधी बातचीत शुरू की।

अमेरिका और तालिबान के मध्य समझौते की शर्तें:

- इस समझौता विवाद के चार प्रमुख पहलू- हिंसा, विदेशी सैनिकों, अंतर-अफगान शांति वार्ता तथा अल-कायदा एवं इस्लामिक स्टेट (IS की एक अफगान इकाई) जैसे आतंकवादी समूहों द्वारा अफगान धरती के उपयोग पर आधारित हैं।
- समझौते के तहत यह तय किया गया था कि अमेरिकी प्रशासन 1 मई, 2021 तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लेगा।
  - लेकिन फिलहाल इस समयसीमा को बढ़ाकर 11 सितंबर, 2021 कर दिया गया है।
- तालिबान ने हिंसा को कम करने, अंतर-अफगान शांति वार्ता में शामिल होने तथा विदेशी आतंकवादी समूहों के साथ अपने सभी संबंधों को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की है।

तालिबान तक भारत की पहुँच:

- भारत ने दोहा में तालिबान से संपर्क किया।
  - यह भारतीय पक्ष की ओर से देर से ही सही लेकिन तालिबान को एक यथार्थवादी स्वीकृति देने का संकेत है कि आने वाले वर्षों में तालिबान अफगानिस्तान में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- तालिबान से वार्ता करने के भारत के तीन महत्त्वपूर्ण हित हैं:
  - अफगानिस्तान में अपने निवेश की रक्षा करना, जो अरबों रुपए का है।
  - भावी तालिबान शासन को पाकिस्तान का मोहरा बनने से रोकना।
  - यह सुनिश्चित करना कि पाकिस्तान समर्थित भारत विरोधी आतंकवादी समूहों को तालिबान का समर्थन न मिले।
- अतीत में भारत ने तालिबान को शामिल नहीं करने का विकल्प चुना (भारत द्वारा नॉर्दन अलायंस का समर्थन किया गया था) और तालिबान के सत्ता में आने पर यह भारत के लिये सही साबित नहीं हुआ।
  - नवंबर 2001 में नॉर्दन अलायंस (Northern Alliance) ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर नियंत्रण कर लिया। नॉर्दर्न एलायंस ने तालिबान सरकार के खिलाफ एक रक्षात्मक युद्ध लड़ा जिसे अमेरिका और उन अन्य देशों द्वारा मदद की जा रही थी जो इससे सहमत थे, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था।

अफगानिस्तान के लिये संभावित परिदृश्य:

- अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी ने युद्ध के मैदान में शक्ति संतुलन को बदलते हुए इसे तालिबान के पक्ष में ला दिया है।
- वे पहले से ही बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं औरअमेरिकी सेना के देश से बाहर होने के बाद शहर के केंद्रीय भागों और प्रांतीय राजधानियों को निशाना बनाते हुए एक बड़ा हमला शुरू कर सकते हैं।
- अफगानिस्तान के लिये इसके संभवत: तीन परिदृश्य हो सकते हैं:
  - एक राजनीतिक समझौता हो सकता है जिसमें तालिबान और सरकार शक्ति-साझाकरण तंत्र के लिये कुछ हद तक सहमत हो जाएँ तथा संयुक्त रूप से अफगानिस्तान के भविष्य को आकार दें लेकिन फिलहाल यह संभावना बहुत दूर नज़र आ रही है।
  - एक चौतरफा गृहयुद्ध संभव हो सकता है, जिसमें आर्थिक रूप से समर्थित और पश्चिमी देशों द्वारा सैन्य रूप से प्रशिक्षित सरकार प्रमुख शहरों में बनी रहेगी तथा तालिबान ग्रामीण इलाकों में अपनी पहुँच का विस्तार करेगा जबकि अन्य जातीय मिलिशिया/लड़ाके समूह अपनी जागीर के लिये लड़ते रहेंगे। यह संभावना पहले से ही पूरी होती नज़र आ रही है।
  - पूरे देश पर तालिबान का कब्ज़ा हो सकता है।

निष्कर्ष:

- समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद अमेरिका ने अफगान सरकार पर हज़ारों तालिबानी कैदियों को रिहा करने का दबाव बनाया।
  - यह अंतर-अफगान वार्ता शुरू करने के लिये तालिबान की एक प्रमुख शर्त थी।
- तालिबान प्रतिनिधियों और अफगान सरकार के बीच सितंबर 2020 में दोहा (Doha) में बातचीत तो शुरू हुई लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। फिलहाल शांति प्रक्रिया रुकी हुई है।
- तालिबान ने विदेशी सैनिकों के खिलाफ शत्रुता कम कर दी लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भी अफगान बलों पर हमला करना जारी रखा।
- काबुल का कहना है कि तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन विद्रोहियों को सैन्य दबाव से उबरने और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है।

OECD/G20 इन्क्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील में शामिल हुआ भारत

चर्चा में क्यों:

हाल ही में भारत और OECD/G2 इन्क्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोज़न एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting) के अधिकांश सदस्य अंतर्राष्ट्रीय कराधान नियमों में सुधार के लिये एक नए टू पिलर प्लान (Two Pillar Plan) में शामिल हो गए हैं।

- दो स्तंभ योजना- बेस इरोज़न एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (Base Erosion and Profit Shifting) पर इन्क्लूसिव टैक्स डील अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों में सुधार करना चाहता है और यह सुनिश्चित करता है कि बहुराष्ट्रीय उद्यम जहाँ भी काम करते हैं, अपने उचित हिस्से का भुगतान करें।

प्रमुख बिंदु

बेस इरोज़न एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के विषय में:

- इस योजना के हस्ताक्षरकर्त्ता 130 देश हैं, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 90% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- नया ढाँचा अर्थव्यवस्थाओं के डिजिटलीकरण से उत्पन्न होने वाली कर चुनौतियों का समाधान करेगा।
- यह सीमा पार लाभ स्थानांतरण पर चिंताओं को दूर करने और ट्रीटी शॉपिंग (Treaty Shopping) को रोकने के लिये इसे कर नियम के अधीन लाने का भी प्रयास करता है।
  - ट्रीटी शॉपिंग एक व्यक्ति द्वारा दो देशों (इनमें से किसी के निवासी होने के बिना) के बीच कर संधि के लाभों को अप्रत्यक्ष रूप सेउपयोग करने का एक प्रयास है।

टू पिलर प्लान:

- वन पिलर:
  - यह डिजिटल कंपनियों सहित सबसे बड़े एमएनई के संबंध में देशों के बीच मुनाफे और कर अधिकारों का उचित वितरण सुनिश्चित करेगा।
  - यह उन बहुराष्ट्रीय उद्यमों (Introduction Multinational enterprises- MNE) को उनके घरेलू देशों से उन बाज़ारों में कुछ कर अधिकार फिर से आवंटित करेगा जहाँ उनकी व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं।
  - ऑर्गेनाइज़ेशन फार इकॉनमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (OECD) के अनुसार, प्रत्येक वर्ष बाज़ार के अधिकार क्षेत्र में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के लाभ का पुन: आवंटन होने की उम्मीद है।
- टू पिलर: यह न्यूनतम कर के विषय में है और कर नियमों के अधीन है (आय के सभी स्रोत कर भत्तों को ध्यान में रखे बिना कर के लिये उत्तरदायी हैं)।
  - यह वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर के माध्यम से देशों के बीच न्यूनतम मानक कर दर निर्धारित करना चाहता है, जो वर्तमान में 15% प्रस्तावित है।
  - इससे कर राजस्व में अतिरिक्त 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर उत्पन्न होने की उम्मीद है।

महत्त्व:

- यह सुनिश्चित करेगा कि बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ प्रत्येक स्थान के कर के अनुसार अपने उचित हिस्से का भुगतान करें।
- टू पिलर प्लान सरकारों को आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं, बुनियादी ढाँचे तथा कोविड-पूर्व रिकवरी क्षमता और गुणवत्ता को अनुकूलित करने में मदद के लिये आवश्यक उपायों में निवेश करते हुए अपने बजट एवं बैलेंसशीट को दुरुस्त करने हेतु आवश्यक राजस्व जुटाने के लिये उचित सहायता प्रदान करेगा।

भारत का रुख :

- भारत को वैश्विक कर व्यवस्था लागू होने पर Google, Amazon और Facebook जैसी कंपनियों पर लगाए जाने वाले समान उगाही (Levy) को वापस लेना होगा।
  - इसका उद्देश्य उन विदेशी कंपनियों पर कर लगाना है, जिनके पास भारत में एक महत्त्वपूर्ण स्थानीय ग्राहक आधार है, लेकिन देश की कर प्रणाली से प्रभावी रूप से बचने के लिये वह अपनी अपतटीय इकाइयों के माध्यम से बिलिंग कर रहे हैं।
  - वर्ष 2016 से ऑनलाइन विज्ञापनों के लिये एक अनिवासी सेवा प्रदाता द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक के भुगतान पर 6% की दर से समान कर लागू है।
- भारत यह सुनिश्चित करने के लिये कानून के व्यापक आवेदन/अनुप्रयोग का समर्थन करता है कि देश प्रस्तावित ढाँचे के तहत समान कर के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि से कम संग्रह नहीं करेगा।
- भारत एक सर्वसम्मत समाधान के पक्ष में है जो लागू करने और पालन करने में आसान हो।
- समाधान का परिणाम बाज़ार क्षेत्राधिकारों, विशेष रूप से विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिये सार्थक एवं टिकाऊ राजस्व के आवंटन के रूप में होना चाहिये।
- टू पिलर प्लान (Two Pillar Plan) बाज़ार हेतु मुनाफे के अधिक हिस्से के लिये भारत के रुख को सही ठहराता है और लाभ आवंटन में मांग पक्ष कारकों पर विचार करता है।

आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (Base Erosion and Profit Shifting- BEPS):

- BEPS का तात्पर्य ऐसी टैक्स प्लानिंग रणनीतियों से है जिनके तहत टैक्स नियमों में अंतर और विसंगतियों का लाभ उठाकर कंपनियाँ अपने लाभ को किसी ऐसे स्थान या क्षेत्र में हस्तांतरित कर देती हैं जहाँ या तो टैक्स होता ही नहीं और यदि होता भी है तो बहुत कम अथवा नाम-मात्र।
- सामान्य तौर पर BEPS रणनीतियाँ अवैध नहीं होती हैं; बल्कि वे विभिन्न न्यायिक क्षेत्र में संचालित विभिन्न कर नियमों का लाभ उठाते हैं।

- विकासशील देशों के बहुराष्ट्रीय उद्यमों (MNEs) के कारण कॉर्पोरेट आयकर पर भारी निर्भरता के कारण BEPS का इनके लिये प्रमुख महत्त्व है।
- BEPS पहल एक आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) पहल है, जिसे G20 द्वारा अनुमोदित किया गया है, ताकि विश्व स्तर पर अधिक मानकीकृत कर नियम प्रदान करने के तरीकों की पहचान की जा सके।
  - OECD: यह एक अंतर-सरकारी आर्थिक संगठन है, जिसकी स्थापना आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिये की गई है।
    - अधिकांश OECD सदस्य उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ हैं और उन्हें विकसित देश माना जाता है।
  - G20: यह बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक सहयोग के लिये अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय मंच है।
  - भारत G20 का सदस्य है, सदस्य ही नहीं बल्कि OECD का एक प्रमुख भागीदार है
- OECD/G20 समावेशी ढाँचा वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था।
  - भारत ने आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण ("बहुपक्षीय साधन" या "MLI") को रोकने के लिये कर संधि से संबंधित उपायों को लागू करने हेतु बहुपक्षीय सम्मेलन की पुष्टि की है।

GERD पर गतिरोध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इथियोपिया ने ऊपरी ब्लू नील नदी पर एक ग्रैंड इथियोपियाई रेनेसां डैम (Grand Ethiopian Renaissance Dam's - GERD) जलाशय को भरने (Filling) का दूसरा चरण शुरू किया है, जिसके कारण इस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आगामी बैठक से पूर्व सूडान और मिस्र से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

- इससे पूर्व इथियोपिया ने यह घोषणा की थी कि वह जुलाई में किसी समझौते या बिना किसी समझौते के साथ जलाशय के फिलिंग/भरने के दूसरे चरण में आगे बढ़ेगा।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील एक दशक से चल रहे जटिल विवाद के केंद्र में है, इस विवाद में कई देश शामिल हैं, जो नदी के जल पर निर्भर हैं।
- इथियोपिया द्वारा वर्ष 2011 में ब्लू नील नदी पर GERD के निर्माण का कार्य शुरू किया गया था।
  - यह 145 मीटर लंबी पनबिजली प्रोजेक्ट है जो अफ्रीका की सबसे बड़ी बांध परियोजना है जिसका नील नदी पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा।
  - ब्लू नील, नील नदी की एक सहायक नदी है और यह इसके पानी की मात्रा का दो-तिहाई भाग तथा अधिकांश गाद का वहन करती है।
- मिस्र नील नदी के अनुप्रवाह क्षेत्र में स्थित है इसलिये इसने बांध के निर्माण पर आपत्ति जताई है तथा इस परियोजना के लिये एक लंबी समयावधि प्रस्तावित की है।
  - मिस्र का मानना है कि जलाशय प्रारंभिक अवस्था में जल से भरा होता है लेकिन नदी पर इथियोपिया का नियंत्रण होने से उसकी सीमाओं के भीतर जल स्तर कम हो सकता है।
- सूडान भी इस विवाद में बांध के निर्माण स्थान के कारण शामिल रहा है।
- जल स्रोत के रूप में अफ्रीका में नील नदी का बहुत अधिक महत्त्व है, अत: चिंता का मुख्यतया विषय यह है कि वर्तमान नदी विवाद दोनों राष्ट्रों (इथियोपिया और मिस्र) के बीच पूर्ण संघर्ष में भी बदल सकता है।
- हाल ही में अमेरिका ने इस नदी विवाद में मध्यस्थता करने के लिये कदम बढ़ाया है।

इथियोपिया के लिये बाँध का महत्त्व:

- इथियोपिया का मानना है कि इस बाँध से लगभग 6,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी जो इसके औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी।
- यह पड़ोसी क्षेत्रों में अधिशेष बिजली का निर्यात करके राजस्व भी अर्जित कर सकता है।
  - केन्या, सूडान, इरिट्रिया और दक्षिण सूडान जैसे पड़ोसी देश भी बिजली की कमी से ग्रस्त हैं और अगर इथियोपिया इन्हें बिजली बेचने का फैसला करता है तो वे जलविद्युत परियोजना से भी लाभान्वित हो सकते हैं।

मिस्र की चिंता:

- मिस्र इस बात से चिंतित है कि पानी पर इथियोपिया के नियंत्रण से उसके देश का भू-जल स्तर कम हो सकता है।
- मिस्र अपने पीने के पानी और सिंचाई आपूर्ति के लगभग 97% के लिये नील नदी पर निर्भर है।
- यह बाँध मिस्र के आम नागरिकों के भोजन और पानी की सुरक्षा तथा आजीविका को खतरे में डाल देगा।

सूडान का पक्ष:

- सूडान भी इस बात से चिंतित है कि अगर इथियोपिया नदी के जल पर नियंत्रण करता है तो उसका भी भू-जल स्तर प्रभावित हो सकता है।
- हालाँकि इस बाँध से पैदा होने वाली बिजली से सूडान को फायदा होने की संभावना है।

नील नदी

- नील नदी अफ्रीका में स्थित है। यह भूमध्यरेखा के दक्षिण में बुरुंडी से निकलकर उत्तर-पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है।
- कभी-कभी विक्टोरिया झील को नील नदी का स्रोत माना जाता है, जबकि कागेरा नदी (Kagera River) जैसी विविध आकारों की नदियाँ स्वयं इस झील के लिये फीडर रूप में कार्य करती हैं।
- नील नदी को दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक माना जाता है।
  - नील नदी की तीन प्रमुख सहायक नदियाँ- ब्लू नील, अटबारा और व्हाइट नील हैं।
- नील नदी का बेसिन काफी विशाल है और इसमें तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कांगो और केन्या आदि देश शामिल हैं।
- नील नदी एक चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। त्रिकोणीय अथवा धनुषाकार आकार वाले डेल्टा को चापाकार डेल्टा कहा जाता है।

आगे की राह

- संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिये पड़ोसी देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा मध्यस्थता और सुविधा आवश्यक है।
- यदि संघर्ष को सुलझाने का प्रयास संघर्षरत पक्षों के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाने से नहीं होता है तो एक क्षतिपूर्ति पद्धति अपनाई जा सकती है जिसके लिये देशों को एक-दूसरे के नुकसान की भरपाई करने की आवश्यकता होगी।

कृषि पर भारत-यूरोपीय संघ की बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और यूरोपीय आयोग (European Commission) के कृषि सदस्य के बीच एक आभासी बैठक आयोजित की गई।

- इस बैठक के दौरान जुलाई 2020 में आयोजित भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के बाद से भारत-यूरोपीय संघ (EU) के संबंधों में आई मज़बूती को रेखांकित किया गया।
- इससे पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत-यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक में हिस्सा लिया था।

प्रमुख बिंदु

बैठक संबंधी मुख्य बिंदु

- यूरोपीय यूनियन कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी (CAP):
  - वर्ष 1962 में लॉन्च की गई यह नीति कृषि एवं समाज तथा यूरोप तथा उसके किसानों के बीच एक साझेदारी के रूप में कार्य करती है।

- यह यूरोपीय संघ के सभी देशों के लिये एक समान नीति है और इसे यूरोपीय संघ के बजटीय प्रावधानों के माध्यम से यूरोपीय स्तर पर प्रबंधित और वित्त पोषित किया जाता है।
- इसका उद्देश्य किसानों का समर्थन करना, कृषि उत्पादकता में सुधार करना, किफायती भोजन की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित करना, यूरोपीय संघ के किसानों की सुरक्षा करना, जलवायु परिवर्तन से निपटना और प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी प्रबंधन आदि सुनिश्चित करना है।

- यूरोपीय संघ 'फार्म टू फोर्क' रणनीति:
  - यह रणनीति 'यूरोपीय ग्रीन डील' का एक प्रमुख हिस्सा है और इसका उद्देश्य खाद्य प्रणालियों को निष्पक्ष, स्वस्थ एवं पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। साथ ही यह स्थायी एवं सतत् खाद्य प्रणाली में ट्रांज़िशन में तेज़ी लाने की दिशा में भी कार्य करता है।
  - यूरोपीय संघ द्वारा 'कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी' (CAP) के साथ-साथ 'फार्म टू फोर्क' रणनीति में सुधार किया गया है, ताकि कृषि को अधिक स्थायी और सतत् बनाया जा सके।
  - यूरोपीय संघ ने वर्ष 2030 तक यूरोपीय संघ के 25 प्रतिशत क्षेत्र को जैविक कृषि के तहत लाने का भी लक्ष्य रखा है।
- G20 कृषि मंत्रियों की बैठक 2021:
  - यह 'G20 लीडर्स समिट 2021' के हिस्से के रूप में आयोजित मंत्रिस्तरीय बैठकों में से एक है, जिसकी मेज़बानी अक्तूबर 2021 में इटली द्वारा की जाएगी।
  - यह मुख्यत: तीन व्यापक एवं परस्पर संबद्ध स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करेगी- आम लोग, पृथ्वी और समृद्धि।
  - भारत और यूरोपीय संघ दोनों द्वारा इस शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग की उम्मीद की जा रही है।
- संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021
  - संयुक्त राष्ट्र (UN) के महासचिव ने सतत् विकास के लिये वर्ष 2030 एजेंडा के दृष्टिकोण को साकार करने और दुनिया में कृषि-खाद्य प्रणालियों में सकारात्मक बदलाव हेतु रणनीति विकसित करने के लिये पहले संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन के आयोजन का आह्वान किया है, जिसे सितंबर 2021 में आयोजित किया जाएगा।
  - यूरोपीय संघ और भारत इस सम्मेलन के दौरान भी अपने सहयोग को मज़बूत करने का प्रयास करेंगे।

भारत का रुख:

- छोटे किसानों का दबदबा:
  - इसके 70% ग्रामीण परिवार अभी भी अपनी आजीविका हेतु मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं, 82% किसान छोटे और सीमांत हैं।
- किसानों की आय बढ़ाने हेतु हाल में किये गए प्रयासों पर चर्चा :
  - ग्रामीण क्षेत्रों में फार्म गेट (Farm Gate) और कृषि विपणन बुनियादी ढाँचे (Agriculture Marketing Infrastructure) के विकास के लिये एक लाख करोड़ रुपए के कोष के साथ कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना।
  - कृषि उपज के विपणन में छोटे और सीमांत किसानों की सहायता हेतु 10000 किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Produce Organizations (FPOs) के गठन की योजना।
- कृषि को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाने हेतु पहलों पर चर्चा:
  - नैनो-यूरिया (Nano-urea) के प्रयोग को प्रोत्साहन।
  - परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती (Organic Farming)।
- ट्राईसाइक्लाज़ोल की अधिकतम अवशिष्ट सीमा (MRL):
  - चावल की फसल में इस्तेमाल होने वाले ट्राईसाइक्लाज़ोल की अधिकतम अवशिष्ट सीमा (Maximum Residual Limit-MRL) तय करने का मुद्दा उठाया गया जो भारत के लिये चिंता का विषय रहा है और यूरोपीय संघ को होने वाले भारत के बासमती चावल के निर्यात को प्रभावित कर रहा है।
    - MRL अच्छी कृषि पद्धतियों (Good Agricultural Practices- GAP) के अनुसार, कीटनाशकों के उपयोग के परिणामस्वरूप फसल या खाद्य वस्तुओं पर कीटनाशक हेतु अधिकतम सांद्रता है, जिसे पीपीएम (ppm) में व्यक्त किया जाता है।

- ट्राईसाइक्लाज़ोल (Tricyclazole) एक कवकनाशी है जिसका उपयोग राइस ब्लास्ट (Rice Blast) को नियंत्रण करने हेतु किया जाता है लेकिन इसे यूरोपीय संघ में उपयोग के लिये अनुमोदित नहीं किया गया है।

यूरोपीय आयोग

यूरोपीय आयोग के विषय में:

- यह यूरोपीय संघ (European Union) का एक कार्यकारी निकाय है। यह विधायी प्रक्रियाओं के प्रति उत्तरदायी है। यह विधानों को प्रस्तावित करने, निर्णयों को लागू करने, यूरोपीय संघ की संधियों को बरकरार रखने और यूरोपीय संघ के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के प्रबंधन के लिये ज़िम्मेदार है।
  - यूरोपीय संघ 27 देशों का एक समूह है जो एक समेकित आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है।
- इस आयोग को महानिदेशालय (Directorates General) के रूप में विभाजित किया गया है, जिसकी तुलना एक महानिदेशक के नेतृत्व वाले विभागों या मंत्रालयों से की जा सकती है।

संरचना:

- आयोग 28 सदस्य देशों के साथ एक कैबिनेट सरकार के रूप में कार्य करता है। प्रति सदस्य देश से एक सदस्य आयोग में शामिल होता है। इन सदस्यों का प्रस्ताव सदस्य देशों द्वारा ही दिया जाता है जिसे यूरोपीय संसद द्वारा अंतिम स्वीकृति दी जाती है।
- 28 सदस्य देशों में से एक को यूरोपीय परिषद द्वारा अध्यक्ष पद हेतु प्रस्तावित और यूरोपीय संसद द्वारा निर्वाचित किया जाता है।

आगे की राह

- भारत सुरक्षा नज़रिये से नहीं तो भू-आर्थिक रूप से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में संलग्न होने के लिये यूरोपीय संघ के देशों को प्रोत्साहित कर सकता है।
  - यह क्षेत्रीय बुनियादी ढाँचे के सतत् विकास के लिये बड़े पैमाने पर आर्थिक संसाधन जुटा सकता है, राजनीतिक प्रभाव को नियंत्रित कर सकता है और भारत-प्रशांत वार्ता को आकार देने हेतु अपनी महत्त्वपूर्ण सॉफ्ट पावर का लाभ उठा सकता है।
- भारत और यूरोपीय संघ एक मुक्त व्यापार सौदे पर बातचीत कर रहे हैं, जो कि वर्ष 2007 से लंबित है।
  - अत: भारत और यूरोपीय संघ के बीच घनिष्ठ भागीदारी के लिये दोनों को व्यापार समझौते को जल्द-से-जल्द अंतिम रूप देना चाहिये।

OIC के प्रस्ताव को भारत ने खारिज किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विदेश मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता में सहयोग के लिये 'इस्लामिक सहयोग संगठन' (OIC) के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।

- इससे पूर्व दिसंबर 2020 में भारत ने 'इस्लामिक सहयोग संगठन' द्वारा देश की कश्मीर नीति की आलोचना को भी खारिज कर दिया था।

'इस्लामिक सहयोग संगठन' (OIC)

- कुल 57 देशों की सदस्यता के साथ यह संयुक्त राष्ट्र (UN) के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर-सरकारी संगठन है।
- यह संगठन दुनिया भर में मुस्लिम जगत की सामूहिकता का प्रतिनिधित्व करता है। यह दुनिया के विभिन्न देशों के लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देने के साथ ही दुनिया के मुस्लिम समुदायों के हितों की रक्षा एवं संरक्षण का प्रयास करता है।
  - भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है।
- इसका गठन सितंबर 1969 में मोरक्को के रबात में हुए ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था।
- मुख्यालय: जेद्दाह (सऊदी अरब)

प्रमुख बिंदु

'इस्लामिक सहयोग संगठन' का पक्ष

- संगठन ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक बैठक की व्यवस्था करने की पेशकश की और साथ ही विदेश मंत्रियों की OCI परिषद के प्रस्तावों के अनुरूप जम्मू-कश्मीर में एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का भी प्रस्ताव रखा है।
  - पश्चिम एशिया तथा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर, इंडोनेशिया और बांग्लादेश सहित इस्लामी संगठन के विभिन्न प्रमुख देशों के साथ भारत के बेहतर संबंधों की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान बार-बार 'इस्लामिक सहयोग संगठन' के मंच का प्रयोग कर कश्मीर मुद्दे को उठा रहा है।

भारत की प्रतिक्रिया

- OIC को सावधान रहना चाहिये कि उसके मंच का प्रयोग भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने या पक्षपातपूर्ण और एकतरफा प्रस्तावों के माध्यम से भारत विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने के लिये न किया जाए।

भारत और OIC

एक संगठन के रूप में OIC के साथ भारत के संबंध:

- वर्ष 2018 में IOC के विदेशी मंत्रियों की बैठक (45वीं) में मेज़बान बांग्लादेश ने यह सुझाव दिया था कि भारत में भी 10% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है और इसलिये भारत को भी इस संगठन में पर्यवेक्षक (Observer) के तौर पर शामिल कर लेना चाहिये लेकिन पाकिस्तान ने इसका विरोध किया।
- वर्ष 2019 में भारत को IOC की इस बैठक के उद्घाटन सत्र में बतौर 'गेस्ट ऑफ़ ऑनर' आमंत्रित किया गया।
  - पहली बार इस प्रकार के निमंत्रण को भारत के लिये एक कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया, विशेष रूप से ऐसे समय में जब पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ गया था।

OIC द्वारा भारत की नीतियों की आलोचना :

- इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) प्राय: कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन करता रहा है और संगठन द्वारा जम्मू-कश्मीर में कथित भारतीय 'अत्याचार' की आलोचना करते हुए कई बयान जारी किये गए हैं।
  - वर्ष 2018 में OIC के महासचिव ने जम्मू-कश्मीर में भारतीय कब्ज़े वाले कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा कथित निर्दोष कश्मीरियों की हत्या की कड़ी निंदा की थी।
  - महासचिव ने अपने बयान में 'प्रदर्शनकारियों पर प्रत्यक्ष गोलीबारी' को एक 'आतंकवादी कृत्य' के रूप में वर्णित किया था और 'कश्मीर समस्या के उचित व स्थायी समाधान के लिये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भूमिका निभाने का आह्वान किया था।
- इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 और बाबरी मस्जिद विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की भी आलोचना की है।
- इसके अलावा संगठन ने भारत में 'बढ़ते इस्लामोफोबिया' को लेकर भी भारत सरकार की आलोचना की है।

भारत की प्रतिक्रिया:

- भारत ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सहित भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का OIC के पास कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है।

OIC सदस्य देशों के साथ भारत के संबंध:

- व्यक्तिगत रूप से भारत के लगभग सभी सदस्य देशों के साथ अच्छे संबंध हैं।
- हाल के वर्षों में भारत ने UAE और सऊदी अरब के साथ संबंधों में विशेष रूप से उल्लेखनीय सुधार किया है।
  - अबू धाबी (UAE) के शहज़ादे (Crown Prince) वर्ष 2017 में 68वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष मुख्य अतिथि थे।
- OIC में भारत के दो करीबी पड़ोसी देश बांग्लादेश और मालदीव भी शामिल हैं।

- भारतीय राजनयिकों का कहना है कि दोनों देश निजी तौर पर स्वीकार करते हैं कि वे कश्मीर पर भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को जटिल नहीं बनाना चाहते हैं।

भारत-नेपाल रेल सेवा समझौता

चर्चा में क्यों?

भारत और नेपाल ने भारत-नेपाल रेल सेवा समझौता (RSA), 2004 हेतु एक विनिमय पत्र (एलओई) पर हस्ताक्षर किये हैं।

- यह सभी अधिकृत कार्गो ट्रेन ऑपरेटरों को कंटेनर और अन्य माल को नेपाल ले जाने के लिये भारतीय रेलवे नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देगा (भारत तथा नेपाल या तीसरे देश के बीच भारतीय बंदरगाहों से नेपाल तक)।
  - अधिकृत कार्गो ट्रेन ऑपरेटरों में सार्वजनिक और निजी कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर, ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर, विशेष माल ट्रेन ऑपरेटर या भारतीय रेलवे द्वारा अधिकृत कोई अन्य ऑपरेटर शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु:

रेल सेवा समझौता, 2004:

- रेल सेवा समझौता, 2004 को दोनों देशों के बीच रक्सौल (भारत) के रास्ते बीरगंज (नेपाल) से मालगाड़ी सेवाओं की शुरुआत के लिये रेल मंत्रालय, भारत सरकार और वाणिज्य मंत्रालय तथा नेपाल सरकार के बीच निष्पादित किया गया था।
- यह समझौता भारत और नेपाल के बीच रेल द्वारा आवाजाही का मार्गदर्शन करता है।
- समझौते की समीक्षा हर पाँच वर्ष में की जाएगी और इसे आपसी सहमति से अनुबंध करने वाले पक्षों द्वारा संशोधित (एक्सचेंज के पत्रों के माध्यम से) किया जा सकता है।
- अतीत में तीन अवसरों पर LoE के माध्यम से RSA में संशोधन किया गया है।
  - ऐसा पहला संशोधन वर्ष 2004 में किया गया था।
  - दूसरा एलओई वर्ष 2008 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कार्गो की शुरूआत के समय हस्ताक्षरित किया गया था, जिसके लिये नई सीमा शुल्क प्रक्रियाओं की शुरूआत की आवश्यकता थी।
  - तीसरे एलओई पर 2016 में हस्ताक्षर किये गए थे, जो कोलकाता/हल्दिया बंदरगाह के माध्यम से रेल परिवहन के मौजूदा प्रावधान के अलावा विशाखापत्तनम बंदरगाह तक/से रेल परिवहन यातायात को सक्षम बनाता है।

नवीनतम समझौते के लाभ:

- बाज़ार की ताकतों को संचालित करने की अनुमति: यह उदारीकरण नेपाल के रेल खंड में बाज़ार की ताकतों (जैसे उपभोक्ताओं और खरीदारों) को आने की अनुमति देगा और इससे दक्षता और लागत-प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि होने की संभावना है, अंततः नेपाल के उपभोक्ताओं को इससे लाभ होगा।
- परिवहन लागत कम होगी: उदारीकरण विशेष रूप से ऑटोमोबाइल और कुछ अन्य उत्पादों के लिये परिवहन लागत को कम करेगा जिनकी ढुलाई विशेष वैगनों द्वारा होती है तथा यह दोनों देशों के बीच रेल कार्गो गतिविधियों को बढ़ावा देगा।
- क्षेत्रीय संपर्क में वृद्धि: नेपाल रेलवे कंपनी के स्वामित्व वाले वैगनों को भी IR मानकों और प्रक्रियाओं के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क पर नेपाल जाने वाले माल (कोलकाता/हल्दिया से विराटनगर/बीरगंज मार्गों पर आने वाली और बाहर जाने वाली) को ले जाने के लिये अधिकृत किया जाएगा।
  - इस LoE पर हस्ताक्षर "नेबरहुड फर्स्ट" नीति के तहत क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के भारत के प्रयासों में एक और मील का पत्थर है।

अन्य कनेक्टिविटी परियोजना:

- नेपाल तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ तिब्बत की ओर खुला है जहाँ बहुत सीमित वाहनों की पहुँच है।
- भारत-नेपाल ने लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संपर्क कार्यक्रम शुरू किये हैं।

- भारत में काठमांडू को रक्सौल से जोड़ने वाला इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाने हेतु दोनों सरकारों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
- भारत व्यापार और पारगमन व्यवस्था के ढाँचे के भीतर कार्गो की आवाजाही हेतु अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित करना चाहता है, यह नेपाल को सागर (हिंद महासागर) के साथ सागरमाथा (माउंट एवरेस्ट) को जोड़ने के लिये समुद्र तक अतिरिक्त पहुँच प्रदान करता है।
- वर्ष 2019 में भारत और नेपाल ने संयुक्त रूप से एक सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन का उद्घाटन किया है।
  - यह पाइपलाइन भारत के मोतिहारी से पेट्रोलियम उत्पादों को नेपाल के अमलेखगंज तक ले जाती है।
  - यह दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन है।

नेबरहुड फर्स्ट नीति (Neighbourhood first policy)

- यह भारत की विदेश नीति का हिस्सा है जो सक्रिय रूप से भारत के सीमावर्ती पड़ोसियों के साथ संबंधों को सुधारने पर केंद्रित है जिसे मीडिया में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कहा जा रहा है।
- पीएम नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में दक्षिण एशियाई देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों को आमंत्रित करके इसकी अच्छी शुरुआत की गई थी और बाद में उन सभी के साथ व्यक्तिगत रूप से द्विपक्षीय वार्ता की गई, जिसे मिनी सार्क शिखर सम्मेलन करार दिया गया।
- वर्ष 2019 में दूसरे शपथ ग्रहण समारोह में भारत ने बिम्सटेक देशों के प्रमुखों को आमंत्रित किया था।

भारत-नेपाल संबंध

- पड़ोसी: नेपाल, भारत का एक महत्त्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों के कारण वह हमारी विदेश नीति में भी विशेष महत्त्व रखता है।
  - वर्ष 1950 की 'भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि' दोनों देशों के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार है।
- सांस्कृतिक संबंध: भारत और नेपाल हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म के संदर्भ में समान संबंध साझा करते हैं, उल्लेखनीय है कि बुद्ध का जन्मस्थान लुम्बिनी नेपाल में है और उनका निर्वाण स्थान कुशीनगर भारत में स्थित है।
- खुली सीमाएँ : दोनों देश न सिर्फ एक खुली सीमा और लोगों की निर्बाध आवाजाही को साझा करते हैं, बल्कि उनके बीच विवाह और पारिवारिक संबंधों जैसे घनिष्ठ संबंध भी हैं, जिसे 'रोटी-बेटी के रिश्ते' के रूप में जाना जाता है।
- बहुपक्षीय साझेदारी: भारत और नेपाल कई बहुपक्षीय मंचों को साझा करते हैं, जैसे- BBIN (बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल), बिम्सटेक (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation), गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM) तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (The South Asian Association for Regional Cooperation-SAARC) आदि।

मुद्दे:

- वर्ष 2017 में नेपाल ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) पर हस्ताक्षर किये, जिसने देश में राजमार्ग, हवाई अड्डे तथा अन्य बुनियादी ढाँचे के निर्माण की मांग की।
  - BRI को भारत ने खारिज कर दिया था तथा नेपाल के इस कदम को चीन के प्रति झुकाव के तौर पर देखा जा रहा था।
- वर्तमान में भारत-नेपाल और चीन के बीच कालापानी (Kalapani), लिंपियाधुरा (Limpiyadhura), लिपुलेख (Lipulekh), ट्राइजंक्शन और सुस्ता क्षेत्र (पश्चिम चंपारण ज़िला, बिहार) को लेकर भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद है।

हैती के राष्ट्रपति की हत्या

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की 'पोर्ट-औ-प्रिंस' हैती में उनके निजी आवास पर हत्या कर दी गई।

प्रमुख बिंदु:

हैती:

- हैती कैरेबियन सागर में स्थित एक देश है जिसमें पश्चिमी हिस्पानियोला द्वीप का तीसरा हिस्सा और गोनावे, टोर्टु (टोर्टुगा), ग्रांडे केई तथा वाचे जैसे छोटे द्वीप शामिल हैं। इसकी राजधानी पोर्ट-औ-प्रिंस है।
- इसकी लगभग पूरी आबादी अफ्रीकी गुलामों के वंशजों की है, इसने वर्ष 1804 में फ्राँस से स्वतंत्रता प्राप्त की, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद अमेरिका में दूसरा देश बना, जिसने खुद को औपनिवेशिक शासन से मुक्त किया।
  - यह दुनिया का पहला स्वतंत्र अश्वेत नेतृत्व वाला गणतंत्र है।
  - यह लगभग दो शताब्दियों तक स्पेनिश औपनिवेशिक शासन और एक सदी से अधिक फ्राँसीसी शासन के अधीन रहा।
- हालाँकि सदियों से आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कठिनाइयों के साथ-साथ कई प्राकृतिक आपदाओं ने हैती को गरीबी और अन्य गंभीर समस्याओं से घेर रखा है।
- यह पश्चिमी गोलार्द्ध का सबसे गरीब देश है, विदेशी हस्तक्षेप, आर्थिक शोषण और तानाशाही शासन इसका एक दर्दनाक इतिहास रहा है।

हालिया अस्थिरता:

- हैती की नवीनतम राजनीतिक अस्थिरता जोवेनल मोइस (Jovenel Moise) के राष्ट्रपति पद के विवाद के इर्द-गिर्द घूमती है। उन्हें 2016 में पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिये चुना गया था, लेकिन चुनाव परिणामों पर विवाद के कारण उन्होंने अगले वर्ष तक पदभार नहीं संभाला।
  - जोवेनेल मोइस के प्रशासन के तहत हैती में राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति और खराब हो गई।
- जोवेनल मोइस ने प्रभावी रूप से कहा कि यह उन्हें सत्ता में एक और वर्ष बने रहने का हकदार बनाता है, इस दावे को हैती के विपक्ष ने खारिज कर दिया।
- फरवरी 2021 में जब मोइस के विरोधियों ने कहा कि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया। जोवेनल मोइस ने इसे तख्तापलट का प्रयास बताया और 23 विरोधियों को गिरफ्तार किया गया।
- उस अवधि के दौरान अपहरण, बलात्कार तथा हत्या जैसे अपराधों में वृद्धि हुई है क्योंकि प्रतिद्वंद्वी गिरोह हैती की सड़कों पर नियंत्रण के लिये एक-दूसरे के साथ तथा पुलिस से झड़प करते रहे।
- मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं ने जोवेनल मोइस की सरकार पर प्रतिद्वंद्वी गिरोह से संबंध रखने का आरोप लगाया है।
  - अब तक इस वर्ष में कम-से-कम 278 हाईटियन गिरोह से संबंधित लोग हिंसा में मारे गए हैं।
- अप्रत्याशित स्तर की हिंसा एवं उसके उपरांत होने वाला विस्थापन कई गौण मुद्दों को जन्म दे रहा है।

भारत-हैती संबंध

राजनीतिक:

- हैती के साथ भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं, हालाँकि दोनों देशों के बीच बातचीत सीमित स्तर पर ही रही है।
- सितंबर 1996 में भारत द्वारा हैती के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किये गए। अक्तूबर 2014 में हैती ने नई दिल्ली में अपना एक मानद वाणिज्य दूत नियुक्त किया।
- अगस्त 1995 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) के तत्वावधान में एक शांति मिशन पर 140 सदस्यीय केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल ((Central Reserve Police Force- CRPF) की टुकड़ी को हैती भेजा था।
- अक्तूबर 2008 में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के तहत हैती में सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण की स्थापना करने के लिये भारत द्वारा गठित एक 140 सदस्यीय पुलिस इकाई (Formed Police Unit- FPU) संयुक्त राष्ट्र के स्थिरीकरण मिशन (मोनुस्को) में शामिल हुई।
  - जुलाई 2019 में हैती में तैनात FPU की अंतिम इकाई को मोनुस्को मिशन के पूरा होने पर बुला लिया गया।

- हैती सरकार ने हाल के दिनों में बहुपक्षीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice- ICJ), यूनेस्को (UNESCO), अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (International Maritime Organization) और विश्व सीमा शुल्क संगठन (World Customs Organization- WCO) के चुनावों सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के चुनावों में भारतीय उम्मीदवारों का समर्थन किया है।

व्यापार:

- हैती के साथ भारत का व्यापार अभी सीमित ही है लेकिन हाल के वर्षों में भारतीय निर्यात में बढ़ोतरी हुई है।
- वर्ष 2018-19 के अंत तक दोनों देशों के मध्य दोतरफा व्यापार 93.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
- हैती को निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं में फार्मास्युटिकल सामान, कपड़ा, रबर उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन और प्लास्टिक एवं लिनोलियम उत्पाद शामिल हैं।
- भारत ने कम विकसित देश अर्थात् विकाशील देशों हेतु एक विशेष संकेतक के रूप में हैती के उत्पादों के लिये शुल्क मुक्त पहुँच प्रदान की हुई है।

शैक्षिक:

- भारत ने भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम के तहत हैती (Haiti) को सहायता प्रदान की है।
  - ITEC कार्यक्रम भारत में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने, विदेशों में भारतीय विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति, आपदा राहत हेतु सहायता, उपहार में उपकरण देने, अध्ययन दौरे और व्यवहार्यता अध्ययन/परामर्श सेवाएँ प्रदान करता है।
- हैती के (Haitian) राजनयिक भी नियमित अंतराल पर विदेशी राजनयिकों के लिये व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (Professional Course for Foreign Diplomats- PCFD) का लाभ उठाते रहे हैं।
  - PCFD राजनयिकों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में अर्जित ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करने में अपने मित्र देशों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
- हैती की अशिक्षित महिलाओं ने राजस्थान के बेयरफुट कॉलेज (Barefoot College in Rajasthan) में सौर ऊर्जा संचयन का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

आपदा राहत:

- भारत ने नवंबर 2007 में नोएल (Noel) तूफान से हुई क्षति के लिये हैती को मानवीय सहायता के रूप में 50,000 डॉलर मूल्य की दवाएँ दान कीं।
- जनवरी 2010 में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राहत सहायता दी गई थी। वर्ष 2011 तक तीन वर्षों के लिये वार्षिक 5,00,000 अमेरिकी डॉलर की राहत भी प्रदान की गई थी।
- भारत ने अक्तूबर 2016 में तूफान मैथ्यू (Mathew) के बाद हैती को 2,50,000 अमेरिकी डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता भी प्रदान की।

भारतीय समुदाय:

- हैती में भारतीय समुदाय छोटा है। इसमें करीब 70 सदस्य शामिल हैं और लगभग सभी भारतीय पासपोर्ट धारक हैं।
- उनमें से कई पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, तकनीशियन हैं। कुछ निजी कारोबार में भी संलग्न हैं।

भारत की तिब्बत नीति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कुछ चीनी नागरिकों ने भारत में दलाई लामा के जन्मदिन के जश्न का विरोध किया।

- भारत और चीन संबंधों के बीच दलाई लामा एवं तिब्बत प्रमुख अड़चन हैं।

- चीन दलाई लामा को अलगाववादी मानता है, जिसका तिब्बतियों पर अधिक प्रभाव है। भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की निरंतर आक्रामकता का मुकाबला करने के लिये तिब्बती कार्ड का उपयोग करना चाहता है।

प्रमुख बिंदु:

भारत की तिब्बत नीति की पृष्ठभूमि:

- वर्षों से तिब्बत भारत का एक अच्छा पड़ोसी रहा है, क्योंकि भारत की अधिकांश सीमाओं सहित 3500 किमी. LAC तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के साथ जुड़ा है, न कि शेष चीन के साथ।
- वर्ष 1914 में चीनियों व तिब्बती प्रतिनिधियों ने ब्रिटिश भारत के साथ शिमला सम्मेलन पर हस्ताक्षर किये जिसने सीमाओं का अंकन किया।
- हालाँकि वर्ष 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर पूर्ण रूप से अधिकार करने के बाद चीन ने उस सम्मेलन और मैकमोहन रेखा को अस्वीकार कर दिया जिसने दोनों देशों को विभाजित किया था।
- इसके अलावा 1954 में भारत ने चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिसमें तिब्बत को "चीन के तिब्बत क्षेत्र" के रूप में मान्यता देने पर सहमति हुई।
- वर्ष 1959 में तिब्बती विद्रोह के बाद दलाई लामा (तिब्बती लोगों के आध्यात्मिक नेता) और उनके कई अनुयायी भारत आ गए।
- पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने उन्हें और तिब्बती शरणार्थियों को आश्रय दिया तथा निर्वासन की स्थिति में तिब्बती सरकार की स्थापना में मदद की।
- आधिकारिक भारतीय नीति यह है कि दलाई लामा एक आध्यात्मिक नेता हैं और भारत में एक लाख से अधिक निर्वासितों के साथ तिब्बती समुदाय को किसी भी राजनीतिक गतिविधि का अधिकार नहीं है।

भारत की तिब्बत नीति में बदलाव:

- भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव की स्थिति में भारत की तिब्बत नीति में बदलाव आया है। नीति में यह बदलाव, सार्वजनिक मंचों पर दलाई लामा के साथ सक्रिय रूप से प्रबंधन करने वाली भारत सरकार को चिह्नित करता है। उदाहरण के लिये
  - वर्ष 2014 में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रमुख लोबसंग सांगे को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया था।
    - हालाँकि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2019 में दूसरे पाँच साल के कार्यकाल के लिये फिर से चुने जाने के बाद उन्हें आमंत्रित नहीं किया, ताकि उनके और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक द्वितीय अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिये एक सुगम मार्ग सुनिश्चित किया जा सके।
  - हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने दलाई लामा को वर्ष 2013 के बाद पहली बार सार्वजनिक स्वीकृति मिलने की शुभकामनाएँ दीं।
- भारत की तिब्बत नीति में बदलाव मुख्य रूप से प्रतीकात्मक पहलुओं पर केंद्रित है, लेकिन तिब्बत नीति के प्रति भारत के दृष्टिकोण से संबंधित कई चुनौतियाँ हैं।

तिब्बत नीति के प्रति भारतीय दृष्टिकोण से जुड़ी चुनौतियाँ:

- तिब्बती जनसांख्यिकी में परिवर्तन: पिछले कुछ दशकों में चीन अपनी मुख्य भूमि से लोगों को तिब्बत में प्रवास करने हेतु प्रोत्साहित कर रहा है।
  - चीन उस तिब्बती आबादी का दमन कर रहा है जो दलाई लामा से संबंधित है या उसका समर्थन करती है तथा इस क्षेत्र में अपने निवेश, बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को बढ़ा रहा है।
- तिब्बती लोगो का एक-दूसरे के खिलाफ प्रयोग: जैसे-जैसे भारत-चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है तथा गालवान घाटी संघर्ष के बाद यह और हिंसक हो गया है, चीन ने तिब्बती मिलिशिया समूहों को समर्थन देना शुरू कर दिया है।
  - इसके विपरीत भारतीय सेना तिब्बती स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को प्रशिक्षित करती है, जिससे भविष्य में तिब्बती एक-दूसरे के खिलाफ लड़ सकते हैं।

- तिब्बती नागरिकता का मुद्दा: भारत सरकार 1987 के कट-ऑफ वर्ष के बाद से भारत में पैदा हुए तिब्बतियों को नागरिकता प्रदान नहीं करती है।
  - इससे तिब्बती समुदाय के युवाओं में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई है।
  - इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका द्वारा तिब्बती शरणार्थियों को स्वीकार किये जाने से अमेरिका की भूमिका महत्त्वपूर्ण हुई है। यह भविष्य में तिब्बती शरणार्थी संबंधी बहस के मुद्दे को प्रभावित करने वाली एकमात्र इकाई के रूप में भारत की भूमिका को प्रभावित करेगा।
- दलाई लामा के उत्तराधिकार का प्रश्न: 86 वर्षीय दलाई लामा न केवल एक आध्यात्मिक नेता हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर तिब्बती समुदाय के राजनीतिक नेता भी हैं।
  - दलाई लामा का दावा है कि उनका उत्तराधिकारी भारत के एक विशिष्ट क्षेत्र में या यहाँ तक कि ताइवान जैसे किसी अन्य देश में एक जीवित अवतार हो सकता है।

आगे की राह:

- वर्तमान में भारत में बसने वाले तिब्बतियों को लेकर एक कार्यकारी नीति (कानून नहीं) है।
- भारत की वर्तमान तिब्बती नीति भारत में बसने वाले तिब्बतियों के कल्याण एवं विकास हेतु महत्त्वपूर्ण है, परंतु यह तिब्बत के मुख्य मुद्दों का कानूनी समर्थन नहीं करती है। उदाहरण के लिये तिब्बत के विध्वंसकारकों द्वारा तिब्बत में स्वतंत्रता की मांग।
- अत: अब समय आ गया है कि भारत को भी चीन से निपटने में तिब्बत के मुद्दे पर अधिक मुखर रुख अपनाना चाहिये।
- इसके अलावा भारत में तिब्बत की एक युवा और अशांत आबादी निवास करती है, जो दलाई लामा के गुज़रने के बाद अपने नेतृत्व और कमान संरचना हेतु भारत से बाहर दिखती है। अत: भारत को ऐसी स्थिति से बचने की भी ज़रुरत है।

भारत में वियतनाम का पहला मानद महावाणिज्य दूत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वियतनाम ने वियतनाम और कर्नाटक राज्य के बीच व्यापार, निवेश, पर्यटन, शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिये बंगलूरू में मानद महावाणिज्य दूत (Honorary Consul General in India) नियुक्त किया है।

- बंगलूरू स्थित उद्योगपति एन. एस. श्रीनिवास मूर्थि को कर्नाटक के लिये वियतनाम का मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया है।
- यह भारत से वियतनाम के पहले मानद महावाणिज्य दूत हैं जिनकी नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिये की गई है।

प्रमुख बिंदु

भारत-वियतनाम संबंध:

- सांस्कृतिक संबंधों का इतिहास: भारत और वियतनाम के बीच सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंध दूसरी शताब्दी से हैं।
  - दोनों देशों ने अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगाँठ को चिह्नित करने के लिये वर्ष 2022 में विभिन्न स्मारक गतिविधियों हेतु सहमति व्यक्त की है।
- साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष:
  - भारत ने वर्ष 1972 में आधिकारिक राजनयिक संबंध स्थापित होने से पहले ही अपने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वियतनाम के उपनिवेश-विरोधी संघर्ष का समर्थन किया था।
  - भारत ने शीत युद्ध (Cold War) की अवधि के दौरान वियतनाम संघर्ष (वियतनाम में अमेरिकी युद्ध) को खत्म करने के लिये हनोई के "चार बिंदुओं" (Four Point) का समर्थन किया।
  - भारत ने वर्ष 1970 के दशक के अंत में कम्पूचिया (Kampuchea) संकट (कंबोडियन-वियतनामी युद्ध) के दौरान भी वियतनाम का समर्थन किया था।

- पूर्व की ओर देखो नीति: दोनों देशों के बीच संबंध तब और मज़बूत हुए जब भारत ने वर्ष 1990 के दशक की शुरुआत में दक्षिण-पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के साथ आर्थिक एकीकरण तथा राजनीतिक सहयोग के विशिष्ट उद्देश्य के साथ अपनी "लुक ईस्ट पॉलिसी" (Look East Policy) शुरू की।
  - वर्ष 2014 में 'लुक ईस्ट पॉलिसी' को 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' (Act East Policy) में बदल दिया गया था।
- व्यापक रणनीतिक साझेदारी: 21वीं सदी की नई सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए वर्ष 2016 में रणनीतिक साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) तक बढ़ा दिया गया था।
- रक्षा सहयोग:
  - वियतनाम को सैन्य उपकरणों की बिक्री: चार बड़े गश्ती जहाज़ों और कम दूरी की क्रूज़ मिसाइल ब्रह्मोस (BrahMos) के लिये बातचीत चल रही है।
  - वियतनाम के सशस्त्र बलों को सैन्य उपकरणों में प्रशिक्षण देना: इसमें किलो-श्रेणी की पनडुब्बी (Kilo-class submarines) और सुखोई विमान (Sukhoi Aircraft) शामिल हैं।
  - सैन्य अभ्यास: विनबैक्स (VINBAX), (इन-वीपीएन) IN-VPN, (बिलाती) BILAT।
- भू-रणनीतिक अभिसरण: भारत और वियतनाम दोनों ही चीन के आक्रामक रुख को लेकर सशंकित हैं।
  - वस्तुत: चीन संपूर्ण दक्षिण चीन सागर (South China Sea) को अपना क्षेत्र घोषित करने के साथ ही हिंद महासागर में भी अपनी दृढ़ता का दावा कर रहा है।
  - चीन ने विशेष रूप से स्प्रैटली द्वीप समूह की विवादित राजनीतिक स्थिति के आलोक में वियतनामी जल क्षेत्र में तेल की खोज को लेकर भारतीय सहयोग के बारे में अपनी आपत्ति जाहिर की गई।
  - भारत और वियतनाम इस क्षेत्र में सभी के लिये साझा सुरक्षा, समृद्धि और विकास हासिल करने हेतु भारत की इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव (Indo-Pacific Oceans Initiative- IPOI) और इंडो-पैसिफिक पर आसियान (ASEAN's) के आउटलुक के अनुरूप अपनी रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने पर सहमत हुए हैं।

क्षेत्रीय सहयोग:

- भारत और वियतनाम संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व व्यापार संगठन के अलावा आसियान, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, मेकांग गंगा सहयोग (Mekong Ganga Cooperation) जैसे विभिन्न क्षेत्रीय मंचों में एक-दूसरे को घनिष्ट रूप से सहयोग करते हैं।
- वियतनाम द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने और एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (Asia-Pacific Economic Cooperation- APEC) में शामिल होने के भारत के प्रयास का समर्थन किया गया है।

आर्थिक सहयोग:

- पारस्परिक लाभ हेतु व्यापार और आर्थिक संबंध, जिनमें विशेष रूप से आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते (ASEAN- India Free Trade Agreement) पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद के वर्षों में काफी सुधार देखा गया है।
- भारत अब वियतनाम के शीर्ष दस व्यापारिक भागीदारों में शामिल है।
- भारत वियतनाम में त्वरित प्रभाव परियोजनाओं (Quick Impact Projects- QIP), वियतनाम के मेकांग डेल्टा क्षेत्र में जल संसाधन प्रबंधन, सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals- SDGs) तथा डिजिटल कनेक्टिविटी के माध्यम से विकास और क्षमता निर्माण में निवेश कर रहा है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग:

- भारत और वियतनाम ने सहयोग को लेकर फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं:
  - शांतिपूर्ण उद्देश्यों, आईटी सहयोग, साइबर सुरक्षा के लिये बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग।
  - शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये परमाणु ऊर्जा का उपयोग।
- वियतनाम भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एक बड़ा प्राप्तकर्त्ता रहा है।

- आसियान-भारत सहयोग तंत्र के तहत वियतनाम में 'सेंटर फॉर सैटेलाइट ट्रैकिंग और डेटा रिसेप्शन' तथा एक इमेजिंग सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

आगे की राह:

- सहयोग:
  - वैश्विक स्तर: भारत-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से चीन, भारत और वियतनाम द्वारा पेश की गई चुनौतियों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे बहुपक्षीय संस्थानों को घनिष्ठ समन्वय के साथ काम करना चाहिये, जहाँ 2021 में भारत और वियतनाम दोनों अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए।
  - क्षेत्रीय स्तर: आसियान में वियतनाम की भूमिका भारत और आसियान के लिये क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अधिक सहयोग को आसान बना सकती है।
    - आसियान के भीतर इंडोनेशिया जैसी कुछ बड़ी शक्तियों के भी दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए उसके खिलाफ मज़बूत रुख अपनाने की संभावना है।
  - आर्थिक मोर्चा: दोनों देशों को चीन विरोधी भावनाओं के कारण उपलब्ध आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने की ज़रूरत है और कई निर्माण फर्मों ने चीन से हटने का फैसला किया है।
    - भारत को एक रणनीति बनानी चाहिये ताकि RCEP में शामिल न होने का भारत का रुख दोनों देशों के बीच व्यापार के विकास में बाधा न बने।
- रक्षा सौदों में तेज़ी लाना: दोनों देशों को रक्षा सौदों को अंतिम रूप देने हेतु बातचीत की प्रक्रिया में तेज़ी लानी चाहिये।
  - गलवान घाटी संघर्ष और चीन का वर्ष 1982 के समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के प्रति अनादरपूर्ण व्यवहार भारत के लिये अधिक महत्त्व रखता है।

भूटान में लॉन्च हुआ भीम-UPI

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने समकक्ष भूटान के वित्त मंत्री के साथ मिलकर भीम-UPI अर्थात् भारत इंटरफेस फॉर मनी-यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Bharat Interface for Money-Unified Payments Interface- BHIM-UPI) को भूटान में लॉन्च किया है

- भुगतान प्रणाली एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की अंतर्राष्ट्रीय शाखा, भूटान की रॉयल मॉनीटरी अथॉरिटी (RMA) के साथ साझेदारी में शुरू की गई थी।

प्रमुख बिंदु:

- भूटान अपने त्वरित प्रतिक्रिया (Quick Response- QR) कोड हेतु UPI मानकों को अपनाने वाला पहला देश है। यह भीम एप के माध्यम से भारत के निकटतम पड़ोसी देशों में मोबाइल आधारित भुगतान स्वीकार करने वाला प्रथम देश भी है।
- व्यापारिक स्थलों (Merchant Locations) पर BHIM-UP स्वीकृति प्राप्त करने वाला सिंगापुर के बाद यह दूसरा देश भी है।
- भूटान एकमात्र ऐसा देश बन जाएगा जो रुपे कार्ड (RuPay Cards) जारी करने और स्वीकार करने के साथ-साथ भीम-यूपीआई को भी स्वीकार करेगा।
- भारत इंटरफेस फॉर मनी-यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (BHIM-UPI):
  - भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM) को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित किया गया है।
  - यह मोबाइल फोन के माध्यम से तेज़ गति से सुरक्षित, विश्वसनीय कैशलेस भुगतान को सक्षम करने की एक पहल है।
  - भीम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सीधे बैंक के माध्यम से ई-भुगतान सुविधा पर आधारित है।
  - यह अन्य यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) ऐप्लिकेशन और बैंक खातों के साथ अंतर-संचालित है।

- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) एक त्वरित रियल-टाइम भुगतान प्रणाली है, जो उपयोगकर्त्ताओं को अपने बैंक खाते का विवरण दूसरे पक्ष को बताए बिना कई बैंक खातों में रियल-टाइम के आधार पर धन हस्तांतरित करने की अनुमति देता है।

- लाभ:
  - सरल, सुरक्षित, लागत प्रभावी मोबाइल-आधारित भुगतान प्रणाली डिजिटल भुगतान के सबसे प्रमुख रूपों में से एक बन गई है।
  - दोनों देशों (भारत एवं भूटान) के भुगतान के बुनियादी ढाँचे मूल रूप से जुड़े हुए हैं और इससे बड़ी संख्या में भारत के उन पर्यटकों एवं व्यापारियों को लाभ होगा, जो प्रत्येक वर्ष भूटान की यात्रा करते हैं।
    - यह एक बटन के स्पर्श मात्र से कैशलेस लेन-देन के माध्यम से दैनिक जीवन में आसानी के साथ ही यात्रा में सुगमता को भी बढ़ाएगा।
  - वर्ष 2020 में UPI ने 457 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वाणिज्य को सक्षम किया, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 15% के बराबर है।

रुपे कार्ड योजना

- रुपे (RuPay) भारत में अपनी तरह का पहला घरेलू डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान नेटवर्क है।
- यह नाम रुपी (Rupee) और पेमेंट (Payment) दो शब्दों से मिलकर बना है जो इस बात पर ज़ोर देता है कि यह डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड भुगतानों के लिये भारत की स्वयं की पहल है।
- इस कार्ड का उपयोग सिंगापुर, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), बहरीन और सऊदी अरब में लेन-देन के लिये भी किया जा सकता है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

- यह निगम देश में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिये एक समग्र संगठन है, जो भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम (The Payment and Settlement Systems Act), 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) की एक पहल है।
- यह कंपनी अधिनियम, 1956 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत 'गैर-लाभकारी संगठन' है, जिसका उद्देश्य भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिये बुनियादी ढाँचा तथा निपटान प्रणाली प्रदान करना है।

सेंट क्वीन केटेवन के अवशेष: जॉर्जिया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने 17वीं सदी की सेंट क्वीन केटेवन के पवित्र अवशेषों का एक हिस्सा जॉर्जिया की सरकार को उपहार में दिया है।

- ये अवशेष भारत के विदेश मंत्री की जॉर्जिया की पहली यात्रा के अवसर पर उपहार में दिये गए हैं।
- जॉर्जिया रणनीतिक रूप से एक महत्त्वपूर्ण देश है, जो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के इंटरसेक्शन पर स्थित है।

प्रमुख बिंदु

सेंट क्वीन केटेवन के विषय में

- रानी केटेवन पूर्वी जॉर्जिया के एक राज्य काखेती से थीं।
- ऐसा माना जाता है कि वर्ष 1624 में शिराज (आधुनिक ईरान) में इस्लाम में परिवर्तित न होने के कारण उनकी हत्या कर दी गई थी।
- उनके अवशेषों के कुछ हिस्सों को 1627 में ऑगस्टीन भिक्षुओं द्वारा गोवा लाया गया था।
- क्वीन केटेवन के यही अवशेष भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा वर्ष 2005 में गोवा में सेंट ऑगस्टीन चर्च के खंडहर में खोजे गए थे।
- जॉर्जिया के लोगों की कई ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाएँ सेंट क्वीन केटेवन से जुड़ी हुई हैं।

सेंट ऑगस्टीन चर्च

- सेंट ऑगस्टीन चर्च गोवा में स्थित एक खंडहर चर्च परिसर है।
- इस चर्च का निर्माण कार्य वर्ष 1602 में ऑगस्टीन भिक्षुओं द्वारा पूरा किया गया था, जो वर्ष 1587 में गोवा पहुँचे थे।
- वर्ष 1835 में गोवा की पुर्तगाली सरकार द्वारा अपनाई गई नवीन दमनकारी नीतियों के तहत गोवा में कई धार्मिक पवित्र स्थानों में धार्मिक गतिविधियों को बंद कर दिया गया और इसका प्रभाव सेंट ऑगस्टीन चर्च पर भी पड़ा।
- इसके परिणामस्वरूप यह परिसर वह वर्ष 1842 में खंडहर में परिवर्तित हो गया।
- यह गोवा के चर्चों और मठों का एक हिस्सा है, जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है।

भारत-जॉर्जिया संबंध:

- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: ऐसा माना जाता है कि भारत के पंचतंत्र की दंतकथाओं ने जॉर्जियाई लोक कथाओं को प्रभावित किया है।
  - मध्ययुगीन काल में मिशनरियों, यात्रियों और व्यापारियों द्वारा उन संपर्कों को और मज़बूत किया गया था।
- हाल की यात्रा: भारत, जॉर्जिया में और अधिक निवेश करने को तैयार था, जो ईज ऑफ डूइंग सूचकांक में उच्च स्थान पर है।
  - जॉर्जिया ने यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिये भी आवेदन किया है, जिसे अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो यह भारत को यूरोप के लिये एक और प्रवेश द्वार तथा काकेशस में कदम जमाने का अवसर देगा।
- रूस और जॉर्जिया के बीच शत्रुतापूर्ण संबंधों को देखते हुए इस यात्रा का राजनीतिक महत्त्व भी है।
  - भारत ने रूस को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह रूस के विदेश मंत्री की हाल की पाकिस्तान यात्रा से खुश नहीं है।

काकेशस (Caucasus):

- यह पर्वत प्रणाली और क्षेत्र, काला सागर (पश्चिम) एवं कैस्पियन सागर (पूर्व) के बीच स्थित है तथा रूस, जॉर्जिया, अज़रबैजान एवं आर्मेनिया के कब्ज़े में है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

गुरुत्त्वाकर्षण तरंगों के नए स्रोत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लीगो वैज्ञानिक सहयोग (LSC) ने न्यूट्रॉन स्टार-ब्लैकहोल (NS-BH) विलय की एक जोड़ी से गुरुत्त्वाकर्षण तरंगों की खोज की है।

- गुरुत्त्वाकर्षण तरंग संसूचकों के एक वैश्विक नेटवर्क का उपयोग करके इन दो वस्तुओं से प्रतिध्वनियों को लिया गया, जो अब तक का सबसे संवेदनशील वैज्ञानिक उपकरण है।
- अब तक लीगो-वर्गों सहयोग (LVC) केवल ब्लैकहोल या न्यूट्रॉन तारों के जोड़े के बीच टकराव का निरीक्षण करने में सक्षम था। NS-BH विलय एक हाइब्रिड संयोग है।

ब्लैकहोल:

- ब्लैकहोल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहाँ गुरुत्त्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता है। यहाँ गुरुत्त्वाकर्षण इतना मज़बूत होता है कि पदार्थ छोटे से स्थान में संपीडित हो जाता है।
- गुरुत्त्वाकर्षण तरंगें तब बनती हैं जब दो ब्लैकहोल एक-दूसरे की परिक्रमा करते हैं और विलीन हो जाते हैं।

न्यूट्रॉन तारे:

- न्यूट्रॉन तारों में उच्च द्रव्यमान तारों के संभावित अंत-बिंदुओं में से एक शामिल होता है।
- एक बार जब तारे का कोर पूरी तरह से लोहे में जल जाता है तो ऊर्जा उत्पादन बंद हो जाता है और कोर तेज़ी से ढह जाता है, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉन को एक साथ संपीडित कर न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो बनाते हैं।
- न्यूट्रॉन अधोपतन दबाव द्वारा समर्थित एक तारे को 'न्यूट्रॉन स्टार' के रूप में जाना जाता है, जिसे पल्सर के रूप में जाना जाता है यदि इसका चुंबकीय क्षेत्र इसके स्पिन अक्ष के साथ अनुकूल रूप से संरेखित हो।

प्रमुख बिंदु:

गुरुत्त्वाकर्षण तरंगों के बारे में:

- ये अंतरिक्ष में अदृश्य तरंगें हैं जो तब बनती हैं जब:
  - सुपरनोवा में एक तारा फट जाता है।
  - दो बड़े तारे एक-दूसरे की परिक्रमा करते हैं।
  - दो ब्लैक होल विलीन हो जाते हैं।
  - न्यूट्रॉन स्टार-ब्लैकहोल (NS-BH) विलीन हो जाता है।
- वे प्रकाश की गति (1,86,000 मील प्रति सेकंड) से यात्रा करते हैं और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी पदार्थ को संपीडित कर सकते हैं।
  - जैसे गुरुत्त्वाकर्षण तरंग अंतरिक्ष-समय के माध्यम से यात्रा करती है, यह इसे एक दिशा में फैलाने और दूसरी दिशा में संपीडित करने का कारण बनती है।
  - अंतरिक्ष-समय के उस क्षेत्र पर कब्ज़ा करने वाली कोई भी वस्तु विस्तृत और संकुचित होती है क्योंकि लहर उनके ऊपर से गुज़रती है, हालाँकि बहुत कम, जिसे केवल लीगो जैसे विशेष उपकरणों द्वारा ही पता लगाया जा सकता है।

- सिद्धांत और खोज:
  - ये सिद्धांत एक सदी से भी पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने 'जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी' में प्रस्तावित किये थे।
  - हालाँकि पहली गुरुत्त्वाकर्षण तरंग का पता LIGO ने वर्ष 2015 में ही लगा लिया था।

खोज तकनीक:

- जैसे-जैसे दो सघन और विशाल पिंड एक-दूसरे की परिक्रमा करते हैं, वे करीब आते हैं और अंत में विलीन हो जाते हैं, क्योंकि गुरुत्त्वाकर्षण तरंगों के रूप में ऊर्जा लुप्त हो जाती है।
- गुरुत्वीय तरंग सिग्नल पृष्ठभूमि (Background) शोर के अंदर गहराई में दबे होते हैं जो सिग्नलों की खोज के लिये वैज्ञानिक मैच्ड फिल्टरिंग (Matched filtering) नामक एक विधि का उपयोग करते हैं।
- इस पद्धति में आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा भविष्यवाणी की गई विभिन्न अपेक्षित गुरुत्वाकर्षण तरंगों की तुलना डेटा के विभिन्न हिस्सों से की जाती है ताकि एक मात्रा का उत्पादन किया जा सके जो यह दर्शाता है कि डेटा में संकेत (यदि कोई हो) किसी एक तरंग के साथ मेल खाता है।
- जब भी यह मैच (तकनीकी शब्दों में "सिग्नल-टू-शोर अनुपात" या एसएनआर) महत्त्वपूर्ण (8 से बड़ा) होता है, तो एक घटना का पता लगाया जाता है।
- लगभग एक साथ हज़ारों किलोमीटर द्वारा अलग किये गए कई डिटेक्टरों में एक घटना का अवलोकन करने से वैज्ञानिकों का यह विश्वास बढ़ जाता है कि संकेत खगोलीय उत्पत्ति का है।

खोज का महत्त्व:

- एक न्यूट्रॉन तारे की सतह होती है तथा इसमें ब्लैकहोल नहीं होता है। एक न्यूट्रॉन तारा सूर्य के द्रव्यमान के लगभग 1.4-2 गुना है, जबकि ब्लैकहोल बहुत अधिक विशाल है। व्यापक रूप से असमान विलय के बहुत ही रोचक प्रभाव हैं जिनका पता लगाया जा सकता है।
  - डेटा का उल्लेख करते हुए कि वे कितनी बार विलय करते हैं, हमें उनकी उत्पत्ति और उनके गठन के बारे में भी प्रमाण मिलेगा।
- ये अवलोकन हमें ऐसे बायनेरिज़ के गठन और सापेक्ष बहुतायत को समझने में मदद करते हैं।
  - न्यूट्रॉन तारे ब्रह्मांड में सबसे घने पिंड हैं, इसलिये ये निष्कर्ष हमें अत्यधिक घनत्व पर पदार्थ के व्यवहार को समझने में भी मदद कर सकते हैं।
  - न्यूट्रॉन तारे ब्रह्मांड में सबसे सटीक 'घड़ियाँ' भी हैं, यदि वे अत्यंत आवधिक काल का उत्सर्जन करते हैं।
  - ब्लैकहोल के चारों ओर घूमने वाले पल्सर की खोज से वैज्ञानिकों को अत्यधिक गुरुत्त्वाकर्षण के तहत प्रभावों की जाँच करने में मदद मिल सकती है।

लीगो वैज्ञानिक सहयोग:

- इसकी स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी और वर्तमान में इसमें 100 से अधिक संस्थान तथा पूरे विश्व के 18 देशों के 1000 से अधिक वैज्ञानिक शामिल हैं।
- यह वैज्ञानिकों का एक समूह है जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का प्रत्यक्ष पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करता है, उनका उपयोग गुरुत्वाकर्षण के मौलिक भौतिकी का पता लगाने और खगोलीय खोज के उपकरण के रूप में गुरुत्वाकर्षण तरंग विज्ञान के उभरते क्षेत्र को विकसित करने के लिये करता है।
- लीगो वेधशालाएँ: लीगो से संबंधित अध्ययन को हनफोर्ड (वाशिंगटन), लिविंगस्टन (लुइसियाना) और हनोवर (जर्मनी) में स्थित वेधशालाओं में अंजाम दिया जाता है।
- अन्य वेधशालाएँ:
  - VIRGO: यह इटली में पीसा के पास स्थित है। इसका सहयोग वर्तमान में बेल्जियम, फ्राँस, जर्मनी, हंगरी, इटली, नीदरलैंड, पोलैंड और स्पेन सहित 14 विभिन्न देशों में 119 संस्थानों के लगभग 650 सदस्यों से है।

- कामिओका ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर (KAGRA): यह कामिओका, गिफू, जापान में स्थित है। इसकी मेज़बान संस्थान टोक्यो विश्वविद्यालय में स्थित कॉस्मिक रे रिसर्च संस्थान (ICRR) है।
  - यह व्यतिकरणमापी (Interferometer) भूमिगत है और क्रायोजेनिक दर्पणों (Cryogenic Mirror) का उपयोग करता है। इसकी 3 किमी. भुजाएँ हैं।

लीगो-इंडिया प्रोजेक्ट

- लीगो इंडिया वेधशाला (LIGO India Observatory) का कार्य वर्ष 2024 में पूरा होना निर्धारित है और इसे महाराष्ट्र के हिंगोली ज़िले में बनाया जाएगा।
- यह विश्वव्यापी नेटवर्क के हिस्से के रूप में भारत में स्थित एक नियोजित उन्नत गुरुत्वीय लहर (Gravitational Wave) वेधशाला है।
  - लीगो परियोजना तीन गुरुत्वीय लहर डिटेक्टरों को संचालित करती है।
  - दो वाशिंगटन राज्य (उत्तर-पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका) के हनफोर्ड में स्थित हैं और एक लुइसियाना (दक्षिण-पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका) के लिविंगस्टन में स्थित है।
- लीगो इंडिया प्रोजेक्ट, लीगो प्रयोगशाला (LIGO Laboratory) और लीगो इंडिया कंसोर्टियम (LIGO-India Consortium) में तीन प्रमुख संस्थानों (प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर; आईयूसीएए, पुणे और राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, इंदौर) के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है।
  - इससे आकाशीय स्थानीयकरण (Localisation) में उल्लेखनीय सुधार होगा।
  - इससे विद्युत चुंबकीय दूरबीनों का उपयोग करके दूर के स्रोतों के अवलोकन की संभावना बढ़ जाती है जो बदले में हमें अधिक सटीक माप देगा कि ब्रह्मांड कितनी तेज़ी से विस्तार कर रहा है।

मंगल के 'असतत् औरोरा'

चर्चा में क्यों

हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के होप अंतरिक्षयान ने मंगल ग्रह पर रात के दौरान आकाश में चमकती वायुमंडलीय रोशनी की छवियों को कैप्चर किया है, जिसे 'असतत् औरोरा' (Discrete Aurora) के रूप में जाना जाता है।

- होप प्रोब, अरब दुनिया का पहला मंगल ग्रह आधारित मिशन है जो जुलाई 2020 में पृथ्वी से रवाना हुआ और फरवरी 2021 से लाल ग्रह (मंगल) की परिक्रमा कर रहा है। इसके द्वारा मंगल ग्रह के वायुमंडल का पहला पूर्ण चित्र बनाए जाने की उम्मीद है।

प्रमुख बिंदु:

औरोरा:

- ऑरोरा आकाश में एक प्रकाशदीप्ति है जिसे मुख्य रूप से उच्च अक्षांश क्षेत्रों (आर्कटिक और अंटार्कटिक) में देखा जाता है। इसे ध्रुवीय प्रकाश के रूप में भी जाना जाता है।
- ये आमतौर पर उच्च उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पर घटित होते हैं, यह मध्य अक्षांशों पर कम पाए जाते हैं, और कभी-कभी भूमध्य रेखा के पास देखे जाते हैं।
- आमतौर पर एक औरोरा दूधिया हरा रंग, लाल, नीला, बैंगनी, गुलाबी और सफेद भी दिख सकता है। ये रंग लगातार बदलते आकार की एक किस्म के रूप में दिखाई देते हैं।
- औरोरा केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि यदि किसी ग्रह में वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है, तो संभवत: वहाँ पर भी औरोरा की उपस्थिति होती है।

पृथ्वी पर औरोरा का कारण:

- औरोरा (Auroras) तब उत्पन्न होता है जब सूर्य की सतह से निकले आवेशित कण (जिन्हें सौर वायु कहा जाता है) पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं ।
- कुछ औरोरा पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ अंतरिक्ष से आवेशित कणों के बीच घर्षण के कारण होता है।
- इलेक्ट्रॉन - जो पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर (पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नियंत्रित अंतरिक्ष क्षेत्र) से आते हैं, यह अपनी ऊर्जा को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन परमाणुओं तथा अणुओं में स्थानांतरित करते हैं, जिससे वे "उत्सर्जित" हो जाते हैं।
- जब वायुमंडल पर विस्फोटक के रूप में मैग्नेटोस्फीयर से बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कणों का पता लगाने के लिये पर्याप्त प्रकाश उत्सर्जित कर सकते हैं, जिससे हमें सुंदर औरोरा दिखाई देते हैं।
- हमारे ग्लोब के उत्तरी भाग में ध्रुवीय रोशनी को औरोरा बोरेलिस या उत्तर ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है और इसे यूएस (अलास्का), कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन तथा फिनलैंड से देखा जाता है।
- दक्षिण में उन्हें औरोरा ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है तथा अंटार्कटिका, चिली, अर्जेंटीना, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे उच्च अक्षांशों में दिखाई देते हैं।

मंगल के असतत् औरोरा:

- पृथ्वी पर औरोरा के विपरीत जो केवल उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास देखा जाता है, मंगल ग्रह पर असतत् औरोरा (Discrete Aurora) को रात के समय ग्रह के चारों ओर देखा जाता है।
- इन असतत् औरोराओं का पता वहाँ लगाया जाता है जहाँ ऊर्जावान कण मंगल की सतह पर खनिजों से उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्रों के एक पैची नेटवर्क (Patchy Network) द्वारा वातावरण को उत्तेजित करते हैं।

मंगल ग्रह के औरोरा अलग हैं:

- पृथ्वी के विपरीत जिसमें एक मज़बूत चुंबकीय क्षेत्र है, मंगल ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र काफी हद तक समाप्त हो गया है। ऐसा इसलिये है क्योंकि ग्रह के आंतरिक भाग में पिघला हुआ लोहा जो चुंबकत्व पैदा करता है, ठंडा हो गया है।
- हालाँकि मंगल ग्रह की भूपर्टी, जो अरबों वर्ष पहले कठोर हो गई थी, में कुछ चुंबकत्व है।
- पृथ्वी के विपरीत मंगल ग्रह पर चुंबकत्व असमान रूप से वितरित है।
- ये असंबद्ध क्षेत्र सौर हवा को मंगल ग्रह के वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों में प्रसारित करते हैं, ग्रह की पूरी सतह पर "असतत्" औरोरा बनाते हैं क्योंकि आवेशित कण आकाश में परमाणुओं और अणुओं के साथ मेल करते हैं, जैसा कि वे पृथ्वी पर करते हैं।

महत्त्व:

- मंगल ग्रह के औरोरा का अध्ययन वैज्ञानिकों के लिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह इस बात का सुराग दे सकता है कि जीवन को बनाए रखने हेतु आवश्यकताओं के बीच लाल ग्रह ने अपना चुंबकीय क्षेत्र और घने वातावरण को क्यों खो दिया।
- संयुक्त अरब अमीरात के मंगल मिशन के दौरान एकत्रित जानकारी के साथ वैज्ञानिकों को मंगल के वायुमंडल की विभिन्न परतों की जलवायु गतिशीलता की बेहतर समझ प्राप्त होगी।

अन्य मंगल मिशन

- नासा का मंगल 2020 मिशन (पर्सिवरेंस रोवर): इस मिशन को मंगल ग्रह के भू-विज्ञान को बेहतर ढंग से समझने तथा जीवन के प्राचीनतम संकेतों की तलाश के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- तियानवेन -1: चीन का मंगल मिशन: इसे वर्ष 2019 में ग्रह की मिट्टी, भूवैज्ञानिक संरचना, पर्यावरण, वायुमंडल और पानी की वैज्ञानिक जाँच करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।
- भारत का मंगल ऑर्बिटर मिशन (MOM) या मंगलयान: इसे नवंबर 2013 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था।

कोविड-19 का लैम्ब्डा वेरिएंट

चर्चा में क्यों?

कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट (Delta Variant) के मामलों में बढ़ोतरी के पश्चात् लैम्ब्डा वेरिएंट (Lambda Variant) नामक एक नया वेरिएंट सामने आया है।

- पेरू में लैम्ब्डा वेरिएंट काफी प्रभावशाली है, किंतु भारत में अभी तक इसका कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

प्रमुख बिंदु

लैम्ब्डा वेरिएंट के विषय में:

- इसकी पहचान पहली बार दिसंबर 2020 में पेरू में की गई थी। लैम्ब्डा वेरिएंट, दक्षिण अमेरिकी देशों में कोविड-19 का प्रमुख प्रकार है, जिसमें 81% नमूने पाए गए हैं।
- कुछ समय पूर्व तक यह केवल इक्वाडोर और अर्जेंटीना सहित कुछ चुनिंदा दक्षिण अमेरिकी देशों में केंद्रित था, लेकिन अप्रैल के बाद से इसके मामले को 25 से अधिक देशों में पाया गया है।
- पूर्व में C.37 (वैज्ञानिक नाम) के रूप में प्रसिद्ध इस वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सातवें और नवीनतम 'वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट' (Variant of Interest) के रूप में नामित किया है।
  - अन्य चार वेरिएंट्स को 'वेरिएंट ऑफ कंसर्न' (Variants of Concern) के रूप में नामित किया गया है।

वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट:

- इस श्रेणी में उन वेरिएंट्स को शामिल किया जाता है जिनमें शामिल आनुवंशिक परिवर्तन पूर्णत: अनुमानित होते हैं और उन्हें संचारण क्षमता, रोग की गंभीरता या प्रतिरक्षा क्षमता को प्रभावित करने के लिये जाना जाता है।
- ये वेरिएंट्स कई देशों और जनसंख्या समूहों के बीच महत्त्वपूर्ण सामुदायिक प्रसारण का कारण भी बने हैं।

वेरिएंट ऑफ कंसर्न:

- वायरस के इस वेरिएंट के परिणामस्वरूप संक्रामकता में वृद्धि, अधिक गंभीर बीमारी (जैसे- अस्पताल में भर्ती या मृत्यु हो जाना), पिछले संक्रमण या टीकाकरण के दौरान उत्पन्न एंटीबॉडी में महत्त्वपूर्ण कमी, उपचार या टीके की प्रभावशीलता में कमी या नैदानिक उपचार की विफलता देखने को मिलती है।
- अब तक ऐसे चार वेरिएंट (अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा) हैं, जिन्हें 'वेरिएंट ऑफ कंसर्न' के रूप में नामित किया गया है और इन्हें बड़ा खतरा माना जाता है।
  - इन सभी का हाल ही में ग्रीक वर्णमाला के अक्षरों के नाम पर नामकरण किया गया है, ताकि किसी एक विशिष्ट देश के साथ जुड़ाव से बचा जा सके।

चिंताएँ:

- लैम्ब्डा वेरिएंट' के स्पाइक प्रोटीन (Spike Protein) में कम-से-कम सात महत्त्वपूर्ण उत्परिवर्तन होते हैं (जबकि डेल्टा संस्करण में तीन होते हैं) जिससे कई प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं, जिसमें प्राकृतिक संक्रमण या टीकाकरण के माध्यम से बनाए गए एंटीबॉडी में स्थानांतरण क्षमता में वृद्धि की संभावना या एंटीबॉडी के प्रतिरोध में वृद्धि शामिल है।
  - कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन ही वह घटक है जो मानव प्रोटीन के साथ मिलकर संक्रमण की प्रक्रिया शुरू करता है।
- 'लैम्ब्डा वेरिएंट', अल्फा और गामा वेरिएंट (क्रमश: यूके और ब्राज़ील में उत्पन्न वायरस) की तुलना में अधिक संक्रामक है।
- एक अध्ययन से यह पता चला है कि लैम्ब्डा संस्करण (Lambda Variant) के खिलाफ चीन की सिनोवैक वैक्सीन (कोरोनावैक) की प्रभावशीलता काफी कम है।

आगे की राह

- भारत, जो अभी भी महामारी दूसरी लहर से उबर रहा है, को सक्रिय रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी नए संस्करण (वेरिएंट) के प्रसार को रोका जा सके।
- भारतीय विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों और जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों में व्यापक अनुसंधान आयोजित किये जाने तथा उन्हें वित्तपोषित, प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत किये जाने की आवश्यकता है।

शनि ग्रह के चंद्रमाओं पर मीथेन

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (National Aeronautics and Space Administration- NASA) के कैसिनी अंतरिक्षयान द्वारा शनि ग्रह के चंद्रमाओं (टाइटन और एनसीलाडस) के पल्म से उड़ान के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एवं डाइहाइड्रोजन के साथ असामान्य रूप से मीथेन की उच्च सांद्रता की उपस्थिति दर्ज की गई।

- यह पाया गया कि शनि (Titan) के वायुमंडल में मीथेन विद्यमान है और एनसीलाडस (Enceladus) के पास एक तरल महासागर है जिसमें गैस व पानी का प्रस्फुटन होता है।
- एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने इस बात को समझने हेतु नए सांख्यिकीय तरीकों का इस्तेमाल किया है कि क्या सूक्ष्मजीवों द्वारा मीथेनोजेनेसिस या मीथेन उत्पादन (Methanogenesis or Methane Production) आणविक हाइड्रोजन और मीथेन की व्याख्या कर सकता है।

प्रमुख बिंदु:

शोध के परिणाम:

- कैसिनी के प्लम (Plumes) पर बर्फ के कण, लवण, हाइड्रोजन और कार्बनिक अणु पाए गए, जो एक महासागर की पुष्टि के अस्थायी संकेत है तथा जो संरचना में पृथ्वी के महासागरों के समान है।
- एनसीलाडस के समुद्री तल पर क्षारीय हाइड्रोथर्मल छिद्रों (Alkaline Hydrothermal Vents) के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जो पृथ्वी के महासागरों में मेथेनोजेन (Methanogens) के समान हैं।

मेथेनोजेन के विषय में:

- ज्ञात हो कि पृथ्वी पर मौजूद अधिकांश मीथेन मूलत: जैविक रूप से उत्पन्न हुई है। मेथेनोजेन नामक सूक्ष्मजीव एक चयापचय उपोत्पाद के रूप में मीथेन उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं।
- इन्हें जीवित रहने के लिये ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और ये प्रकृति में व्यापक रूप से वितरित होते हैं।
- ये दलदल, मृत कार्बनिक पदार्थों और यहाँ तक कि मानव आँत में भी पाए जाते हैं।
- इन्हें उच्च तापमान में भी जीवित रहने के लिये जाना जाता है, कई अध्ययनों से यह पता चला है कि ये मंगल ग्रह की विशिष्ट परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं।
- ग्लोबल वार्मिंग में मेथेनोजेन के योगदान को समझने के लिये भी इनका व्यापक अध्ययन किया गया है।

एनसीलाडस पर मेथेनोजेन की संभावना :

- एनसीलाडस के कोर में मौजूद कार्बनिक पदार्थों के रासायनिक के टूटने से मीथेन का निर्माण हो सकता है।
- हाइड्रोथर्मल प्रक्रियाएँ कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के निर्माण में मदद कर सकती हैं।
- एनसीलाडस के हाइड्रोथर्मल वेंट पृथ्वी जैसे सूक्ष्मजीवों (मेथेनोजेन) के रहने योग्य हो सकते हैं।

शनि ग्रह

- शनि सूर्य से छठे स्थान पर स्थित ग्रह है तथा सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है।
- अन्य ग्रहों की तुलना में हज़ारों सुंदर छल्लों/रिंग से सुशोभित शनि अद्वितीय है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह नहीं है जिसके छल्ले हैं जो बर्फ और चट्टान के टुकड़ों से बने हैं लेकिन कोई भी इतना आकर्षक या इतना जटिल नहीं है जितना कि शनि के रिंग हैं।
- गैस से बने विशाल बृहस्पति की तरह, शनि एक वृहद् गेंद के समान है जो ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है।
- कुछ मिशनों ने शनि का दौरा किया है: पायनियर 11 (Pioneer 11) तथा वोयाजर्स 1 तथा 2 (Voyagers 1 and 2) ने उड़ान भरी; लेकिन कैसिनी (Cassini) ने 2004 से 2017 तक 294 बार शनि की परिक्रमा की।

टाइटन

- टाइटन (Titan) शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है।
  - बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड (Ganymede) इससे बस थोड़ा बड़ा है।
- इसकी सतह पर नदियाँ, झीलें और समुद्र हैं (हालाँकि इनमें पानी की जगह मीथेन तथा ईथेन जैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं)।
- टाइटन का वायुमंडल पृथ्वी की तरह ज़्यादातर नाइट्रोजन से बना है, लेकिन यह इससे चार गुना अधिक सघन है।
- पृथ्वी के विपरीत इसमें बादल और मीथेन की वर्षा होती है।
- चूँकि यह सूर्य से बहुत दूर है, इसलिये इसकी सतह का तापमान (-179 डिग्री सेल्सियस) है।

एनसीलाडस

- एनसीलाडस (Enceladus) एक छोटा सा उपग्रह है जिसके बर्फीले भू-पटल के नीचे द्रव जल का महासागर है, जिसमें हाइड्रोजन अणुओं की प्रचुरता है। इसमें 98% गैस, जल के रूप में और 1% हाइड्रोजन तथा शेष कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एवं अमोनिया के अणुओं के मिश्रण के रूप में पाई गई।
- एनसीलाडस पर मौजूद अंडरवाटर वेंट (Vent) पृथ्वी के समुद्र तल पर मौजूद वेंट से मिलते- जुलते हैं, जहाँ रोगाणु और अन्य समुद्री जीवन होते हैं।

कप्पा वेरिएंट: कोविड-19

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के कप्पा (Kappa) वेरिएंट के दो मामले दर्ज किये गए हैं।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) के अनुसार, 'कप्पा' कोविड -19 के दो नवीनतम प्रकारों में से एक है, दूसरा वेरिएंट 'डेल्टा' है जिसकी उपस्थिति पहली बार भारत में दर्ज की गई थी।
- इससे पहले पेरू से एक नए वेरिएंट लैम्ब्डा की सूचना मिली थी।

प्रमुख बिंदु:

- भारत द्वारा नोवेल कोरोनावायरस के B.1.617.1 म्यूटेंट को "भारतीय संस्करण" कहे जाने पर आपत्ति जताए जाने के बाद WHO ने ग्रीक वर्णमाला का उपयोग करते हुए कोरोनावायरस के इस संस्करण को 'कप्पा' और B.1.617.2 को 'डेल्टा' नाम दिया था।
  - डेल्टा और कप्पा संस्करण आपस में संबंधित हैं, जिसे पहले डबल म्यूटेंट या B.1.617 कहा जाता था।
  - कप्पा कोविड-19 का नया रूप नहीं है बल्कि WHO के अनुसार अक्तूबर 2020 में इस वेरिएंट की पहचान सबसे पहले भारत में हुई थी।
  - वर्तमान में यह WHO द्वारा 'वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट' के रूप में सूचीबद्ध है न कि 'वेरिएंट ऑफ कंसर्न' के रूप में में।

वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट:

- इस श्रेणी में उन वेरिएंट्स को शामिल किया जाता है जिनमें शामिल आनुवंशिक परिवर्तन पूर्णत: अनुमानित होते हैं और उन्हें संचारण क्षमता, रोग की गंभीरता या प्रतिरक्षा क्षमता को प्रभावित करने के लिये जाना जाता है।
- ये वेरिएंट्स कई देशों और जनसंख्या समूहों के बीच महत्त्वपूर्ण सामुदायिक प्रसारण का कारण होते हैं। समय के साथ मामलों की बढ़ती संख्या या अन्य स्पष्ट महामारी विज्ञान प्रभावों के साथ-साथ वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये एक उभरते जोखिम का सुझाव देने के उद्देश्य से इनकी की पहचान की जाती है।

वेरिएंट ऑफ कंसर्न:

- वायरस के इस वेरिएंट के परिणामस्वरूप संक्रामकता में वृद्धि, अधिक गंभीर बीमारी (जैसे- अस्पताल में भर्ती या मृत्यु हो जाना), पिछले संक्रमण या टीकाकरण के दौरान उत्पन्न एंटीबॉडी में महत्त्वपूर्ण कमी, उपचार या टीके की प्रभावशीलता में कमी या नैदानिक उपचार की विफलता देखने को मिलती है।
- अब तक ऐसे चार वेरिएंट (अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा) हैं, जिन्हें 'वेरिएंट ऑफ कंसर्न' के रूप में नामित किया गया है और इन्हें बड़ा खतरा माना जाता है।
  - इन सभी का हाल ही में ग्रीक वर्णमाला के अक्षरों के नाम पर नामकरण किया गया है, ताकि किसी एक विशिष्ट देश के साथ जुड़ाव से बचा जा सके।

चिंताएँ:

- कप्पा वेरिएंट कोई नया खतरा नहीं है और यह पहले भी उत्तर प्रदेश से एकत्र किए गए नमूनों में पाया गया था। कोविड वायरस का नया वेरिएंट न होने के कारण यह राज्य के लिये चिंता का विषय नहीं हैं।
- पहले भी इसे डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कम खतरनाक माना जा चुका है।

आगे की राह:

- भारत, जो अभी भी महामारी दूसरी लहर से उबर रहा है, को सक्रिय रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी नए संस्करण (वेरिएंट) के प्रसार को रोका जा सके।
- भारतीय विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों और जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों में व्यापक अनुसंधान आयोजित किये जाने तथा उन्हें वित्तपोषित, प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत किये जाने की आवश्यकता है।

एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम

चर्चा में क्यों?

जल जीवन मिशन (JJM) ने पाँच JE-AES (जापानी इंसेफेलाइटिस-एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम) प्रभावित राज्यों में 97 लाख से अधिक घरों में नल के पानी की आपूर्ति की है।

- प्राथमिकता वाले पाँच राज्य असम, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं।
- JJM ने वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना की है। जल शक्ति मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन के लिये नोडल मंत्रालय है।

प्रमुख बिंदु:

- एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (AES):
  - AES मच्छरों द्वारा प्रेषित इंसेफेलाइटिस का एक गंभीर मामला है और तेज़ बुखार एवं मस्तिष्क में सूजन इसकी विशेषता है।
    - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वर्ष 2006 में AES शब्द को बीमारियों के एक समूह को दर्शाने के लिये किया जो एक-दूसरे के समान प्रतीत होते हैं लेकिन उनके प्रकोप के अराजक वातावरण में अंतर करना मुश्किल होता है।

- कमज़ोर आबादी: यह रोग सबसे अधिक बच्चों और युवा वयस्कों को प्रभावित करता है और इसके कारण रुग्णता और मृत्यु दर काफी अधिक हो सकती है।
- कारक एजेंट: AES मामलों में वायरस मुख्य प्रेरक एजेंट हैं, हालाँकि पिछले कुछ दशकों में बैक्टीरिया, कवक, परजीवी, स्पाइरोकेट्स, रसायन, विषाक्त पदार्थों और गैर-संक्रामक एजेंटों जैसे अन्य स्रोतों की भी सूचना मिली है।
  - जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस (JEV) भारत में AES का प्रमुख कारण है (5%से 35% तक)।
  - हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, निपाह वायरस, ज़ीका वायरस, इन्फ्लुएंज़ा ए वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, चांदीपुरा वायरस, कण्ठमाला, खसरा, डेंगू, स्क्रब टाइफस, एसपी निमोनिया भी AES के लिये प्रेरक एजेंट के रूप में पाए जाते हैं।
- लक्षण: भ्रम की स्थिति, भटकाव, कोमा में जाना या बात करने में असमर्थता, तेज़ बुखार, उल्टी, जी मिचलाना और बेहोशी।
- निदान: भारत में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (National Vector Borne Disease Control Programme- NVBDCP) ने जापानी इंसेफेलाइटिस (Japanese Encephalitis- JEV) के साथ AES का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करने सहित प्रहरी साइटों के माध्यम से देशव्यापी निगरानी केंद्र स्थापित किये हैं।
  - प्रहरी निगरानी नेटवर्क में AES/LE का निदान IgM एंटीबॉडी कैप्चर एलिसा (IgM Antibody Capture ELISA) द्वारा किया जाता है और वायरस का पृथक्करण (Virus Isolation) राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला में किया जाता है।

- भारत में AES की स्थिति:
  - NVBDCP के अनुसार, वर्ष 2018 में 17 राज्यों में 632 मौतों के साथ AES के 10,485 मामलों का निदान किया गया था।
  - भारत में AES के मामलों में 6% मृत्यु दर दर्ज की गई है, लेकिन बच्चों में मृत्यु दर बढ़कर 25% हो गई है।
  - बिहार, असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, तमिलनाडु, कर्नाटक और त्रिपुरा सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं।
- सरकारी पहल: रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने हेतु भारत सरकार ने संबंधित मंत्रालयों के अभिसरण के साथ एक बहु-आयामी रणनीति विकसित की है।
  - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय: जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण को मज़बूत और विस्तारित करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य गतिविधियों को मज़बूत करना, JEV/ AEV मामलों का बेहतर नैदानिक प्रबंधन आदि।
  - सुरक्षित जल आपूर्ति के प्रावधान हेतु जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti)।
  - महिला एवं बाल विकास हेतु कमज़ोर बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाला पोषण प्रदान करना।
  - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांगता प्रबंधन एवं पुनर्वास हेतु ज़िला विकलांगता पुनर्वास केंद्र स्थापित करना।
  - मलिन बस्तियों और कस्बों में सुरक्षित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय।
  - विकलांग बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षा मंत्रालय विशेष सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा।

उपकक्षीय उड़ान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'वर्जिन गेलेक्टिक' (Virgin Galactic) के 'वीएसएस यूनिटी स्पेसशिप' पर छह व्यक्तियों के एक चालक दल ने 'एज ऑफ स्पेस' की संक्षिप्त यात्रा की, जिसे उपकक्षीय उड़ान (Suborbital Flight) के रूप में जाना जाता है।

- भारत में पैदा हुई अंतरिक्ष यात्री 'सिरीशा बंदला' (Sirisha Bandla) चालक दल का हिस्सा थीं। वह कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला हैं।
- 'वर्जिन गेलेक्टिक' एक ब्रिटिश-अमेरिकी स्पेसफ्लाइट कंपनी है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यरत है।

प्रमुख बिंदु

- उपकक्षीय उड़ान/प्रक्षेपवक्र:
  - जब कोई वस्तु लगभग 28,000 किमी./घंटा या अधिक की क्षैतिज गति से यात्रा करती है, तो वह वायुमंडल से ऊपर होते हुए कक्षा में चली जाती है।
    - पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिये उपग्रहों को उस गति सीमा (कक्षीय वेग) तक पहुँचने की आवश्यकता होती है।
- ऐसा उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर गति कर रहा होगा। लेकिन इसकी क्षैतिज गति इतनी तेज़ होती है कि नीचे की गति को लंबवत कर सके ताकि यह एक वृत्ताकार पथ पर ही आगे बढ़े।
- 28,000 किमी./घंटा से धीमी गति से यात्रा करने वाली किसी भी वस्तु को अंततः पृथ्वी पर वापस लौटना होगा।
- अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कोई भी वस्तु जब अंतरिक्ष में बने रहने के लिये पर्याप्त क्षैतिज वेग तक पहुँचती है तो वह वापस पृथ्वी पर गिर जाती है। इसलिये वे एक उपकक्षीय प्रक्षेपवक्र में उड़ते हैं।
  - इसका मतलब यह है कि जब ये यान अंतरिक्ष की अनिर्धारित सीमा को पार करेंगे, तो वे इतनी तेज़ी से नहीं जा सकेंगे कि एक बार वहाँ पहुँचने के बाद अंतरिक्ष में रह सकें।
- उप-कक्षीय उड़ानों का महत्त्व:
  - स्थापित पहुँच :
    - यह उच्च अनुमानित उड़ान दर के कारण नवाचार और प्रयोगात्मक परिवर्तन के लिये तैयार की गई उड़ान की स्थापित पहुँच प्रदान करेगा।
  - अनुसंधान:
    - सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान के लिये उपकक्षीय उड़ानें सहायक होंगी। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण या माइक्रोग्रैविटी वह स्थिति है जिसमें लोग या वस्तु भारहीन प्रतीत होते हैं।
    - उप-कक्षीय उड़ानें भी हवाई जहाज़ो में परवलयिक उड़ानों का एक विकल्प हो सकती हैं, वर्तमान में जिसे अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा शून्य गुरुत्वाकर्षण का अनुकरण करने के लिये उपयोग किया जाता है।
    - शून्य गुरुत्वाकर्षण या शून्य-जी को केवल भारहीनता की अवस्था या परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
  - प्रभावी लागत:
    - वे प्रयोगात्मक रूप से तथा लोगों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) तक ले जाने की तुलना में न्यूनतम लागत प्रभावी होंगे।
- अंतरिक्ष का क्षोर/कारमन रेखा:
  - अंतरिक्ष की सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सीमा को कारमन रेखा (Karman Line) के रूप में जाना जाता है। इंटरनेशनल एयरोनॉटिकल फेडरेशन (FAI) द्वारा समुद्र तल से पृथ्वी के औसतन 100 कि.मी. की ऊँचाई पर एक काल्पनिक रेखा को कारमन रेखा के रूप में परिभाषित करता है।
    - FAI आकाशीय क्षेत्रों के लिये विश्व शासी निकाय है तथा मानव अंतरिक्षयान के संबंध में परिभाषाओं का भी संचालन करता है।
  - कारमन रेखा की तुलना अंतर्राष्ट्रीय जल से की गई है क्योंकि इस रेखा से दूर-दूर तक कोई राष्ट्रीय सीमाएँ एवं मानवीय कानून लागू नहीं हैं।
  - इसका नाम हंगेरियन अमेरिकी इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी थिओडोर वॉन कारमन (Theodore von Karman,1881-1963) के नाम पर रखा गया है, जो मुख्य रूप से वैमानिकी एवं अंतरिक्ष विज्ञान में सक्रिय थे।
  - वह ऊँचाई की गणना करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, वैमानिकी उड़ान के ज़रिये उन्होंने स्वयं 83.6 किमी. की दूरी तय की तथा इस बात का समर्थन किया कि ऊँचाई पर वातावरण बहुत क्षीण/दुर्बल हो जाता है ।
  - हालाँकि अन्य संगठन इस परिभाषा को नहीं अपनाते हैं। अंतरिक्ष के क्षोर को परिभाषित करने वाला कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है, इसलिये राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र की यह एक सीमा है।

अति तरल हीलियम गैस में फ्यू-इलेक्ट्रॉन बबल्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Science- IISc), बंगलूरू के वैज्ञानिकों ने पहली बार अति तरल हीलियम गैस (Superfluid Helium Gas) में फ्यू-इलेक्ट्रॉन बबल्स (Few-Electron Bubbles- FEBs) की दो प्रजातियों की खोज की है।

हीलियम:

- हीलियम एक रासयनिक तत्त्व है जिसका प्रतीक (Symbol) He तथा परमाणु क्रमांक 2 है। वर्ष 1895 में फ्राँसीसी खगोलशास्त्री पियरे जानसेन (Pierre Janssen) द्वारा पृथ्वी पर हीलियम के अस्तित्व की खोज की गई थी।
- यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, नॉन टॉक्सिक, अक्रिय तथा एकल परमाण्विक नोबल गैस (Noble Gas) है जो आवर्त सारणी (Periodic Table) में नोबल गैस समूह में प्रथम गैस है।
- इसका क्वथनांक (Boiling Point) सभी तत्त्वों में सबसे कम है।

इलेक्ट्रॉन:

- पदार्थ (Matter) परमाणुओं से मिलकर बना है, जो हाइड्रोजन, हीलियम या ऑक्सीजन जैसे रासायनिक तत्त्वों की मूल इकाइयाँ हैं।
- परमाणु तीन कणों से बने होते हैं: प्रोटॉन (Protons), न्यूट्रॉन (Neutron) और इलेक्ट्रॉन (Electron)।
- अत: इलेक्ट्रॉन सब एटोमिक पार्टिकल्स (Subatomic Particles) होते हैं जो एक परमाणु के नाभिक की परिक्रमा करते हैं। सामान्यत: ये ऋणात्मक आवेश वाले होते हैं और परमाणु के नाभिक से बहुत छोटे होते हैं।

प्रमुख बिंदु

- इलेक्ट्रॉन बबल्स:
  - एक इलेक्ट्रॉन बबल्स/बुलबुला एक क्रायोजेनिक गैस या तरल जैसे- नियॉन या हीलियम में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के समीप निर्मित खाली स्थान है। ये सामान्यत: वायुमंडलीय दाब में लगभग 2 एनएम व्यास के बहुत छोटे कण के रूप में पाए जाते हैं।
  - हीलियम के अति तरल (Superfluid) रूप में जब इलेक्ट्रॉन को प्रेषित किया जाता है तो यह सिंगल इलेक्ट्रॉन बबल्स (SEB) बनाता है, यह एक गुहा होती है जो हीलियम परमाणुओं से मुक्त होती है और इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं। बबल्स का स्वरूप इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिति पर निर्भर करता है।
    - उदाहरण के लिये जब इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर न्यूनतम (ग्राउंड स्टेट) होता है तो बबल्स गोलाकार होंगे। इसके अलावा मल्टीपल इलेक्ट्रॉन बबल्स (MEB) भी होते हैं जिनमें हज़ारों इलेक्ट्रॉन रहते हैं।
    - अति तरलता (Superfluidity), तरल हीलियम में परम शून्य (-273.15 डिग्री सेल्सियस) के तापमान पर घर्षण रहित प्रवाह और अन्य बाह्य प्रभावों से युक्त है तथा अतिचालकता (Superconductivity) ठोस में इलेक्ट्रॉनों के समान घर्षण रहित प्रभाव है। प्रत्येक मामले में असामान्य प्रतिक्रिया क्वांटम यांत्रिक प्रभावों से उत्पन्न होती है।
- फ्यू-इलेक्ट्रॉन बबल्स (FEB):
  - दूसरी ओर FEB तरल हीलियम में नैनोमीटर के आकार की गुहाएँ होती हैं, जिनमें केवल कुछ मुट्ठी भर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच की संख्या, अवस्था और परस्पर क्रिया सामग्री के भौतिक तथा रासायनिक गुणों को निर्धारित करती है।
    - FEB एक ऐसी प्रणाली बनाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन-इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन और इलेक्ट्रॉन-सरफेस इंटरैक्शन दोनों होते हैं।
    - FEB कम-से-कम 15 मिलीसेकंड के लिये स्थिर पाए गए (क्वांटम परिवर्तन आमतौर पर बहुत कम समय के पैमाने पर होते हैं) जो शोधकर्त्ताओं को इन्हें ट्रैप करने और उनका अध्ययन करने में सक्षम बनाता है।
- महत्त्व:
  - अध्ययन संपत्ति:
    - FEB यह अध्ययन करने के लिये एक उपयोगी मॉडल के रूप में काम कर सकता है कि किसी सामग्री में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्थिति और उनके बीच की अंत:क्रिया उसके गुणों को कैसे प्रभावित करती है।

- घटनाओं को समझना:
  - ऐसी कई घटनाएँ हैं जिन्हें समझने में FEB वैज्ञानिकों को मदद कर सकता है, जैसे:
  - अधिक तरल और चिपचिपे पदार्थों में तीव्र प्रवाह या अतितरल हीलियम में ऊष्मा का प्रवाह।
  - जिस तरह बहुत कम तापमान पर अतिचालक सामग्री में बिना प्रतिरोध के धारा प्रवाहित होती है, उसी तरह अति तरल हीलियम भी बहुत कम तापमान पर कुशलता से उष्मा का संचालन करता है।

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

LEAF गठबंधन

चर्चा में क्यों?

लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट, 2021 में 'लोअरिंग एमिशन बाय एक्सीलरेटिंग फॉरेस्ट फाइनेंस' (Lowering Emissions by Accelerating Forest Finance- LEAF) गठबंधन की घोषणा की गई थी।

LEAF गठबंधन उष्णकटिबंधीय वनों की रक्षा हेतु अब तक के सबसे बड़े सार्वजनिक-निजी प्रयासों में से एक है जो उष्णकटिबंधीय वनों (Tropical Forests) की रक्षा के लिये प्रतिबद्ध देशों को वित्तपोषण हेतु कम-से-कम 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने में सक्षम बनाता है।

प्रमुख बिंदु:

LEAF गठबंधन के बारे में:

- यह अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे की सरकारों का एक समूह है।
- चूँकि यह एक सार्वजनिक-निजी प्रयास है, अत: इसे बहुराष्ट्रीय निगमों (Transnational Corporations- TNCs) यूनिलीवर पीएलसी (Unilever plc), अमेज़न डॉट कॉम (Amazon.com), नेस्ले (Nestle), एयरबीएनबी (Airbnb) आदि का भी समर्थन प्राप्त है।
- इसमें शामिल होने के इच्छुक देश को गठबंधन द्वारा निर्धारित कुछ पूर्व निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा।

वित्तीय सहायता:

- LEAF के लिये परिणाम-आधारित वित्तपोषण मॉडल (Results-Based Financing Model) का उपयोग किया जाएगा।
- यह मॉडल विश्व स्तर पर पिछले दो दशकों से अमेज़न और उष्णकटिबंधीय जंगलों की रक्षा हेतु स्वदेशी समुदायों, वन्य लोगों, ब्राज़ील तथा अमेरिका के गैर-सरकारी संगठनों एवं अन्य भागीदारों के सहयोग से पर्यावरण रक्षा कोष के माध्यम से कार्य कर रहा है।
- प्रदर्शन को TREES मानक (REDD+ पर्यावरण उत्कृष्टता मानक) के विरुद्ध मापा जाएगा।

महत्त्व:

- निजी नेतृत्व के लिये मंच: लचीले एवं न्यायसंगत भविष्य के लिये शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निजी क्षेत्र के साहसिक नेतृत्व, सतत निवेश क्षमता और राजनीतिक शक्ति का लाभ उठाने की प्रतिबद्धता के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
- कार्बन सिंक का बढ़ना: उष्णकटिबंधीय वन बड़े पैमाने पर कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं और उनके संरक्षण हेतु निवेश कर सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र अपने कार्बन क्रेडिट का स्टॉक कर सकते हैं।
  - यह पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) प्राप्त करने में मदद करेगा।
- REDD+ उद्देश्यों को प्राप्त करना: यह वनों की कटाई और वन क्षरण (REDD+) तंत्र के माध्यम से उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्यों और इन उद्देश्यों हेतु ठोस प्रयास करने की दिशा में एक कदम है।

- विकास बनाम पारिस्थितिक प्रतिबद्धता: ऐसा वित्तीय प्रोत्साहन हेतु महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह विकासशील देशों को वनों की व्यापक स्तर पर कटाई कर उन पर कब्जा करने और वन-निर्भर आबादी हेतु आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
- अन्य वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करता है: वर्ष 2030 तक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वन क्षति को रोकना वैश्विक जलवायु, जैव विविधता तथा सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ स्थानीय लोगों एवं अन्य वन समुदायों की भलाई तथा संस्कृतियों को बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करना

- REDD+ का उद्देश्य वन संरक्षण को प्रोत्साहित करके जलवायु परिवर्तन को कम करना है।
  - यह अधिकांश विकासशील देशों के उष्णकटिबंधीय जंगलों में बंद कार्बन के मूल्य का मुद्रीकरण करता है, जिससे इन देशों को जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलती है।
- REDD+ का गठन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) द्वारा किया गया था।

उष्णकटिबंधीय वन

- उष्णकटिबंधीय वन सघन वितान (कैनोपी) वाले वन हैं जो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं।
- ये स्थान बहुत आर्द्र होते हैं जहाँ प्रतिवर्ष या तो मौसमी रूप से या फिर पूरे वर्ष में 200 सेमी. से अधिक वर्षा होती है।
- यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच समान रूप से उच्च होता है।
- इस तरह के वन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और कई प्रशांत द्वीपों में पाए जाते हैं।

भारतीय परिदृश्य

- भारत का कुल वन क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56 प्रतिशत है।
- 'ग्लोबल फारेस्ट वॉच' द्वारा किया गया अवलोकन:
  - इस बीच भारत में कुल उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में 0.38% की गिरावट आई है।
- भारत ने वर्ष 2019 और वर्ष 2020 के बीच उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र का लगभग 38.5 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र खो दिया, जिससे देश के वृक्षों के आवरण का लगभग 14% का नुकसान हुआ।
- साथ ही इसी अवधि में पूरे देश में वृक्षों के आवरण में 0.67% की कमी भी दर्ज की गई है।
- मिज़ोरम में वन क्षेत्र में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है, जहाँ 47.2 हज़ार हेक्टेयर के वन क्षेत्र का नुकसान रिकॉर्ड किया गया है, इसके बाद मणिपुर, असम, मेघालय और नगालैंड का स्थान है।

वन संरक्षण के लिये उठाए गए कदम

- भारतीय वन नीति, 1952: इस अधिनियम में समग्र वन क्षेत्र को कुल भूमि क्षेत्र के एक- तिहाई तक बढ़ाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है।
- राष्ट्रीय वन नीति, 1988: राष्ट्रीय वन नीति का अंतिम उद्देश्य प्राकृतिक विरासत के रूप में वनों के संरक्षण के माध्यम से पर्यावरण स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है।
  - वर्ष 1988 में राष्ट्रीय वन नीति ने वनों को लेकर वाणिज्यिक दृष्टिकोण में बदलाव करते हुए उनकी पारिस्थितिक भूमिका और भागीदारी प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया।
- क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा फंड): इसके तहत जब भी वन भूमि को खनन या उद्योग जैसे गैर-वन उद्देश्यों के लिये प्रयोग किया जाता है, तो उपयोगकर्त्ता एजेंसी गैर-वन भूमि के बराबर क्षेत्र में वन रोपण के लिये भुगतान करती है, या जब ऐसी भूमि उपलब्ध नहीं होती है, तो उपयोग की गई वन भूमि के दोगुने क्षेत्र का भुगतान किया जाता है।
- भारतीय वन क्षेत्रों के विनियमन संबंधी विधान
  - भारतीय वन अधिनियम, 1927

- प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016
- वन संरक्षण अधिनियम 1980
- वन अधिकार अधिनियम 2006
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972

गिद्धों का संरक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व (Valmiki Tiger Reserve- VTR), बिहार में 150 गिद्ध देखे गए, जिसने वीटीआर के संरक्षित क्षेत्र में गिद्ध संरक्षण योजना को प्रेरित किया है।

प्रमुख बिंदु

गिद्ध के विषय में:

- यह मरा हुआ जानवर खाने वाले पक्षियों की 22 प्रजातियों में से एक है जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं।
- ये प्रकृति के कचरा संग्रहकर्त्ता के रूप में एक महत्त्वपूर्ण कार्य करते हैं और पर्यावरण से कचरा हटाकर उसे साफ रखने में मदद करते हैं।
  - गिद्ध वन्यजीवों की बीमारियों को नियंत्रण में रखने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- भारत गिद्धों की 9 प्रजातियों यथा- ओरिएंटल व्हाइट बैकड (Oriental White Backed), लॉन्ग बिल्ड (Long Billed), स्लेंडर-बिल्ड (Slender Billed), हिमालयन (Himalayan), रेड हेडेड (Red Headed), मिस्र देशीय (Egyptian), बियरडेड (Bearded), सिनेरियस (Cinereous) और यूरेशियन ग्रिफॉन (Eurasian Griffon) का घर है।
  - इन 9 प्रजातियों में से अधिकांश के विलुप्त होने का खतरा है।
  - बियरडेड, लॉन्ग बिल्ड और ओरिएंटल व्हाइट बैकड वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (Wildlife Protection Act), 1972 की अनुसूची-1 में संरक्षित हैं। बाकी 'अनुसूची IV' के अंतर्गत संरक्षित हैं।

IUCN स्थिति :

खतरे :

- डाइक्लोफेनाक (Diclofenac) जैसे विषाक्त जो पशुओं के लिये दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है।
- मानवजनित गतिविधियों के कारण प्राकृतिक आवासों का नुकसान।
- भोजन की कमी और दूषित भोजन।
- बिजली लाइनों से करंट।

संरक्षण के प्रयास :

- हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने देश में गिद्धों के संरक्षण के लिये एक 'गिद्ध कार्ययोजना 2020-25' (Vulture Action Plan 2020-25) शुरू की।
  - यह डिक्लोफेनाक का न्यूनतम उपयोग सुनिश्चित करेगा और गिद्धों हेतु मवेशियों के शवों के प्रमुख भोजन की विषाक्तता को रोकेगा।
  - 'गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम' को देश के उन आठ अलग-अलग स्थानों पर लागू किया जा रहा है जहाँ गिद्धों की आबादी विद्यमान है। इनमें से दो स्थान उत्तर प्रदेश में हैं।
  - उत्तर भारत में पिंजौर (हरियाणा), मध्य भारत में भोपाल, पूर्वोत्तर में गुवाहाटी और दक्षिण भारत में हैदराबाद जैसे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिये चार बचाव केंद्र प्रस्तावित हैं।
  - MoEFCC ने अब रेड-हेडेड एवं इजिप्टियन गिद्धों दोनों के लिये प्रजनन कार्यक्रमों के साथ-साथ संरक्षण योजनाएँ भी शुरू की हैं।

- भारत में गिद्धों की मौत के कारणों पर अध्ययन करने के लिये वर्ष 2001 में हरियाणा के पिंजौर में एक गिद्ध देखभाल केंद्र (Vulture Care Centre-VCC) स्थापित किया गया।
- कुछ समय बाद वर्ष 2004 में गिद्ध देखभाल केंद्र को उन्नत (Upgrade) करते हुए भारत के पहले 'गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र' (VCBC) की स्थापना की गई।
  - वर्तमान में भारत में नौ गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हैं, जिनमें से तीन बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी (Bombay Natural History Society-BNHS) द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित किये जा रहे हैं।

वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व

अवस्थिति:

- बिहार के पश्चिमी चंपारण ज़िले में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित है।
- यह भारत में हिमालयी तराई वनों की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है।
- देश के गंगा के मैदानों के जैव-भौगोलिक क्षेत्र में स्थित जंगल में भाबर और तराई क्षेत्रों का संयोजन है।

अवस्थापना:

- इसकी स्थापना मार्च 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत की गई थी।

जैव विविधता:

- राष्ट्रीय उद्यान के जंगल में पाए जाने वाले वन्यजीव बंगाल टाइगर, भारतीय गैंडा, काला भालू, ऊदबिलाव, भारतीय तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भैंस और सूअर हैं।
- साथ ही यहाँ भारतीय उड़ने वाली लोमड़ियों को भी देखा जा सकता है।
- रिज़र्व में समृद्ध विविधता है। यहाँ पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियों की सूचना मिली है।
- 'थारू' एक अनुसूचित जनजाति है जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के परिदृश्य में प्रमुख समुदाय है।

बिहार में अन्य संरक्षित क्षेत्र:

- भीमबाँध अभयारण्य।
- राजगीर अभयारण्य।
- कैमूर अभयारण्य।
- कँवर झील पक्षी विहार।
- विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन।

आर्कटिक के 'लास्ट आइस एरिया' का पिघलना

चर्चा में क्यों?

ग्रीनलैंड के उत्तर में आर्कटिक क्षेत्र में स्थित 'लास्ट आइस एरिया' (Last Ice Area- LIA) वैज्ञानिकों की अपेक्षा से पहले ही पिघलने लगा है।

प्रमुख बिंदु:

लास्ट आइस एरिया:

- यह क्षेत्र कनाडा के नुनावुत क्षेत्र में ग्रीनलैंड और एलेस्मेरे द्वीप (Ellesmere Island) के उत्तर में स्थित है।

- इस क्षेत्र को ग्लोबल वार्मिंग को सहन करने के लिये मज़बूत माना जाता था।
  - आर्कटिक में ग्रीष्मकालीन बर्फ के वर्ष 2040 तक पूरी तरह से गायब होने का अनुमान लगाया गया था, हालाँकि 'लास्ट आइस एरिया' इसका अपवाद है।
- विश्व वन्यजीव कोष (WWF)-कनाडा ने इस क्षेत्र को पहली बार 'लास्ट आइस एरिया' कहा।

महत्त्व:

- यह क्षेत्र बर्फ पर निर्भर प्रजातियों की मदद करने में सक्षम माना जाता था क्योंकि इसके आसपास के क्षेत्रों में बर्फ पिघल गई थी जिसके कारण वहाँ जीवन निर्वाह असंभव था।
- इसका उपयोग ध्रुवीय भालुओं द्वारा उन सीलों (Seals) का शिकार करने के लिये किया जाता है जो अपनी संतानों के लिये मांद बनाने हेतु बर्फ का उपयोग करते हैं। वालरस भी बर्फ की सतह का उपयोग भोजन की खोज के लिये करते हैं।
- समुद्री बर्फ इनुइतों (Inuit) के लिये एक राजमार्ग का कार्य करती है, जो इसका उपयोग यात्रा और शिकार करने के लिये करते हैं।
  - इनुइत शब्द मोटे तौर पर अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड की आर्कटिक स्वदेशी आबादी को संदर्भित करता है।

बर्फ पिघलने का कारण:

- लगभग 80% विरलन (Thinning) के लिये मौसम संबंधित कारकों को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है जैसे कि हवाएँ बर्फ को तोड़कर उसे चारों ओर फैलाती हैं।
- शेष 20% हेतु ग्लोबल वार्मिंग को लंबे समय तक बर्फ के विरलन के लिये ज़िम्मेदार ठहराया गया है।

आर्कटिक के बारे में:

- आर्कटिक पृथ्वी के सबसे उत्तरी भाग में स्थित एक ध्रुवीय क्षेत्र है।
- आर्कटिक के अंतर्गत आर्कटिक महासागर, निकटवर्ती समुद्र और अलास्का (संयुक्त राज्य अमेरिका), कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड (डेनमार्क), आइसलैंड, नॉर्वे, रूस और स्वीडन को शामिल किया जाता है।
- आर्कटिक क्षेत्र के भीतर की भूमि में मौसमी रूप से अलग-अलग बर्फ का आवरण है।
- वर्ष 2013 से भारत को आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है जो आर्कटिक के पर्यावरण और विकास पहलुओं पर सहयोग के लिये प्रमुख अंतर-सरकारी मंच है।

आर्कटिक बर्फ के पिघलने का प्रभाव:

- वैश्विक जलवायु: वैश्विक स्तर पर आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र एक प्रशीतक की तरह कार्य करते हैं, चूँकि ये क्षेत्र बर्फ और हिमपात की सफेद चादर से ढके हैं जो ऊष्मा की मात्रा को वापस अंतरिक्ष में भेज देते हैं (अल्बेडो प्रभाव)। ये विश्व के उन अन्य हिस्सों को संतुलित करते हैं जो गर्मी को अवशोषित करने का कार्य करते हैं।
- तटीय समुदाय: वर्ष1900 के बाद वैश्विक रूप से समुद्र के औसत स्तर में लगभग 7-8 इंच की वृद्धि हुई है तथा दिनोंदिन यह स्थिति और भी खतरनाक होती जा रही है। समुद्र जल का बढ़ता स्तर तटीय शहरों और छोटे द्वीपीय राष्ट्रों में तटीय बाढ़ और तूफानों की बारंबारता में वृद्धि कर सकता है।
- खाद्य सुरक्षा: ध्रुवीय भँवर/पोलर वोर्टेक्स (Polar vortexes), ग्रीष्म लहर (Heat Waves) तथा बर्फ के पिघलने के कारण मौसम की अप्रत्याशितता पहले से ही फसलों को नुकसान पहुँचा रही है, जिन पर वैश्विक खाद्य प्रणालियाँ निर्भर हैं।
- पर्माफ्रॉस्ट और ग्लोबल वार्मिंग: आर्कटिक क्षेत्र में पर्माफ्रॉस्ट (ज़मीन जो स्थायी रूप से जमी हुई है) बड़ी मात्रा में मीथेन का भंडारण करती है, जो ग्रीनहाउस गैस तथा जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है।
- जैव विविधता का खतरा: आर्कटिक की बर्फ का पिघलना आर्कटिक क्षेत्र की जीवंत जैव विविधता को गंभीर खतरे में डालता है।

आर्कटिक में भारत के हित:

- हाल ही में भारत ने तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय (Arctic Science Ministerial- ASM) में भाग लिया और आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान एवं दीर्घकालिक सहयोग के लिये योजनाओं को साझा किया।

फ्लाई ऐश

चर्चा में क्यों?

नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) लिमिटेड ने फ्लाई ऐश के शत-प्रतिशत उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करने के अपने प्रयासों के तहत मध्य-पूर्व और अन्य क्षेत्रों के नामित संयंत्रों से फ्लाई ऐश की बिक्री के लिये 'रुचि की अभिव्यक्ति' (Expression of Interest-EOI) आमंत्रित की है।

- 'फ्लाई ऐश' तापीय विद्युत उत्पादन में कोयले के जलने से उत्पन्न उपोत्पाद है।

प्रमुख बिंदु

फ्लाई ऐश

- परिचय
  - फ्लाई ऐश (Fly Ash) प्राय: कोयला संचालित विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न प्रदूषक है, जिसे दहन कक्ष से निकास गैसों द्वारा ले जाया जाता है।
  - इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर या बैग फिल्टर द्वारा निकास गैसों से एकत्र किया जाता है।
    - इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर (ESP) को एक फिल्टर उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका उपयोग प्रवाहित होने वाली गैस से धुएँ और धूल जैसे महीन कणों को हटाने के लिये किया जाता है।
    - इस उपकरण को प्राय: वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी गतिविधियों के लिये प्रयोग किया जाता है।
- संयोजन
  - फ्लाई ऐश में पर्याप्त मात्रा में सिलिकॉन डाइऑक्साइड (SiO_2), एल्युमीनियम ऑक्साइड (Al_2O_3), फेरिक ऑक्साइड (Fe_2O_3) और कैल्शियम ऑक्साइड (CaO) शामिल होते हैं।
- गुण:
  - यह पोर्टलैंड सीमेंट के समान दिखता है परंतु रासायनिक रूप से अलग है।
    - पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण एक महीन पाउडर के रूप में एक संयोजनकारी सामग्री है जो चूना पत्थर और मिट्टी के मिश्रण को जलाने तथा पीसने से प्राप्त होता है।
    - इसकी रासायनिक संरचना में कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्युमिनेट और कैल्शियम एल्युमिनोफेराइट शामिल हैं।
  - यह सीमेंट युक्त गुण प्रदर्शित करता है।
    - एक सीमेंट युक्त सामग्री वह है जो जल के साथ मिश्रित होने पर कठोर हो जाती है।
- अनुप्रयोग:
  - इसका उपयोग कंक्रीट और सीमेंट उत्पादों, रोड बेस, मेटल रिकवरी और मिनरल फिलर आदि में किया जाता है।
- हानिकारक प्रभाव:
  - फ्लाई ऐश के कण ज़हरीले वायु प्रदूषक हैं। वे हृदय रोग, कैंसर, श्वसन रोग और स्ट्रोक को बढ़ा सकते हैं।
  - ये जल के साथ मिलाने पर भूजल में भारी धातुओं के निक्षालन का कारण बनते हैं।
  - यह मृदा को भी प्रदूषित करता है और पेड़ों की जड़ विकास प्रणाली को प्रभावित करता है।

फ्लाई ऐश का उपयोग:

- एनटीपीसी ने फ्लाई ऐश की आपूर्ति के लिये पूरे देश के सीमेंट निर्माताओं के साथ सहभागिता की है।
- एनटीपीसी ने भवन निर्माण में फ्लाई ऐश ईंटों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये अपने कोयला आधारित ताप-विद्युत संयंत्रों में फ्लाई ऐश ईंट निर्माण संयंत्र स्थापित किये हैं।
  - इन ईंटों का उपयोग संयंत्रों के साथ-साथ टाउनशिप निर्माण गतिविधियों में विशेष रूप से किया जा रहा है।
  - एनटीपीसी के स्वयं के फ्लाई ऐश ईंट संयंत्रों द्वारा औसतन 60 मिलियन फ्लाई ऐश ईंटों का निर्माण प्रतिवर्ष किया जा रहा है।

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, ईंट/ब्लॉक/टाइल निर्माताओं को नि:शुल्क फ्लाई ऐश उपलब्ध कराने के लिये एनटीपीसी स्टेशनों को कुल उत्पादित फ्लाई ऐश का कम-से-कम 20% हिस्सा रिज़र्व में रखना चाहिये।
  - एनटीपीसी के स्टेशनों में उत्पादित कुल फ्लाई ऐश का लगभग 9% वार्षिक फ्लाई ऐश ईंटों/ब्लॉकों और टाइल निर्माण इकाइयों द्वारा उपयोग किया जा रहा है।
- वर्ष 2020-21 के दौरान लगभग 15 एनटीपीसी स्टेशनों ने विभिन्न सड़क परियोजनाओं के निर्माण हेतु फ्लाई ऐश की आपूर्ति की और राख का उपयोग लगभग 20 मिलियन टन को पार कर गया।
- विगत पाँच वर्षों में देश में फ्लाई ऐश के उपयोग में 80% की वृद्धि हुई है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ने नई निर्माण प्रौद्योगिकियों (उदाहरण के लिये फ्लाई ऐश ईंटों का उपयोग) पर ध्यान केंद्रित किया है जो अभिनव, पर्यावरण के अनुकूल और आपदा के प्रति लचीले हैं।
- यहाँ तक कि राज्य सरकारें ने भी अपनी फ्लाई ऐश उपयोग नीतियाँ प्रस्तुत की हैं जैसे- इस नीति को अपनाने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य था।
- सरकार द्वारा फ्लाई ऐश उत्पादन और उपयोग की निगरानी के लिये एक वेब पोर्टल और "ऐश ट्रैक" (ASHTRACK) नामक एक मोबाइल आधारित एप लॉन्च किया गया है।
- फ्लाई ऐश और उसके उत्पादों पर जीएसटी की दरों को घटाकर 5% कर दिया गया है।

राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम लिमिटेड (NTPC)

- NTPC लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (Public Sector Undertaking-PSU) है।
- उद्देश्य : इसका मिशन नवप्रवर्तन एवं स्फूर्ति द्वारा संचालित रहते हुए किफायती, दक्षतापूर्ण एवं पर्यावरण-हितैषी तरीके से विश्वसनीय विद्युत-ऊर्जा एवं संबद्ध सेवाएँ प्रदान करना है।
- NTPC को मई 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ।
- यह भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है।

किंग कोबरा एवं तिलारी रिज़र्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग ज़िले के तिलारी संरक्षण रिज़र्व (Tillari Conservation Reserve) में एक किंग कोबरा (Ophiophagus Hannah) देखा गया।

- उल्लेखनीय है कि जुलाई 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग ज़िले में स्थित डोडामर्ग वन क्षेत्र के लगभग 29.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 'तिलारी संरक्षण रिज़र्व' (Tillari Conservation Reserve) घोषित किया था।

प्रमुख बिंदु:

किंग कोबरा के बारे में:

- वे पृथ्वी पर सबसे ज़हरीले साँपों में से एक हैं और सभी ज़हरीले साँपों में सबसे लंबे हैं।
- ज़हरीले साँपों में उनका ज़हर सबसे अधिक घातक नहीं है, लेकिन एक बार काटते समय वे इतनी मात्रा में (एक तरल औंस के दो-दसवें हिस्से तक) न्यूरोटॉक्सिन मुक्त कर सकते हैं जो 20 लोगों या यहाँ तक कि एक हाथी को मारने के लिये पर्याप्त होता है।
  - ये विश्व में एकमात्र ऐसे साँप हैं जो अपने अंडों को रखने के लिये घोंसले का निर्माण करते हैं, जिनकी वे तब तक रक्षा करते हैं जब तक कि साँप के बच्चे अंडों से बाहर नहीं निकल आते हैं।
- आवास:
  - ये मुख्य रूप से भारत, दक्षिणी चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया के वर्षा वनों तथा मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं।

- ये विभिन्न प्रकार के आवासों में निवास करते हैं जिनमें जंगल, बाँस की झाड़ियाँ, मैंग्रोव दलदल, अधिक ऊँचाई वाले घास के मैदान और नदियाँ शामिल हैं।

- खतरा:
  - विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियाँ इनके अस्तित्व के लिये खतरनाक साबित हो सकती हैं जैसे:
    - वनों की कटाई।
    - पालतू जानवरों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार।
    - मनुष्यों द्वारा उत्पीड़न।
    - केंचुल (साँप के शरीर पर पाई जाने वाली एक महीन झिल्ली), भोजन और औषधीय प्रयोजनों हेतु उपयोग किया जाना।
- संरक्षण स्थित:
  - IUCN रेड लिस्ट: सुभेद्य (Vulnerable)
  - CITES: परिशिष्ट II
  - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची II

तिलारी संरक्षण रिज़र्व:

- तिलारी महाराष्ट्र राज्य का सातवाँ वन्यजीव गलियारा है जिसे 'संरक्षण रिज़र्व' के रूप में घोषित किया गया है।
  - तिलारी पश्चिमी घाट में स्थित एक रिज़र्व है।
- अपने वन क्षेत्र में नौ गाँवों को कवर करने वाले इस रिज़र्व को मुख्यत: एक गलियारे के रूप में जाना जाता है और साथ ही यह तीन राज्यों यथा- गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य विचरण करने वाले बाघों और हाथियों की आबादी के लिये निवास स्थान के रूप में भी कार्य करता है।
- यह गोवा के महादेई अभयारण्य को कर्नाटक के भीमगढ़ से जोड़ता है।
- यहाँ अर्द्ध-सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन और कई विशिष्ट वृक्ष, तितलियाँ व फूल पाए जाते हैं।

भारत में संरक्षण रिज़र्व

- संरक्षण रिज़र्व या सामुदायिक रिज़र्व देश के उन संरक्षित क्षेत्रों को संदर्भित करते हैं, जो आमतौर पर स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और आरक्षित तथा संरक्षित वनों के मध्य बफर ज़ोन के रूप में या कनेक्टर्स के रूप में कार्य करते हैं।
- प्राय: ऐसे क्षेत्रों को संरक्षण क्षेत्रों के रूप में नामित किया जाता है जो निर्जन (Uninhabited) होते हैं और पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में हैं, किंतु यदि ऐसे क्षेत्रों में भूमि का हिस्सा निजी स्वामित्व में है तो उसे समुदायों और सामुदायिक क्षेत्रों द्वारा निर्वाह के लिये उपयोग किया जाता है।
- संरक्षित क्षेत्र की इन श्रेणियों को पहली बार वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में संशोधन) के माध्यम से पेश किया गया था।
- इन श्रेणियों को भूमि और भूमि के उपयोग के निजी स्वामित्व के कारण मौजूदा और प्रस्तावित संरक्षित क्षेत्रों में कम सुरक्षा के कारण जोड़ा गया था।
- राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस (दिसंबर 2020) के मुताबिक, भारत में वर्तमान में 97 संरक्षण रिज़र्व हैं, ये 44483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 0.14% है।

समुद्री प्लास्टिक: समस्या और समाधान

चर्चा में क्यों?

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को लागू करने से संबंधित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018-19 में उत्पन्न प्लास्टिक कचरा प्रति वर्ष 3.3 मिलियन टन (लगभग 9,200 टन प्रति दिन) था।

प्रमुख बिंदु:

परिचय:

- प्लास्टिक पेट्रोलियम से बना एक सिंथेटिक कार्बनिक बहुलक है जिसमें पैकेजिंग, भवन एवं निर्माण, घरेलू एवं खेल उपकरण, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिये आदर्श रूप से अनुकूल गुण हैं। प्लास्टिक सस्ता, हल्का, मज़बूत और लचीला है।
- प्रत्येक वर्ष 300 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता है जिसमें से आधे का उपयोग शॉपिंग बैग, कप और स्ट्रॉ जैसी एकल-उपयोग वाली वस्तुओं को डिज़ाइन करने के लिये किया जाता है।
- केवल 9% प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण किया जाता है। लगभग 12% को जला दिया जाता है जबकि 79% लैंडफिल में जमा हो जाता है।
- इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) के अनुसार, प्रत्येक वर्ष कम से कम 8 मिलियन टन प्लास्टिक महासागरों में समा जाता है।

प्लास्टिक कचरे के स्रोत:

- समुद्री प्लास्टिक के मुख्य भूमि आधारित स्रोत शहरी नालों का बहाव, सीवर ओवरफ्लो, समुद्र तटीय आगंतुक, अपर्याप्त अपशिष्ट निपटान एवं प्रबंधन, औद्योगिक गतिविधियाँ, निर्माण एवं अवैध डंपिंग हैं।
- महासागर आधारित प्लास्टिक मुख्य रूप से मछली पकड़ने के उद्योग, समुद्री गतिविधियों और जलीय कृषि से उत्पन्न होता है।
- सौर पराबैंगनी विकिरण, वायु, धाराओं और अन्य प्राकृतिक कारकों के प्रभाव में प्लास्टिक के टुकड़े छोटे कणों जैसे-माइक्रोप्लास्टिक्स (5 मिमी. से छोटे कण) या नैनोप्लास्टिक्स (100 एनएम से छोटे कण) में टूट जाते हैं।
  - इसके अलावा, माइक्रोबीड्स, एक प्रकार का माइक्रोप्लास्टिक है जो पॉलीइथाइलीन प्लास्टिक के बहुत छोटे टुकड़े होते हैं, इन्हें स्वास्थ्य और सौंदर्य उत्पादों जैसे- क्लीन्ज़र और टूथपेस्ट में एक्सफोलिएंट के रूप में शामिल किया जाता है। ये छोटे कण आसानी से जल निस्पंदन तंत्र के माध्यम से गुजरते हैं और समुद्र तथा झीलों में समा जाते हैं।

समुद्री प्लास्टिक कचरे से संबंधित चिंताएँ:

- प्लास्टिक कचरा सीवरों को अवरुद्ध करता है, समुद्री जीवन को खतरे में डालता है और लैंडफिल या प्राकृतिक वातावरण में निवासियों के लिये स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है।
- समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण की वित्तीय लागत भी काफी महत्त्वपूर्ण है।
  - मार्च 2020 में किये गए पूर्वानुमान के अनुसार, समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ की 'ब्लू इकॉनोमी' को प्रत्यक्ष तौर पर प्रतिवर्ष 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होगा।
- आर्थिक लागत के साथ-साथ समुद्री प्लास्टिक कचरे की सामाजिक लागत भी काफी भारी होती है। तटीय क्षेत्रों के निवासी प्लास्टिक प्रदूषण और ज्वार द्वारा लाए गए कचरे के हानिकारक स्वास्थ्य प्रभावों से सबसे अधिक पीड़ित होते हैं।
- प्राय: यह देखा जाता है कि नावें मछली पकड़ने के जाल में फँस जाती हैं या उनके इंजन प्लास्टिक के मलबे से ब्लॉक हो जाते हैं।
  - यह नौवहन, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और समुद्री पर्यटन जैसे उद्योगों के लिये समस्याएँ उत्पन्न कर सकता है, जो कि तटीय समुदाय की आजीविका को प्रभावित करते हैं।

इस संबंध में किये गए प्रयास

- ग्लोलिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट
  - इसे 'अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन' (IMO) और 'संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन' (FAO) द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका प्रारंभिक वित्तपोषण नॉर्वे सरकार द्वारा किया गया है।

- उद्देश्य: शिपिंग और मत्स्य पालन उद्योग से होने वाले समुद्री प्लास्टिक कचरे को कम करना।
  - साथ ही यह विकासशील देशों को समुद्री परिवहन और मत्स्य पालन क्षेत्रों से प्लास्टिक कचरे को कम करने में भी सहायता करता है।
  - साथ ही यह प्लास्टिक के पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण के अवसरों की पहचान भी करता है।
- समुद्री कचरे से निपटने की इस वैश्विक पहल में भारत समेत 30 देश शामिल हैं।

- विश्व पर्यावरण दिवस, 2018 की मेजबानी भारत द्वारा की गई थी, जिस दौरान वैश्विक नेताओं ने 'प्लास्टिक प्रदूषण को हराने' और इसके उपयोग को पूरी तरह से समाप्त करने का संकल्प लिया था।
- भारत के लिये विशिष्ट:
  - प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के मुताबिक, प्लास्टिक कचरे के पृथक्करण, संग्रहण, प्रसंस्करण और निपटान के लिये बुनियादी ढाँचे की स्थापना हेतु प्रत्येक स्थानीय निकाय को उत्तरदायी होना चाहिये।
  - प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2018 के माध्यम से 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व' (EPR) की अवधारणा पेश की गई थी।
  - भारत को वर्ष 2022 तक 'सिंगल यूज़ प्लास्टिक' से मुक्त करने के लिये देश में 'सिंगल यूज़ प्लास्टिक' पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

समाधान:

- उत्पाद डिज़ाइन करना: प्लास्टिक की वस्तुओं की पहचान करना जिन्हें गैर-प्लास्टिक, पुनर्चक्रण योग्य या बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बदला जा सकता है, पहला कदम है।
  - देशों को प्लास्टिक मूल्य श्रृंखला में सतत् आर्थिक प्रथाओं को अपनाना चाहिये।
- मूल्य निर्धारण: प्लास्टिक सस्ते होते हैं जो पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक को नियोजित करने के लिये कम आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। पर्यावरणीय स्वास्थ्य के साथ मूल्य संरचना को संतुलित करना प्राथमिकता होनी चाहिये।
- प्रौद्योगिकी और नवाचार: शहरों में प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा को मापने और निगरानी करने में सरकारों की सहायता के लिये उपकरण और प्रौद्योगिकी विकसित करना।
  - भारत को एशिया-प्रशांत के लिये संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक एवं सामाजिक आयोग की 'क्लोज़िंग द लूप' परियोजना जैसी परियोजनाएँ शुरू करनी चाहिये जो समस्या से निपटने हेतु अधिक आविष्कारशील नीति समाधान विकसित करने में शहरों की सहायता करती हैं।
- प्लास्टिक मुक्त कार्यस्थल को बढ़ावा देना: सभी एकल-उपयोग वाली वस्तुओं को पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं या अधिक सतत् एकल-उपयोग विकल्पों से बदला जा सकता है।
- निर्माता ज़िम्मेदारी: खुदरा (पैकेजिंग) क्षेत्र में विस्तारित ज़िम्मेदारी लागू की जा सकती है, जहाँ उत्पादक उन उत्पादों को इकट्ठा करने और पुनर्चक्रण के लिये ज़िम्मेदार होते हैं जिन्हें वे बाज़ार में लॉन्च करते हैं।
- नगरपालिका और सामुदायिक कार्य: समुद्र तट और नदी की सफाई, जन जागरूकता अभियान और डिस्पोज़ेबल प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध और शुल्क।
- बहु-हितधारक सहयोग: राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर सरकारी मंत्रालयों को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन से संबंधित नीतियों के विकास, कार्यान्वयन और निरीक्षण में सहयोग करना चाहिये।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

- इसका गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत सितंबर, 1974 को किया गया।
- इसके पश्चात् केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ व कार्य सौंपे गए।
- यह बोर्ड पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध कराता है।

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्यों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत वर्णित किया गया है।
  - जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नालों और कुओं की सफाई को बढ़ावा देना।
  - वायु की गुणवत्ता में सुधार और देश में वायु प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने या कम करने के प्रयास करना।

नवेगाँव-नागझिरा टाइगर रिज़र्व और ब्लैक पैंथर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महाराष्ट्र के नवेगाँव-नागझिरा टाइगर रिज़र्व (Navegaon-Nagzira Tiger Reserve- NNTR) में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक तेंदुआ देखा गया है। आमतौर पर सामान्य भाषा में इसे ब्लैक पैंथर (Black Panther) के रूप में जाना जाता है।

प्रमुख बिंदु:

मेलानिस्टिक तेंदुआ/ब्लैक पैंथर के बारे में:

- तेंदुआ (Panthera Pardus) या तो हल्के रंग का होता है (हल्के पीले से गहरे सुनहरे या पीले रंग के) या इसके शरीर पर काले रंग के गुच्छे में फर/बाल पाए जाते हैं।
- मेलानिस्टिक तेंदुआ का रंग या तो पूरी तरह से काला होता है या फिर यह बहुत गहरे रंग का होता है जो ब्लैक पैंथर के रूप में जाने जाता है। यह धब्बेदार भारतीय तेंदुओं का रंग रूप है, जो दक्षिण भारत के घने जंगलों में पाया जाता है।
- तेंदुओं के काले रंग के आवरण का कारण अप्रभावी एलील (Recessive Alleles) और जगुआर के एक प्रभावी एलील की उपस्थिति का होना है। प्रत्येक प्रजाति में एलील्स का एक निश्चित संयोजन जानवर के फर और त्वचा में बड़ी मात्रा में काले वर्णक मेलेनिन (मेलानिज्म) के उत्पादन को उत्तेजित करता है।
  - काले आवरण की उपस्थिति अन्य कारकों से प्रभावित हो सकती है, जैसे कि आपतित प्रकाश का कोण और जानवर का जीवन का स्तर।
  - यह एक सामान्य तेंदुए की तरह शर्मीला होता है और इसको खोजना भी मुश्किल होता है।
- आवास:
  - वे मुख्य रूप से दक्षिण-पश्चिमी चीन, बर्मा, नेपाल, दक्षिणी भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं।
  - भारत में यह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाया जाता है।
- खतरा:
  - प्राकृतिक वास का नुकसान।
  - वाहनों से टक्कर।
  - रोग।
  - मानव अतिक्रमण।
  - अवैध शिकार।
- संरक्षण स्थिति :
  - IUCN रेड लिस्ट: सुभेद्य (Vulnerable)
  - CITES: परिशिष्ट I
  - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I।

नवेगाँव-नागझिरा टाइगर रिज़र्व:

- नवेगाँव-नागझिरा टाइगर रिज़र्व के विषय में:
  - यह महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा ज़िलों में स्थित है।

- रणनीतिक रूप से यह टाइगर रिज़र्व, केंद्रीय भारतीय बाघ परिदृश्य के केंद्र में स्थित है जहाँ देश की कुल बाघ आबादी का लगभग 1/6 भाग पाया जाता है।

- गठन:
  - इसे दिसंबर, 2013 में भारत के 46वें टाइगर रिज़र्व के रूप में अधिसूचित किया गया था।
  - इसमें नवेगाँव राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव वन्यजीव अभयारण्य, नागझिरा वन्यजीव अभयारण्य,नवीन नागझिरा वन्यजीव अभयारण्य और कोका वन्यजीव अभयारण्य के अधिसूचित क्षेत्र शामिल हैं।
- जुड़ाव:
  - NNTR मध्य भारत में प्रमुख बाघ अभयारण्यों के साथ सीमा साझा करता है जैसे-
    - ताडोबा-अंधारी टाइगर रिज़र्व, महाराष्ट्र
    - कान्हा और पेंच टाइगर रिज़र्व, मध्यप्रदेश
    - इंद्रावती टाइगर रिज़र्व, छत्तीसगढ़
    - तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कवाल टाइगर रिज़र्व तथा और नागार्जुन सागर और छत्तीसगढ़ में अचनकमार टाइगर रिज़र्व (अप्रत्यक्ष रूप से)
  - यह उमरेद-करहंदला अभयारण्य और ब्रह्मपुरी डिवीज़न (महाराष्ट्र) जैसे महत्त्वपूर्ण बाघ क्षेत्रों से भी जुड़ा हुआ है।
- वनस्पति:
  - यहाँ प्रमुख रूप से 'दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन' (Southern Tropical Dry Deciduous Forest) पाए जाते हैं।
  - इस रिज़र्व में कुछ काँटेदार पौधे भी पाए जाते हैं और यहाँ बाँस बहुतायत में होता है।
- जीव-जंतु:
  - यहाँ तेंदुए जैसे बड़े मांसाहारी और जंगली कुत्ते, भेड़िया, गीदड़, जंगल बिल्ली तथा 'स्लॉथ बीयर' जैसे छोटे माँसाहारी जानवर पाए जाते हैं।
  - महत्त्वपूर्ण शाकाहारी जंतुओ में चीतल, सांभर, नीलगाय, चौसिंगा, कांकड़/बार्किंग डियर, जंगली सुअर और भारतीय गौर शामिल हैं। यहाँ माउस डीयर को भी देखा गया है।
  - यहाँ पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- महाराष्ट्र में अन्य संरक्षित क्षेत्र:
  - सह्याद्री टाइगर रिज़र्व।
  - मेलघाट टाइगर रिज़र्व।
  - ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य।
  - कर्नाला पक्षी अभयारण्य।
  - संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान।
  - पेंच राष्ट्रीय उद्यान।

खतरनाक रसायनों के कारण मौतें

चर्चा में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के नवीनतम अनुमानों के मुताबिक, दुनिया भर में खतरनाक रसायनों के संपर्क में आने से होने वाली मौतों की संख्या में वर्ष 2019 से वर्ष 2016 के बीच 29% की वृद्धि हुई है।

- आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016 में खतरनाक रसायनों के संपर्क में आने से 1.56 मिलियन लोगों की मृयु हुई थी, जो कि वर्ष 2019 में बढ़कर दो मिलियन तक पहुँच गई। अनजाने में रसायनों के संपर्क में आने के कारण प्रतिदिन 4,270 से 5,400 लोगों की मौत हुई थी।

- यह अनुमान और आँकड़े 'बर्लिन फोरम ऑन केमिकल्स एंड सस्टेनेबिलिटी: एम्बिशन एंड एक्शन वर्ड 2030' में आयोजित मंत्रिस्तरीय वार्ता के दौरान 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' के महानिदेशक द्वारा जारी किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

खतरनाक रसायन

- खतरनाक रसायन का आशय एक ऐसे रसायन से है, जिसमें मानव या पशु स्वास्थ्य, पर्यावरण, या संपत्ति को नुकसान पहुँचाने में सक्षम गुण मौजूद हैं।
- इन्हें प्राय: कार्यस्थल में कच्चे माल, सॉल्वैंट्स, सफाई एजेंट, उत्प्रेरक और कई अन्य कार्यों के लिये प्रयोग किया जाता हैं।
- इन्हें आमतौर पर स्वास्थ्य एवं संपत्ति पर इनके जोखिम स्तर के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। खतरनाक रसायनों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:
  - ज्वलनशील या विस्फोटक (उदाहरण: पेट्रोलियम, टीएनटी, प्लास्टिक विस्फोटक)।
  - त्वचा, फेफड़ों और आँखों के लिये संक्षारक (उदाहरण: एसिड, अल्काई, पेंट और धुँआ)।
  - ज़हरीले रसायन (उदाहरण: कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, साइनाइड, भारी धातु)।
- ये रसायन हवा में, उपभोक्ता उत्पादों में, कार्यस्थल पर, पानी में या मिट्टी में मौजूद होते हैं।
- ये मानसिक, व्यावहारिक और तंत्रिका संबंधी विकार, मोतियाबिंद या अस्थमा सहित कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं।

सर्वाधिक मौतों के लिये ज़िम्मेदार रसायन:

- सीसा विषाक्तता:
  - वर्ष 2019 में यह लगभग आधी मौतों हेतु ज़िम्मेदार रसायन था।
  - लेड के संपर्क में आने से हृदय रोग (cardiovascular diseases- CVD), गुर्दे की पुरानी बीमारियाँ और प्रारंभिक बौद्धिक अक्षमता (Idiopathic Intellectual Disability) की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं ।
  - विभिन्न कारणों से पेंट में लेड/सीसा मिलाया जाता है जैसे- रंग को गढ़ा करने, जंग की समस्या के समाधान हेतु तथा रंग के सुखाने के समय को कम करने के लिये।
  - भारत सहित सिर्फ 41% देशों का सीसारहित पेंट के उत्पादन, आयात, बिक्री और उपयोग पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नियंत्रण है।
  - वर्ष 2020 में यूनिसेफ (UNICEF) ने भी बच्चों के स्वास्थ्य पर सीसा प्रदूषण के प्रभाव को लेकर चिंता जताई थी।
    - वैश्विक स्तर पर लगभग 800 मिलियन लोगों के रक्त में लेड का स्तर अनुमेय मात्रा (Permissible Quantity) के बराबर या अधिक है (5 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर (μg/dL)।
- कण और कार्सिनोजेन्स:
  - पार्टिकुलेट्स (धूल, धुएँ और गैस) के व्यावसायिक संपर्क से होने वाली 'क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिज़ीज़' (Chronic Obstructive Pulmonary Disease- COPD) तथा कार्सिनोजेन्स (आर्सेनिक, एस्बेस्टस व बेंजीन) के संपर्क में आने से कैंसर से होने वाली मौतों के प्रमुख कारण हैं।

विकलांगता-समायोजित जीवन वर्षों (Disability Adjusted Life Year-DALY) में कमी:

- वर्ष 2019 में 53 मिलियन विकलांगता-समायोजित जीवन वर्ष कम हुए है। यह वर्ष 2016 के बाद से 19% से अधिक की वृद्धि है।
  - WHO के अनुसार, एक DALY को "स्वस्थ" जीवन का एक खोया वर्ष (Lost Year) माना जाता है। इन DALYs के योग को वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति और एक आदर्श स्वास्थ्य स्थिति के बीच अंतर के रूप में माना जाता है, जहाँ पूरी आबादी बीमारी और विकलांगता से मुक्त एक मानक आयु तक जीवित रहती है।
- लेड/शीशे के संपर्क में आने के कारण वर्ष 2016 से विकलांगता-समायोजित जीवन-वर्षों में 56% की वृद्धि हुई है।
- विकलांगता-समायोजित जीवन वर्ष (Disability-Adjusted Life Years- DALYs) समय से पहले मृत्यु के कारण खोए हुए जीवन के वर्षों की संख्या और बीमारी या चोट के कारण विकलांगता के साथ रहने वाले वर्षों की एक भारित माप है।

- भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (National Health Policy), 2017 में बीमारी के बोझ को ट्रैक करने हेतु DALYs के उपयोग की सिफारिश की गई है।

उठाए गए कदम

कई अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक सम्मेलन कुछ खतरनाक रसायनों के उत्पादन, उपयोग और व्यापार को निषेध या प्रतिबंधित भी कर रहे हैं।

- स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (POP) पर स्टॉकहोम कन्वेंशन: मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को POP (यानी ज़हरीले रसायनों) के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिये एक वैश्विक संधि है।
  - भारत ने इस समझौते की पुष्टि की है और इसे स्वीकार किया है।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिये पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया के बारे में रॉटरडैम कन्वेंशन।
  - भारत ने 2005 में इस कन्वेंशन की पुष्टि की।
- खतरनाक अपशिष्टों और उनके निपटान की सीमापारीय गतिविधियों के नियंत्रण पर बेसल कन्वेंशन।
  - भारत ने कन्वेंशन की पुष्टि की।
- रासायनिक हथियार सम्मेलन (CWC) एक हथियार नियंत्रण संधि है जो राष्ट्र संघ द्वारा रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, भंडारण, प्रतिधारण, हस्तांतरण या उपयोग को प्रतिबंधित करती है।
  - भारत एक हस्ताक्षरकर्त्ता और कन्वेंशन का पक्षकार है।
- पारे (Mercury) पर मिनामाता कन्वेंशन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे तथा इसके यौगिकों के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिये एक वैश्विक संधि है।
  - भारत सहित 140 से अधिक देशों ने कन्वेंशन की पुष्टि की है।
- नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (NDPS) की अवैध तस्करी के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन/समझौता- यह समझौता दवाओं की तस्करी के विरूद्ध व्यापक उपाय प्रदान करता है जिसमें हवाला और मूल रसायनों को दूसरे रूप में बदलने (डायवर्ज़न ऑफ प्रीकर्सर केमिकल्स) के विरुद्ध प्रावधान भी शामिल हैं।
  - भारत इसके हस्ताक्षरकर्त्ताओं में से एक है।
- वर्ष 1990 में कार्यस्थल पर रसायनों के उपयोग में सुरक्षा से संबंधित रसायन कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा प्रख्यापित किया गया था तथा 4 नवंबर, 1993 को लागू हुआ था।
- अंतर्राष्ट्रीय रसायन प्रबंधन के लिये सामरिक दृष्टिकोण (SAICM) विश्व भर में रासायनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये एक नीतिगत ढाँचा है।
  - प्रथम सम्मेलन और रणनीतिक दृष्टिकोण विकसित करने की प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा अन्य हितधारकों के सहयोग से आयोजित की गई थी।

आगे की राह

- व्यापक कानून की आवश्यकता: रासायनिक उपयोग, उत्पादन और सुरक्षा को विनियमित करने के लिये देशों में एक व्यापक कानून की आवश्यकता है।
- इस संदर्भ में भारत को ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि देश की राष्ट्रीय रासायनिक नीति 2012 से लंबित है।
- रासायनिक पदार्थों के उपयोग को कम करना या हटाना: खतरनाक रसायनों को संभालने, भंडारण, परिवहन और उपयोग करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिये।
  - खतरनाक रसायनों से खुद को बचाने के लिये उपयोगकर्त्ता को सुरक्षात्मक वस्त्रों और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अपनाने की ज़रूरत है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड फॉर नेचर (World Wildlife Fund for Nature- WWF) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा 'ए फ्यूचर फॉर ऑल- ए नीड फॉर ह्यूमन- वाइल्डलाइफ कोएग्जिस्टेंस' (A Future for All–A Need for Human-Wildlife Coexistence) रिपोर्ट जारी की गई।

- इसमें बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष (Human-Wildlife Conflict- HWC) प्रकाश डाला गया है।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष से संबंधित मौतों में विश्व की जंगली बिल्ली प्रजातियों की 75% से अधिक तथा कई अन्य स्थलीय एवं समुद्री मांसाहारी प्रजातियाँ जैसे- ध्रुवीय भालू, भूमध्यसागरीय मोंक सील एवं हाथी आदि बड़े शाकाहारी जीव प्रभावित होते हैं।

प्रमुख बिंदु:

संदर्भ:

- मानव-वन्यजीव संघर्ष (HWC) उन संघर्षों को संदर्भित करता है जो उस स्थिति में उत्पन्न होते हैं जब वन्यजीवों की उपस्थिति या व्यवहार मानव हितों या ज़रूरतों के लिये वास्तव में या प्रत्यक्ष आवर्ती खतरों का कारण बनता है जिसके कारण लोगों, जानवरों, संसाधनों तथा आवास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण:

- संरक्षित क्षेत्र का अभाव: समुद्री और स्थलीय संरक्षित क्षेत्र विश्व स्तर पर केवल 9.67% हिस्से को कवर करते हैं। अफ्रीकी शेर के लगभग 40% और अफ्रीकी एवं एशियाई हाथी रेंज के 70% क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं।
  - वर्तमान में भारत के 35% टाइगर रेंज संरक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं।
- वन्यजीव जनित संक्रमण: एक जूनोटिक बीमारी से उत्पन्न कोविड-19 महामारी लोगों, के पशुओं और वन्यजीवों के साथ घनिष्ठ जुड़ाव तथा जंगली जानवरों के अनियंत्रित उपभोग से प्रेरित है।
  - जानवरों और लोगों के बीच घनिष्ठ, लगातार तथा विविध संपर्क के चलते पशु रोगाणुओं के लोगों में स्थानांतरित होने की संभावना बढ़ जाती है।
- अन्य कारण:
  - शहरीकरण: आधुनिक समय में तेज़ी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगीकरण ने वन भूमि को गैर-वन उद्देश्यों वाली भूमि में परिवर्तित कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप वन्यजीवों के आवास क्षेत्र में कमी आ रही है।
  - परिवहन नेटवर्क: वन शृंखलाओं के माध्यम से सड़क और रेल नेटवर्क के विस्तार के परिणामस्वरूप सड़कों या रेल पटरियों पर दुर्घटनाओं में अनेक पशु मारे जाते है या वे घायल हो जाते हैं।
  - बढ़ती मानव जनसंख्या: संरक्षित क्षेत्रों की परिधि के पास कई मानव बस्तियाँ स्थित हैं और स्थानीय लोगों द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण तथा भोजन एवं चारा आदि के संग्रह के लिये वनों के सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है।

प्रभाव:

- वन्यजीवन तथा पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव: पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता पर मानव-पशु संघर्ष का प्रभाव हानिकारक एवं स्थायी हो सकता है। लोग आत्मरक्षा हेतु या हमले का शिकार होने से पूर्व ही हमला करने या प्रतिशोध में हत्या के उद्देश्य से जानवरों को मार सकते हैं, जिसके चलते संघर्ष में शामिल प्रजातियाँ विलुप्ति के कगार पर पहुँच सकती हैं।
- स्थानीय समुदायों पर प्रभाव: वन्यजीवों का लोगों पर सबसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव उनके द्वारा किया गया हमला तथा पशुओं द्वारा फसलों या अन्य संपत्ति को हानि पहुँचाया जाना है।
- समानता पर प्रभाव: वन्यजीवों के साथ रहने की आर्थिक और मनोवैज्ञानिक लागत उस वन्यजीव के आस-पास रहने वालों को असमान रूप से चुकानी पड़ती है, जबकि एक प्रजाति के जीवित रहने का लाभ अन्य समुदायों तक वितरित होता है।

- सामाजिक गतिशीलता पर प्रभाव: जब कोई मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटना किसी किसान को प्रभावित करती है, तो वह किसान फसल को नुकसान पहुँचाने वाले वन्यजीव से रक्षा के लिये सरकार को दोषी ठहरा सकता है, जबकि एक संरक्षणवादी ऐसी घटनाओं के लिये किसानों (जो जंगली आवासों को साफ करते हैं) तथा उद्योगों को प्रमुख रूप से दोषी मानते हैं।
- सतत् विकास पर प्रभाव: 'संरक्षण' के संदर्भ में मानव-वन्यजीव संघर्ष एक ऐसा विषय है जो सतत् विकास लक्ष्यों से दृढ़ता से जुड़ा हुआ है क्योंकि विकास को बनाए रखने के लिये जैव विविधता प्राथमिक घटक है, यद्यपि इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

समाधान:

- संघर्ष से सह-अस्तित्व की ओर बढ़ना: मानव-पशु संघर्ष प्रबंधन का लक्ष्य लोगों और वन्यजीवों की सुरक्षा को बढ़ाना तथा सह-अस्तित्व का पारस्परिक लाभ अर्जित करना होना चाहिये।
- एकीकृत और समग्र कार्य: समग्र मानव-पशु संघर्ष प्रबंधन दृष्टिकोण प्रजातियों को उन्हीं क्षेत्रों में बनाए रखने (जीवित रखने) की अनुमति देता है जहाँ उनकी संख्या या तो कम हो चुकी होती है या वे विलुप्त हो चुके हैं।
  - हमारे ग्रह पर पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और क्रियाविधि को बनाए रखने के लिये सभी प्रजातियों का होना आवश्यक है।
- सहभागिता: स्थानीय समुदायों की पूर्ण भागीदारी मानव-पशु संघर्ष को कम करने और मनुष्यों एवं वन्यजीवों के बीच सह-अस्तित्व को बढ़ाने में मदद कर सकती है।

भारतीय परिदृश्य:

- भारत मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती चुनौती का सामना कर रहा है जो विकास के दबावों व बढ़ती आबादी, भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों की उच्च मांग से प्रेरित है जिसके परिणामस्वरूप वन्यजीवों के आवासों का नुकसान, विखंडन और क्षरण होता है।
  - यह दबाव लोगों और वन्यजीवों के बीच संपर्क को तेज़ करता है क्योंकि वे प्राय: सीमाओं के स्पष्ट सीमांकन के बिना आवास स्थान साझा करते हैं।
- भारत में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आँकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2014-15 और वर्ष 2018-19 के बीच 500 से अधिक हाथियों की मौत हो गई, जिनमें से अधिकतर मानव-हाथी संघर्ष (Human-Elephant Conflict) से संबंधित हैं।
- इसी अवधि में 2,361 लोग हाथियों के हमले में मारे गए।

कुछ पहलें:

- मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन हेतु परामर्श: यह राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की स्थायी समिति (Standing Committee) द्वारा जारी किया गया है।
  - सशक्त ग्राम पंचायत: परामर्श में वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसार, संकटग्रस्त वन्यजीवों के संरक्षण हेतु ग्राम पंचायतों को मज़बूत बनाने की परिकल्पना की गई है।
  - बीमा राहत: मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण फसलों का नुकसान होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna) के तहत क्षतिपूर्ति का प्रावधान शामिल है।
  - पशु चारा: इसके तहत वन क्षेत्रों के भीतर चारे और पानी के स्रोतों को बढ़ाने जैसे कुछ महत्त्वपूर्ण कदम शामिल हैं।
  - अग्रणीय उपाय: परामर्श में स्थानीय/राज्य स्तर पर अंतर-विभागीय समितियों के निर्धारण, पूर्व चेतावनी प्रणालियों को अपनाने, जंगली पशुओं से बचाव हेतु अवरोधों/घेराबंदी का निर्माण, 24X7 आधार पर संचालित नि:शुल्क हॉटलाइन नंबरों के साथ समर्पित क्षेत्रीय नियंत्रण कक्ष, हॉटस्पॉट की पहचान और पशुओं के लिये उन्नत स्टाल-फेड फार्म (Stall-Fed Farm) आदि हेतु विशेष योजनाएँ बनाने तथा उनके कार्यान्वयन की अवधारणा प्रस्तुत की गई है।
  - त्वरित राहत: संघर्ष की स्थिति में पीड़ित परिवार को अंतरिम राहत के रूप में अनुग्रह राशि के एक हिस्से का भुगतान 24 घंटे की भीतर किया जाए।

- राज्य-विशिष्ट:
  - उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में ऐसी घटनाओं के दौरान बेहतर समन्वय और राहत सुनिश्चित करने हेतु राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (State Disaster Response Fund) में सूचीबद्ध आपदाओं के तहत मानव-पशु संघर्ष को शामिल करने हेतु सैद्धांतिक रूप से मंज़ूरी दे दी है।
  - उत्तराखंड सरकार (2019) ने क्षेत्रों में विभिन्न प्रजातियों के पौधों को उगाकर बायो फेंसिंग लगाने का कार्य किया।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने नीलगिरि हाथी कॉरिडोर (Nilgiris Elephant Corridor), हाथियों से संबंधित 'राइट ऑफ पैसेज' (Right of Passage) और क्षेत्र में होटल/रिसॉर्ट्स को बंद करने की पुष्टि की है।
  - ओडिशा के अथागढ़ वन प्रभाग ने मानव-हाथी संघर्ष को रोकने के लिये जंगली हाथियों हेतु खाद्य भंडार को समृद्ध करने के लिये विभिन्न आरक्षित वन क्षेत्रों के अंदर सीड्स बम या बॉल (Seed Bombs) (या बम) का प्रयोग शुरू कर दिया है।

लेमरू हाथी रिज़र्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने लेमरू हाथी रिज़र्व क्षेत्र को 1,995 वर्ग किमी. से घटाकर 450 वर्ग किमी. तक रखने का प्रस्ताव दिया है।

- वर्ष 2007 में केंद्र सरकार ने 450 वर्ग किमी. वन्य क्षेत्र में लेमरू हाथी रिज़र्व के निर्माण की अनुमति दी तथा वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को 1,995 वर्ग किमी. तक विस्तारित करने का फैसला किया।

प्रमुख बिंदु

परिचय :

- यह रिज़र्व छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में स्थित है।
- रिज़र्व का लक्ष्य हाथियों को स्थायी आवास प्रदान करने के साथ-साथ मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकना तथा संपत्ति के विनाश को कम करना है।
- इससे पूर्व अक्तूबर 2020 में राज्य सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (WLPA) की धारा 36A के अंतर्गत रिज़र्व (संरक्षित क्षेत्र/ रिज़र्व) को अधिसूचित किया था।
  - धारा 36A में एक विशेष प्रावधान है जो संघ सरकार को संरक्षित क्षेत्र/ रिज़र्व के रूप में अधिसूचित की जाने वाली भूमि के केंद्र से संबंधित क्षेत्रों के मामले में अधिसूचना की प्रक्रिया में एक अधिकार देती है।
  - हाथी रिज़र्व WLPA के तहत स्वीकृत नहीं हैं।

रिज़र्व क्षेत्र को कम करने का कारण:

- रिज़र्व के अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र हसदेव अरण्य जंगलों का हिस्सा है, साथ ही यह एक अधिक विविधतापूर्ण बायोज़ोन है जो कोयले के भंडार में भी समृद्ध है।
- इस क्षेत्र के 22 कोयला खदानों/ब्लॉकों में से 7 को पहले ही आवंटित किया जा चुका है, जबकि तीन में उत्खनन कार्य जारी है तथा अन्य चार में उत्खनन की प्रक्रिया की दिशा में कार्यरत हैं।
- आरक्षित क्षेत्र को विस्तारित करने में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि कई कोयला खदानें अनुपयोगी हो जाएंगी।

रिज़र्व का महत्त्व:

- अकेले उत्तरी छत्तीसगढ़ 240 से अधिक हाथियों का आवास स्थल है। पिछले 20 वर्षों में राज्य में 150 से अधिक हाथियों की मौत हुई है, जिसमें 16 हाथियों की मृत्यु जून से अक्तूबर 2020 के मध्य हुई है।
- छत्तीसगढ़ राज्य में पाए जाने वाले हाथी अपेक्षाकृत नए हैं। हाथियों ने वर्ष 1990 में अविभाजित मध्य प्रदेश में विचरण शुरू किया।

- जबकि मध्य प्रदेश में झारखंड से आने वाले जानवरों के विचरण पर अंकुश लगाने की नीति थी। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद औपचारिक नीति के अभाव के चलते हाथियों को राज्य के उत्तर और मध्य भागों में एक गलियारे के रूप में उपयोग करने को अनुमति प्रदान की गई।
- चूँकि ये जानवर अपेक्षाकृत नए थे, इसलिये मानव-पशु संघर्ष तब शुरू हुआ जब हाथी भोजन की तलाश में बसे हुए क्षेत्रों में भटकने लगे।

छत्तीसगढ़ में अन्य संरक्षित क्षेत्र:

- अचानकमार टाइगर रिज़र्व।
- इंद्रावती टाइगर रिज़र्व।
- सीतानदी-उदंती टाइगर रिज़र्व।
- कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान।
- बादलखोल तमोर पिंगला हाथी अभयारण्य।

हाथी:

- हाथी कीस्टोन प्रजाति (keystone species) है।
- एशियाई हाथी की तीन उप-प्रजातियाँ हैं- भारतीय, सुमात्रन और श्रीलंकाई।
- महाद्वीप पर शेष बचे हाथियों की तुलना में भारतीय हाथियों की संख्या और रेंज व्यापक है।

भारतीय हाथियों की संरक्षण स्थिति:

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-I
- IUCN रेड लिस्ट: लुप्तप्राय (Endangered)

CITES: परिशिष्ट-I

हाथियों के संरक्षण के लिये भारत की पहल:

- गज यात्रा (Gaj Yatra): यह हाथियों की रक्षा के लिये शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसकी शुरुआत वर्ष 2017 में विश्व हाथी दिवस (World Elephant Day) के अवसर पर की गई थी।
- प्रोजेक्ट एलीफेंट (Project Elephant): यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 1992 में शुरू किया गया था।
- सीड्स बम या बॉल (Seed Bombs): हाल ही में ओडिशा के अथागढ़ वन प्रभाग ने मानव-हाथी संघर्ष को रोकने के लिये जंगली हाथियों हेतु खाद्य भंडार को समृद्ध करने हेतु विभिन्न आरक्षित वन क्षेत्रों के अंदर बीज गेंदों (या बम) का प्रयोग शुरू कर दिया है।

जानवरों के प्रवासी मार्ग का अधिकार:

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने नीलगिरि हाथी कॉरिडोर (Nilgiris Elephant Corridor) पर मद्रास उच्च न्यायालय के वर्ष 2011 के एक आदेश को बरकरार रखा जो हाथियों से संबंधित 'राइट ऑफ पैसेज' (Right of Passage) और क्षेत्र में होटल/रिसॉर्ट्स को बंद करने की पुष्टि करता है।

हाथियों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय पहल:

- हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी (Monitoring of Illegal Killing of Elephants- MIKE) हेतु कार्यक्रम: यह CITES के पक्षकारों के सम्मेलन (Conference Of Parties- COP) द्वारा अज्ञापित है। इसकी शुरुआत दक्षिण एशिया में (वर्ष 2003) निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई थी:
  - हाथियों के अवैध शिकार के स्तर और प्रवृत्ति को मापना।
  - इन प्रवृत्तियों में समय के साथ हुए परिवर्तन का निर्धारण करना।
  - इन परिवर्तनों या इनसे जुड़े कारकों को निर्धारित करना और विशेष रूप से इस बात का आकलन करना कि CITES के COP द्वारा लिये गए किसी भी निर्णय का इन प्रवृत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा है।

नदियों के किनारे बसे शहरों के लिये संरक्षण योजनाएँ

चर्चा में क्यों?

'स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन' (NMCG) के एक नीति दस्तावेज़ में प्रस्ताव दिया गया है कि नदी तट पर स्थित शहरों को अपना मास्टर प्लान तैयार करते समय नदी संरक्षण योजनाओं को शामिल करना चाहिये।

- यह प्रस्ताव वर्तमान में उन शहरों के लिये है जो गंगा नदी की मुख्य धारा पर मौजूद हैं, इसमें मुख्यत: पाँच राज्यों- उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के शहर शामिल हैं।
- 'स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन' राष्ट्रीय गंगा परिषद का कार्यान्वयन विंग है (इसने 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' को प्रतिस्थापित किया था)। यह अपने राज्य समकक्ष संगठनों के साथ 'नमामि गंगे कार्यक्रम' को लागू करता है।

प्रमुख बिंदु

नीतिगत दस्तावेज़ का प्रस्ताव

- इस दस्तावेज़ में नदी-संवेदनशील योजनाओं की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है, जो कि व्यावहारिक होनी चाहिये (जैसा कि राष्ट्रीय जल नीति में परिकल्पित है)।
- अतिक्रमण को हटाने के लिये एक उचित पुनर्वास रणनीति के साथ वैकल्पिक आजीविका विकल्पों पर ज़ोर देते हुए व्यवस्थित पुनर्वास योजना विकसित की जानी चाहिये।
- सहानुभूतिपूर्ण और मानवीय समाधान विकसित करने हेतु नीति-निर्माताओं को हितधारकों (अतिक्रमणकर्त्ता और भूमि मालिकों) को शामिल करने का हरसंभव प्रयास करना चाहिये।
- योजना को भूमि के स्वामित्व संबंधी पहलुओं पर भी स्पष्टता प्रदान करनी चाहिये। योजना के क्रियान्वयन के दौरान कानूनी जटिलताओं से बचने के लिये इन क्षेत्रों में भूमि के स्वामित्व का पता लगाना महत्त्वपूर्ण है।
- नदी और नदी संसाधनों के संरक्षण के प्रमुख पहलुओं के रूप में नदी के आसपास के क्षेत्र में हरित बफर ज़ोन के निर्माण, कंक्रीट संरचनाओं को हटाना और ग्रीन अवसंरचना' को नियोजित करना शामिल किया जा सकता है।

महत्त्व

- नदी प्रबंधन के लिये अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने हेतु मास्टर प्लान के तहत तकनीकी पारिस्थितिक तंत्र विकसित किया जा सकता है।
  - इनमें पानी की गुणवत्ता की सैटेलाइट-आधारित निगरानी; नदी के किनारे जैव विविधता मानचित्रण के लिये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' का उपयोग; नदी-स्वास्थ्य निगरानी के लिये 'बिग डेटा' का उपयोग; बाढ़ के मैदानों की मैपिंग हेतु 'मानव रहित विमान' (UAV) आदि शामिल हो सकते हैं।
- आने वाले वर्षों में प्रौद्योगिकियों की प्रकृति और प्रकार के अधिक परिष्कृत और प्रभावी होने की उम्मीद है। इस प्रकार शहर इन्हें पूर्णत: अपनाने के लिये तैयार होंगे।

राष्ट्रीय जल नीति, 2012 की मुख्य विशेषताएँ:

- एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन: इसने एक एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन दृष्टिकोण की अवधारणा को निर्धारित किया जिसने जल संसाधनों की योजना, विकास और प्रबंधन के लिये नदी बेसिन/उप-बेसिन को एक इकाई के रूप में लिया।
  - एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) एक ऐसी प्रक्रिया है जो महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता से समझौता किये बिना एक समान तरीके से अधिकतम आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिये जल, भूमि तथा संबंधित संसाधनों के समन्वित विकास एवं प्रबंधन को बढ़ावा देती है।
- न्यूनतम जल प्रवाह: पारिस्थितिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये नदी के एक हिस्से के न्यूनतम प्रवाह को बनाए रखना।
  - वर्ष 2018 में इस तरह के दृष्टिकोण ने सरकार को पूरे वर्ष गंगा में न्यूनतम जल स्तर बनाए रखने की आवश्यकता का नेतृत्व किया।
  - नागरिकों को आवश्यक स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने के लिये न्यूनतम मात्रा में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने पर भी ज़ोर दिया गया।

- अंतर बेसिन स्थानांतरण: बुनियादी मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने और समानता तथा सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिये पर्यावरणीय, आर्थिक एवं सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन करने के बाद प्रत्येक अंतर बेसिन स्थानांतरण मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।
- अन्य कारणों जैसे- हिमालय में स्प्रिंग सेट (spring set) का कम होना, पानी की सब्सिडी का बजट और पुनर्गठन, सिंचाई आदि में पानी के उपयोग को प्राथमिकता देने की मांग की।

पर्यावरणीय उल्लंघन से निपटने के लिये SOP

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने पर्यावरण उल्लंघन संबंधी मामलों से निपटने के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की।

- यह SOP राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का परिणाम है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2021 की शुरुआत में मंत्रालय को हरित उल्लंघन के लिये दंड और एक SOP जारी करने का निर्देश दिया गया था।

प्रमुख बिंदु:

SOP के अनुसार हरित उल्लंघन की श्रेणियाँ:

- मंज़ूरी रहित परियोजनाएँ:
  - इनमें निर्माण कार्य, मौजूदा परियोजना का विस्तार शामिल है, जो परियोजना प्रस्तावक के पास पर्यावरणीय मंज़ूरी प्राप्त किये बिना शुरू हो गई है।
  - ऐसी परियोजनाएँ जो पर्यावरण मंज़ूरी के लिये अनुमत नहीं हैं।
  - परियोजना की अनुमेयता की जाँच इस परिप्रेक्ष्य में की जाएगी कि क्या ऐसी गतिविधि/परियोजना पूर्व पर्यावरण मंज़ूरी प्राप्त करने के लिये योग्य थी।
    - उदाहरण के लिये: यदि एक लाल उद्योग (प्रदूषण सूचकांक (PI) स्कोर 60 और उससे अधिक वाले औद्योगिक क्षेत्र), तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ)-I में काम कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि परियोजना के शुरू होने के समय इसकी अनुमति नहीं थी, अत: इस गतिविधि को बंद किया जाए।
    - किसी भी औद्योगिक क्षेत्र का PI 0 से 100 तक की संख्या होती है और PI का बढ़ता मान औद्योगिक क्षेत्र से प्रदूषण भार की बढ़ती डिग्री को दर्शाता है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा विकसित किया गया है तथा लाल, नारंगी, हरे और सफेद श्रेणियों में औद्योगिक क्षेत्रों के वर्गीकरण के लिये उपयोग किया जाता है।
- गैर-अनुपालन परियोजनाएँ:
  - जिन परियोजनाओं में पूर्व पर्यावरण मंज़ूरी दी गई है, लेकिन यह अनुमोदन निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन है।
  - ऐसी परियोजनाएँ जो पर्यावरण कानून के अनुसार अनुमत हैं लेकिन जिन्हें अपेक्षित मंज़ूरी नहीं मिली है।
  - उत्पादन की मात्रा में वृद्धि सहित किसी परियोजना के विस्तार के मामले में यदि पर्यावरणीय मंज़ूरी प्राप्त नहीं हुई है तो सरकारी एजेंसी परियोजना प्रस्तावक को विस्तार से पहले निर्माण/विनिर्माण स्तर पर वापस लाने के लिये मजबूर कर सकती है।

जुर्माना:

- उन मामलों में जहाँ आवश्यक पर्यावरणीय मंज़ूरी के बिना संचालन शुरू हो गया है, कुल परियोजना लागत का 1% और इसके अलावा उल्लंघन की अवधि के दौरान कुल कारोबार का 0.25% जुर्माना लगाया जाएगा।
- उल्लंघन के मामलों में जहाँ संचालन शुरू नहीं हुआ है, आवेदन दाखिल करने की तारीख तक कुल परियोजना लागत का 1% (उदाहरण- 1 करोड़ रुपए की परियोजना के लिये 1 लाख रुपए) का जुर्माना लगाया जाएगा।

पर्यावरणविदों की चिंताएँ:

- SOPउल्लंघनों को सामान्य करता है जिसके द्वारा उन्हें जुर्माना देकर छोड़ दिया जाता है।
- यह प्रदूषक भुगतान मानदंड के आधार पर उल्लंघनों का संस्थागतकरण है।

MoEFCC की अन्य संबंधित पहलें:

- इससे पहले एमओईएफसीसी ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत मौजूदा ईआईए अधिसूचना, 2006 को बदलने के इरादे से पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2020 का मसौदा प्रकाशित किया है।
- वर्ष 2017 में मंत्रालय ने पर्यावरणीय उल्लंघनों के मामलों में दंडित करने को लेकर छह महीने की माफी योजना शुरू की थी, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया था।

पर्यावरण प्रभाव आकलन

पर्यावरण प्रभाव आकलन के विषय में:

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme- UNEP) द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) को निर्णय लेने से पूर्व किसी परियोजना के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पहचान करने हेतु उपयोग किये जाने वाले उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- इसका लक्ष्य परियोजना नियोजन और डिज़ाइन के प्रारंभिक चरण में पर्यावरणीय प्रभावों की भविष्यवाणी करना, प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के तरीके और साधन खोजना, परियोजनाओं को स्थानीय पर्यावरण के अनुरूप आकार देना और निर्णय निर्माताओं के लिये विकल्प प्रस्तुत करना है।
- भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन संबंधी प्रक्रिया को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 द्वारा वैधानिक समर्थन प्राप्त है।

महत्त्व:

- यह विकास संबंधी परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने या कम करने के लिये एक लागत प्रभावी साधन प्रदान करता है।
- यह नीति निर्माताओं को विकासात्मक परियोजना के लागू होने से पूर्व पर्यावरण पर विकासात्मक गतिविधियों के प्रभाव का विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है।
- विकास योजना में शमन रणनीतियों के अनुकूलन को प्रोत्साहित करता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि संबंधित विकास योजना पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ है और पारिस्थितिकी तंत्र के आत्मसात एवं पुनर्जनन की क्षमता की सीमा के भीतर है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT)

- यह पर्यावरण संरक्षण और वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी तथा शीघ्र निपटान हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम (2010) के तहत स्थापित एक विशेष निकाय है।
- NGT की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा (और पहला विकासशील) देश बन गया। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया व न्यूज़ीलैंड में ही ऐसे किसी निकाय की स्थापना की गई थी।
- NGT अपने पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीनों के भीतर करने हेतु अधिदेशित/आज्ञापित है।
- NGT का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि अन्य चार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित हैं।

भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून के चकराता शहर में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन (Cryptogamic Garden) का उद्घाटन किया गया।

- गार्डन में लाइकेन, फर्न और कवक (इनके सामूहिक रूप को क्रिप्टोगेमिक के रूप में जाना जाता है) की लगभग 50 प्रजातियाँ दिखाई देगी।

नोट:

- पादप समुदाय को दो उप-समुदायों में विभाजित किया जा सकता है- क्रिप्टोगेम (Cryptogams) और फेनरोगेम (Phanerogams)।
- क्रिप्टोगेम में बीज रहित पौधे और पौधे जैसे जीव होते हैं, जबकि फेनरोगेम में बीज वाले पौधे होते हैं।
  - फेनरोगेम को आगे दो वर्गों अर्थात् जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में विभाजित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

इस उद्यान/गार्डन के स्थानीय कारक:

- यह उद्यान चकराता के देवबन में 9,000 फीट की ऊँचाई पर स्थित है।
- इस क्षेत्र को इसके निम्न प्रदूषण स्तर और आर्द्र जलवायु परिस्थितियों के कारण चुना गया है जो इन प्रजातियों के विकास के लिये अनुकूल है।
- इसके अतिरिक्त देवबन में देवदार और ओक के प्राचीन घने वन हैं जो क्रिप्टोगेमिक प्रजातियों के लिये एक प्राकृतिक आवास निर्मित करते हैं।

क्रिप्टोगेम (Cryptogams):

- क्रिप्टोगेम एक पौधा है जो बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करता है।
- "क्रिप्टोगेम" शब्द का अर्थ है 'अदृश्य प्रजनन', इसका अभिप्राय यह है कि वे किसी भी प्रजनन संरचना, बीज या फूल का उत्पादन नहीं करते हैं।
- इसी कारण इन्हें "फूल रहित" या "बीज रहित पौधे" या 'लोअर प्लांट" कहा जाता है।
- इन प्रजातियों के अनुकूलन हेतु आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है।
- ये जलीय और स्थलीय दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- क्रिप्टोगेम के सबसे प्रसिद्ध समूह शैवाल, लाइकेन, काई और फर्न हैं।

क्रिप्टोगेम का वर्गीकरण: क्रिप्टोगेम को पौधे के विभिन्न संरचनात्मक और कार्यात्मक मानदंडों के आधार पर 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है।

- थैलोफाइटा (Thallophyta): थैलोफाइटा पादप समुदाय का एक विभाजन है जिसमें पौधे के जीवन के प्राचीनतम रूप शामिल हैं जो एक सामान्य पौधे की संरचना को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के पौधों में जड़ों, तनों या पत्तियों की कमी होती है।
  - इसमें शैवाल जैसे स्पाइरोगाइरा(Spirogyra), सरगासम (Sargassum) आदि शामिल हैं।
  - ये मुख्य रूप से जलीय पौधे हैं तथा खारे और मीठे दोनों जल क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- ब्रायोफाइटा (Bryophyta): ब्रायोफाइट्स में सीमित प्रजाति के गैर-संवहनी भूमि के पौधे शामिल होते हैं। इन पौधों हेतु आर्द्र जलवायु अनुकूल होती है लेकिन वे शुष्क जलवायु में भी जीवित रह सकते हैं। उदाहरण- हॉर्नवॉर्ट्स (Hornworts), हपैटिक्स (Liverworts), हरिता (Mosses) इत्यादि।
  - वे शैवाल और टेरिडोफाइट्स के बीच एक मध्यवर्ती स्थिति पर उगते है।
  - चूँकि ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है क्योंकि ये भूमि और जल पर जीवित रह सकते हैं ।
- टेरिडोफाइटा (Pteridophyta): टेरिडोफाइटा एक संवहनी पौधा है जो बीजाणुओं को फैलाता है। यह जाइलम और फ्लोएम वाला पहला पौधा है।
  - फर्न प्राचीनतम संवहनी पौधों का सबसे बड़ा जीवित समूह है।

क्रिप्टोगेम के अन्य प्रकार:

- लाइकेन: लाइकेन एक मिश्रित जीव है जिसमें दो अलग-अलग जीवों, एक कवक और एक शैवाल के बीच पारस्परिक कल्याणकारी सहजीविता होती है।
- कवक: यह सामान्यत: बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों का एक समुदाय है जो परपोषी होते हैं।

राइट-टू-रिपेयर' आंदोलन

चर्चा में क्यों?

हालिया वर्षों में विश्व के कई देशों में एक प्रभावी 'राइट-टू-रिपेयर' कानून को पारित करने का प्रयास किया जा रहा है।

- इस आंदोलन की जड़ें 1950 के दशक में कंप्यूटर युग की शुरुआत से जुड़ी हुई हैं।
- इस आंदोलन का लक्ष्य, कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य उत्पादों के स्पेयर पार्ट्स, उपकरण तथा इनको ठीक करने हेतु उपभोक्ताओं और मरम्मत करने वाली दुकानों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाना है, जिससे इन उत्पादों का जीवन-काल बढ़ सके और इन्हें कचरे में जाने से बचाया जा सके।

प्रमुख बिंदु

'राइट-टू-रिपेयर' (Right to Repair):

- 'राइट-टू-रिपेयर' एक ऐसे अधिकार अथवा कानून को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को अपने स्वयं के उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करना और उन्हें संशोधित करने की अनुमति देना है, जहाँ अन्यथा ऐसे उपकरणों के निर्माता उपभोक्ताओं को केवल उनके द्वारा प्रस्तुत सेवाओं के उपयोग करने की अनुमति देते हैं।
- 'राइट-टू-रिपेयर' का विचार मूल रूप से अमेरिका से उत्पन्न हुआ था, जहाँ 'मोटर व्हीकल ओनर्स राइट टू रिपेयर एक्ट, 2012' किसी भी व्यक्ति को वाहनों की मरम्मत करने में सक्षम बनाने के लिये वाहन निर्माताओं को सभी आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी प्रदान करना अनिवार्य बनाता है।

लाभ:

- रिपेयर/मरम्मत करने वाली छोटी दुकानें स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्त्वपूर्ण भाग होती हैं, इस अधिकार को दिये जाने से इन दुकानों के कारोबार में वृद्धि होगी।
- यह ई-कचरे की विशाल मात्रा को कम करने में मदद करेगा, जो कि महाद्वीप पर प्रत्येक वर्ष बढ़ता जा रहा है।
- यह उपभोक्ताओं को पैसा बचाने में मदद करेगा।
- यह उपकरणों के जीवनकाल, रखरखाव, पुन: उपयोग, उन्नयन, पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार कर चक्रीय अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों में योगदान देगा।

आंदोलन को बढ़ावा देने वाले कारण:

- इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्माताओं द्वारा 'एक नियोजित अप्रचलन' (Planned Obsolescence) की संस्कृति को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
  - 'नियोजित अप्रचलन' का अर्थ है कि उपकरणों को विशेष रूप से सीमित समय तक काम करने और इसके बाद इन्हें बदले जाने के लिये डिज़ाइन किया जाता है।
- इससे पर्यावरण पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय होता है।
  - इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का निर्माण एक अत्यधिक प्रदूषणकारी प्रक्रिया है। यह ऊर्जा के प्रदूषणकारी स्रोतों, जैसे कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग करता है, जिसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

विरोध का कारण:

- एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और टेस्ला (Tesla) समेत बड़ी तकनीकी कंपनियों ने तर्क दिया है कि अपनी बौद्धिक संपदा को तीसरे पक्ष की मरम्मत सेवाओं या शौकिया मरम्मत करने वालों के लिये खोलने से शोषण हो सकता है और उनके उपकरणों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

विश्व भर में 'राइट-टू-रिपेयर' आंदोलन:

- संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति ने निर्माताओं द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को रोकने के लिये संघीय व्यापार आयोग के एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किये हैं जो उपभोक्ताओं की अपनी शर्तों पर अपने गैजेट की मरम्मत करने की क्षमता को सीमित करते हैं।
- UK ने भी मरम्मत के अधिकार के नियम पेश किये जिससे TV और वाशिंग मशीन जैसे दैनिक उपयोग के गैजेट्स को खरीदना तथा उनकी मरम्मत करना बहुत आसान हो गया है।

भारत में ई-कचरा

आधिकारिक डेटा:

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, भारत ने वर्ष 2019-20 में 10 लाख टन से अधिक ई-कचरा उत्पन्न किया, जो 2017-18 में उत्पादित ई-कचरे (7 लाख टन) की तुलना में बहुत अधिक है

भारतीय पहल:

- ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2016:
  - इसका उद्देश्य ई-कचरे से उपयोगी सामग्री को अलग करना और/या उसे पुन: उपयोग के लिये सक्षम बनाना है, ताकि निपटान के लिये खतरनाक किस्म के कचरे को कम किया जा सके और बिजली तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।
- ई-कचरा क्लिनिक:
  - यह ई-कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान से संबंधित है।

आगे की राह

- 'राइट-टू-रिपेयर' कानून भारत जैसे देश में विशेष रूप से मूल्यवान हो सकता है, जहाँ सेवा नेटवर्क अक्सर असमान (Spotty) होते हैं और अधिकृत कार्यशालाएँ कम होने के साथ ही दूर के इलाकों में होती हैं।
- भारत का अनौपचारिक मरम्मत क्षेत्र जुगाड़ के साथ अच्छा काम करता है लेकिन अगर इस तरह के कानून को अपनाया जाता है तो मरम्मत और रखरखाव सेवाओं की गुणवत्ता में काफी सुधार हो सकता है।

वर्ष 2020 के बाद वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क

चर्चा में क्यों?

'जैविक विविधता पर सयुक्त राष्ट्र अभिसमय' (United Nations Convention on Biological Diversity) ने वर्ष 2030 तक प्रकृति प्रबंधन हेतु विकासशील देशों को वित्त उपलब्ध कराने के लिये विभिन्न स्रोतों से अतिरिक्त 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तपोषण की मांग की है।

- यह उन मांगों और लक्ष्यों में से एक है जिसे वर्ष 2030 तक एक नए वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के आधिकारिक मसौदे में निर्धारित किया गया है।

जैविक विविधता अभिसमय (CBD)

- जैविक विविधता अभिसमय (Convention on Biological Diversity- CBD), जैव विविधता के संरक्षण हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जो वर्ष 1993 से लागू है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं:
  - जैव विविधता का संरक्षण।

- जैविक विविधता के घटकों का सतत् उपयोग।
- आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत वितरण।

- लगभग सभी देशों ने इसकी पुष्टि की है (अमेरिका ने इस संधि पर हस्ताक्षर तो किये हैं लेकिन पुष्टि नहीं की है)।
- CBD का सचिवालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थित है जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत संचालित होता है।
- जैविक विविधता अभिसमय के तहत पार्टियाँ (देश) नियमित अंतराल पर मिलती हैं और इन बैठकों को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (Conference of Parties - COP) कहा जाता है।
- वर्ष 2000 में जैव सुरक्षा पर एक पूरक समझौते के रुप में कार्टाजेना प्रोटोकॉल (Cartagena Protocol on Biosafety) को अपनाया गया था। यह 11 सितंबर, 2003 को लागू हुआ।
  - यह प्रोटोकॉल आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप संशोधित जीवित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों से जैविक विविधता की रक्षा करता है।
- आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच सुनिशचित तकरने और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित एवं न्यायसंगत साझाकरण को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2010 में नागोया प्रोटोकॉल को जापान के नागोया शहर में संपन्न
- COP10 में अपनाया गया था। यह 12 अक्तूबर, 2014 को लागू हुआ।
  - यह प्रोटोकॉल न केवल CBD के तहत शामिल आनुवंशिक संसाधनों और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों पर लागू होता है, बल्कि आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े उस पारंपरिक ज्ञान (Traditional knowledge (TK) को भी कवर करता है जो CBDऔर इसके उपयोग से होने वाले लाभों से आच्छादित हैं।
- COP-10 में आनुवंशिक संसाधनों पर नागोया प्रोटोकॉल को अपनाने के साथ, जैव विविधता को बचाने हेतु सभी देशों द्वारा कार्रवाई के लिये दस वर्ष की रूपरेख को भी अपनाया गया।
- वर्ष 2010 में नागोया में CBD की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP)-10 में वर्ष 2011-2020 हेतु 'जैव विविधता के लिये रणनीतिक योजना' को अपनाया गया। इसमें पहली बार विषय विशिष्ट 20 जैव विविधता लक्ष्यों- जिन्हें आइचीजैव विविधता लक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है, को अपनाया गया।
- भारत में CBD के प्रावधानों को प्रभावी बनाने हेतु वर्ष 2002 में जैविक विविधता अधिनियम अधिनियमित किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- पृष्ठभूमि:
  - जैव विविधता और इससे प्राप्त होने वाले लाभ, मानव कल्याण के साथ-साथ पृथ्वी की मौलिक ज़रूरतें हैं। चल रहे प्रयासों के बावजूद वैश्विक स्तर पर जैव विविधता की स्थिति बिगड़ रही है तथा व्यापार-उद्देश्यों के तहत इसमें गिरावट जारी रहने या इसके और खराब होने का अनुमान है।
  - वर्ष 2020 के बाद का वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क जैव विविधता 2011-2020 हेतु एक रणनीतिक योजना पर आधारित है।
    - जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2011-2020 (United Nations Decade on Biodiversity 2011-2020) के समाप्त होने के साथ ही IUCN द्वारा सक्रिय रूप से एक ममहत्त्वाकांक्षी नए वैश्विक जैव विविधता ढाँचे के विकास को अपनाए जाने का आह्वान किया जा रहा है।
- उद्देश्य:
  - मार्गदर्शक बल/शक्ति: यह एक नया फ्रेमवर्क/ढाँचा है जो प्रकृति की रक्षा करने और वर्ष 2020 से वर्ष 2030 तक मनुष्यों के लिये इसकी आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने हेतु एक वैश्विक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करेगा।
  - लक्ष्य निर्धारित करना: यह राष्ट्रीय और क्षेत्रीय लक्ष्यों को निर्धारित एवं विकसित करने, आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय रणनीतियों और कार्य योजनाओं को अद्यतन करने, वैश्विक स्तर पर प्रगति की नियमित निगरानी तथा समीक्षा करने हेतु कन्वेंशन के 196 दलों के लिये एक वैश्विक, परिणाम-उन्मुख ढाँचा है।

- तत्काल और परिवर्तनकारी कार्रवाई: फ्रेमवर्क का उद्देश्य सरकारों और संपूर्ण समाज द्वारा जैविक विविधता, इसके प्रोटोकॉल और अन्य जैव विविधता से संबंधित बहुपक्षीय समझौतों, प्रक्रियाओं तथा उपकरणों पर कन्वेंशन के उद्देश्यों में योगदान करने हेतु तत्काल परिवर्तनकारी कार्रवाई को बढ़ावा देना है।
- क्षमता निर्माण: इसका उद्देश्य लक्ष्यों को पूरा करने हेतु संरक्षण उपाय करने के लिये समुदायों/सरकारों के उचित क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करना है।
  - इनमें उन देशों को विवादास्पद प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण शामिल है जिनके पास वर्तमान में व्यापक वैज्ञानिक सहयोग और प्रौद्योगिकी नहीं है।

- लक्ष्य और उद्देश्य:
  - वर्ष 2050 तक नए फ्रेमवर्क के निम्नलिखित चार लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है:
    - जैव विविधता के विलुप्त होने तथा उसमें गिरावट को रोकना।
    - संरक्षण द्वारा मनुष्यों के लिये प्रकृति की सेवाओं को बढ़ाने और उन्हें बनाए रखना।
    - आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से सभी के लिये उचित और समान लाभ सुनिश्चित करना।
    - वर्ष 2050 के विज़न को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध वित्तीय और कार्यान्वयन के अन्य आवश्यक साधनों के मध्य अंतर को कम करना।
  - 2030 कार्य-उन्मुख लक्ष्य : 2030 के दशक में तत्काल कार्रवाई के लिये इस फ्रेमवर्क में 21 कार्य-उन्मुख लक्ष्य हैं।
    - उनमें से एक है संरक्षित क्षेत्रों के तहत विश्व के कम- से-कम 30% भूमि और समुद्र क्षेत्र को लाना।
    - एक अन्य लक्ष्य जैव विविधता के लिये हानिकारक प्रोत्साहनों को पुनर्निर्देशित करना, उनका पुन: उपयोग करना, सुधार करना और उचित एवं न्यायसंगत तरीके से उन्हें प्रतिवर्ष कम-से-कम 500 बिलियन डॉलर से कम करना" है।
- SDGs के साथ संबंध:
  - यह फ्रेमवर्क 'सतत् विकास के लिये 2030 एजेंडा' के कार्यान्वयन में एक मौलिक योगदान है।
  - साथ ही सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) की दिशा में प्रगति के लिये रूपरेखा को लागू करने हेतु आवश्यक शर्तें तैयार करने में मदद मिलेगी।
- वित्तीय सहायता की आवश्यकता:
  - विकासशील देशों के लिये और अधिक वित्तीय सहायता हेतु फ्रेमवर्क की मांग, जैव विविधता के नुकसान से संबंधित पीड़ितों की सहायता करने के लिये सबसे कठिन है।
  - इस फ्रेमवर्क को लागू करने के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं जो वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष कम-से-कम 700 बिलियन डॉलर तक के वित्तपोषण के अंतर को उत्तरोत्तर कम करेंगे।
  - वित्तीय प्रतिबद्धता को प्रतिवर्ष कम-से-कम $200 बिलियन तक बढ़ाना होगा। इसमें विकासशील देशों को प्रतिवर्ष 10 अरब डॉलर का अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रवाह शामिल है।

फ्रेमवर्क में परिवर्तन का सिद्धांत:

- इस फ्रेमवर्क को परिवर्तन के सिद्धांत के आधार पर बनाया गया है जो यह मानता है कि आर्थिक, सामाजिक और वित्तीय मॉडल को बदलने के लिये वैश्विक, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर तत्काल नीतिगत कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
- जिन प्रवृत्तियों ने जैव विविधता के नुकसान को बढ़ाया है, वे अगले 10 वर्षों (2030 तक) में स्थिर हो जाएंगे और वर्ष 2050 तक "प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने" संबंधी अभिसमय के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिये अगले 20 वर्षों में प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में सुधार करने में सहायता करेंगे।

अपमार्जकों द्वारा जल प्रदूषण

चर्चा में क्यों?

अपमार्जक/डिटर्जेंट से होने वाला जल प्रदूषण वैश्विक संदर्भ में एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है।

- भारत में प्रति व्यक्ति डिटर्जेंट की खपत प्रतिवर्ष लगभग 2.7 किलोग्राम है।
  - यह फिलीपींस और मलेशिया में लगभग 3.7 किलोग्राम और संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 किलोग्राम है।

जल प्रदूषण:

- जल प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक पदार्थ जैसे-रसायन या सूक्ष्मजीवों द्वारा धारा, नदी, झील, महासागर, जलभृत या पानी के अन्य निकायों को दूषित किया जाता है, जो पानी की गुणवत्ता को खराब करते हैं और इसे मनुष्यों या पर्यावरण के लिये विषाक्त बनाते हैं।
- जल विशिष्ट रूप से प्रदूषण की चपेट में है। इसे एक "सार्वभौमिक विलायक" के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी पर जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों के विलीनीकरण में सक्षम है।
- जल प्रदूषण के कुछ कारण सीवेज का पानी, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि स्रोत, थर्मल और विकिरण प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, आक्रामक प्रजातियाँ, भूमिगत जल प्रदूषण आदि हैं।

नोट:

- बिंदु स्रोत: जब प्रदूषकों को एक विशिष्ट स्थान से छोड़ा जाता है जैसे- औद्योगिक अपशिष्टों को ले जाने वाली पाइप सीधे जल निकाय में छोड़ी जाती है तो यह बिंदु स्रोत प्रदूषण का प्रतिनिधित्व करती है।
- गैर-बिंदु स्रोत: इसमें फैलने वाले स्रोतों से या बड़े क्षेत्र से प्रदूषकों का निर्वहन शामिल है, जैसे कि कृषि क्षेत्रों, चराई भूमि, निर्माण स्थलों, परित्यक्त खानों और गड्ढों आदि से अपवाह।

प्रमुख बिंदु

अपमार्जक (Detergent):

- अपमार्जक (Detergent) ऐसे पृष्ठ संक्रियक (Surfactant) या पृष्ठ संक्रियक पदार्थों का मिश्रण है जिनके तनु विलयन में सफाई करने की क्षमता होती है। अपमार्जक साबुन के समान होता है।
  - पृष्ठ संक्रियक जिसे सतह-सक्रिय एजेंट भी कहा जाता है, एक अपमार्जक जैसे पदार्थ को जब एक तरल में मिश्रित किया जाता है, तो वह इसके पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिससे इसके फैलाव और गीलेपन की अवस्था में वृद्धि होती है।
  - पृष्ठ तनाव एक तरल का सतही गुण है जो इसे अपने अणुओं के एकत्रित होने के कारण बाह्य बल का विरोध करने की अनुमति देता है।
- वे साबुन की तुलना में कठोर जल में अधिक घुलनशील होते हैं क्योंकि कठोर जल में डिटर्जेंट का सल्फोनेट, कैल्शियम और अन्य आयनों को उतनी आसानी से नहीं बांधता जितना साबुन में कार्बोक्सिलेट यह कार्य करता है।

अपमार्जक और प्रदूषण :

- नोनीलफेनॉल का जैव-संचयन:
  - अपमार्जक में पाए जाने वाले एक खतरनाक रसायन नोनीलफेनॉल (Nonylphenol) को जल निकायों और खाद्य शृंखलाओं में प्रवेश करने के लिये जाना जाता है। यह जैव-संचयन (Bio-accumulation) करता है और गंभीर पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न कर सकता है।
  - यह मानव दुग्ध, रक्त और मूत्र में पाया जाता है तथा यह कृन्तकों में प्रजनन एवं विकासात्मक प्रभावों से जुड़ा है।
- जैव निम्नीकरण का निषेध :
  - कई कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट में लगभग 35 प्रतिशत से 75 प्रतिशत फॉस्फेट लवण होते हैं। फॉस्फेट विभिन्न प्रकार के जल प्रदूषण की समस्याओं को उत्पन्न करने का कारण बन सकते हैं।

- उदाहरण: फॉस्फेट कार्बनिक पदार्थों के जैव निम्नीकरण को रोकता है। गैर-बायोडिग्रेडेबल पदार्थों को सार्वजनिक या निजी अपशिष्ट जल उपचार द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है।
  - जैव-निम्नीकरण या बायोडिग्रेडेशन (Biodegradation) वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूक्ष्मजीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को छोटे यौगिकों में तोड़ दिया जाता है।
- कुछ फॉस्फेट-आधारित अपमार्जक भी यूट्रोफिकेशन का कारण बन सकते हैं। फॉस्फेट-संवर्द्धन से जल निकाय में शैवाल और अन्य पौधों का प्रस्फुटन हो सकता है।
  - यूट्रोफिकेशन (Eutrophication): जब एक जल निकाय खनिजों और पोषक तत्त्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाती है जो शैवाल या शैवाल के अत्यधिक विकास को प्रेरित करती है। इस स्थिति में उपलब्ध जलीय ऑक्सीजन कम हो जाती जिससे अन्य जीवों की मृत्यु हो जाती है।
  - बेल्जियम में वर्ष 2003 से घरेलू अपमार्जक के रूप में उपयोग के लिये फॉस्फेट को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

- ऑक्सीजन की मात्रा को कम करने वाले पदार्थ:
  - डिटर्जेंट में ऑक्सीजन कम करने वाले पदार्थ भी होते हैं (यानी एक रासायनिक यौगिक जो आसानी से ऑक्सीजन परमाणुओं को स्थानांतरित करता है) जो मछलियों और अन्य समुद्री जानवरों को गंभीर नुकसान पहुँचा सकता है।
- श्लेष्म का विनाश:
  - जल में डिटर्जेंट सांद्रता 15 पीपीएम (Parts per Million) के करीब होने पर अधिकांश मछलियाँ मर जाती हैं, जबकि जल में 5 पीपीएम डिटर्जेंट सांद्रता मछलियों के अंडों को नुकसान पहुँचता है।डिटर्जेंट बाहरी श्लेष्म (Mucus) परतों को नष्ट करने में सक्षम होता है जो मछली को बैक्टीरिया और परजीवी से बचाते हैं, इससे गलफड़ों को गंभीर नुकसान होता है।
- पानी को गंदा करता है:
  - डिटर्जेंट के कुछ मानवजनित हानिकारक घटक हैं जैसे- शाकनाशी, कीटनाशक तथा भारी धातु (जस्ता, कैडमियम और सीसा) जो कि पानी के खराब होने के कारक हैं। इससे प्रकाश अवरुद्ध होता है एवं पौधों का विकास बाधित होता है।
  - पानी का गंदापन मछलियों की कुछ प्रजातियों के श्वसन तंत्र को अवरुद्ध कर देता है। ये ज़हरीले जल निकाय कुछ घातक मानव या पशु रोगों के कारण बनते हैं।
- इंसानों के लिये खतरनाक:
  - डिटर्जेंट में संदिग्ध कार्सिनोजेन्स (Carcinogen) और ऐसे तत्त्व होते हैं जो पूरी तरह से बायोडिग्रेड नहीं होते हैं।
    - कार्सिनोजेन एक ऐसा घटक है जो मनुष्यों में कैंसर पैदा करने की क्षमता रखता है।
- भारतीय पहल:
  - इकोमार्क स्कीम (ECOMARK Scheme): सरकार ने यह योजना पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की लेबलिंग को लेकर शुरू की है।
  - यह योजना राष्ट्रीय आधार पर संचालित है और घरेलू तथा अन्य उपभोक्ता उत्पादों के लिये मान्यता एवं लेबलिंग प्रदान करती है, जो उस उत्पाद हेतु भारतीय मानकों की गुणवत्ता आवश्यकताओं के साथ-साथ कुछ पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा करते हैं।
  - इकोमार्क योजना में विभिन्न उत्पाद श्रेणियाँ जैसे- साबुन और डिटर्जेंट, पेंट, खाद्य पदार्थ आदि शामिल हैं।

जैवसंचय बनाम जैव-आवर्द्धन (Bioaccumulation vs Biomagnification):

- जैवसंचय तब होता है जब किसी जीव या प्रजाति के भीतर रसायनों की सांद्रता बढ़ जाती है। यह उस स्थिति में हो सकता है जब जीवों द्वारा ज़हरीले पदार्थ निगल लिये जाते हैं। जीवों के लिये इन विषाक्त पदार्थों का उत्सर्जन करना बहुत कठिन होता है, इसलिये ये उनके ऊतकों में जमा हो जाते हैं।
- जैव-आवर्द्धन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिकारियों के भीतर ज़हरीले रसायन बनते हैं। यह प्राय: संपूर्ण खाद्य श्रृंखला में होता है और सभी जीवों को प्रभावित करता है परंतु श्रृंखला में शीर्ष पर रहने वाले जानवर अधिक प्रभावित होते हैं।

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

हीट डोम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रशांत नॉर्थवेस्ट और कनाडा के कुछ हिस्सों में तापमान 47 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, जिससे "ऐतिहासिक" गर्मी की लहर पैदा हुई।

- यह घटना "हीट डोम" (Heat Dome) का परिणाम है।

प्रमुख बिंदु

हीट डोम के विषय में:

- यह घटना तब शुरू होती है जब समुद्र के तापमान में प्रबल परिवर्तन (चढ़ाव या उतार) होता है। संवहन के कारण समुद्र के सतह की गर्म हवा ऊपर उठती है।
- जैसे-जैसे प्रचलित हवाएँ गर्म हवा को पूर्व की ओर ले जाती हैं, वैसे-वैसे जेट स्ट्रीम की उत्तरी शिफ्ट हवा को भूमि की ओर मोड़ देती है, जहाँ यह समाप्त हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप गर्म लहरों का जन्म होता है।
  - जेट स्ट्रीम वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में तेज़ हवा की अपेक्षा संकीर्ण बैंड (Narrow Band) हैं। जेट धाराओं में हवाएँ पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं लेकिन इनका प्रवाह अक्सर उत्तर और दक्षिण में बदल जाता है।
- पश्चिम से पूर्व की ओर समुद्र के तापमान में यह तीव्र परिवर्तन हीट डोम का कारण है।
  - पश्चिमी प्रशांत महासागर के तापमान में पिछले कुछ दशकों में वृद्धि हुई है और यह पूर्वी प्रशांत महासागर के तापमान से अपेक्षाकृत अधिक है।
- हीट डोम बादलों को बनने से भी रोकता है, जिससे सूर्य के अधिक विकिरण धरती तक पहुँच जाते हैं।
- हीट डोम उच्च दबाव क्षेत्र है जो उस बर्तन की तरह होता है जिस पर लगा ढक्कन गर्मी को रोककर रखता है। वर्ष 2021 जैसे ला नीना (La Niña) बनने की संभावना अधिक होती है, जब पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पानी ठंडा होता है और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में गर्म होता है।

ग्रीष्म लहर (Heat Waves):

- ग्रीष्म लहर असामान्य रूप से उच्च तापमान की वह स्थिति है, जिसमें तापमान सामान्य से अधिक रहता है। यह दो दिनों से अधिक समय तक रहता है।
- ग्रीष्म लहर मार्च-जून के बीच चलती है परंतु कभी-कभी जुलाई तक भी चला करती है।
- ग्रीष्म लहरें उच्च आर्द्रता वाली और बिना आर्द्रता वाली भी हो सकती हैं तथा यह एक बड़े क्षेत्र को कवर करने की क्षमता रखती हैं, इसकी भीषण गर्मी' बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करती है।

मनुष्यों पर प्रभाव (आर्द्र बल्ब' के तापमान पर):

- जब तक शरीर से पसीने का उत्सर्जन और तीव्र वाष्पन होता रहेगा तब तक शरीर उच्च तापमान में भी ठंडा रहने में सक्षम होगा।
- वेट-बल्ब तापमान (WBT) एक ऐसी सीमा है जो ऊष्मा और आर्द्रता दोनों पर विचार करती है जिसके आगे मनुष्य उच्च तापमान को सहन नहीं कर सकता है।
- WBT से अधिक तापमान ऊष्मा से संबंधित बीमारियों का कारण बन सकता है, जिसमें हीट स्ट्रोक, हीट थकावट, सनबर्न और हीट रैश शामिल हैं। कई बार ये जानलेवा भी साबित हो सकती हैं।

'हीट डोम' के प्रभाव:

- बिना एयर कंडीशनर के रहने वाले लोग अपने घरों के तापमान को असहनीय रूप से बढ़ते हुए देखते हैं, जिससे अचानक मृत्यु हो सकती है।
- गर्मी के कारण फसलों को भी नुकसान हो सकता है, वनस्पति सूख सकती है और इसके परिणामस्वरूप सूखा पड़ सकता है।
- प्रचंड गर्मी की लहर से ऊर्जा की मांग में भी वृद्धि होगी, विशेष रूप से बिजली की जिससे इसकी मूल्य दरों में वृद्धि होगी।
- 'हीट डोम' जंगल की आग के लिये ईंधन के रूप में भी काम कर सकते हैं, जो हर साल अमेरिका में बहुत सारे भूमि क्षेत्र को नष्ट कर देता है।

जलवायु परिवर्तन और 'हीट डोम्स':

- मौसम वैज्ञानिक अधिक भीषण गर्मी की लहरों के संबंध में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर प्रकाश डालते रहे हैं।
  - वर्ष 2017 के NOAA (नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन) सर्वेक्षण के अनुसार, 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध से औसत अमेरिकी तापमान में वृद्धि हुई है।
- हालाँकि वैज्ञानिक आमतौर पर जलवायु परिवर्तन को किसी भी समकालीन घटना से जोड़ने से सावधान रहते हैं।

विश्व जनसंख्या दिवस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश ने विश्व जनसंख्या दिवस (World Population Day 11th July) के अवसर पर अपनी नई जनसंख्या नीति 2021-30 का अनावरण किया।

प्रमुख बिंदु:

परिचय:

- वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने सिफारिश की कि 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाए, जिसका उद्देश्य जनसंख्या के मुद्दों की तात्कालिकता और महत्त्व पर ध्यान केंद्रित करना है।
- UNDP जनहित और जागरूकता से प्रेरित था जिसे 11 जुलाई, 1987 को "पाँच अरब दिवस" (जब विश्व की आबादी 5 अरब तक पहुँच गई थी) द्वारा सृजित किया गया था।
- इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया गया था और इस दिन को पहली बार 11 जुलाई, 1990 को चिह्नित किया गया था।
- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी, उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की कि "माता-पिता को स्वतंत्र रूप से और ज़िम्मेदारी के साथ अपने बच्चों की संख्या एवं उनके बीच अंतर निर्धारित करने का विशेष अधिकार है।
- वर्ष 2021 के लिये थीम: राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर: चाहे बेबी बूम हो या बस्ट, प्रजनन दर में बदलाव का समाधान सभी लोगों के प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों को प्राथमिकता देना है।

उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति:

- इस नीति में पाँच प्रमुख लक्ष्य यथा- जनसंख्या नियंत्रण; मातृ मृत्यु दर और बीमारियों को समाप्त करना; इलाज योग्य शिशु मृत्यु दर को समाप्त करना तथा उनके पोषण स्तर में सुधार सुनिश्चित करना; युवाओं के बीच यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी व सुविधाओं में सुधार और बड़ों की देखभाल करना प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश सरकार के विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक भी तैयार किया है, जिसके अंतर्गत दो बच्चों के नियम को लागू किया जाएगा।
- इस मसौदे के अनुसार, जनसंख्या नियंत्रण नीति का उल्लंघन करने पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने जैसे दंड के साथ नौकरी में पदोन्नति, सब्सिडी आदि को रोक दिया जाएगा।

जनसंख्या रुझान और मुद्दे

विश्व जनसंख्या:

- विश्व जनसंख्या के विषय में:
  - विश्व की जनसंख्या लगभग 7.7 बिलियन है और इसके वर्ष 2030 में लगभग 8.5 बिलियन, वर्ष 2050 में 9.7 बिलियन तथा वर्ष 2100 में 10.9 बिलियन तक बढ़ने की संभावना है।
- वृद्धि का कारण:
  - यह नाटकीय वृद्धि बड़े पैमाने पर प्रजनन आयु तक जीवित रहने वाले लोगों की बढ़ती संख्या और साथ ही प्रजनन दर में बड़े बदलाव, शहरीकरण में वृद्धि तेज़ी से हो रहे प्रवासन से प्रेरित है।
    - आने वाली पीढ़ियों के लिये इन प्रवृत्तियों के दूरगामी प्रभाव होंगे।
- प्रभावित क्षेत्र:
  - ये आर्थिक विकास, रोज़गार, आय वितरण, गरीबी और सामाजिक सुरक्षा को प्रभावित करते हैं।
  - ये स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, पानी, भोजन और ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के प्रयासों को भी प्रभावित करते हैं।

भारत में जनसंख्या संबंधी मुद्दे:

- वृहद् आकार:
  - भारत में विश्व का केवल 2% भूभाग है और यहाँ की आबादी वैश्विक जनसंख्या का 16% है।
  - भारत दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बनने की कगार पर है और चीन (China) से भी आगे निकल जाएगा।
- तीव्र विकास :
  - जन्म और मृत्यु दर में इस बेमेल अंतर के परिणामस्वरूप पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है।
    - हालाँकि भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) में गिरावट दर्ज की गई। नवीनतम सरकारी आँकड़ों के अनुसार, वर्तमान में कुल प्रजनन दर 2.2 प्रति महिला है, जो 2.1 की प्रतिस्थापन दर के करीब है।
    - TFR प्रजनन अवधि के दौरान (15-49 वर्ष) एक महिला द्वारा पैदा किये वाले बच्चों की औसत संख्या को इंगित करती है।
- शिक्षा और जनसंख्या वृद्धि:
  - जनसंख्या विस्फोट में गरीबी और अशिक्षा का व्यापक योगदान है।
    - हालिया आँकड़ों के अनुसार, देश में कुल साक्षरता दर लगभग 77.7% है।
    - अखिल भारतीय स्तर पर पुरुष साक्षरता दर महिलाओं की अपेक्षा अधिक है यहाँ 84.7% पुरुषों के मुकाबले 70.3% महिलाएँ ही साक्षर हैं।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को संपत्ति के रूप में माना जाता है, जो बुढ़ापे में माता-पिता की देखभाल करेंगे, साथ ही अधिक बच्चों का अर्थ है, अधिक कमाई करने वाले हाथ।
  - महिलाओं की शिक्षा के स्तर का सीधा प्रभाव प्रजनन क्षमता पर पड़ता है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि निरक्षर महिलाओं की प्रजनन दर साक्षर महिलाओं की तुलना में अधिक होती है।
  - शिक्षा का अभाव महिलाओं को गर्भ निरोधकों के उपयोग तथा अधिक बच्चों को जन्म देने से पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी में बाधक है।
- बेरोज़गारी:
  - भारत की उच्च युवा बेरोज़गारी भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को जनसांख्यिकीय आपदा में बदल रही है।
  - इस युवा क्षमता को अक्सर 'जनसांख्यिकीय लाभांश' के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि यदि देश में उपलब्ध युवा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण से लैस है तो उन्हें न केवल उपयुक्त रोज़गार मिलेगा बल्कि वे देश के आर्थिक विकास में भी प्रभावी योगदान दे सकते हैं।

आगे की राह

- जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये परिवार नियोजन एक प्रभावी उपकरण है। सभी स्तरों पर सरकार- संघ, राज्य एवं स्थानीय समाजों को जागरूकता को बढ़ावा देने, महिलाओं के यौन और प्रजनन अधिकारों की वकालत करने तथा गर्भनिरोधक के उपयोग को प्रोत्साहित करने की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिये।
- समाज और देश के अधिकतम आर्थिक लाभ के लिये जनसंख्या वृद्धि का उपयोग कैसे किया जाए इस पर अच्छी तरह से शोध कर योजना बनाने और उसके कार्यान्वयन की आवश्यकता है।
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर भविष्य के लिये गरीबी, लैंगिक समानता, आर्थिक विकास से संबंधित सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) की प्राप्ति महत्त्वपूर्ण है।

आकाशीय बिजली (तड़ित) संबंधी घटनाएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने की अलग-अलग घटनाओं में तीस लोगों की मौत हो गई।

- प्राकृतिक कारणों से होने वाली आकस्मिक मौतों में आकाशीय बिजली का सबसे बड़ा योगदान है।

प्रमुख बिंदु

परिचय :

- आकाशीय बिजली/तड़ित का तात्पर्य वातावरण में विद्युत के तीव्र प्रवाह और बड़े पैमाने पर निर्वहन से है। इसका कुछ भाग पृथ्वी की ओर निर्देशित होता है। यह बादल के ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से के बीच प्राकृतिक रूप से न्यूनतम अवधि के विद्युत निर्वहन और उच्च आवेश के प्रक्रिया का परिणाम है।
  - इंटर क्लाउड या इंट्रा-क्लाउड (Intra-Cloud) बिजली दृश्यमान और हानिरहित होती है।
  - क्लाउड टू ग्राउंड (Cloud to Ground) बिजली हानिकारक होती है क्योंकि 'उच्च विद्युत आवेश तथा विद्युत प्रवाह' इलेक्ट्रोक्यूशन उत्पन्न करता है।

प्रक्रिया :

- यह बादल के ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से के बीच विद्युत आवेश के अंतर का परिणाम है।
  - बिजली उत्पन्न करने वाले बादल आमतौर पर लगभग 10-12 किमी. की ऊँचाई पर होते हैं, जिनका आधार पृथ्वी की सतह से लगभग 1-2 किमी. ऊपर होता है। शीर्ष पर तापमान -35 डिग्री सेल्सियस से -45 डिग्री सेल्सियस तक होता है।
- चूँकि जलवाष्प ऊपर की ओर उठने की प्रवृत्ति रखता है, यह तापमान में कमी के कारण जल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे जल के अणु और ऊपर की ओर गति करते हैं।
- जैसे-जैसे वे शून्य से कम तापमान की ओर बढ़ते हैं, जल की बूँदें छोटे बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाती हैं। चूँकि वे ऊपर की ओर बढ़ती रहती हैं, वे तब तक एक बड़े पैमाने पर इकट्ठा होती जाती हैं, जब तक कि वे इतने भारी न हो जाए कि नीचे गिरना शुरू कर दें।
- यह एक ऐसी प्रणाली की ओर गति करती है जहाँ बर्फ के छोटे क्रिस्टल ऊपर की ओर, जबकि बड़े क्रिस्टल नीचे की ओर गति करते हैं। इसके चलते इनके मध्य टकराव होता है तथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, यह विद्युत स्पार्क के समान कार्य करता है। गतिमान मुक्त इलेक्ट्रॉनों में और अधिक टकराव होता जाता है एवं इलेक्ट्रॉन बनते जाते हैं; यह एक चेन रिएक्शन का निर्माण करता है।
- इस प्रक्रिया के कारण एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें बादल की ऊपरी परत धनात्मक रूप से आवेशित हो जाती है, जबकि मध्य परत नकारात्मक रूप से आवेशित होती है।
- थोड़े समय में ही दोनों परतों के बीच एक विशाल विद्युतधारा (लाखों एम्पीयर) बहने लगती है।
  - इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे बादल की दोनों परतों के बीच मौजूद वायु गर्म होने लगती है।

- इस ऊष्मा के कारण दोनों परतों के बीच वायु का खाका बिजली के कड़कने के दौरान लाल रंग का नज़र आता है।
- गर्म हवा विस्तारित होती है और आघात उत्पन्न करती है जिसके परिणामस्वरूप गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है।

पृथ्वी की सतह पर बिजली का गिरना:

- पृथ्वी विद्युत की सुचालक है। वैद्युत रूप से तटस्थ होने पर यह बादल की मध्य परत की तुलना में अपेक्षाकृत धनात्मक रूप से आवेशित होती है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान प्रवाह का अनुमानित 20-25% पृथ्वी की ओर निर्देशित होता है।
  - इस वर्तमान प्रवाह के परिणामस्वरूप जीवन और संपत्ति को नुकसान होता है।
- इस बिजली के ज़मीन पर उठी हुई वस्तुओं जैसे-पेड़ या इमारत से टकराने की अधिक संभावना होती है।
  - 'लाइटनिंग कंडक्टर' एक उपकरण है जिसका उपयोग इमारतों को बिजली के प्रभाव से बचाने के लिये किया जाता है। भवन के निर्माण के दौरान इसकी दीवारों में भवन से ऊँची धातु की छड़ लगाई जाती हैं ।
- पृथ्वी पर सबसे अधिक बिजली गिरने की गतिविधि वेनेज़ुएला में माराकाइबो झील के तट पर देखी जाती है।
  - जिस स्थान पर कैटाटुम्बो नदी माराकाइबो झील में गिरती है, वहाँ हर वर्ष औसतन 260 तूफान आते हैं और अक्तूबर में हर मिनट में 28 बार बिजली चमकती है - इस घटना को 'बीकन ऑफ माराकाइबो' या चिरस्थायी तूफान कहा जाता है।

जलवायु परिवर्तन और आकाशीय बिजली:

- वर्ष 2015 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में इस बात को लेकर चेतावनी दी गई कि तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने से आकाशीय बिजली के गिरने की आवृत्ति में 12% की वृद्धि होगी।
- मार्च 2021 में जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित एक अध्ययन में भी आर्कटिक क्षेत्र में हो रहे जलवायु परिवर्तन (Climate Change) और बिजली गिरने की बढ़ती आवर्तियों के मध्य संबंध बताया गया है।
  - वर्ष 2010 से 2020 के मध्य गर्मियों के महीनों के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई जो वर्ष 2010 में 18,000 से बढ़कर वर्ष 2020 तक 1,50,000 से अधिक हो गई।
- अत: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट (Indian Institute of Tropical Management- IITM) ने भी बिजली गिरने की घटनाओं में वृद्धि को सीधे तौर पर जलवायु संकट और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ज़मीन पर अधिक नमी की उपलब्धता से संबंधित माना है।
  - पुणे स्थित IITM भारत का एकमात्र संस्थान है जो पूर्ण रुप से गरज और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं पर कार्य करता है।

भारत में आकाशीय बिजली की घटनाओं में वृद्धि:

- लाइटनिंग रेज़िलिएंट इंडिया कैंपेन (Lightning Resilient India Campaign- LRIC) द्वारा हाल ही में जारी बिजली पर भारत की दूसरी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2020 और मार्च 2021 के बीच भारत में बिजली गिरने की 18.5 मिलियन घटनाएँ दर्ज की गईं।
  - LRIC क्लाइमेट रेज़िलिएंट ऑब्ज़र्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल (CROPC), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, वर्ल्ड विज़न इंडिया, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) की एक संयुक्त पहल है।
  - इस अभियान का लक्ष्य वर्ष 2022 तक बिजली गिरने से होने वाली मौतों की संख्या को 1,200 प्रतिवर्ष से कम करना है।
- इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 34% की वृद्धि हुई है; अप्रैल 2019 और मार्च 2020 के बीच कम-से-कम बिजली गिरने की 13.8 मिलियन घटना दर्ज की गईं।

सामाजिक न्याय

जेंडर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्पेनिश सरकार ने एक ऐसे मसौदा विधेयक को मंज़ूरी दी है जो 14 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा निदान या हार्मोन थेरेपी के बिना कानूनी रूप से लिंग बदलने की अनुमति देगा।

- वर्तमान में किसी भी व्यक्ति को आधिकारिक रिकॉर्ड में अपना लिंग परिवर्तित करने से पहले कानूनी रूप से दो साल की हार्मोन थेरेपी और एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।
- ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति व्याप्त पूर्वाग्रह के चलते 'सेल्फ आइडेंटिफिकेशन' यानी 'स्व-पहचान' भारत सहित दुनिया भर में ट्रांस-राइट समूहों की लंबे समय से मांग रही है।

प्रमुख बिंदु:

जेंडर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन (अवधारणा):

- एक व्यक्ति को केवल घोषणा के माध्यम से और बिना किसी चिकित्सीय परीक्षण के अपनी पसंद के लिंग के साथ पहचाने जाने हेतु कानूनी रूप से अनुमति दी जानी चाहिये।
- पक्ष में तर्क:
  - वांछित लिंग के साथ पहचान घोषित करने की वर्तमान प्रक्रिया लंबी, महँगी और अपमानजनक है।
  - ट्रांसजेंडर लोगों को दैनिक रूप से भेदभाव का सामना करना पड़ता है, ऐसे में यह महत्त्वपूर्ण है कि इस भेदभाव से निपटने के लिये कदम उठाए जाएँ और लोगों को आवश्यक सेवाएँ तथा सहायता प्रदान की जाए।
  - लैंगिक पहचान को उस व्यक्ति का एक अंतर्निहित हिस्सा माना जाता है जिसे शल्य चिकित्सा या हार्मोनल उपचार या चिकित्सा की आवश्यकता हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। इसके अलावा सभी व्यक्तियों को अपनी शारीरिक अखंडता और शारीरिक स्वायत्तता को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने के लिये सशक्त होना चाहिये।
- विपक्ष में तर्क
  - जेंडर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन लोगों के इस अधिकार के सम्मान से कहीं आगे है कि वे क्या चाहते हैं; अपनी इच्छानुसार पोशाक धारण करना या अपनी पहचान व्यक्त करना।
  - यह एक राजनीतिक और सामाजिक मांग है जो सभी, विशेष रूप से महिलाओं, समलैंगिक लोगों और ट्रांससेक्सुअल लोगों को प्रभावित करती है।
  - जेंडर आइडेंटिफिकेशन के चिकित्साकरण ने ट्रांस समुदाय के कुछ सदस्यों के लिये महत्त्वपूर्ण कानूनी मान्यता और संक्रमण से संबंधित स्वास्थ्य देखभाल की अनुमति दी है।

ऐसे देश जहाँ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को कानूनी मान्यता प्राप्त है:

- डेनमार्क, पुर्तगाल, नॉर्वे, माल्टा, अर्जेंटीना, आयरलैंड, लक्ज़मबर्ग, ग्रीस, कोस्टा रिका, मैक्सिको (केवल मैक्सिको सिटी में), ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर और उरुग्वे सहित विश्व के 15 देश सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को मान्यता प्रदान करते हैं।
- हंगरी में एक नया कानून लाया गया है जिसके अनुसार, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये स्कूली पाठ्यक्रम और टेलीविज़न शो के माध्यम से समलैंगिकता तथा लिंग परिवर्तन के बारे में सभी ज्ञानकारियों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना आवश्यक है।

भारत में नियम:

- भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2019 और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 द्वारा शासित होते हैं।
  - नियम के तहत लिंग घोषित करने हेतु ज़िलाधिकारी को आवेदन करना होता है। माता-पिता भी अपने बच्चे की ओर से आवेदन कर सकते हैं।
  - नियम के तहत पहचान प्रमाण पत्र जारी करने/लिंग परिवर्तन करने की प्रक्रियाओं हेतु कोई चिकित्सा या शारीरिक परीक्षा की अनिवार्यता नहीं होगी।
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) बनाम भारत संघ, 2014 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को 'थर्ड जेंडर' घोषित किया।
  - न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आत्म-अभिव्यक्ति (Self-Expression) में विविधता को शामिल करने के लिये 'गरिमा' की व्याख्या की, जो किसी व्यक्ति को एक सम्मानजनक जीवन जीने की अनुमति देता है। इसने लैंगिक पहचान को अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के मौलिक अधिकार के ढाँचे के भीतर रखा।
  - इसके अतिरिक्त यह उल्लेख किया गया कि समानता के अधिकार (संविधान का अनुच्छेद 14) और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19 (1) (a) को लिंग-तटस्थ (Gender-Neutral) शब्दों ("सभी व्यक्ति") के साथ निर्मित किया गया था अर्थात् इन अधिकारों में किसी विशिष्ट लिंग के बजाय सभी व्यक्तियों की बात की गई है।
- 2018 में SC ने समलैंगिक संबंधों को भी अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया (भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के प्रावधानों के साथ पढ़ें)।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम, 2019 की विशेषताएँ

- ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा: यह अधिनियम किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जिसका लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता। इसमें ट्रांस-मेन और ट्रांस-वूमेन, इंटरसेक्स भिन्नताओं और जेंडर क्वीर (Queer) शामिल हैं। इसमें सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति जैसे किन्नर भी शामिल हैं।
- पहचान का प्रमाणपत्र: अधिनियम में कहा गया है कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को स्व-कथित लिंग पहचान का अधिकार होगा।
  - पहचान का प्रमाणपत्र ज़िलाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है और लिंग परिवर्तन होने पर संशोधित प्रमाणपत्र प्राप्त करना होता है।
- यह अधिनियम शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य सेवा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
- इसमें 'राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद' की स्थापना का प्रावधान है।
- दंड: इस अधिनियम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अपराध के मामले में जुर्माने के अलावा छह महीने से दो वर्ष तक की कैद की सज़ा का प्रावधान किया गया है।

मानव तस्करी रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी मानव तस्करी रिपोर्ट, 2021 के अनुसार, कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप मानव तस्करी के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि हुई है और मौजूदा तस्करी-रोधी प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई है।

- मानव तस्करी जिसे व्यक्तियों की तस्करी भी कहा जाता है, आधुनिक समय की दासता का रूप है जिसमें श्रम, यौन शोषण के उद्देश्य से बल या धोखे से व्यक्तियों का अवैध परिवहन शामिल है तथा ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने वालों को आर्थिक लाभ होता है।

प्रमुख बिंदु:

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- भारत तस्करी को खत्म करने के लिये न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं कर पाया है, जबकि इसे खत्म करने के लिये सरकार लगातार आवश्यक प्रयास करती रही, साथ ही जब बंधुआ मजदूरी की बात आती है तो ये प्रयास अपर्याप्त प्रतीत होते हैं।
- चीनी सरकार व्यापक रूप से जबरन श्रम करवाने में लगी हुई है, इसमें दस लाख से अधिक उइगर, कज़ाख, किर्गिज़ और अन्य मुसलमानों को निरंतर सामूहिक रूप से हिरासत रखना शामिल है।

तस्करी में वृद्धि के कारण:

- तस्करी के जोखिम का सामना कर रहे व्यक्तियों की बढ़ती संख्या, अवैध तस्करीकर्त्ताओं की प्रतिस्पर्द्धी संकटों का लाभ उठाने की क्षमता और महामारी पर प्रतिक्रिया प्रयासों के लिये संसाधनों के विपथन/डायवर्जन आदि का सम्मिलन मानव तस्करी के फलने-फूलने एवं विकसित होने के लिये एक आदर्श वातावरण के रूप में परिणत हुआ है।

देशों का वर्गीकरण:

- यह वर्गीकरण किसी देश की अवैध व्यापार समस्या की भयावहता पर आधारित नहीं है बल्कि मानव तस्करी के उन्मूलन के लिये न्यूनतम मानकों को पूरा करने के प्रयासों पर आधारित है।
- देशों को त्रि-स्तरीय प्रणाली के आधार पर नामित किया गया है:
  - टियर 1 में वे देश शामिल हैं जिनकी सरकारें पूरी तरह से तस्करी पीड़ित संरक्षण अधिनियम (Trafficking Victims Protection Act- मानव तस्करी पर अमेरिका का कानून) के न्यूनतम मानकों का पालन करती हैं।
    - संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन और दक्षिण कोरिया टियर 1 में शामिल कुछ देश हैं।
  - टियर 2 में वे देश आते हैं जिनकी सरकारें तस्करी पीड़ित संरक्षण अधिनियम के न्यूनतम मानकों का पूरी तरह से पालन नहीं करती हैं, लेकिन उन मानकों के अनुपालन के तहत खुद को लाने के लिये महत्त्वपूर्ण प्रयास कर रही हैं।
    - टियर 2 वॉचलिस्ट वाले वे देश हैं जहाँ तस्करी के पीड़ितों की संख्या महत्त्वपूर्ण स्तर पर है या अत्यधिक बढ़ रही है।
    - भारत को टियर 2 श्रेणी में रखा गया है।
  - टियर 3 में वे देश हैं जिनकी सरकारें न्यूनतम मानकों का पूरी तरह पालन नहीं करती हैं और ऐसा करने के लिये महत्त्वपूर्ण प्रयास नहीं कर रही हैं।
    - अफगानिस्तान, म्याँमार, चीन, क्यूबा, इरिट्रिया, उत्तर कोरिया, ईरान, रूस, दक्षिण सूडान, सीरिया और तुर्कमेनिस्तान इस श्रेणी में आते हैं।
  - यमन जैसे कुछ "विशेष मामले" भी हैं, जहाँ नागरिक संघर्ष और मानवीय संकट के कारण जानकारी प्राप्त करना कठिन हो जाता है।

भारत में प्रासंगिक कानून:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24
  - अनुच्छेद 23: यह मानव तस्करी और बेगार (बिना भुगतान के जबरन श्रम) को प्रतिबंधित करता है।
  - अनुच्छेद 24: यह 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कारखानों और खदानों जैसे खतरनाक स्थानों में रोज़गार पर रोक लगाता है।
- भारतीय दंड संहिता (IPC) धारा:
  - IPC की धारा 370 और 370A मानव तस्करी के खतरे का मुकाबला करने हेतु व्यापक उपाय प्रदान करती हैं, जिसमें शारीरिक शोषण या किसी भी रूप में यौन शोषण, गुलामी, दासता या अंगों को जबरन हटाने सहित किसी भी रूप में शोषण के लिये बच्चों की तस्करी शामिल है।
  - धारा 372 और 373 वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से लड़कियों को बेचने और खरीदने से संबंधित है।
- अन्य विधान:
  - अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (ITPA) व्यावसायिक यौन शोषण के लिये तस्करी की रोकथाम हेतु प्रमुख कानून है।

- महिलाओं और बच्चों की तस्करी से संबंधित अन्य विशिष्ट कानून बनाए गए हैं जैसे- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 और मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994।
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिये एक विशेष कानून है।

- राज्य सरकारों ने इस मुद्दे से निपटने के लिये विशिष्ट कानून भी बनाए हैं (उदाहरण के लिये पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम, 2012)।

भारत द्वारा उठाए गए अन्य कदम

- मानव तस्करी के अपराध से निपटने के लिये राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न निर्णयों को संप्रेषित करने और कार्रवाई पर अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु गृह मंत्रालय (MHA) में वर्ष 2006 में एंटी-ट्रैफिकिंग नोडल सेल की स्थापना की गई थी।
- मानव तस्करी रोधी इकाई (AHTU): गृह मंत्रालय ने एक व्यापक योजना 'स्ट्रेंथनिंग लॉ एनफोर्समेंट रिस्पांस इन इंडिया अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स' (2010) के तहत देश के कई ज़िलों में AHTU की स्थापना के लिये फंड जारी किया है।
  - AHTU की प्राथमिक भूमिका पीड़ितों की देखभाल और पुनर्वास के लिये कानून प्रवर्तन और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ संपर्क करना है।
- संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन: भारत ने (वर्ष 2011 में) अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTOC) की पुष्टि की है, जिसमें अन्य लोगों के बीच विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने और दंडित करने के लिये एक प्रोटोकॉल है।
- सार्क कन्वेंशन: भारत ने वेश्यावृत्ति के लिये महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने और इसका मुकाबला करने हेतु सार्क कन्वेंशन की पुष्टि की है।
- द्विपक्षीय तंत्र: महिलाओं और बच्चों में मानव तस्करी की रोकथाम, बचाव, पुनर्प्राप्ति, प्रत्यावर्तन और तस्करी के पीड़ितों के पुन: एकीकरण के लिये भारत व बांग्लादेश के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर जून 2015 में हस्ताक्षर किये गए थे।
- न्यायिक संगोष्ठी: यह उच्च न्यायालय स्तर पर आयोजित की जाती हैं।
  - इसका उद्देश्य मानव तस्करी से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में न्यायिक अधिकारियों को संवेदनशील बनाना और त्वरित अदालती प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।
- क्षमता निर्माण: सरकार द्वारा पूरे देश में क्षेत्रीय स्तर, राज्य स्तर और ज़िला स्तर पर पुलिस अधिकारियों तथा अभियोजकों के लिये 'मानव तस्करी का मुकाबला' करने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण (TOT) कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं।

आगे की राह

- पीड़ितों की रक्षा करने और अपराधियों को न्याय दिलाने हेतु सभी देशों का समर्थन करने के लिये तकनीकी सहायता बढ़ाने और सहयोग को मज़बूत करने की आवश्यकता है।
- मानव तस्करी के खतरे से निपटने के लिये गैर-सरकारी संगठनों के साथ-साथ पुलिस का क्षमता निर्माण आवश्यक है।
- आंतरिक रूप से प्रशासन में या पुलिस या गैर-सरकारी संगठनों जैसी एजेंसियों के बीच या विभिन्न देशों के बीच भी उचित डेटा साझाकरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
  - न्यायमूर्ति वर्मा समिति, 2012 ने लापता बच्चों की जनगणना की सिफारिश की थी।
- सरकार को कुछ निवारक कदम उठाने की ज़रूरत है, जैसे
  - तस्करी के अपराध के बारे में बच्चों को शिक्षित करने हेतु उनके स्कूली पाठ्यक्रम में इन विषयों को शामिल करना।
  - लोगों को एक समाज के रूप में जागरूक करना अर्थात् यदि कोई व्यक्ति किसी भी संदिग्ध गतिविधि के साथ सामने आता है, तो संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना देनी चाहिये।

मानव तस्करी-रोधी विधेयक का मसौदा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मानव तस्करी विरोधी विधेयक, व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2021 का मसौदा जारी किया।

- इस विधेयक को अंतिम रूप देने और कानून बनने के लिये कैबिनेट की मंज़ूरी तथा संसद के दोनों सदनों से सहमति की आवश्यकता होगी।
- इससे पूर्व वर्ष 2018 में एक मसौदा पेश किया गया था, लेकिन सांसदों और विशेषज्ञों के कड़े विरोध के बीच इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सका।

प्रमुख बिंदु

पूर्व विधेयक की आलोचना:

- संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों के अनुसार, यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के अनुरूप नहीं था।
- ऐसा प्रतीत होता है कि यह विधेयक यौन संबंधी कार्यों और प्रवासन को तस्करी के साथ जोड़ता है।
- मानव अधिकार आधारित और पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ पूरक होने के बजाय आपराधिक कानून परिप्रेक्ष्य के माध्यम से तस्करी को संबोधित करने के लिये विधेयक की आलोचना की गई थी।
- पुलिस द्वारा "रेस्क्यू रेड" को बढ़ावा देने के साथ-साथ पुनर्वास के नाम पर पीड़ितों के संस्थागतकरण के लिये भी इसकी आलोचना की गई थी।
- यह बताया गया था कि कुछ अस्पष्ट प्रावधानों से उन गतिविधियों का व्यापक अपराधीकरण हो जाएगा जो अनिवार्य रूप से तस्करी से संबंधित नहीं हैं।

नए विधेयक में प्रावधान:

- यह भारत के अंदर और साथ ही भारत के बाहर सभी नागरिकों तक विस्तृत है।
  - भारत में पंजीकृत किसी भी जहाज़ या विमान पर सवार व्यक्ति, चाहे वह कहीं भी हो या भारतीय नागरिकों को कहीं भी ले जा रहा हो।
  - एक विदेशी नागरिक या एक राज्यविहीन व्यक्ति जिसका इस अधिनियम के तहत अपराध किये जाने के समय भारत में निवास है। और
  - यह कानून सीमा पार प्रभाव वाले व्यक्तियों की तस्करी के मामले में प्रत्येक अपराध पर लागू होगा।
- इसके अंतर्गत आने वाले पीड़ित:
  - यह पीड़ितों के रूप में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से परे है और अब इसमें ट्रांसजेंडर के साथ-साथ कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल है जो तस्करी का शिकार हो सकता है।
  - यह इस प्रावधान को भी समाप्त करता है कि पीड़ित के रूप में परिभाषित करने के लिये पीड़ित को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता होती है।
- शोषण:
  - वेश्यावृत्ति शोषण या अश्लील साहित्य सहित यौन शोषण के अन्य रूप, शारीरिक शोषण से संबंधित कोई भी कार्य, जबरन श्रम या सेवाएँ, दासता या दासता के समान व्यवहार, अंगों को जबरन अलग करना, अवैध नैदानिक दवा परीक्षण या अवैध जैव-चिकित्सा अनुसंधान।
- अपराधियों के रूप में सरकारी अधिकारी:
  - अपराधियों में रक्षाकर्मी और सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ या प्राधिकार की स्थिति में कोई भी शामिल होगा।
- दंड/जुर्माना (Penalty):
  - तस्करी के अधिकतर मामलों में कम-से-कम सात वर्ष की सज़ा का प्रावधान है जिसे 10 वर्षों तक की कैद और 5 लाख रुपए के जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है।
  - एक से अधिक बच्चों की तस्करी के मामले में वर्तमान में आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है।

- धन शोधन अधिनियम से समानता:
  - इस तरह की आय के माध्यम से खरीदी गई संपत्ति के साथ-साथ तस्करी के लिये उपयोग की जाने वाली संपत्ति को अब धन शोधन अधिनियम के समान प्रावधानों के साथ ज़ब्त किया जा सकता है।
- जाँच एजेंसी:
  - राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (National Investigation Agency- NIA) मानव तस्करी की रोकथाम और उससे निपटने हेतु उत्तरदायी राष्ट्रीय जाँच और समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।
- राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी समिति:
  - एक बार कानून बन जाने के बाद केंद्र इस कानून के प्रावधानों के समग्र प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये एक राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी समिति को अधिसूचित और स्थापित करेगा।
  - इस समिति में विभिन्न मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व होगा, जिसमें गृह सचिव अध्यक्ष और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव सह-अध्यक्ष के रूप में होंगे।
  - राज्य एवं ज़िला स्तर पर मानव तस्करी-रोधी समितियों का भी गठन किया जाएगा।

महत्त्व:

- विधेयक ट्रांसजेंडर समुदाय (Transgender Community) और किसी भी अन्य व्यक्ति को शामिल करता है जो स्वचालित रूप से अंगों की अवैध विक्री जैसी गतिविधियों को अपने दायरे में लाएगा।
- साथ ही ज़बरन मज़दूरी जैसे मामले, जिसमें लोग नौकरी के लालच में दूसरे देशों में चले जाते हैं, जहाँ उनके पासपोर्ट और दस्तावेज़ छीनकर उन्हें काम पर लगाया जाता है, भी इस नए कानून के दायरे में आएंगे।

भारत में मानव तस्करी को प्रतिबंधित करने वाले कानून:

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 (1) मानव तस्करी और ज़बरन श्रम पर रोक लगाता है।
- अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (ITPA), 1956 व्यावसायिक यौन शोषण के लिये मानव तस्करी को दंडित करता है।
- बंधुआ मज़दूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 और किशोर न्याय अधिनियम के माध्यम से बंधुआ एवं ज़बरन श्रम को प्रतिबंधित किया गया है।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 336 (A) और 337 क्रमशः नाबालिगों के अपहरण और वेश्यावृत्ति पर रोक लगाती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रोटोकॉल और अभियान:

- अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के एक भाग के रूप में वर्ष 2000 में व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने, अपराधियों को पकड़ने और दंडित करने के लिये प्रोटोकॉल। संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय (United Nations Office on Drugs and Crime- UNODC) प्रोटोकॉल को लागू करने के लिये ज़िम्मेदार है। यह राज्यों को कानूनों मसौदा तैयार करने, व्यापक राष्ट्रीय तस्करी विरोधी रणनीति बनाने और उन्हें लागू करने के लिये संसाधन उपलब्ध कराकर व्यावहारिक सहायता प्रदान करता है।
- भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से प्रवासियों की तस्करी के खिलाफ प्रोटोकॉल: यह 28 जनवरी, 2004 को लागू हुआ था। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का भी पूरक है। प्रोटोकॉल का उद्देश्य प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा और प्रवासियों का दुरुपयोग करने वाले संगठित आपराधिक समूहों की शक्ति एवं प्रभाव को कम करना है।
- मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948) एक गैर-बाध्यकारी घोषणा है जो प्रत्येक मनुष्य को सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रदान करती है और दासता को प्रतिबंधित करती है।
- ब्लू हार्ट अभियान: ब्लू हार्ट अभियान, UNODC द्वारा शुरू किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय तस्करी-रोधी कार्यक्रम है।

- सतत् विकास लक्ष्य: विभिन्न SDG का उद्देश्य इसकी जड़ों और साधनों को लक्षित कर तस्करी को समाप्त करना है, जैसे- लक्ष्य 5 (लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना), लक्ष्य 8 (निरंतर, समावेशी और सतत् आर्थिक विकास, पूर्ण एवं उत्पादक रोज़गार तथा सभी के लिये अच्छे काम को बढ़ावा देना), लक्ष्य 16 (सतत् विकास के लिये शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, सभी के लिये न्याय तक पहुँच प्रदान करना व सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी संस्थानों का निर्माण करना)।

बाल सैनिकों को भर्ती करने वाले देशों की सूची

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान सहित 14 अन्य देशों को चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट यानी बाल सैनिकों को भर्ती करने वाले देशों की सूची में शामिल किया है, जो उन विदेशी सरकारों की पहचान करती है जिनके पास सरकार समर्थित सशस्त्र समूह हैं तथा जो बाल सैनिकों की भर्ती या उनका उपयोग करते हैं।

- चाइल्ड सोल्जर में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति शामिल होते हैं जिन्हें सशस्त्र बल या सशस्त्र समूह में भर्ती किया जाता है या फिर उनकी क्षमता का भर्ती में उपयोग किया जाता है।
  - चाइल्ड सोल्जर में लडकें,लडकियाँ और बच्चे शामिल होते हैं, लेकिन यह उन बच्चों, लड़कों और लड़कियों तक सीमित नहीं है, जिनका उपयोग लड़ाकों, रसोइयों, कुलियों, जासूसों या यौन उद्देश्यों हेतु किया जाता है (सशस्त्र संघर्ष में बच्चों की भागीदारी पर पेरिस सिद्धांत 2007)।

प्रमुख बिंदु:

चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट के बारे में:

- यूएस चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट (US Child Soldiers Prevention Act -CSPA), 2008 को वार्षिक ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स (Trafficking in Persons- TIP) रिपोर्ट में प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता है, जिसमें उन विदेशी सरकारों की सूची/लिस्ट शामिल होती है जिन्होंने बाल सैनिकों की भर्ती की है या उनका इस्तेमाल किया है।
- इस लिस्ट में जोड़े गए कुछ देशों में पाकिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान, म्याँमार, ईरान, इराक, नाइजीरिया, यमन आदि हैं।
  - संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि अकेले वर्ष 2019 में 7,000 से अधिक बच्चों को भर्ती किया गया तथा सैनिकों के रूप में इस्तेमाल किया गया।
- CSPA अमेरिकी सरकार को बाल सैनिकों की भर्ती और उनका उपयोग करने वाले देशों को सैन्य सहायता प्रदान करने से रोकता है, जिसमें धन, सैन्य शिक्षा और प्रशिक्षण या सैन्य उपकरणों की प्रत्यक्ष बिक्री शामिल है।

संबंधित वैश्विक सम्मेलन:

- सैनिकों के रूप में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की भर्ती या उपयोग बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (CRC) और जिनेवा कन्वेंशन के अतिरिक्त प्रोटोकॉल दोनों द्वारा निषिद्ध है।
  - CRC के अनुसार, बचपन की अवस्था वयस्कता से अलग होती है तथा 18 वर्ष तक रहती है; यह एक विशेष संरक्षण अवधि होती है, जिसमें बच्चों को गरिमा के साथ बढ़ने, सीखने, खेलने, विकसित होने और वृद्धि की अनुमति दी जानी चाहिये।
  - जिनेवा कन्वेंशन और अन्य अतिरिक्त प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के केंद्र हैं, जो सशस्त्र संघर्ष को नियंत्रित करते हैं और इसके प्रभावों को सीमित करने का प्रयास करते हैं। वे उन लोगों की रक्षा करते हैं जो लंबे समय से या वर्तमान में संघर्ष में भाग नहीं कर रहे हैं।
- सशस्त्र संघर्ष में बच्चों की भागीदारी को लेकर CRC, वैकल्पिक प्रोटोकॉल के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य रूप से राज्य या गैर-राज्य सशस्त्र बलों में भर्ती होने या सीधे संघर्ष में शामिल होने से रोकता है।
  - मानवाधिकार संधियों के वैकल्पिक प्रोटोकॉल स्वयं में अनेक संधियाँ हैं तथा उन देशों द्वारा हस्ताक्षर, परिग्रहण या अनुसमर्थन के लिये खुले हैं जो मुख्य संधि के पक्षकार हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के रोम कानून के तहत बाल सैनिकों की भर्ती को भी युद्ध अपराध माना जाता है।
- इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र ने बाल सैनिकों की भर्ती और उनके उपयोग की पहचान छह "गंभीर उल्लंघनों" के रूप में की है। अन्य पाँच उल्लंघन इस प्रकार हैं:
  - बच्चों की हत्या करना या उन्हें अपंग बनाना।
  - बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा।
  - बच्चों का अपहरण।
  - स्कूलों या अस्पतालों पर हमले करना।
  - बच्चों के लिये मानवीय पहुँच से इनकार करना।

CRC से संबद्ध मुद्दे:

- ये संधियाँ कार्यक्षेत्र और प्रकृति में सीमित हैं तथा ये व्यावहारिक होने के बजाय आदर्शवादी हैं।
- संयुक्त राष्ट्र का तंत्र केवल उन राज्य दलों को बाध्य करता है जो संधियों की पुष्टि करते हैं। इसलिये उन देशों पर इसका कोई अधिकार नहीं है जो सम्मेलन के पक्षकार नहीं हैं या गैर-राज्य संस्थाएँ हैं, जैसे कि विद्रोही मिलिशिया (Militia) जो कि बाल सैनिकों की भर्ती करते हैं।
- यह अपने सिद्धांतों को लागू करने और पूरे विश्व में मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिये हस्ताक्षरकर्त्ताओं पर निर्भर करता है।
  - इसलिये इस तरह के दुरुपयोग को रोकने की अधिकांश ज़िम्मेदारी स्वयं अलग-अलग देशों की होती है।
- जबकि संयुक्त राष्ट्र अपनी संधियों और सम्मेलनों को राज्य दलों के लिये बाध्यकारी मानता है, इसके पास अपने निर्णयों को लागू करने हेतु कोई पुलिस शक्ति तंत्र नहीं है।
- सीआरसी और इसके वैकल्पिक प्रोटोकॉल, हस्ताक्षरकर्त्ताओं की अनुपालन करने की इच्छा पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिये सोमालिया एक हस्ताक्षरकर्त्ता है लेकिन उसने सम्मेलन की पुष्टि नहीं की है।

भारतीय परिदृश्य:

- हालाँकि भारत में बाल सैनिकों को भर्ती करना निषिद्ध है, फिर भी इन्हें कुछ गैर-राज्य बलों जैसे- पूर्वोत्तर क्षेत्र (मुख्य रूप से असम, मणिपुर, नगालैंड) में विद्रोही संगठनों और कश्मीर क्षेत्र में आतंकवादी गुटों में देखा जा सकता है।
- इसके अलावा इन्हें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक और महाराष्ट्र के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में देखा जा सकता है।
- कुछ वैश्विक मानवाधिकार संगठन भारतीय सुरक्षा बलों पर बच्चों को जासूसों और दूतों के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हैं, हालाँकि भारत सरकार इस आरोप से इनकार करती है।
- रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय कैडेट कोर (National Cadet Corps- NCC) का उद्देश्य 13 वर्ष की आयु से युवाओं को सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना और वायु सेना) तथा प्रादेशिक सेना में भविष्य बनाने के लिये प्रेरित करना है।
  - इनकी तुलना बाल सैनिकों से नहीं की जा सकती।
- भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम:
  - भारत बाल अधिकारों पर अभिसमय (CRC) का पक्षकार है और नवंबर 2005 में वैकल्पिक प्रोटोकॉल में शामिल हुआ।
    - संविधान में मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में सीआरसी में शामिल अधिकांश अधिकार शामिल हैं।
    - अनुच्छेद 39 (f) में कहा गया है कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्रता एवं सम्मान की स्थिति में विकसित होने का अवसर और सुविधाएँ दी जाती हैं तथा शोषण व नैतिक, भौतिक परित्याग के खिलाफ बच्चों एवं युवाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है।
  - भारतीय दंड संहिता राज्य सशस्त्र बलों या गैर-राज्य सशस्त्र समूहों द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की भर्ती या उपयोग को अपराध बनाती है।
  - 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों की भर्ती केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में की जा सकती है।

आगे की राह:

- अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और उपकरण, जैसे कि CRC और इसके वैकल्पिक प्रोटोकॉल, बच्चों की बेहतरी सुनिश्चित करने के लिये मूल्यवान और आवश्यक उपकरण हैं लेकिन इन्हें सभी पक्षों द्वारा ईमानदारी के साथ लागू किया जाना चाहिये।
- वर्ष 2014 में यूनिसेफ ने बाल सैनिकों को संघर्ष में इस्तेमाल नहीं किये जाने के लिये एक वैश्विक आम सहमति बनाने हेतु "चिल्ड्रन, नॉट सोल्जर्स"' अभियान शुरू किया।
  - राजनीतिक इच्छाशक्ति और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन सुनिश्चित करने के लिये ऐसे और अभियानों (वैश्विक और राष्ट्रीय) को गति प्रदान करने की आवश्यकता है।
- साथ ही हमारे सामूहिक प्रयासों का केंद्र बिंदु पूर्व बाल सैनिकों का पुन: एकीकरण होना चाहिये।

टेली-लॉ

चर्चा में क्यों

हाल ही में न्याय विभाग (Justice Department) ने कॉमन सर्विस सेंटर्स (Common Service Centre- CSC) के माध्यम से अपने टेली-लॉ (Tele-Law) कार्यक्रम के अंतर्गत 9 लाख से अधिक लाभार्थियों तक पहुँचने का नया कीर्तिमान बनने के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया।

- कॉमन सर्विस सेंटर कार्यक्रम, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की एक पहल है, यह गाँवों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करने वाले केंद्र अथवा एक्सेस पॉइंट (Access Point) के रूप में कार्य करता है, इस प्रकार यह डिजिटल तथा वित्तीय रूप से समावेशी समाज में योगदान करता है।

प्रमुख बिंदु

टेली-लॉ के विषय में:

- इसे कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सहयोग से वर्ष 2017 में नागरिकों के लिये कानूनी सहायता को सुलभ बनाने हेतु लॉन्च किया गया था।
- यह वर्तमान में 50,000 CSC नेटवर्क के माध्यम से 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 633 ज़िलों (115 आकांक्षी ज़िलों सहित) में काम कर रहा है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत स्तर पर CSC के विशाल नेटवर्क पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन/तत्काल कॉलिंग सुविधाओं से वकीलों और नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ा जा रहा है।
- भले ही टेली-लॉ कार्यक्रम प्रौद्योगिकी संचालित है परंतु इसकी सफलता ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (Village Level Entrepreneur), पैरा लीगल वालंटियर्स (Para Legal Volunteer), राज्य समन्वयकों और पैनल वकीलों सहित क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं के कामकाज पर निर्भर है।

लाभ:

- यह किसी भी व्यक्ति को कीमती समय और धन बर्बाद किये बिना कानूनी सलाह लेने में सक्षम बनाती है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत उल्लिखित मुफ्त कानूनी सहायता के लिये पात्र लोगों हेतु यह सेवा मुफ्त है। अन्य सभी के लिये मामूली शुल्क लिया जाता है।
- हाल ही में 'कानूनी प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता : भारत में मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं का एक अनुभवजन्य विश्लेषण' (Quality of Legal Representation: An Empirical Analysis of Free Legal Aid Services in India) शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अनुसार लोग मुफ्त विधिक सहायता प्रणाली के हकदार हैं, वे इस सेवा को एक विकल्प के रूप में तब देखते हैं, जब वे निजी वकील का खर्च वहन नहीं कर पाते।

SDG का समर्थन :

- यह पहल सतत् विकास लक्ष्य-16 पर केंद्रित है, जो "स्थायी विकास के लिये शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देगा तथा सभी के लिये' न्याय तक पहुँच स्थापित करेगा एवं सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह व समावेशी संस्थानों का निर्माण करेगा।

विधिक सेवा प्राधिकरण (LSA) अधिनियम:

- वर्ष 1987 में गरीबों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएँ प्रदान करने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण (LSA) अधिनियम को अधिनियमित किया गया था जिसने राज्य, ज़िला और तालुका स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Service Authority-NALSA) और अन्य कानूनी सेवा संस्थानों के गठन का मार्ग प्रशस्त किया।
  - नालसा अन्य कानूनी सेवा संस्थानों के साथ लोक अदालतों का आयोजन करता है। लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों में से एक है, यह एक ऐसा मंच है जहाँ कानून की अदालत में या पूर्व मुकदमेबाजी के स्तर पर लंबित विवादों/मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया/समझौता किया जाता है।
- LSA अधिनियम के तहत मुफ्त कानूनी सेवाएँ अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe) और अनुसूचित जाति (Schedule Caste) से संबंधित व्यक्ति, महिला, बच्चे, मानव तस्करी के शिकार, दिव्यांगजन, औद्योगिक कामगार और गरीबों हेतु उपलब्ध हैं।

संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 (क) में सभी के लिये न्याय सुनिश्चित किया गया है और गरीबों तथा समाज के कमज़ोर वर्गों के लिये राज्य द्वारा नि:शुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करने को कहा गया है।
- अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 22 (1), विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिये राज्य को बाध्य करता है।

मलेरिया मुक्त चीन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) ने चीन को "मलेरिया मुक्त" घोषित किया।

- यह सात दशक लंबी बहु-आयामी स्वास्थ्य रणनीति का परिणाम है जो लगातार चार वर्षों तक मलेरिया के घरेलू मामलों को पूरी तरह से समाप्त करने में सक्षम थी।

प्रमुख बिंदु:

मलेरिया मुक्त स्थिति के विषय में:

- प्रमाणन प्रक्रिया: मलेरिया उन्मूलन का प्रमाण पत्र डब्ल्यूएचओ द्वारा किसी देश की मलेरिया मुक्त स्थिति की आधिकारिक मान्यता है।
  - डब्ल्यूएचओ किसी देश को मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र तब प्रदान करता है जब वह अपने ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर यह बता पाता है कि उसके देश में पिछले तीन वर्षों से एनाफिलीज़ (Anopheles) मच्छरों द्वारा मलेरिया का प्रसार बाधित हुआ है।
  - संबंधित देश को मलेरिया प्रसार को पुन: रोकने की क्षमता भी प्रदर्शित करनी चाहिये।
  - मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र देने का अंतिम निर्णय मलेरिया उन्मूलन प्रमाणन पैनल (Malaria Elimination Certification Panel) की सिफारिश के आधार पर डब्ल्यूएचओ महानिदेशक के पास होता है।
- पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र: पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन पहला देश है जिसे डब्ल्यूएचओ ने 3 दशक में ही मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र दिया है।
  - अन्य देश: पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में जिन देशों ने यह प्रमाण पत्र हासिल किया है उनमें ऑस्ट्रेलिया (1981) सिंगापुर (1982) और ब्रुनेई दारुस्सलाम (1987) शामिल हैं।
- वैश्विक स्थिति: विश्व स्तर पर 40 देशों और क्षेत्रों को डब्ल्यूएचओ से मलेरिया-मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें अल सल्वाडोर (2021), अल्जीरिया (2019), अर्जेंटीना (2019), पराग्वे (2018) और उज़्बेकिस्तान (2018) शामिल हैं।

रोग भार (वैश्विक):

- विश्व मलेरिया रिपोर्ट, 2020 (World Malaria Report, 2020) के अनुसार, वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर मलेरिया के मामलों की संख्या लगभग 229 मिलियन थी, जिसमें मच्छरजनित बीमारी से 4,09,000 लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी।
- अधिकांश मामले अफ्रीका में दर्ज किये गए, जबकि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में महत्त्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई।
  - भारत में मामलों की संख्या लगभग 20 मिलियन से गिरकर 6 मिलियन हो गई।
  - भारत एकमात्र उच्च स्थानिक देश है जिसने वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में 17.6% की गिरावट दर्ज की गई है।

मलेरिया को लेकर चीन की रणनीति:

- 1950 के दशक में शरुआत: चीन द्वारा 1950 के दशक से मलेरिया को लेकर रणनीतिक स्तर पर प्रयास शुरु किये गए। एक समय था जब चीन में वार्षिक रूप से मलेरिया के लाखों मामले दर्ज किये जाते थे, जिसमें मैदानों में मच्छरों के प्रजनन क्षेत्रों को लक्षित करते हुए और कीटनाशक छिड़काव का उपयोग करते हुए मलेरिया-रोधी दवाएँ उपलब्ध कराने का बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया।
- 523 प्रोजेक्ट: इसके तहत 1970 के दशक में आर्टीमिसिनिन (Artemisinin) की खोज की गई ।
  - यह 'आर्टीमिसिनिन-आधारित संयोजन उपचारों' (Artemisinin-Based Combination Therapies) का मुख्य यौगिक है, जो आज उपलब्ध सबसे प्रभावी मलेरिया-रोधी दवाओं में से एक है।
- कीटनाशक-उपचारित जाल: 1980 के दशक में चीन ने व्यापक रूप से कीटनाशक-उपचारित जालों (Insecticide-treated Nets) का उपयोग करना शुरू किया। वर्ष 1988 तक 2.4 मिलियन जाल वितरित किये गए।
- 1-3-7 रणनीति: इस रणनीति का अर्थ है:
  - मलेरिया निदान की रिपोर्ट करने हेतु एक दिन की समय सीमा
  - किसी मामले की पुष्टि करना और तीसरे दिन तक प्रसार का निर्धारण करना
  - उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में निरंतर निगरानी के साथ-साथ सातवें दिन तक प्रसार रोकने के उपाय करना।
- ग्लोबल फंड: वर्ष 2003 में शुरू होने वाले एड्स, तपेदिक और मलेरिया से लड़ने हेतु ग्लोबल फंड की सहायता से चीन ने "प्रशिक्षण, स्टाफिंग, प्रयोगशाला उपकरण, दवाएँ और मच्छर नियंत्रण उपायों में वृद्धि की।

मलेरिया

- मलेरिया एक मच्छर जनित रक्त रोग है जो प्लास्मोडियम (Plasmodium) नामक परजीवी के कारण होता है।
- यह मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है।
- इस परजीवी का प्रसार संक्रमित मादा एनाफिलीज़ मच्छरों (Female Anopheles Mosquitoes) के काटने से होता है।
- मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद परजीवी शुरू में यकृत कोशिकाओं के भीतर वृद्धि करते हैं उसके बाद लाल रक्त कोशिकाओं (Red Blood Cells- RBC) को नष्ट करते हैं जिसके परिणामस्वरूप RBCs की क्षति होती है।
- ऐसी 5 परजीवी प्रजातियाँ हैं जो मनुष्यों में मलेरिया संक्रमण का कारण होती हैं, इनमें से 2 प्रजातियाँ- प्लाज़्मोडियम फाल्सीपेरम (Plasmodium falciparum) और प्लाज़्मोडियम वाइवैक्स (Plasmodium vivax) है, जिनसे मलेरिया संक्रमण का सर्वाधिक खतरा विद्यमान होता है।
- मलेरिया के लक्षणों में बुखार और फ्लू जैसे लक्षण शामिल होते हैं, जिसमें ठंड लगना, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान महसूस होती है।
- इस रोग की रोकथाम एवं इलाज़ दोनों ही संभव है।
- RTSS वैक्सीन मलेरिया परजीवी, प्लाज़्मोडियम पी. फाल्सीपेरम (Plasmodium (P.) falciparum) जो कि मलेरिया परजीवी की सबसे घातक प्रजाति है, के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करती है।

WHO की हालिया पहल:

- WHO द्वारा अपनी 'ई-2025 पहल' (E-2025 Initiative) के तहत ऐसे 25 देशों की पहचान की गई है जिन्हें वर्ष 2025 तक मलेरिया मुक्त देश बनाना है।

भारत में मलेरिया पर अंकुश लगाने की पहल:

- भारत में मलेरिया उन्मूलन प्रयास वर्ष 2015 में शुरू हुए थे और वर्ष 2016 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन (NFME) की शुरुआत के बाद इनमें और अधिक तेज़ी आई।
  - NFME मलेरिया के लिये WHO की मलेरिया के लिये वैश्विक तकनीकी रणनीति 2016–2030 (GTS) के अनुरूप है। ज्ञात हो कि वैश्विक तकनीकी रणनीति WHO के वैश्विक मलेरिया कार्यक्रम (GMP) का मार्गदर्शन करता है, जो मलेरिया को नियंत्रित करने और समाप्त करने के लिये WHO के वैश्विक प्रयासों के समन्वय हेतु उत्तरदायी है।
- जुलाई 2017 में मलेरिया उन्मूलन के लिये एक राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (वर्ष 2017 से वर्ष 2022) की शुरुआत की, जिसमें आगामी पाँच वर्ष के लिये रणनीति तैयार की गई।
  - इसके तहत मलेरिया के प्रसार के आधार पर देश के विभिन्न हिस्सों में वर्षवार उन्मूलन लक्ष्य प्रदान किया जाता है।
- जुलाई 2019 में भारत के चार राज्यों (पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश) में 'हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट' (HBHI) पहल का कार्यान्वयन शुरू किया गया था।
- काफी लंबे समय तक टिकी रहने वाली कीटनाशक युक्त मच्छरदानियों (Long Lasting Insecticidal Nets- LLINs) के वितरण के कारण मलेरिया से बहुत अधिक प्रभावित राज्यों में इस बीमारी के प्रसार में पर्याप्त कमी लाई जा सकी है।
- इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस-इंडिया (MERA-India) की स्थापना की है जो मलेरिया नियंत्रण पर काम करने वाले भागीदारों का एक समूह है।

झारखंड में ICDS सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल के एक सर्वेक्षण के अनुसार, झारखंड में एकीकृत बाल विकास योजना (Integrated Child Development Scheme-ICDS) के अंतर्गत वर्ष 2021 के पहले छः महीनों में एक बार भी 55% से अधिक को पूरक पोषण नहीं मिला।

प्रमुख बिंदु

झारखंड की भेद्यता:

- इस राज्य में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey)-4 के आँकड़ों के अनुसार, प्रत्येक दूसरा बच्चा अविकसित और कम वज़न का है तथा प्रत्येक तीसरा बच्चा कम वृद्धि (Stunting) से प्रभावित है एवं प्रत्येक 10वाँ बच्चा गंभीर रूप से कृशता (Wasting) से प्रभावित है व लगभग 70% बच्चे रक्तहीनता (Anemic) से पीड़ित हैं।

एकीकृत बाल विकास योजना:

एकीकृत बाल विकास योजना के विषय में:

- यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे वर्ष 1975 में लॉन्च किया गया था।

  आईसीडीएस के अंतर्गत छह योजनाएँ:
- आँगनवाड़ी सेवा योजना:
  - यह बचपन की देखभाल और विकास के लिये एक अनूठा कार्यक्रम है।
  - इस योजना के लाभार्थी 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ हैं।
  - यह छः सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करता है जैसे- पूरक पोषण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच तथा संप्रेषण सेवाएँ।
  - पूरक पोषण में टेक होम राशन (Take Home Ration), गर्म पका हुआ भोजन और सुबह का नाश्ता शामिल है। अतः यह योजना गरीब परिवारों के लिये अत्यधिक लाभदायक है क्योंकि यह बच्चों के पोषण संबंधी परिणाम को प्रभावित करता है।

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना:
  - इस योजना के अंतर्गत मातृत्व और बाल स्वास्थ्य से संबंधित विशिष्ट शर्तों को पूरा करने वाले परिवारों के पहले जीवित बच्चे के जनन पर गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के बैंक/पोस्ट ऑफिस खाते में 5,000 रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
- राष्ट्रीय शिशु गृह योजना:
  - इस योजना का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं/माताओं के बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष तक की आयु) को दिन में देखभाल की सुविधा प्रदान करना है।
  - यह सुविधा एक माह में 26 दिन (प्रतिदिन साढ़े सात घंटे) दी जाती है।
  - बच्चों को पूरक पोषण, प्रारंभिक शिशु देखभाल शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा बच्चों को सुलाने की सुविधा प्रदान की जाती है।
- किशोरियों के लिये योजना:
  - इसका उद्देश्य 11-14 आयु वर्ग में स्कूल के अतिरिक्त किशोरियों को पोषण, जीवन कौशल एवं घरेलू कौशल प्रदान कर उनकी सामाजिक स्थिति को सशक्त बनाना और सुधारना है।
  - इस योजना में पोषक और गैर-पोषक तत्त्व शामिल हैं जो इस प्रकार हैं; लौह और फोलिक एसिड पूरकता; स्वास्थ्य जाँच और रेफरल सेवा; स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, स्कूल के अलावा अन्य बाह्य किशारियों को औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा में शामिल करना तथा विद्यमान सरकारी सेवाओं के बारे में सूचना/मार्गदर्शन प्रदान करना है।
- बाल संरक्षण योजना:
  - इसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में बच्चों के सुधार और कल्याण हेतु योगदान देना है, साथ ही बच्चों के दुरुपयोग, उपेक्षा, शोषण, परित्याग तथा परिवार आदि से अलगाव का मार्ग प्रशस्त करने वाली कार्यवाहियों को रोकना।
- पोषण अभियान:
  - इसका उद्देश्य छोटे बच्चों में कुपोषण/अल्पपोषण, एनीमिया को कम करके, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पर ध्यान केंद्रित करके स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया की रोकथाम के साथ जन्म के समय कम वज़न वाले बच्चों के स्तर में सुधार करना है।

ICDS का उद्देश्य :

- 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना।
- बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना।
- मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना।
- बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय स्थापित करना।
- माता में उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने की क्षमता बढ़ाना।
- किशोर लड़कियों (AGs) को सुविधा प्रदान करना, उन्हें शिक्षित और सशक्त बनाना ताकि वे आत्मनिर्भर और जागरूक नागरिक बन सकें।

अन्य समान सरकारी योजनाएँ

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM):

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) को वर्ष 2013 में शुरू किया गया था, जिसके उप-मिशन के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को सम्मिलित किया गया था।
- इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- कार्यक्रम के मुख्य घटकों में प्रजनन-मातृ-नवजात-बाल एवं किशोर स्वास्थ्य (RMNCH+A) और संचारी व गैर-संचारी रोगों के लिये ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत करना शामिल है।

मध्याह्न भोजन योजना:

- मध्याह्न भोजन योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो वर्ष 1995 में शुरू की गई थी।
- इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय में नामांकित I से VIII तक की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छह से चौदह वर्ष की आयु के हर बच्चे को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है।
- यह शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत आता है।

राष्ट्रीय पोषण रणनीति:

- इस रणनीति का उद्देश्य सबसे कमज़ोर और महत्त्वपूर्ण आयु समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्ष 2030 तक सभी प्रकार के कुपोषण को कम करना है।
- इसका उद्देश्य पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित सतत् विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में पहचाने गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करना भी है।
- इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है।

ज़िका वायरस रोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल में पहली बार ज़िका वायरस रोग (ZVD) का मामला सामने आया था।

प्रमुख बिंदु:

परिचय:

- ज़िका वायरस एक मच्छर जनित फ्लेविवायरस है जिसे पहली बार वर्ष 1947 में युगांडा में बंदरों में पहचाना गया था। इसे बाद में वर्ष 1952 में युगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया में मनुष्यों में पहचाना गया।

प्रसार:

- ZVD मुख्य रूप से एडीज़ मच्छर (AM) द्वारा प्रसारित वायरस के कारण होता है।
  - यह वही मच्छर है जिसके कारण डेंगू, चिकनगुनिया और पीत ज्वर होता है।
- ज़िका वायरस गर्भावस्था के दौरान माँ से भ्रूण में, यौन संपर्क, रक्त और रक्त उत्पादों के आधान तथा अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से भी फैलता है।

लक्षण:

- इसके लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं और इसमें बुखार, शरीर पर दाने, कंजंक्टिवाइटिस (Conjunctivitis), मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द, अस्वस्थता या सिरदर्द शामिल है। ज़िका वायरस संक्रमण वाले अधिकांश लोगों में लक्षण विकसित नहीं होते हैं।
- गर्भावस्था के दौरान ज़िका वायरस के संक्रमण के कारण शिशुओं का जन्म माइक्रोसेफली (Microcephaly) (सामान्य सिर के आकार से छोटा) और अन्य जन्मजात विकृतियों के साथ हो सकता है, जिन्हें जन्मजात ज़िका सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है।

उपचार:

- ज़िका के लिये कोई टीका या दवा उपलब्ध नहीं है। इससे निपटने के लिये शुरुआत में ही लक्षणों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये। बुखार तथा दर्द से निजात पाने के लिये रिहाइड्रेशन एवं एसिटामिनोफेन (Acetaminophen) पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

संबंधित सरकारी कार्यक्रम/पहल:

- एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम: इसका उद्देश्य प्रयोगशालाओं एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी के समन्वय के साथ प्रशिक्षित त्वरित प्रतिक्रियात्मक टीम (RRT) के माध्यम से प्रारंभिक विकसित चरण में प्रकोप का पता लगाने और प्रतिक्रिया व्यक्त करने एवं महामारी संभावित रोगों को नियंत्रित करने के लिये विकेंदीकृत रोग निगरानी प्रणाली को बनाए रखना/सुदृढ़ करना है।

- राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम: भारत में छह वेक्टर जनित रोगों अर्थात् मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फाइलेरिया, कालाजार, जापानी इंसेफेलाइटिस और चिकनगुनिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिये केंद्रीय नोडल एजेंसी।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK): यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक पहल है जिसका उद्देश्य माइक्रोसेफली (जन्म दोषों की निगरानी हेतु प्रणाली) की निगरानी करना है।

डेंगू

- डेंगू का प्रसार मच्छरों की कई जीनस एडीज़ (Genus Aedes) प्रजातियों मुख्य रूप से एडीज़ इजिप्टी (Aedes aegypti) द्वारा होता है।
- इसके लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और खसरे के समान त्वचा पर लाल चकत्ते शामिल हैं।
- डेंगू के टीके CYD-TDV या डेंगवाक्सिया (CYD-TDV or Dengvaxia) को लगभग 20 देशों में स्वीकृत प्रदान की गई है।

चिकनगुनिया

- चिकनगुनिया मच्छर जनित वायरस के कारण होता है।
- यह एडीज़ एजिप्टी (Aedes Aegypti) और एडीज़ एल्बोपिक्टस (Albopictus Mosquitoes) मच्छरों द्वारा फैलता है।
- इसके लक्षणों में अचानक बुखार, तेज़ जोड़ों का दर्द, अक्सर हाथों और पैरों में दर्द, साथ ही इसमें सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, शरीर में सूजन या दाने हो सकते हैं।
- चिकनगुनिया के उपचार के लिये कोई विशिष्ट एंटीवायरल दवा नहीं है।
- न ही कोई वाणिज्यिक चिकनगुनिया (Commercial Chikungunya) टीका है।

पीत ज्वर (Yellow Fever)

- पीत ज्वर मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है। यह पीलिया (Jaundice) जैसी होती है, इसीलिये इसे पीत/पीला (Yellow) के नाम से भी जाना जाता है।
- पीत ज्वर के लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, पीलिया, मांसपेशियों में दर्द, मतली, उल्टी और थकान शामिल हैं।
- पीत-ज्वर को सामान्यत: '17D' भी कहा जाता है। आमतौर पर यह टीका (Vaccine) सुरक्षित माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, पीत ज्वर को एक अत्यंत प्रभावी टीके की सिर्फ एक खुराक द्वारा रोका जाता है, जो सुरक्षित और सस्ती होने के साथ-साथ इस बीमारी के खिलाफ निरंतर प्रतिरक्षा एवं जीवन भर सुरक्षा प्रदान करने के लिये पर्याप्त है।
- हालाँकि इसके संबंध में किये गए अनुसंधानों एवं कुछ रिपोर्टों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, पीत ज्वर संबंधी टीकाकरण के बाद शरीर के कई तंत्रों के खराब होने या सही से काम न करने की बातें सामने आई हैं, यहाँ तक कि इसके कारण कुछ लोगों की मृत्यु तक हो गई है।

हाथीपाँव रोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने हाथीपाँव (Lymphatic Filariasis) के उन्मूलन के लिये एक दवा अभियान शुरू किया है और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

प्रमुख बिंदु:

परिचय:

- हाथीपाँव, जिसे आमतौर पर एलिफेंटियासिस (Elephantiasis) के रूप में जाना जाता है एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (Neglected Tropical Disease- NTD) के रूप में माना जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के बाद यह दूसरी सबसे अधिक अक्षम करने वाली बीमारी है।

- यह लसीका प्रणाली को नुकसान पहुँचा सकता है और शरीर के अंगों के असामान्य विस्तार को जन्म दे सकता है, जिससे दर्द, गंभीर विकलांगता और सामाजिक कलंक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
  - लसीका तंत्र वाहिकाओं और विशेष ऊतकों का एक नेटवर्क है जो समग्र द्रव संतुलन, अंगों एवं अंगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिये आवश्यक है तथा महत्त्वपूर्ण रूप से शरीर की प्रतिरक्षा रक्षा प्रणाली का एक प्रमुख घटक है।
- हाथीपाँव एक वेक्टर जनित रोग है, जो फाइलेरियोइडिया (Filarioidea) कुल के नेमाटोड (राउंडवॉर्म) के रूप में वर्गीकृत परजीवियों के संक्रमण के कारण होता है। हाथीपाँव रोग का कारण धागेनुमा आकार के निम्नलिखित तीन प्रकार के फाइलेरियल परजीवी होते हैं-
  - वुचेरेरिया बैनक्रोफ्टी (Wuchereria Bancrofti) हाथीपाँव के लगभग 90% मामलों के लिये उत्तरदायी होता है।
  - ब्रुगिया मलाई (Brugia Malayi) अधिकाँश मामलों के लिये उत्तरदायी है।
  - ब्रुगिया तिमोरी (Brugiya Timori) भी इस रोग का कारण है।

औषधीय उपचार:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) हाथीपाँव के वैश्विक उन्मूलन में तेज़ी लाने के लिये तीन औषधीय उपचारों की सिफारिश करता है।
  - उपचार, जिसे आईडीए (IDA) के रूप में जाना जाता है, में आइवरमेक्टिन (Ivermectin), डायथाइलकार्बामाज़िन साइट्रेट (Diethylcarbamazine Citrate) और एल्बेंडाज़ोल (Albendazole) का संयोजन शामिल है।
  - इन औषधियों को लगातार दो वर्षों तक दिया जाता है। वयस्क कृमि का जीवनकाल लगभग चार वर्षों का होता है, इसलिये वह व्यक्ति को कोई नुकसान पहुँचाए बिना स्वाभाविक रूप से मर जाता है।

भारतीय परिदृश्य:

- हाथीपाँव भारत के लिये गंभीर खतरा है। 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अनुमानित 650 मिलियन भारतीयों को हाथीपाँव होने का खतरा है।
- विश्व में हाथीपाँव के 40% से अधिक मामले भारत में पाए जाते हैं।
- हाथीपाँव रोग के उन्मूलन की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2018 में 'हाथीपाँव रोग के तीव्र उन्मूलन की कार्य-योजना' (Accelerated Plan for Elimination of Lymphatic Filariasis- APELF) नामक पहल शुरू की थी।
- भारत ने इस रोग के उन्मूलन के लिये दोहरी रणनीति अपनाई है। इसके तहत हाथीपाँव निरोधक दो दवाओं (ईडीसी तथा एल्बेन्डाज़ोल- EDC and Albendazole) का प्रयोग, अंग विकृति प्रबंधन (Morbidity Management) और दिव्यांगता रोकथाम शामिल है।
- केंद्र सरकार दिसंबर 2019 से ट्रिपल ड्रग थेरेपी (Triple Drug Therapy) को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिये प्रयासरत है।

वैश्विक प्रयास:

- 2021-2030 के लिये WHO का नया रोडमैप: यह रोडमैप वर्ष 2030 तक 20 उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की रोकथाम, उन्हें नियंत्रित करने और उन्मूलन करने के लिये है।
- हाथीपाँव उन्मूलन के लिये वैश्विक कार्यक्रम (GPELF):
  - वर्ष 2000 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) ने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (Mass Drug Administration- MDA) के साथ संक्रमण को रोकने के लिये GPELF की स्थापना की ताकि रुग्णता प्रबंधन एवं विकलांगता रोकथाम (MMDP) के माध्यम से बीमारी से प्रभावित लोगों की पीड़ा को कम किया जा सके।
  - GPELF द्वारा विश्व स्तर पर हाथीपाँव को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2020 तक हासिल नहीं किया गया है । कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न समस्या के बावजूद WHO वर्ष 2030 तक इस लक्ष्य को हासिल करने के लिये काम में तेज़ी लाएगा।

जनजाति समुदायों हेतु 'संयुक्त पत्र'

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक 'संयुक्त वक्तव्य' (Joint Communication) पत्र पर हस्ताक्षर किये गए हैं , जिसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों को वन संसाधनों के प्रबंधन में अधिक अधिकार प्रदान करना है।

वन संसाधन

- वन न केवल पेड़ों से आच्छादित जानवरों के आवास स्थल हैं बल्कि वे संसाधनों का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत भी हैं। वे स्वच्छ हवा, लकड़ी, ईंधन, फल, भोजन, चारा आदि के अलावा अनेक संसाधन प्रदान करते हैं। इन्हें वन संसाधन के रूप में जाना जाता है, जिन पर बहुत से लोगों की आजीविका और अस्तित्व निर्भर है।
- वनों से हमें संसाधन प्राप्त होते हैं, जिसकी वजह से इनका संरक्षण करना और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इन्हीं संसाधनों के कारण वनों का दोहन होता है।
- वन संरक्षण और बचाव हेतु पहलें:
  - भारतीय वन अधिनियम, 1927; वन संरक्षण अधिनियम, 1980; राष्ट्रीय वन नीति, 1988; राष्ट्रीय हरित भारत मिशन; राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम; वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972.

प्रमुख बिंदु:

'संयुक्त पत्र' के विषय में:

- 'संयुक्त पत्र, वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन और वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों (Forest Dwelling Scheduled Tribes- FDSTs) तथा अन्य पारंपरिक वन निवासियों (Traditional Forest Dwellers- OTFDs) की आजीविका में सुधार हेतु उनकी क्षमता का दोहन करने से संबंधित है।
- राज्य के वन विभाग वन अधिकारों के दावों का सत्यापन, शामिल वन भूमि की मैपिंग और आवश्यक साक्ष्य के प्रावधान, अभिलेखों का प्रमाणीकरण, संयुक्त क्षेत्र निरीक्षण, जागरूकता सृजन आदि का कार्य करेंगे।
  - देश भर में वन अधिकारों की मान्यता में कमी के कारण इसने आदिवासी और वनवासी समुदायों में अपनी भूमि से बेदखल होने की असुरक्षित भावना को जन्म दिया है।
- राज्य के वन विभाग द्वारा मूल्य श्रृंखलाओं के संवर्द्धन हेतु परियोजनाएँ शुरू की जाएंगी, जिसमें प्राथमिक संग्राहकों के क्षमता निर्माण, कटाई के नए तरीके, गैर-इमारती वन उत्पादों (Non-Timber Forest Products- NTFP) का भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन शामिल है।
- विशिष्ट गैर-लकड़ी वन उत्पादों हेतु आपूर्ति श्रृंखला प्लेटफार्म के रूप में ट्राइफेड (TRIFED), आयुष मंत्रालय, एमएफपी (लघु वनोपज) संघों, वन धन केंद्रों (Van Dhan Kendras) आदि के सहयोग से नामित एक नोडल एजेंसी बनाई गई है।

वनवासी/आदिवासी और MFP:

- आदिवासी और अन्य वनवासी जैव विविधता के संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और वन क्षेत्र को बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन की दिशा में किये जा रहे प्रयासों में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
- आदिवासी न केवल अपनी आजीविका हेतु वनों पर निर्भर हैं बल्कि उनकी परंपराएँ भी वनों से जुड़ी हुई हैं।
- गैर-इमारती वन उत्पाद या लघु वन उत्पाद (Non-Timber Forest Products or Minor Forest Produce-MFP):
  - MFP में पौधे की उत्पत्ति से संबंधित सभी गैर-लकड़ी वन उत्पाद शामिल हैं जिनमें बाँस, बेंत, चारा, पत्ते, गोंद, मोम, डाई, रेजिन और कई प्रकार के भोजन (नट, जंगली फल, शहद, लाख, टसर आदि) शामिल हैं।

- यह उन लोगों जो वनों में या उसके आसपास रहते हैं, के जीवन निर्वाह हेतु नकद आय प्रदान करते हैं ।
- वे अपने भोजन, फलों, दवाओं और अन्य उपभोग की वस्तुओं का एक बड़ा हिस्सा वनों से प्राप्त करते है तथा इन उत्पादों की बिक्री के माध्यम से नकद आय भी प्राप्त करते हैं।
- NTFP को MFP या गैर-लकड़ी वन उत्पाद (Non-Wood Forest Produce- NWFP) के रूप में भी जाना जाता है।
  - NTFP को आगे औषधीय और सुगंधित पौधों Medicinal And Aromatic Plants- MAP), तिलहन, फाइबर तथा फ्लॉस, रेजिन, खाद्य पौधों, बाँस और घास में वर्गीकृत किया जा सकता है।

वनवासियों के लिये पहल:

- सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया था, जिसे आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम के रूप में जाना जाता है और इन समुदायों को वन के भीतर आजीविका एवं व्यवसाय के अधिकार को मान्यता दी है।
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)
- प्रधानमंत्री वन धन योजना (PMVDY)
- पिछले कुछ वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की श्रेणी में लघु वन उत्पादों (Minor Forest Produce) की संख्या को 10 से बढ़ाकर 86 किये जाने के कदम से अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपनी आय और आजीविका की संभावनाओं को बेहतर करने में काफी मदद मिली है।
- वन विभागों सहित राज्य आदिवासी कल्याण विभाग भी वनवासियों के लिये मनरेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) का विस्तार करने के साथ-साथ कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने एवं कृषि-वानिकी तथा बागवानी परियोजनाओं को गति देने के लिये रणनीति तैयार कर रहे हैं।
- स्थानीय स्वशासन में अनुसूचित जनजाति के जन प्रतिनिधियों के लिये क्षमता सृजन कार्यक्रम।

वन अधिकार अधिनियम, 2006

- यह अधिनियम पीढ़ियों से जंगलों में निवास कर रहे वन विस्थापित अनुसूचित जनजातियों (Forest Dwelling Scheduled Tribes- FDST) और अन्य पारंपरिक वन विस्थापितों (Other Traditional Forest Dwellers- OTFD) के लिये वन भूमि में वन अधिकारों एवं व्यवसाय को मान्यता देता है।
  - अधिनियम के तहत वन अधिकारों का दावा उस सदस्य या समुदाय द्वारा किया जा सकता है, जिसकी कम-से-कम तीन पीढ़ियाँ (75 वर्ष) मुख्य रूप से अपनी जीविका की ज़रूरतों को पूरा करने हेतु 13 दिसंबर, 2005 से पहले तक वन भूमि क्षेत्र में निवास करती हो।
- यह वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों (FDST) और अन्य पारंपरिक वनवासियों (OTFD) की आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वनों के प्रबंधकीय शासन को मज़बूत करता है।
- ग्रामसभा को व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR) या सामुदायिक वन अधिकार (CFR) या दोनों जो FDST और OTFD को दिये जा सकते हैं, की प्रकृति एवं सीमा को निर्धारित करने के लिये प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है।
- यह अधिनियम चार प्रकार के अधिकारों को मान्यता देता है:
  - शीर्षक अधिकार: यह एफडीएसटी और ओटीएफडी द्वारा की जा रही खेती वाली भूमि पर इन्हें स्वामित्व का अधिकार देता है लेकिन यह सीमा अधिकतम 4 हेक्टेयर तक ही होगी। स्वामित्व केवल उस भूमि के लिये है जिसमें वास्तव में संबंधित परिवार द्वारा खेती की जा रही है, जिसका तात्पर्य है कि कोई नई भूमि नहीं प्रदान की जाएगी।
  - उपयोग संबंधी अधिकार: गौण वन उत्पादों, चरागाह क्षेत्रों, चरागाही मार्गों आदि के उपयोग का अधिकार प्रदान किया गया है।
  - राहत और विकास संबंधी अधिकार: वन संरक्षण हेतु प्रतिबंधों के अध्ययन, अवैध ढंग से उन्हें हटाने या बलपूर्वक विस्थापित करने के मामले में पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं का अधिकार प्रदान किया गया है।
  - वन प्रबंधन संबंधी अधिकार: इसमें सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा, पुनरुत्पादन, संरक्षण और प्रबंधन का अधिकार शामिल है, जिसे वे स्थायी उपयोग के लिये परंपरागत रूप से संरक्षित करते रहे हैं।

कला एवं संस्कृति

कालबेलिया नृत्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण कालबेलिया नृत्य (Kalbeliya Dance) करने वाले छात्रों के बीच चेंडाविया (Chendavia) नामक एक एप लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है।

प्रमुख बिंदु:

परिचय:

- कालबेलिया नृत्य कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवनशैली की एक अभिव्यक्ति है।
  - यह इसी नाम की एक राजस्थानी जनजाति से संबंधित है।
- इसे वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठनों (UNESCO) की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) की सूची में शामिल किया गया था।
  - UNESCO की प्रतिष्ठित सूची उन अमूर्त विरासतों से मिलकर बनी है जो सांस्कृतिक विरासत की विविधता को प्रदर्शित करने और इसके महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं।
  - यह सूची 2008 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा पर कन्वेंशन के समय स्थापित की गई थी।
- इस नृत्य रूप में घूमना और रमणीय संचरण शामिल है जो इस नृत्य को देखने लायक बनाता है।
  - कालबेलिया से जुड़े मूवमेंट भी इसे भारत में लोक नृत्य के सबसे भावमय रूपों में से एक बनाते हैं।
- यह प्राय: किसी भी खुशी के उत्सव पर किया जाता है और इसे कालबेलिया संस्कृति का एक अभिन्न अंग माना जाता है।
- कालबेलिया नृत्य का एक और अनूठा पहलू यह है कि इसे केवल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जबकि पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं और संगीत प्रदान करते हैं।

वाद्य-यंत्र और पोशाक:

- घेरदार काले घाघरे में (काली स्कर्ट) में महिलाएँ गोल गोल घूमते हुए सर्प की नकल करते हुए नृत्य करती हैं, जबकि पुरुष उनके साथ 'खंजारी' (khanjari) और 'पुंगी' (Poongi) वाद्य यंत्र बजाते हैं, जो पारंपरिक रूप से साँपों को पकड़ने हेतु बजाया जाता है।
- नर्तक शरीर पर पारंपरिक टैटू निर्मित करवाते हैं तथा आभूषण, छोटे दर्पण और चांदी के धागे से निर्मित कढ़ाई वाले वस्त्र पहनते हैं।

कालबेलिया संगीत/गीत:

- कालबेलिया गीतों में कथाओं एवं कहानियों के माध्यम से पौराणिक ज्ञान का प्रसार किया जाता है।
- इन गीतों में कालबेलिया के काव्य कौशल का प्रदर्शन होता है जिसका प्रयोग नृत्य प्रदर्शन हेतु गीतों को सहज रूप से लिखने और गीतों को बेहतर बनाने हेतु किया जाता है।
- पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्रेषित गीत और नृत्य एक मौखिक परंपरा का हिस्सा हैं, जिसके लिये कोई पाठ या प्रशिक्षण नियमावली मौजूद नहीं है।

कालबेलिया जनजाति:

- कालबेलिया जनजाति के लोग कभी पेशेवर रूप से सर्प को पकड़ने (Professional Snake Handlers) का कार्य करते थे, आज वे संगीत और नृत्य में अपने पूर्व व्यवसाय को बनाए हुए हैं जो नए व रचनात्मक तरीकों के माध्यम से सामने आ रहा है।
- वे खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं और अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) में शामिल हैं।

- कालबेलिया की सबसे अधिक आबादी पाली ज़िले में पाई जाती है, उसके बाद अजमेर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर ज़िले (राजस्थान) में हैं। राजस्थान के अन्य पारंपरिक लोक नृत्य: गैर, कच्छी घोड़ी, घूमर, भवई आदि शामिल हैं।

यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें

1.	वैदिक जप की परंपरा, 2008	8.	लद्दाख का बौद्ध जप: हिमालय के लद्दाख क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ, 2012
2.	रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, 2008	9.	मणिपुर का संकीर्तन, अनुष्ठान, गायन, ढोलक बजाना और नृत्य करना, 2013
3.	कुटियाट्टम, संस्कृत थिएटर, 2008	10.	जंडियाला गुरु, पंजाब, भारत के ठठेरों के बीच पारंपरिक तौर पर पीतल और तांबे के बर्तन बनाने का शिल्प, 2014
4.	रम्माण, गढ़वाल हिमालय (भारत) के धार्मिक उत्सव और परंपरा का मंचन, 2009	11.	योग, 2016
5.	मुदियेट्टू, अनुष्ठान थियेटर और केरल का नृत्य नाटक, 2010	12.	नवरोज़, 2016
6.	कालबेलिया राजस्थान का लोकगीत और नृत्य, 2010	13.	कुंभ मेला, 2017
7.	छऊ नृत्य, 2010		

आंतरिक सुरक्षा

नगा शांति वार्ता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नगालैंड सरकार ने सभी नगा राजनीतिक समूहों और चरमपंथी समूहों से क्षेत्र में एकता, सुलह और शांति स्थापित करने में सहयोग की अपील की है।

- केंद्र सरकार और नगा चरमपंथी समूहों के दो वर्गों के बीच शांति प्रक्रिया बीते लगभग 23 वर्ष से अधिक समय से लंबित है।

नगा

- नगा पहाड़ी नृजातीय समुदाय हैं जिनकी आबादी लगभग 2.5 मिलियन (नगालैंड में 1.8 मिलियन, मणिपुर में 0.6 मिलियन और अरुणाचल में 0.1 मिलियन) है और वे भारतीय राज्य असम एवं बर्मा (म्याँमार) के मध्य सुदूर एवं पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं।
- बर्मा (म्याँमार) में भी नगा समूह मौजूद हैं।
- नगा एक जनजाति नहीं है, बल्कि एक जातीय समुदाय है, जिसमें कई जनजातियाँ शामिल हैं, जो नगालैंड और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में निवास करती हैं।
- नगा इंडो-मंगोलॉयड वंश से संबंध रखते हैं।
- नगा समुदाय में कुल 19 जनजातियाँ शामिल हैं- एओस, अंगामिस, चांग्स, चकेसांग, कबूइस, कचारिस, खैन-मंगस, कोन्याक्स, कुकिस, लोथस (लोथास), माओस, मिकीर्स, फोम्स, रेंगमास, संग्तामास, सेमस, टैंकहुल्स, यामचुमगर और ज़ीलियांग।

प्रमुख बिंदु

नगा विद्रोह की पृष्ठभूमि:

- नगा हिल्स वर्ष 1881 में ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना।
- बिखरी हुई नगा जनजातियों को एक साथ लाने के प्रयास के परिणामस्वरूप वर्ष 1918 में 'नगा क्लब' का गठन किया गया।
  - इस क्लब ने समग्र समुदाय के बीच एक प्रकार की 'नगा राष्ट्रवादी' भावना को जन्म दिया।
- इस क्लब को वर्ष 1946 में 'नगा नेशनल काउंसिल' (NNC) में रूपांतरित कर दिया गया।
- अंगामी ज़ापू फिज़ो के नेतृत्व में 'नगा नेशनल काउंसिल' ने 14 अगस्त, 1947 को नगालैंड को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया और मई 1951 में एक "जनमत संग्रह" कराया, जिसमें दावा किया गया कि 99.9% नगाओं ने 'संप्रभु नगालैंड' का समर्थन किया है।
- नगालैंड ने दिसंबर 1963 में राज्य का दर्जा हासिल किया। नगालैंड का गठन असम के नगा हिल्स ज़िले और तत्कालीन 'नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी' (NEFA) प्रांत (अब अरुणाचल प्रदेश) के हिस्सों को मिलाकर किया गया था।
- वर्ष 1975 में शिलॉन्ग समझौते के तहत 'नगा नेशनल काउंसिल' (NNC) और 'नगा संघीय सरकार' (NFG) के कुछ गुट हथियार छोड़ने पर सहमत हुए।
- थिंजलेंग मुइवा (जो उस समय चीन में थे) की अगुवाई में लगभग 140 सदस्यों के एक गुट ने शिलॉन्ग समझौते को मानने से इनकार कर दिया। इस गुट ने वर्ष 1980 में 'नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड' (NSCN) का गठन किया।
- वर्ष 1988 में एक हिंसक झड़प के बाद 'नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड' (NSCN) का विभाजन NSCN (IM) और NSCN (K) में हो गया।
- एक ओर समय के साथ 'नगा नेशनल काउंसिल' कमज़ोर पड़ने लगी तथा वर्ष 1991 में लंदन में फिज़ो की मृत्यु हो गई, वहीं NSCN (IM) की ताकत और बढ़ने लगी एवं उसे इस क्षेत्र में 'सभी विद्रोहियों की जननी' के रूप में देखा जाने लगा।

नगा समूहों की मांग:

- नगा समूहों की प्रमुख मांग एक वृहत नगालैंड अर्थात् नगालिम (संप्रभु राज्य का दर्जा) रही है, यानी पूर्वोत्तर में सभी नगा-आबादी क्षेत्रों को एक प्रशासनिक केंद्र के अंतर्गत लाने के लिये सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाना है।
  - इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर तथा म्याँमार के भी विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।
- इसमें एक पृथक नगा येजाबो (संविधान) तथा एक पृथक झंडे की मांग भी शामिल है ।

शांति पहल:

- शिलॉन्ग समझौता (1975): शिलॉन्ग में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये गए जिसमें NNC गुट ने हथियार छोड़ने पर सहमति जताई।
  - हालाँकि कई नेताओं ने समझौते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण NNC का विभाजन हो गया।
- संघर्ष विराम समझौता (1997): NSCN-IM ने भारतीय सशस्त्र बलों पर हमलों को रोकने के लिये सरकार के साथ संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किये। इसके परिणामस्वरूप सरकार ने सभी उग्रवाद विरोधी गतिविधियों/अभियानों को रोक दिया।
- फ्रेमवर्क समझौता (2015): इस समझौते में भारत सरकार ने नगाओं के अनोखे इतिहास, संस्कृति और स्थिति तथा उनकी भावनाओं एवं आकांक्षाओं को मान्यता दी।
- हाल ही में राज्य सरकार ने नगालैंड के स्थानीय निवासियों का एक रजिस्टर (RIIN) बनाने का निर्णय लिया है लेकिन बाद में विभिन्न गुटों के दबाव के कारण निर्णय को रोक दिया गया।

मुद्दे:

- 2015 के समझौते ने कथित तौर पर शांति प्रक्रिया को समावेशी बना दिया, लेकिन इसने केंद्र सरकार द्वारा आदिवासी और भू-राजनीतिक आधार पर नगाओं का विभाजन कर उनके शोषण किये जाने का संदेह उत्पन्न किया।
- 'ग्रेटर नगालिम' (Greater Nagalim) के क्षेत्रीय एकीकरण की मांग के मद्देनज़र मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के निकटवर्ती नगा-आबादी क्षेत्रों के एकीकरण का मुद्दा विभिन्न प्रभावित राज्यों में हिंसक संघर्ष को बढ़ावा देगा।
- नगालैंड में शांति प्रक्रिया के मार्ग में एक और बड़ी बाधा यह है कि यहाँ एक से अधिक संगठनों का अस्तित्व है, जिनमें से प्रत्येक नगाओं का प्रतिनिधि होने का दावा करता है।

आगे की राह

- केंद्र को दीर्घकालीन शांतिवार्ता वाले पहलुओं के लिये विद्रोहियों के सभी गुटों और समूहों के साथ बातचीत करनी चाहिये। इसके अलावा उनकी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और क्षेत्रीय सीमा को ध्यान में रखा जाना चाहिये।
- किसी भी व्यवस्थित प्रक्रिया को अपनाते समय उनके सामाजिक-राजनीतिक सद्भाव, आर्थिक समृद्धि और राज्यों के सभी जनजातियों तथा नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा होनी चाहिये।
- इस मुद्दे से निपटने का एक अन्य मार्ग जनजातीय समूहों में शक्तियों का अधिकतम विकेंद्रीकरण और शीर्ष स्तर पर न्यूनतम केंद्रीयकरण हो सकता है। इससे शासन को जनोन्मुख बनाने और वृहद् विकास परियोजनाओं को शुरू करने की दिशा में आसानी होगी।
- इन राज्यों में नगा आबादी वाले क्षेत्रों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जा सकती है और इन क्षेत्रों के लिये उनकी संस्कृति एवं विकास हेतु अलग से बजट आवंटन भी किया जा सकता है।
- इसके अलावा केंद्र को यह ध्यान रखना चाहिये कि विश्व भर में अधिकांश सशस्त्र विद्रोह या तो संपूर्ण जीत या व्यापक हार में समाप्त नहीं होते हैं, बल्कि 'समझौता' जैसे एक ग्रे ज़ोन में समाप्त होते हैं।

चर्चा में

गिंडी राष्ट्रीय उद्यान: तमिलनाडु

चेन्नई स्थित गिंडी राष्ट्रीय उद्यान (तमिलनाडु) शहर के लोगों को विभिन्न पारितंत्र सेवाएँ (Ecosystem Services) प्रदान करता है।

- पारितंत्र सेवाओं का आशय मानव कल्याण के लिये पारिस्थितिक तंत्र के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष योगदान से है।

प्रमुख बिंदु

गिंडी राष्ट्रीय उद्यान

- यह भारत का आठवाँ सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और उन चुनिंदा राष्ट्रीय उद्यानों में से भी एक है, जो शहर के अंदर अवस्थित हैं। यह चेन्नई के महानगरीय क्षेत्र के मध्य में स्थित है।
- यह कोरोमंडल तट के उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वनों के अंतिम हिस्सों में से एक है।
- गिंडी राष्ट्रीय उद्यान की लगभग 22 एकड़ जमीन को बाह्य-स्थाने संरक्षण (Ex Situ Conservation) के लिये चिल्ड्रन पार्क के रूप में परिवर्तित किया गया है।
- गिंडी सर्प उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान के साथ ही स्थित है। इसे वर्ष 1995 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (Central Zoo Authority- CZA) से एक मध्यम चिड़ियाघर के रूप में वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी।
- वर्ष 1978 में इस छोटे क्षेत्र, जिसे पूर्व में गिंडी डियर पार्क के नाम से जाना जाता था, को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।

वनस्पति और प्राणीजगत:

- इसमें वृक्षों की 30 से अधिक प्रजातियाँ और कई शताब्दी पुराने विशाल बरगद के वृक्ष मौजूद हैं।
- साथ ही इसमें काले हिरण, चित्तीदार हिरण, सियार, साँपों की भिन्न-भिन्न प्रजातियाँ, पक्षियों की 100 से अधिक प्रजातियाँ और तितलियों की 60 से अधिक प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं।

तमिलनाडु के अन्य राष्ट्रीय उद्यान:

- मन्नार की खाड़ी में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान (धनुषकोडी)।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में अनामलाई वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता था।
- मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, ऊटी।
- मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई।

बाह्य-स्थाने और स्व-स्थाने संरक्षण

- बाह्य-स्थाने (एक्स सीटू) संरक्षण का आशय वनस्पति या जीवों के उनके प्राकृतिक आवास या मूल वातावरण के बाहर एक अलग स्थान पर संरक्षित करने से है।
  - संरक्षण की इस पद्धति के अंतर्गत जीन बैंक, बीज बैंक आदि का रखरखाव शामिल है।
- स्व-स्थाने (इन सीटू) संरक्षण का आशय वनस्पति या जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करने से है।
  - इस पद्धति के अंतर्गत वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों आदि के रूप में प्राकृतिक आवासों का रखरखाव शामिल है।

कुवेम्पु पुरस्कार 2020

हाल ही में उड़िया कवि डॉ. राजेंद्र किशोर पांडा को 'कुवेम्पु पुरस्कार 2020' के लिये चुना गया है।

- वर्ष 1944 में पैदा हुए डॉ. राजेंद्र किशोर पांडा ओडिशा के एक प्रसिद्ध कवि एवं उपन्यासकार हैं। अब तक उनके कुल 16 कविता संग्रह और एक उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं।
- उन्हें वर्ष 2010 में 'गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार' और वर्ष 1985 में 'साहित्य अकादमी पुरस्कार' से सम्मानित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

कुवेम्पु पुरस्कार

- यह 20वीं सदी के दिवंगत कन्नड़ कवि 'कुवेम्पु' की स्मृति में स्थापित एक राष्ट्रीय पुरस्कार है।
- यह पुरस्कार प्रतिवर्ष भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा के साहित्य में महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाले लेखक को दिया जाता है।
- इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार तथा एक रजत पदक एवं एक प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है।

कवि 'कुवेम्पु'

- कुप्पली वेंकटप्पा पुट्टप्पा, जिन्हें उनके उपनाम 'कुवेम्पु' के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय कवि, नाटककार, उपन्यासकार और आलोचक थे।
- उन्हें मुख्य तौर पर 20वीं सदी के सबसे महान कन्नड़ कवियों में से एक माना जाता है।
- वह कन्नड़ भाषा के पहले लेखक थे जिन्हें रामायण के उनके स्वयं के संस्करण 'श्री रामायण दर्शनम' के लिये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

ज्ञानपीठ पुरस्कार

- ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में प्रतिवर्ष प्रदान किये जाने वाला सबसे प्रमुख साहित्यिक पुरस्कार है और यह एक वर्ष में एक ही भारतीय नागरिक को प्रदान किया जा सकता है।
- भारतीय संविधान (8वीं अनुसूची) में उल्लिखित भाषाओं के साथ-साथ अंग्रेज़ी भाषा के लेखकों का चयन भी इस पुरस्कार के लिये किया जा सकता है।
- इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति-पत्र तथा वाग्देवी (सरस्वती) की कास्य की प्रतिमा प्रदान की जाती है।
- यह पुरस्कार सांस्कृतिक संगठन 'भारतीय ज्ञानपीठ' द्वारा प्रायोजित है।

साहित्य अकादमी पुरस्कार

- वर्ष 1954 में स्थापित 'साहित्य अकादमी पुरस्कार' एक साहित्यिक सम्मान है, जो कि 'साहित्य अकादमी' (नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स) द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।
- अकादमी द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वयं द्वारा मान्यता प्रदत्त 24 भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के साथ ही इन्हीं भाषाओं में परस्पर साहित्यिक अनुवाद के लिये भी पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।
- भारतीय संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा साहित्य अकादमी ने अंग्रेज़ी तथा राजस्थानी को भी उन भाषाओं के रूप में मान्यता दी है, जिनमें अकादमी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं और पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।
- ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है।

गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार

- गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा मुख्यत: कविता हेतु साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है। इसका नाम गंगाधर मेहर के नाम पर रखा गया है।
- इस पुरस्कार के तहत 50,000 रुपए नकद, एक शॉल और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

फर्स्ट मूवेबल फ्रेशवॉटर टनल एक्वेरियम: इंडियन रेलवे

हाल ही में भारतीय रेलवे (IR) ने बंगलूरू रेलवे स्टेशन पर देश के फर्स्ट मूवेबल फ्रेशवॉटर टनल एक्वेरियम (Movable Freshwater Tunnel Aquarium) की स्थापना की है।

प्रमुख बिंदु:

- क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन, जिसे बंगलूरू सिटी रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जिसमें मूवेबल फ्रेशवॉटर टनल एक्वेरियम है।
- भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (IRSDC) द्वारा एचएनआई एक्वाटिक किंगडम (HNi Aquatic Kingdom) के सहयोग से यह एक्वेरियम खोला गया है।
- यह एक्वेरियम अमेज़ॅन नदी (दक्षिण अमेरिका की) अवधारणा पर आधारित अपनी तरह का एक जलीय पार्क है।
- यह एक 12 फीट लंबा जलीय साम्राज्य है, असंख्य वनस्पतियों और जीवों के साथ पहला पलुडेरियम (विवरियम जिसमें स्थलीय और जलीय दोनों तत्त्व शामिल हैं)।
- यह विभिन्न जलीय जंतुओं जैसे- घड़ियाल गार रेंजिंग, स्टिंग्रे, शार्क, झींगा मछली, घोंघे और श्रिम्प आदि का निवास स्थान है। एक्वेरियम प्राकृतिक चट्टानों और ड्रिफ्टवुड, कृत्रिम प्रवाल चट्टानों के टुकड़ों से सुशोभित है।
- इसे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के सुखद अनुभव के उद्देश्य से 1.2 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।
- इसका उद्देश्य भारतीय रेल के लिये राजस्व अर्जन में सुधार करना भी है।
- यह एक प्रकार से शिक्षाप्रद भी है, यहाँ मछलियों के जीवन, आकार, साम्राज्य का अनुभव किया जा सकता है।

ताल ज्वालामुखी: फिलीपींस

हाल ही में फिलीपींस ने 'ताल ज्वालामुखी' में 'फ्रीएटोमैग्मैटिक विस्फोट' (Phreatomagmatic Eruption) के बाद ज्वालामुखी के चेतावनी स्तर को 'स्तर-3' (पाँच-स्तर के पैमाने पर) तक बढ़ा दिया है। इस 'फ्रीएटोमैग्मैटिक विस्फोट' के कारण तकरीबन एक किलोमीटर ऊँचा गहरे भूरे रंग का प्लम उत्पन्न हुआ था।

- 'स्तर-3' मैग्मैटिक अशांति या मैग्मा की ऐसी गति इंगित करता है, जो भविष्य में आने वाले विस्फोटों में वृद्धि कर सकती है।

प्रमुख बिंदु

- अवस्थिति
  - यह ज्वालामुखी फिलीपींस के मनीला से 50 किलोमीटर दूर स्थित 'लुजोन द्वीप' पर है।
- संवेदनशीलता:
  - फिलीपींस दो टेक्टोनिक प्लेटों- फिलीपींस सागर प्लेट और यूरेशियन प्लेट, की सीमाओं पर स्थित है इसलिये यह भूकंप और ज्वालामुखी की दृष्टि से अतिसंवेदनशील है।
  - 'ताल ज्वालामुखी' फिलीपींस के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, क्योंकि यह पैसिफिक 'रिंग ऑफ फायर' पर स्थित है, जो कि अपनी तीव्र भूकंपीय गतिविधियों के लिये जाना जाता है।
- फ्रीएटोमैग्मैटिक विस्फोट: नए मैग्मा या लावा के पानी के साथ संपर्क में आने से उत्पन्न होने वाला यह विस्फोट काफी खतरनाक हो सकता है। यह पानी भूजल, हाइड्रोथर्मल प्रणाली, सतही अपवाह, झील या समुद्र से आ सकता है।
  - अन्य प्रकार के विस्फोट हैं: आइसलैंडिक, हवाईयन, स्ट्राम्बोलियन, वल्कैनियन, पिलियन और पीनियन।
- खतरा
  - पाइरोक्लास्टिक घनत्व धाराओं (जैसे- गर्म गैस, राख और अन्य ज्वालामुखीय मलबे के बादल) से उत्पन्न खतरे एवं ज्वालामुखी जनित सुनामी के संभावित खतरे।

- जटिल ज्वालामुखी: इस ज्वालामुखी को 'फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ वॉल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी' द्वारा 'जटिल' ज्वालामुखी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - जटिल ज्वालामुखी को एक ऐसे ज्वालामुखी के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें केवल एक मुख्य वेंट (छिद्र) या शंकु नहीं बल्कि कई विस्फोट बिंदु होते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी का एक अन्य रूप इटली के पश्चिमी तट पर स्थित 'माउंट वेसुवियस' है।
- अप्रत्याशित रूप से पिछली कुछ शताब्दियों में 'ताल ज्वालामुखी' 30 से अधिक बार विस्फोटित हो चुका है, इससे पूर्व अंतिम विस्फोट वर्ष 2020 में हुआ था।

ज्वालामुखी

- ज्वालामुखी भू-पर्पटी पर एक ऐसा खुला छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं।

वेम्बनाड झील: केरल

सुदृढ़ टीकाकरण अभियान के बीच वेम्बनाड झील में केरल हाउसबोट (Kerala houseboats) के शीघ्र शुरू होने की उम्मीद है।

- यह केरल की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील है।

प्रमुख बिंदु:

- वेम्बनाड झील को वेम्बनाड कयाल, वेम्बनाड कोल, पुन्नमदा झील (कुट्टनाड में) और कोच्चि झील (कोच्चि में) के नाम से भी जाना जाता है।
- यह केरल के कई ज़िलों में फैली हुई है जो 2033.02 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को कवर करती है।
- इस झील का स्रोत चार नदियों मीनाचिल (Meenachil), अचनकोविल (Achankovil), पम्पा (Pampa) और मणिमाला (Manimala) से संबंधित है।
- यह एक संकीर्ण द्वीप द्वारा अरब सागर (Arabian Sea) से अलग होती है तथा केरल में एक लोकप्रिय लेगून दरार (Backwater Stretch) का निर्माण करती है।
- वल्लम काली (यानी नेहरू ट्रॉफी बोट रेस) एक स्नेक बोट रेस है जिसका आयोजन हर वर्ष अगस्त माह में वेम्बनाड झील में किया जाता है।
- वर्ष 2002 में इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया था जैसा कि रामसर अभिसमय (Ramsar Convention) द्वारा परिभाषित किया गया था।
  - यह पश्चिम बंगाल में सुंदरबन (Sundarbans) के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है।
- भारत सरकार ने राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम (National Wetlands Conservation Programme) के तहत वेम्बनाड आर्द्रभूमि की पहचान की है।
- कुमारकोम पक्षी अभयारण्य (Kumarakom Bird Sanctuary) इस झील के पूर्वी तट पर स्थित है।
- वर्ष 2019 में विलिंगडन द्वीप (Willingdon Island) जो कि कोच्चि शहर में स्थित है, के कुछ हिस्से को अलग कर वेम्बनाड झील का निर्माण किया गया था।
- इस झील की सबसे उत्कृष्ट विशेषताओं में से एक 1252 मीटर लंबी निर्मित खारे पानी की बाधा, थन्नीरमुकोम (Thanneermukkom) है, जिसे कुट्टनाड में खारे पानी को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था।

प्रोजेक्ट बोल्ड : KVIC

हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने राजस्थान के उदयपुर में निचला मांडवा (Nichla Mandwa) गाँव से "सूखे भू-क्षेत्र पर बाँस मरु-उद्यान" (BOLD) नामक एक परियोजना शुरू की।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग 'खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम-1956' के तहत एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है।
- इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी आवश्यक हो अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर खादी एवं ग्रामोद्योगों की स्थापना तथा विकास के लिये योजनाएँ बनाना, उनका प्रचार-प्रसार करना तथा सुविधाएँ एवं सहायता प्रदान करना है।
- यह भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of MSME) के अंतर्गत कार्य करता है।

प्रमुख बिंदु

परिचय :

- इस परियोजना के अंतर्गत विशेष रूप से असम से लाए गए बाँस की विशेष प्रजातियों- बंबुसा टुल्डा (Bambusa Tulda) और बंबुसा पॉलीमोर्फा (Bambusa Polymorpha) के 5,000 पौधों को निचला मांडवा ग्राम पंचायत की 25 बीघा (लगभग 16 एकड़) खाली शुष्क भूमि पर लगाया गया है।
  - इस तरह KVIC ने एक ही स्थान पर एक ही दिन में सर्वाधिक संख्या में बाँस के पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है।
- यह भारत में इस तरह का पहला अभ्यास है। यह परियोजना शुष्क व अर्द्ध-शुष्क भूमि क्षेत्रों में बाँस आधारित हरित पट्टी बनाने का प्रयास करती है।
- इसे 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर "आज़ादी का अमृत महोत्सव" मनाने के लिये KVIC के "खादी बाँस महोत्सव" के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है।

बाँस को चुनने का कारण:

- यह बहुत तेज़ी से बढ़ता है और लगभग तीन वर्ष के समय में इसकी कटाई की जा सकती है।
- बाँस को पानी के संरक्षण और भूमि की सतह से पानी के वाष्पीकरण को कम करने के लिये भी जाना जाता है, जो शुष्क और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है।

महत्त्व:

- यह मरुस्थलीकरण को कम करेगा और आजीविका तथा बहु-विषयक ग्रामीण उद्योग में सहायता प्रदान करेगा।
- यह सतत् विकास और खाद्य सुरक्षा के रूप में भी कार्य करेगा।

विस्तार:

- KVIC इस साल अगस्त तक गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के धोलेरा गाँव और लेह-लद्दाख में भी इसी तरह की परियोजना शुरू करने वाला है।
  - अगस्त 2021 से पहले कुल 15,000 बाँस के पौधे लगाए जाएंगे।

मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु अन्य पहलें:

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PKSY)
- हरित भारत के लिये राष्ट्रीय मिशन
- भारत ने 'संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय' (UNCCD) की पुष्टि की है।

स्वामी विवेकानंद

प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, उन्हें भारत के बेहतरीन आध्यात्मिक नेता के रूप में और उनकी प्रभावशाली बौद्धिकता के लिये जाना जाता है।

- जन्म: उनका जन्म 12 जनवरी, 1863 को हुआ और उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था।
  - प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती (12 जनवरी) को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है।
  - वर्ष 1893 में खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर उन्होंने 'विवेकानंद' नाम अपनाया।
- योगदान:
  - उन्होंने विश्व को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित कराया।
    - उन्होंने 'नव-वेदांत' का प्रचार किया, एक पश्चिमी धारा के माध्यम से हिंदू धर्म की व्याख्या और भौतिक प्रगति के साथ आध्यात्मिकता के संयोजन में विश्वास किया।
  - विवेकानंद ने मातृभूमि के उत्थान के लिये शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया। मानव हेतु चरित्र-निर्माण की शिक्षा की वकालत की।
  - उन्हें वर्ष 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में दिये गए उनके भाषण के लिये जाना जाता है।
  - सांसारिक सुख और मोह से मोक्ष प्राप्त करने के चार मार्गों का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तकों (राजयोग, कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग) में किया है।
  - नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को "आधुनिक भारत का निर्माता" कहा था।
- संबंधित संगठन
  - वह 19वीं सदी के रहस्यवादी रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य थे और उन्होंने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।
    - रामकृष्ण मिशन एक ऐसा संगठन है जो मूल्य आधारित शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, युवा एवं आदिवासी कल्याण और राहत तथा पुनर्वास के क्षेत्र में काम करता है।
  - वर्ष 1899 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की, जो उनका स्थायी निवास बन गया।
- मृत्यु: वर्ष 1902 में बेलूर मठ में उनकी मृत्यु हो गई। पश्चिम बंगाल में स्थित बेलूर मठ, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है।

मत्स्य सेतु

हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने मत्स्य पालन से संबंधित किसानों के लिये एक ऑनलाइन कोर्स मोबाइल एप "मत्स्य सेतु" लॉन्च किया है।

- इस एप को 'इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेशवाटर एक्वाकल्चर' (ICAR-CIFA) और 'नेशनल फिशरीज़ डेवलपमेंट बोर्ड' (NFDB) द्वारा विकसित किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- इसका उद्देश्य देश में जलीय कृषि करने वाले किसानों तक ताज़े पानी से संबंधित नवीनतम जलीय कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना और उनकी उत्पादकता एवं आय में वृद्धि करना है।
  - एक्वाकल्चर मछली, शंख और जलीय पौधों के प्रजनन, उत्पादन और हार्वेस्टिंग को कहते हैं।
  - भारत दुनिया में जलीय कृषि के माध्यम से मछली उत्पादन करने वाला दूसरा प्रमुख उत्पादक है।
- इसमें व्यावसायिक रूप से महत्त्वपूर्ण मछलियों जैसे- कार्प, कैटफ़िश, स्कैम्पी, म्यूरल, सजावटी मछली, मोती की खेती आदि की ग्रो-आउट गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- इसका उपयोग देश भर के हितधारकों, विशेष रूप से मछुआरों, मछली किसानों, युवाओं और उद्यमियों के बीच विभिन्न योजनाओं पर नवीनतम जानकारी का प्रसार करने तथा व्यापार में आसानी प्रदान करने की सुविधा के लिये किया जा सकता है।

अन्य संबंधित पहलें:

- शफरी (जलीय कृषि उत्पादों के लिये प्रमाणन योजना): यह अच्छी जलीय कृषि प्रथाओं को अपनाने और वैश्विक उपभोक्ताओं को आश्वस्त करने के लिये गुणवत्तापूर्ण एंटीबायोटिक मुक्त झींगा उत्पादों का उत्पादन में मदद करने हेतु हैचरी के लिये एक बाज़ार आधारित उपकरण है।
- वर्ष 2018-19 के दौरान मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (FIDF) की स्थापना।
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना: इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक 22 मिलियन टन मछली उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना है। साथ ही इससे 55 लाख लोगों के लिये रोज़गार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
- नीली क्रांति पर ध्यान केंद्रित करना: मछुआरों और मछली किसानों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये एवं मत्स्य पालन के एकीकृत और समग्र प्रबंधन हेतु एक सक्षम वातावरण बनाना।
- मछुआरों और मछली किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद के लिये किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सुविधाओं का विस्तार करना।

सिलंबम Silambam

हाल ही में सिंगापुर में प्रवासी श्रमिकों हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई प्रतियोगिता में गणेशन संधिराकासन (Ganesan Sandhirakasan) नाम के एक भारतीय ने सिलंबम (Silambam) के प्रदर्शन में शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया है।

प्रमुख बिंदु:

सिलंबम के बारे में:

- सिलंबम एक प्राचीन हथियार आधारित मार्शल आर्ट (Weapon-Based Martial Art) है जिसकी उत्पत्ति तमिलकम में हुई जो वर्तमान में भारत का तमिलनाडु क्षेत्र है। यह विश्व के सबसे पुराने मार्शल आर्ट में से एक है।
- सिलंबम शब्द स्वयं एक खेल के बारे में बताता है, सिलम का अर्थ है 'पहाड़' (Mountain) और बम का अर्थ बाँस (Bamboo) है जिसका उपयोग मार्शल आर्ट के इस रूप में मुख्य हथियार के रूप में किया जाता है।
  - यह केरल के मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू (kalaripayattu) से निकटता रखता है।
- पैरों की गति, सिलंबम (Silambam) और कुट्टा वारिसाई (Kutta Varisai के प्रमुख तत्व हंस । छड़ी की गति के साथ तालमेल बनाने के लिये पैर की गति में महारत हासिल करने हेतु सोलह प्रकार के संचालनों (Movement) की आवश्यकता होती है।
- इसके प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य कई सशस्त्र विरोधों के खिलाफ रक्षा प्रदान करना है।

इस्तेमाल किये जाने वाले हथियार:

- बाँस की छड़ी (Bamboo staff)- यह मुख्य हथियार है तथा इसकी लंबाई प्रयोग करने वाले की ऊँचाई पर निर्भर करती है।
- मारू (Maru)- यह एक धमाकेदार हथियार है जिसे हिरण के सींगों से बनाया जाता है।
- अरुवा (दरांती), सवुकु (कोड़ा), वाल (घुमावदार तलवार), कुट्टू कटाई (नुकीली अँगुली डस्टर), कट्टी (चाकू), सेडिकुची (लाठी या छोटी छड़ी)।

उत्पत्ति:

- ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति ऋषि अगस्त्य मुनिवर (Agastya Munivar) द्वारा लगभग 1000 ईसा पूर्व हुई थी।
- सिलप्पादिक्करम और संगम साहित्य (Sangam literature) में इस प्रथा के बारे में उल्लेख किया गया है तथा यह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है, जबकि मौखिक लोक कथाओं में इसे और अधिक लगभग 7000 वर्ष प्राचीन माना जाता है।
  - लेकिन हाल के सर्वेक्षणों और पुरातात्त्विक उत्खनन से इस बात की पुष्टि की गई है कि सिलंबम का अभ्यास कम-से-कम 10,000 ईसा पूर्व किया जाता था।

प्रतिबंध और विकास:

- दक्षिण भारत के अधिकांश शासकों द्वारा इसका उपयोग युद्ध में किया जाता था। तमिल शासक वीरापांड्या कट्टाबोम्मन (Veerapandiya Kattabomman) के सैनिकों ने ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के खिलाफ युद्ध छेड़ने हेतु सिलंबम का प्रयोग किया था 18वीं शताब्दी के अंत तक इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
- आग्नेयास्त्रों की शुरूआत के साथ प्रतिबंध ने सिलंबम की लड़ाकू प्रकृति को काफी प्रभावित किया जिसके कारण यह एक प्रदर्शन कला में तब्दील हो गयी है।

भारत के अन्य मार्शल आर्ट्स

- गतका- पंजाब
- पाइका- ओडिशा
- थांग ता- मणिपुर
- कलारीपयट्टू- केरल
- छोलिया- उत्तराखंड
- पांग ल्हबसोल- सिक्किम
- मुष्टियुद्ध- उत्तर प्रदेश
- मर्दानी खेल- महाराष्ट्र
- परी खंडा- बिहार

स्पर्श : सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा

हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श (System for Pension Administration Raksha- SPARSH) नामक एक एकीकृत प्रणाली लागू की है।

प्रमुख बिंदु

प्रणाली के विषय में:

- यह रक्षा पेंशन की मंज़ूरी और वितरण के स्वचालन हेतु एक एकीकृत प्रणाली है।
- यह वेब आधारित प्रणाली पेंशन दावों को आगे बढ़ाती है और किसी बाहरी मध्यस्थ पर निर्भर हुए बिना सीधे रक्षा पेंशनभोगियों के बैंक खातों में उनकी पेंशन जमा करती है।
- पेंशनभोगियों के लिये एक पेंशनभोगी पोर्टल उपलब्ध है जिसके माध्यम से पेंशनभोगी अपनी पेंशन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सेवाओं तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं और अपनी शिकायत (यदि हो) तो दर्ज करा सकते हैं।
- स्पर्श (SPARSH) ने उन पेंशनभोगियों को अंतिम छोर से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिये सेवा केंद्रों की स्थापना की परिकल्पना की है जो किसी भी कारण से सीधे स्पर्श पोर्टल तक पहुँचने में असमर्थ हों।
  - रक्षा पेंशनभोगियों से संबंधित दो सबसे बड़े बैंकों-भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) को साझा तौर पर सेवा केंद्र के रूप में चुना गया है।

रक्षा पेंशन से संबंधित अन्य पहल:

- वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना: इसके तहत सेवानिवृत्त होने की तारीख से इतर समान सेवा अवधि और समान रैंक पर सेवानिवृत्त हो रहे सशस्त्र सैन्यकर्मियों को एक समान पेंशन दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

dbGENVOC: ओरल कैंसर के जीनोमिक वेरिएंट का डेटाबेस

हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्तपोषित स्वायत्त संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स (National Institute of Biomedical Genomics- NIBMG) ने ओरल कैंसर/ मुख के कैंसर में जीनोमिक बदलाव पर विश्व का पहला डेटाबेस (dbGENVOC) तैयार किया है।

प्रमुख बिंदु:

dbGENVOC के बारे में:

- डीबीजेनवोक ओरल कैंसर के जीनोमिक वेरिएंट्स का ब्राउज करने योग्य ऑनलाइन डेटाबेस है जिसे संभावित उपयोगकर्त्ताओं को नैदानिक रूप से प्रासंगिक विभिन्न सोमेटिक/दैहिक और जर्मलाइन वेरिएंट डेटा तक पहुँच प्रदान करने, प्रश्न करने, ब्राउज़ करने और डाउनलोड करने की अनुमति देने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।
  - सोमेटिक या एक्वायर जीनोमिक वेरिएंट (Somatic or Acquired Genomic Variants) कैंसर का सबसे आम कारण है, जो किसी व्यक्ति के जीवन के दौरान उसकी कोशिका में जीन को नष्ट होने से होता है।
  - एक जर्मलाइन वेरिएंट (Germline Variant) युग्मकों (Gametes) में पाया जाता है और गर्भाधान के समय सीधे माता-पिता से बच्चे में जाता है। जर्मलाइन रोगजनक वेरिएंट के कारण होने वाले कैंसर को विरासत में मिला या वंशानुगत कहा जाता है।
- इसे भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में मुख के कैंसर के नए रोगियों के विभिन्न डेटा के साथ वार्षिक तौर पर अपडेट किया जाएगा।

भारत में कैंसर के मामले:

- विश्व कैंसर रिपोर्ट 2020 के अनुसार, भारत में वर्ष 2018 में अनुमानित 1.16 मिलियन नए कैंसर के मामले थे।
- 10 में से 1 भारतीय अपने जीवनकाल में कैंसर से ग्रसित होता है तथा 15 में से 1 की मृत्यु इस बीमारी से होती है।
- भारत में छह सबसे आम प्रकार के कैंसरों में स्तन कैंसर (Breast Cancer), ओरल कैंसर (Oral Cancer), सर्वाइकल कैंसर (Cervical Cancer), फेफड़े का कैंसर (Lung Cancer), पेट का कैंसर (Stomach Cancer) और कोलोरेक्टल कैंसर (Colorectal Cancer) शामिल हैं।
  - ओरल कैंसर भारत में पुरुषों में पाया जाने वाला कैंसर का सबसे प्रचलित रूप है जो मुख्य रूप से तंबाकू चबाने के कारण होता है।

अन्य संबंधित पहलें:

- नेशनल कैंसर ग्रिड (National Cancer Grid- NCG): यह संपूर्ण देश में प्रमुख कैंसर केंद्रों, अनुसंधान संस्थानों, रोगी समूहों तथा धर्मार्थ संस्थानों का एक नेटवर्क है, जिसे ऑन्कोलॉजी (कैंसर का अध्ययन), कैंसर की रोकथाम, निदान और उपचार हेतु रोगियों की देखभाल के लिये एक समान मानक स्थापित करने, विशेष प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। यह कैंसर के उपचार में सहयोगी बुनियादी ज़रूरतों के साथ-साथ नैदानिक अनुसंधान की सुविधा प्रदान करता है। इसका गठन अगस्त 2012 में हुआ था।
- राष्ट्रीय जीनोम ग्रिड (National Genomic Grid- NGG): NGG भारत में कैंसर से प्रभावित जीनोमिक कारकों का अध्ययन करने के लिये कैंसर रोगियों के नमूने एकत्र करेगा और इन नमूनों को सत्यापित करेगा।
- ज़िला स्तर की गतिविधियों हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission- NHM) के तहत कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम व नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke- NPCDCS) को लागू किया जा रहा है।

उच्च-तुंगता पर पाए जाने वाले याक

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग ज़िले के दिरांग में स्थित याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र (National Research Centre on Yak- NRCY) ने उच्च तुंगता (High Altitude) वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले याक का बीमा करने के लिये नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) के साथ करार किया है।

- NRCY एक प्रमुख शोध संस्थान है जो विशेष रूप से भारत में याक संबंधी अनुसंधान एवं विकास कार्यों में संलग्न है। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी।

प्रमुख बिंदु:

परिचय:

- याक बोविनी (Bovini) जनजाति से संबंधित हैं, जिसमें बाइसन, भैंस और मवेशी भी शामिल हैं। यह -40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन कर सकता है।
  - इनके लंबे बाल उच्च उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में रहने हेतु इन्हें अनूकूल बनाते है, जो पर्दे की तरह अपने पक्षों से लटके रहते हैं। इनके बाल इतने लंबे होते हैं कि वे कभी-कभी ज़मीन को छूते हैं।
- हिमालयी लोगों द्वारा याक को बहुत अधिक महत्त्व दिया जाता है। तिब्बती किंवदंती के अनुसार, तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक गुरु रिनपोछे ने सबसे पहले याक को पालतू बनाया था।
  - भारतीय हिमालयी क्षेत्र के उच्च तुंगता वाले स्थानों पर उन्हें खानाबदोशों की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है।

आवास:

- ये तिब्बती पठार और उससे सटे उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों के लिये स्थानिक हैं।
  - 14,000 फीट से अधिक ऊँचाई पर याक सबसे अधिक आरामदायक स्थिति में रहते हैं। भोजन की खोज में ये 20,000 फीट की ऊँचाई तक चले जाते हैं और प्राय: 12,000 फीट से नीचे नहीं उतरते हैं।
- याक पालन करने वाले भारतीय राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर शामिल हैं।
  - याक की देशव्यापी जनसंख्या प्रवृत्ति दर्शाती है कि इनकी आबादी बहुत तेज़ी से घट रही है। भारत में याक की कुल आबादी लगभग 58,000 है।

खतरा:

- जलवायु परिवर्तन:
  - वर्ष के गर्म महीनों के दौरान उच्च ऊँचाई पर पर्यावरणीय तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप याक में उष्मागत तनाव (Heat Stress) बढ़ जाता है जो इसकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं की गति को प्रभावित कर रहा है।
- आंतरिक प्रजनन (Inbreeding):
  - चूँकि युद्धों और संघर्षों के कारण सीमाएँ बंद हैं इसलिये मूल याक क्षेत्र से नए याक जर्मप्लाज्म (Germplasm) की उपलब्धता की कमी के कारण सीमाओं के बाहर पाए जाने वाले याक आंतरिक प्रजनन (Inbreeding) से पीड़ित हैं।

जंगली याक (Bos mutus) की संरक्षण स्थिति:

- IUCN रेड लिस्ट: सुभेद्य Vulnerable
  - IUCN द्वारा याक की जंगली प्रजातियों को Bos mutus जबकि घरेलू प्रजातियों को Bos Grunniens के तहत वर्गीकृत करता है।
- CITES: परिशिष्ट-I
- भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972: अनुसूची- I

कोविड-19 वैक्सीन बूस्टर शॉट्स

हाल ही में फाइज़र (Pfizer) और बायोएनटेक (BioNTech) ने यह घोषणा की कि वे अपनी कोविड- 19 वैक्सीन (BNT162b2) की तीसरी बूस्टर खुराक के लिये नियामक अनुमति की मांग करेंगे।

- कोविड- 19 के अत्यधिक संक्रामक वेरिएंट 'डेल्टा' के वैश्विक प्रसार के बीच यह घोषणा सामने आई है।

प्रमुख बिंदु

बूस्टर शॉट्स:

- 'बूस्टर' किसी विशेष रोगजनक के विरुद्ध एक व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत करने का साधन है।
- यह ठीक वही मूल टीका भी हो सकता है, जिसका का लक्ष्य अधिक एंटीबॉडी का उत्पादन करके सुरक्षा के परिमाण में वृद्धि करना है।
- यदि वैज्ञानिक लोगों को एक नए वेरिएंट (वायरस का एक ऐसा वेरिएंट जो मूल वायरस का उत्परिवर्तित रूप हो तथा जिसके खिलाफ लोगों को टीका लगाया गया था) से बचाने का लक्ष्य रखते हैं, तो वे बूस्टर में प्रयोग किये जाने वाले घटकों में परिवर्तन कर सकते हैं।
- ये शॉट्स केवल उन्हीं लोगों के लिये उपलब्ध होते हैं जिनका पहले से पूर्ण टीकाकरण हो चुका हो।

आवश्यकता:

- ये बूस्टर विशेष रूप से ऐसे बुज़ुर्गों और प्रतिरक्षाविहीन लोगों के लिये मददगार होंगे जिनका शरीर वैक्सीन की पहली दो शॉट्स के बाद वायरस के खिलाफ एक मज़बूत प्रतिरक्षा स्थापित करने में असमर्थ था।
- दूसरा यदि अध्ययनों से ऐसा ज्ञात होता है कि नए संस्करण पर एक विशिष्ट टीके द्वारा निर्मित एंटीबॉडी का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है तब एक संशोधित बूस्टर शॉट की आवश्यकता होती है।

चिंताएँ:

- बूस्टर शॉट्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से अनुमति मिलना बाकी है।
- वास्तव में WHO ने तीसरी खुराक को प्रोत्साहित करने में चिंता व्यक्त की है।
- बूस्टर शॉट्स पर आँकड़ों की कमी और इस तथ्य को देखते हुए कि विश्व के अधिकांश हिस्सों में उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को अभी भी पूरी तरह से टीका नहीं लगाया गया है, तो इस तरह की सिफारिश अनावश्यक और समय से पहले है।

इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक

GIS-आधारित पोर्टल इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (India Industrial Land Bank- IILB) ने अप्रैल 2021 से अपने पृष्ठ को देखे जाने (पेज व्यू) के मामले में 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

प्रमुख बिंदु

इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (IILB):

- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) ने संसाधनों के अनुकूलन, औद्योगिक उन्नयन तथा स्थिरता के प्रति प्रतिबद्ध दृष्टिकोण अपनाने के लिये देश भर के औद्योगिक क्षेत्रों/समूहों का एक GIS-सक्षम डेटाबेस IILB पोर्टल विकसित किया है।
- यह पोर्टल औद्योगिक बुनियादी ढाँचे से संबंधित सूचनाओं जैसे- संपर्क (कनेक्टिविटी), आधारभूत संरचनाओं (इंफ्रा), प्राकृतिक संसाधन एवं क्षेत्र, खाली भूखंडों पर प्लॉट-स्तरीय जानकारी, कार्य प्रणाली तथा संपर्क विवरण तक निशुल्क एवं आसान पहुँच प्राप्त करने हेतु वन स्टॉप सोल्यूशन के रूप में कार्य करता है।
- इसका उद्देश्य देश में इकाइयाँ स्थापित करने के इच्छुक संभावित निवेशकों को उपलब्ध भूमि के संदर्भ में जानकारी प्रदान करना है।
- यह राज्य भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) पोर्टल्स और राज्य भूमि बैंकों के लिंक भी प्रदान करता है।

भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS):

- वेब आधारित भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS) में वेब तथा अन्य परिसंचालनों का उपयोग कर स्थानिक जानकारी का अनुप्रयोग, सूचनाओं को संसाधित एवं प्रसारित किया जाता है।
- यह उपयोगकर्त्ताओं के आँकड़ों के एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं परिणामों को अधिक-से- अधिक व्यक्तियों तक प्रसारित करने में मदद करता है तथा नीति निर्माताओं के लिये उपयुक्त आँकड़ों को उपलब्ध कराने में मदद करता है।
- GIS ऐसी किसी भी जानकारी का उपयोग कर सकता है जिसमें स्थान शामिल है। स्थान को कई अलग-अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे- अक्षांश और देशांतर, पता या ज़िप कोड।
- GIS में लोगों से संबंधित आँकड़े जैसे- जनसंख्या, आय या शिक्षा का स्तर आदि डेटा शामिल हो सकता है।
  - इसमें कारखानों, खेतों, स्कूलों, तूफानों, सड़कों और विद्युत लाइनों आदि के संबंध में जानकारी भी शामिल हो सकती है।

आयुष सेक्टर से संबंधित नए पोर्टल

हाल ही में भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति के तहत शोध, चिकित्सा शिक्षा से संबंधित पाँच पोर्टल्स का लोकार्पण किया गया। ये पाँच पोर्टल हैं- CTRI (क्लीनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया), RMIS (रिसर्च मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम), SAHI/साही (शोकेस ऑफ आयुर्वेद हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स), AMAR (आयुष मैन्यूस्क्रिप्ट्स एडवांस्ड रिपॉज़िटरी) तथा e-Medha/ई-मेधा (इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज एक्सेसन)।

- 'आयुष' (AYUSH) का अर्थ: स्वास्थ्य देखभाल और उपचार की पारंपरिक एवं गैर-पारंपरिक प्रणालियाँ जिनमें आयुर्वेद (Ayurveda), योग (Yoga), प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी (Unani), सिद्ध (Siddha), सोवा-रिग्पा (Sowa-Rigpa) तथा होम्योपैथी (Homoeopathy) आदि शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु:

नए पोर्टल:

- क्लीनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया (CTRI): विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) के इंटरनेशनल क्लीनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म के तहत तैयार किया गया क्लीनिकल ट्रायल्स का प्राथमिक रजिस्टर है।
  - CTRI में शामिल इस आयुर्वेदिक डेटासेट से आयुर्वेद के क्षेत्र में होने वाले क्लीनिकल ट्रायल्स के लिये आयुर्वेदिक चिकित्सीय शब्दावली का प्रयोग वैश्विक स्तर पर मान्य होगा।
  - क्लीनिकल स्टडी अर्थात् नैदानिक अध्ययन वह शोध है जो नए परीक्षणों तथा उपचारों का अध्ययन करता है और मानव स्वास्थ्य परिणामों पर उनके प्रभावों का मूल्यांकन करता है।
- रिसर्च मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम (RMIS): यह आयुर्वेद आधारित अध्ययनों में अनुसंधान एवं विकास के लिये वन स्टॉप सोल्यूशन के रूप में कार्य करेगा।
- शोकेस ऑफ आयुर्वेद हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स पोर्टल (SAHI): यह पुरा-वानस्पतिक (Archeo-Botanical) जानकारियों, शिलालेखों पर मौजूद उत्कीर्णो और उच्च स्तरीय पुरातात्त्विक अध्ययनों को प्रदर्शित करेगा।
  - यह स्वदेशी स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ भारतीय ज्ञान प्रणाली को समझने में बहुत उपयोगी होगा।
- आयुष मैन्यूस्क्रिप्ट्स एडवांस्ड रिपॉज़िटरी (AMAR): यह एक डिजिटल डैशबोर्ड है जिसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा से जुड़ी पाण्डुलिपियों के देश-दुनिया में मौजूद खजाने के बारे में जानकारी मौजूद रहेगी।
- इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज एक्सेसन (e-Medha): इसमें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre-NIC) की मदद से ई-ग्रंथालय प्लेटफॉर्म में संग्रहीत 12000 से भी अधिक भारतीय चिकित्सीय विरासत संबंधी पांडुलिपियों और पुस्तकों का कैटलॉग ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगा।
  - ई-ग्रंथालय (e-Granthalaya): यह NIC द्वारा सरकारी पुस्तकालयों के लिये इन-हाउस गतिविधियों के स्वचालन के साथ-साथ सदस्य सेवाओं और संसाधन साझाकरण की नेटवर्किंग हेतु विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।

संबंधित पहल:

- आयुष क्लीनिकल केस रिपोज़िटरी (ACCR) पोर्टल और आयुष संजीविनी एप:
  - ACCR पोर्टल: इसका उद्देश्य विभिन्न रोग स्थितियों के उपचार के लिये आयुष प्रणालियों की शक्तियों को चित्रित करना है।
  - आयुष संजीवनी एप तीसरा संस्करण: यह आयुष विज्ञान के तरीकों एवं उनकी प्रभावकारिता के बारे में महत्त्वपूर्ण अध्ययन और प्रलेखन की सुविधा प्रदान करेगा, जिसमें आयुष-64 तथा 'कबसुरा कुदिनीर दवाएँ' शामिल हैं जो स्पर्शोन्मुख और हल्के से मध्यम लक्षणों वाले कोविड-19 रोगियों के प्रबंधन में शामिल हैं।
- राष्ट्रीय आयुष मिशन (National Ayush Mission): भारत सरकार आयुष चिकित्सा प्रणाली के विकास और संवर्द्धन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM) नामक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रही है।
- आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र।
- हाल ही में एक सरकारी अधिसूचना के माध्यम से विशिष्ट सर्जिकल प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध किया गया है तथा कहा गया है कि आयुर्वेद के स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रों को इस प्रणाली से परिचित होने के साथ-साथ स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करने हेतु व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित होना चाहिये।

जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा

ओडिशा में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा 12 जुलाई, 2021 से 20 जुलाई, 2021 तक चलेगी।

प्रमुख बिंदु

जगन्नाथ रथ यात्रा:

- रथ यात्रा एक हिंदू त्योहार है जिसका संबंध भगवान जगन्नाथ से है तथा इसका आयोजन पुरी, ओडिशा में किया जाता है।
- इस रथ यात्रा की शुरुआत आषाढ़ मास (पारंपरिक उड़िया कैलेंडर के अनुसार तीसरा महीना) के शुक्ल पक्ष की द्वितिया तिथि को होती है।
- यह 9 दिन तक चलने वाला कार्यक्रम है तथा भगवान कृष्ण की अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पुरी के सारदा बाली के निकट मौसी माँ मंदिर से होते हुए गुंडिचा मंदिर में वापसी का प्रतीक है।
- उत्सव के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम (बलभद्र) और बहन सुभद्रा की मूर्तियों को ले जाने वाले तीन पवित्र रथों को भारत के साथ-साथ विदेशों से आने हज़ारों भक्तों द्वारा खींचा जाता है।

जगन्नाथ मंदिर:

- ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश (Eastern Ganga Dynasty) के राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव द्वारा किया गया था।
- जगन्नाथ पुरी मंदिर को 'यमनिका तीर्थ' भी कहा जाता है, जहाँ हिंदू मान्यताओं के अनुसार, पुरी में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देवता 'यम' की शक्ति समाप्त हो गई है।
- इस मंदिर को "श्वेत पैगोडा" कहा जाता था और यह चारधाम तीर्थयात्रा (बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम) का एक हिस्सा है।
- मंदिर के चार (पूर्व में 'सिंह द्वार', दक्षिण में 'अश्व द्वार', पश्चिम में 'व्याघरा द्वार' और उत्तर में 'हस्ति द्वार') मुख्य द्वार हैं। प्रत्येक द्वार पर नक्काशी की गई है।
  - प्रत्येक द्वार पर विभिन्न प्रकार की नक्काशी है।
- इसके प्रवेश द्वार के सामने अरुण स्तंभ या सूर्य स्तंभ स्थित है, जो मूल रूप से कोणार्क के सूर्य मंदिर में स्थापित था।

ओडिशा के अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारक:

- कोणार्क सूर्य मंदिर (यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल)
- लिंगराज मंदिर

- तारा तारिणी मंदिर
- उदयगिरि और खंडगिरि गुफाएँ

केसरिया बौद्ध स्तूप : बिहार

बिहार के पूर्वी चंपारण में विश्व प्रसिद्ध केसरिया बुद्ध स्तूप, ज़िले के कुछ हिस्सों में बाढ़ के बाद जलमग्न हो गया है।

- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India- ASI) ने इसे राष्ट्रीय महत्त्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया है।

प्रमुख बिंदु:

संदर्भ:

- स्तूप को विश्व का सबसे ऊँचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना जाता है।
- यह बिहार के पूर्वी चंपारण ज़िले में पटना से 110 किलोमीटर की दूरी पर केसरिया में स्थित है।
- इसकी परिधि लगभग 400 फीट है और यह लगभग 104 फीट की ऊँचाई पर स्थित है।

इतिहास:

- स्तूप का प्रथम निर्माण तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। मूल केसरिया स्तूप संभवत: अशोक (लगभग 250 ईसा पूर्व) के समय का है, क्योंकि यहाँ अशोक के एक स्तंभ के शीर्ष के अवशेष पाए गए थे।
- वर्तमान स्तूप 200 ईस्वी और 750 ईस्वी के बीच गुप्त राजवंश के समय का है और यह चौथी शताब्दी के शासक राजा चक्रवर्ती से संबंधित हो सकता है।
- स्तूप के टीले के उद्भव संभवत: बुद्ध के समय में हुआ होगा, क्योंकि यह कई मायनों में वैशाली के लिच्छवियों द्वारा भिक्षा कटोरे (बुद्ध द्वारा दिये गए) को रखने के लिये बनाए गए स्तूप के वर्णन से संबंधित है।
  - प्राचीन काल में केसरिया, मौर्यों और लिच्छवियों के शासनाधीन था।
- दो महान विदेशी यात्रियों, फैक्सियन (फाह्यान) और जुआन जांग (हुआन त्सांग/ह्वेनसांग) ने प्राचीन काल में इस स्थान का दौरा किया था तथा अपनी यात्रा के दिलचस्प तथा सूचनात्मक विवरण प्रस्तुत किये हैं।
- कुषाण वंश के प्रसिद्ध सम्राट कनिष्क (30 ई. से 375 ई.) की मुहर वाले सोने के सिक्कों की खोज केसरिया की प्राचीन विरासत को और अधिक समृद्ध बनाती है।

खोज/अन्वेषण:

- वर्ष 1814 में कर्नल मैकेंज़ी के नेतृत्व में खोज के बाद इसके अन्वेषण का कार्य शुरू शुरू हुआ।
- इसके उपरांत वर्ष 1861-62 में जनरल कनिंघम द्वारा इसकी खुदाई की गई और वर्ष 1998 में पुरातत्वविद् के.के. मुहम्मद द्वारा इस स्थल का विस्तृत अन्वेषण किया गया।

बिहार के अन्य प्रसिद्ध बौद्ध स्थल

- महाबोधि मंदिर
- नालंदा महाविहार
  - उपरोक्त दोनों स्थल यूनेस्को विश्वधरोहर स्थल हैं।
- रोहतासगढ़ का किला

राजस्थान में टाइगर कॉरिडोर

राजस्थान सरकार नव प्रस्तावित 'रामगढ़ टाइगर रिज़र्व', रणथंभौर टाइगर रिज़र्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर का विकास करेगी।

- सरिस्का टाइगर रिज़र्व राजस्थान का एक और अन्य टाइगर रिज़र्व है।

प्रमुख बिंदु:

वन्यजीव गलियारे के संदर्भ में:

- वन्यजीव या पशु गलियारे दो अलग-अलग आवासों के बीच जानवरों के लिये सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने हेतु स्थापित किए जाते हैं।
- वन्यजीवों संबंधी गलियारे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं: कार्यात्मक और संरचनात्मक।
  - कार्यात्मक गलियारों को वन्यजीवों के दृष्टिकोण से कार्यक्षमता के संदर्भ में परिभाषित किया गया है (मूल रूप से ऐसे क्षेत्र जहाँ वन्यजीवों की आवाजाही दर्ज की गई है)।
  - संरचनात्मक गलियारे वनाच्छादित क्षेत्रों के निकटवर्ती पट्टियाँ हैं और संरचनात्मक रूप से परिदृश्य के खंडित ब्लॉकों को जोड़ते हैं।
- जब संरचनात्मक गलियारे मानव या मानवजनित गतिविधियों से प्रभावित होते हैं, तो वन्यजीवों के उपयोग के कारण कार्यात्मक गलियारे अपने आप चौड़े हो जाते हैं।
- वर्ष 2019 में भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने एक दस्तावेज़ प्रकाशित किया, जिसमें देश भर में 32 प्रमुख गलियारों का मानचित्रण किया गया, जिसका प्रबंधन एक बाघ संरक्षण योजना के माध्यम से संचालित है।
  - राज्यों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के तहत बाघ संरक्षण योजना प्रस्तुत करना आवश्यक है।

राजस्थान में अन्य संरक्षित क्षेत्र:

- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर
- सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर
- राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिकोणीय जंक्शन पर)।

बाघ/टाइगर की संरक्षण स्थिति

- भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-I
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड लिस्ट: संकटग्रस्त (Endangered)
- वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट-I

प्रोजेक्ट टाइगर

- प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 1973 में भारत में नामित बाघ अभयारण्यों में बाघ संरक्षण हेतु राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिये शुरू किया गया था।
- यह परियोजना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा प्रशासित है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA):

- यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है।
- इसकी स्थापना वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई थी।
- इसे सौंपी गई शक्तियों और कार्यों के अनुसार, बाघ संरक्षण को मज़बूती प्रदान करने के लिये वर्ष 2006 में संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत इसका गठन किया गया था।

विविध

राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस

प्रतिवर्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) द्वारा 01 जुलाई को 'राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस' के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. बिधान चंद्र रॉय की जयंती एवं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिवस उन सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को समर्पित है, जो कोविड-19 महामारी जैसे इस चुनौतीपूर्ण समय में भी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी ने एक बार पुन: दुनिया भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा किये गए योगदान और बलिदान को याद करने का अवसर प्रदान किया है। यह दिवस पहली बार 1991 में मानवता की सेवा में बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. बी.सी. रॉय के योगदान को मान्यता देने के लिये मनाया गया था। डॉ. रॉय एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जिन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जन्म 1 जुलाई, 1882 को हुआ था और इसी तारीख को वर्ष 1962 में उनकी मृत्यु हुई। उन्हें 4 फरवरी, 1961 को भारत रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने जादवपुर टीबी अस्पताल, कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, विक्टोरिया इंस्टीट्यूशन (कॉलेज), चित्तरंजन कैंसर अस्पताल और महिलाओं व बच्चों के लिये चित्तरंजन सेवा सदन जैसे चिकित्सा संस्थानों की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जो बाद में पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री बने।

अभिमन्यु मिश्रा

भारतीय मूल के 12 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रा हाल ही में शतरंज में सबसे कम उम्र के ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। अमेरिका के 'न्यू जर्सी' के अभिमन्यु मिश्रा ने वर्ष 2002 में ग्रैंडमास्टर सर्गेई कारजाकिन द्वारा बनाए गए 12 वर्ष, 7 महीने के रिकॉर्ड को तोड़ा दिया है। अभिमन्यु मिश्रा ने यह रिकॉर्ड 12 वर्ष, 4 माह की आयु में स्थापित किया है। इससे पूर्व 12 अगस्त, 2002 को सर्गेई कारजाकिन ने 12 वर्ष और 7 महीने की आयु में ग्रैंडमास्टर का खिताब हासिल किया था। 5 फरवरी, 2009 को जन्मे अभिमन्यु मिश्रा ने 15 वर्षीय भारतीय ग्रैंडमास्टर लियोन ल्यूक मेंडोंका को हराकर शतरंज में यह सर्वोच्च खिताब हासिल किया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व अभिमन्यु मिश्रा ने भारत के आर प्रज्ञानानंद के सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बनने का रिकॉर्ड तोड़ा था। अभिमन्यु मिश्रा ने वर्ष 2019 में यह खिताब तब जीता था जब उनकी आयु 10 वर्ष, 9 महीने और 20 दिन थी। इसके अलावा अभिमन्यु मिश्रा मात्र नौ वर्ष की आयु में अमेरिका में सबसे कम उम्र के नेशनल मास्टर भी बने थे।

ग्लेशियल लेक एटलस

हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने गंगा नदी घाटी के लिये एक 'ग्लेशियल लेक एटलस' का विमोचन किया है। यह 'ग्लेशियल लेक एटलस' गंगा नदी घाटी में मौजूद हिमनद झीलों पर आधारित है जो इसके उद्गम स्थल से लेकर हिमालय की तलहटी तक 2,47,109 वर्ग किलोमीटर के जलग्रहण क्षेत्र को कवर करती हैं। गंगा नदी बेसिन के अध्ययन में भारतीय हिस्से के साथ-साथ सीमा पार क्षेत्र भी शामिल हैं। यह एटलस 0.25 हेक्टेयर से अधिक जल प्रसार क्षेत्र वाले गंगा नदी बेसिन के लिये एक व्यापक एवं व्यवस्थित हिमनद झील डेटाबेस प्रदान करता है। जलवायु परिवर्तन प्रभाव विश्लेषण के संदर्भ में परिवर्तन विश्लेषण के लिये भी एटलस को संदर्भ डेटा के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा यह इतिहास और भविष्य की किसी समय अवधि की तुलना के लिये भी उपयोगी होगा। यह एटलस क्षेत्रीय सीमा (विस्तार/संकुचन) में नियमित या आवधिक निगरानी परिवर्तनों और नई झीलों के निर्माण के लिये प्रामाणिक डेटाबेस भी प्रदान करता है। एटलस का उपयोग ग्लेशियर पर जलवायु प्रभाव अध्ययन के लिये भी किया जा सकता है। 'ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड' (GLOF) के संभावित जोखिम का पता लगाने के लिये भी यह एटलस काफी महत्त्वपूर्ण साबित होगा। केंद्र और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा न्यूनीकरण योजना और संबंधित कार्यक्रम के लिये एटलस का उपयोग कर सकते हैं।

अमिताभ कांत

केंद्रीय थिंक टैंक 'नीति आयोग' के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में वरिष्ठ नौकरशाह अमिताभ कांत के कार्यकाल को एक वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया है। केरल कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी अमिताभ कांत ने सरकार की कई नीतिगत पहलों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें 'मेक इन इंडिया,' 'स्टार्ट-अप इंडिया' और 'अतुल्य भारत' आदि शामिल हैं तथा हाल ही में नीति आयोग

की 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' पहल का नेतृत्त्व कर रहे हैं। अमिताभ कांत कोविड प्रबंधन के लिये गठित एक टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में व्यापक पैमाने पर नागरिक समाज संगठनों के साथ भी जुड़े रहे। इससे पूर्व अमिताभ कांत को जून 2019 में इसी पद पर दो वर्ष का कार्यकाल विस्तार दिया गया था। भारत सरकार द्वारा एक 'नीतिगत थिंक टैंक' के रूप में 'नीति आयोग' की स्थापना 1 जनवरी, 2015 को की गई थी। नीति आयोग बैंकों के विनिवेश और निजीकरण समेत सरकार की विभिन्न पहलों के लिये प्रारंभिक ढाँचा तैयार कर नीति निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

नेशनल चार्टर्ड एकाउंटेंट्स दिवस

भारत में प्रतिवर्ष 01 जुलाई को 'नेशनल चार्टर्ड एकाउंटेंट्स दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य एक पारदर्शी अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (CA) की भूमिका को रेखांकित करना है। इस दिवस का आयोजन 'इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया' (ICAI) की स्थापना के उपलक्ष्य में किया जाता है। ICAI भारत का राष्ट्रीय पेशेवर लेखा निकाय है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लेखा संगठन है। वर्तमान में ICAI के लगभग 2.5 लाख सदस्य और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स हैं, जिन्हें सम्मानित करने के लिये इस दिवस का आयोजन किया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की स्थापना 01 जुलाई, 1949 को संसद में पारित एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी। ध्यातव्य है कि ICAI भारत में वित्तीय ऑडिट और लेखा पेशे के लिये एकमात्र लाइसेंसिंग और नियामक निकाय है। एक पेशे के रूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (CA) के इतिहास को ब्रिटिश काल से खोजा जा सकता है। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम वर्ष 1913 में कंपनी अधिनियम पारित किया था, इसमें उन पुस्तकों की एक निर्धारित सूची थी, जिन्हें अधिनियम के तहत पंजीकृत प्रत्येक कंपनी को बनाए रखना अनिवार्य था। इसके अलावा अधिनियम में एक ऑडिटर की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया था, जिसके पास सभी पुस्तकों के निरीक्षण की शक्तियाँ थीं।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

देश के सबसे पुराने वाणिज्यिक बैंक 'स्टेट बैंक ऑफ इंडिया' (SBI) ने 01 जुलाई, 2021 को अपनी 66वीं वर्षगाँठ मनाई। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) वर्तमान में भारत के सबसे बड़े बैंकों में से एक है। भारतीय स्टेट बैंक बहुराष्ट्रीय, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने वाला सांविधिक निकाय है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय स्टेट बैंक का इतिहास 18वीं शताब्दी के पहले दशक से शुरू होता है, जब बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसे बाद में बैंक ऑफ बंगाल का नाम दिया गया, को 2 जून, 1806 को स्थापित किया गया था। बैंक ऑफ बंगाल तीन प्रेसीडेंसी बैंकों में से एक था, अन्य दो थे- बैंक ऑफ बॉम्बे (15 अप्रैल, 1840 को स्थापित) और बैंक ऑफ मद्रास (1 जुलाई, 1843 को स्थापित)। तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों को शाही चार्टर के माध्यम से संयुक्त स्टॉक कंपनियों के रूप में निगमित किया गया था। इन तीनों बैंकों को कागज़ी मुद्रा जारी करने का विशेष अधिकार भी प्राप्त था, हालाँकि वर्ष 1861 में कागज़ी मुद्रा अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार द्वारा यह अधिकार ले लिया गया। 27 जनवरी, 1921 को प्रेसीडेंसी बैंकों का विलय कर दिया गया और पुनर्गठित बैंकिंग इकाई को 'इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया' के नाम से जाना गया। 'इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया' एक संयुक्त स्टॉक कंपनी बना रहा, लेकिन इसमें सरकार की भागीदारी नहीं थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, ने 'इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया' का नियंत्रण हासिल कर लिया। 1 जुलाई, 1955 को 'इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया' का नाम बदलकर 'भारतीय स्टेट बैंक' कर दिया गया।

वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने छठी कक्षा के छात्रों के लिये वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु सहयोग किया है। वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम को नए वैकल्पिक 'वित्तीय साक्षरता' विषय के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है जो छात्रों को उनकी शिक्षा के प्रारंभिक चरण में बुनियादी वित्तीय अवधारणाओं की समझ रखने में सक्षम बनाएगा। इस पाठ्यक्रम में मुद्रा, बैंकिंग, बचत और निवेश जैसी बुनियादी अवधारणाओं से लेकर IMPS, UPI, USSD, NACH, पॉइंट ऑफ सेल, mPoS, क्यूआर कोड और ATM जैसी उन्नत अवधारणाओं तक को शामिल किया गया है। इसमें बैंकिंग की उत्पत्ति, सिक्कों से कागज़ी मुद्रा में परिवर्तन, बैंकों के प्रकार और बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख संचालन सेवाओं को भी शामिल किया हैं। यह पाठ्यक्रम डिजिटल भुगतान को गति प्रदान करने में भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्पष्ट करता है। इस पाठ्यक्रम को 'केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड' की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। यह सहयोग सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई नई शिक्षा नीति के अनुरूप है, जिसमें देश भर के छात्रों के बीच डिजिटल मानसिकता को पोषित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है।

कार्मिक प्रशासन और शासन सुधार संबंधी समझौता

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा गाम्बिया गणराज्य के लोक सेवा आयोग के बीच कार्मिक प्रशासन एवं शासन में सुधारों के नवीनीकरण को लेकर समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने को मंज़ूरी दे दी है। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों को एक-दूसरे के कार्मिक प्रशासन को समझने में मदद करेगा और कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं तथा प्रक्रियाओं को अपनाने, अनुकूल बनाने और नवाचार के माध्यम से शासन प्रणाली में सुधार करने में सक्षम बनाएगा। इस समझौता ज्ञापन के तहत मुख्य तौर पर सरकार में प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली में सुधार, अंशदायी पेंशन योजना के कार्यान्वयन तथा सरकारी भर्ती हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया (ई-भर्ती) आदि क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा, हालाँकि यह सहयोग केवल इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा। समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य कार्मिक प्रशासन एवं शासन सुधार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मज़बूत करना और बढ़ावा देना है। यह सहयोग एक कानूनी ढाँचा प्रदान करेगा, ताकि कार्मिक प्रशासन तथा शासन सुधार के क्षेत्र में प्रशासनिक अनुभवों को सीखने, साझा करने एवं आदान-प्रदान कर शासन की मौजूदा प्रणाली में सुधार किया जा सके और जवाबदेही व पारदर्शिता की भावना को भी मज़बूत किया जा सके।

सर लुडविग गुट्टमन

हाल ही में गूगल ने एक एनिमेटेड डूडल के माध्यम से जर्मन डॉक्टर और पैरालंपिक खेल के जनक माने जाने वाले 'सर लुडविग गुट्टमन' को उनके 122वें जन्मदिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सर लुडविग गुट्टमन का जन्म 3 जुलाई, 1899 को तत्कालीन जर्मनी के 'टोस्ट' (वर्तमान में पोलैंड के 'टोस्ज़ेक') नामक स्थान पर हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद सर गुट्टमन को वर्ष 1924 में एम.डी. की डिग्री प्राप्त हुई। उन्होंने एक सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में काफी ख्याति प्राप्त की और रीढ़ की हड्डी की चोटों और न्यूरोसर्जिकल कार्य प्रक्रियाओं पर उनके द्वारा किये गए शोध कार्य ने उन्हें जर्मनी के सबसे प्रमुख न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में प्रसिद्ध किया। चूँकि वे एक यहूदी थे, अत: नाज़ीवाद के उदय के दौरान वर्ष 1933 में उन्हें देश में चिकित्सीय कार्य करने से रोक दिया गया, इसके पश्चात् वे अपनी जान बचाकर वर्ष 1939 में जर्मनी से इंग्लैंड चले गए। वहाँ उन्होंने विशेषतौर पर पैरापलेजिया नामक स्थिति के बारे में और अधिक शोध कार्य किये। वर्ष 1948 में उन्होंने पहली बार व्हीलचेयर उपयोगकर्त्ताओं के लिये एक तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसे अब 'पैरालंपिक खेलों' के रूप में जाना जाता है। उस समय इसे 'स्टोक मैंडविल गेम्स' के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम उस अस्पताल के नाम पर रखा गया था, जहाँ सर गुट्टमन काम कर रहे थे। इस तरह रीढ़ की हड्डी की चोटों और न्यूरोलॉजी के अन्य पहलुओं में उनके शोध को दुनिया भर के चिकित्सकों द्वारा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, वहीं उन्हें दिव्यांग समुदाय को एक मंच प्रदान करने की दिशा में उनके बहुमूल्य योगदान के लिये भी याद किया जाता है।

आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021

हाल ही में केंद्र सरकार ने आवश्यक रक्षा सेवाओं में संलग्न व्यक्ति द्वारा किसी भी आंदोलन और हड़ताल किये जाने पर पूर्णत: रोक लगाने के लिये एक अध्यादेश जारी किया है। 'आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021' पर गजट अधिसूचना के मुताबिक, 'कोई भी व्यक्ति, जो अध्यादेश के तहत अवैध हड़ताल का आयोजन करता है अथवा इसमें हिस्सा लेता है, उसे एक वर्ष तक की अवधि के लिये कारावास या 10,000 रुपए तक जुर्माने अथवा दोनों सज़ा से दंडित किया जा सकता है। अधिनियम में कहा गया है कि रक्षा उपकरणों के उत्पादन, सेवाओं और सेना से जुड़े किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान के संचालन या रखरखाव के साथ-साथ रक्षा उत्पादों की मरम्मत और रखरखाव में कार्यरत कर्मचारी अध्यादेश के दायरे में आएंगे। ज्ञात हो कि यह अध्यादेश ऐसे समय में आया है जब आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) के प्रमुख महासंघों द्वारा OFB को निगमित करने के सरकार के फैसले के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की गई है। अध्यादेश के तहत दूसरे लोगों को आंदोलन या हड़ताल में हिस्सा लेने के लिये प्रेरित करना भी एक दंडनीय अपराध होगा। विदित हो कि बीते दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 200 वर्ष पुराने आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) के निगमीकरण की योजना को मंज़ूरी दी थी।

दिल्ली में क्लाउड-आधारित स्वास्थ्य सेवा परियोजना

हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने महत्त्वाकांक्षी क्लाउड-आधारित स्वास्थ्य देखभाल सूचना प्रबंधन प्रणाली (HIMS) की प्रगति की समीक्षा करते हुए वर्ष 2022 तक इस परियोजना के शुरू होने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार की इस महत्त्वाकांक्षी स्वास्थ्य परियोजना के तहत दिल्ली के सभी निवासियों के नाम पर स्वास्थ्य कार्ड जारी किये जाएंगे, जिसके लिये सरकार द्वारा विशेष सर्वेक्षण किया जाएगा। यह दिल्ली के प्रत्येक निवासी के लिये सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लाभों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। इसके पश्चात् इस कार्ड को क्लाउड-आधारित 'स्वास्थ्य देखभाल सूचना प्रबंधन प्रणाली' के साथ एकीकृत किया जाएगा। इस प्रणाली का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रक्रिया को लक्षित करना है। दिल्ली में सभी रोगी देखभाल सेवाओं, अस्पताल प्रशासन, बजट एवं नियोजन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और बैकएंड सेवाओं तथा प्रक्रियाओं को इस प्रणाली

के तहत लाया जाएगा। इस प्रणाली की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह पूर्णत: क्लाउड आधारित और डिजिटल होगी, जो कि नागरिकों को एक ही मंच पर समस्त जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा, जिससे उन्हें आपातकालीन स्थिति में मदद मिल सकेगी। इस प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिये निवासियों के पंजीकृत कार्ड नंबर का प्रयोग किया जाएगा।

प्रौद्योगिकी सहयोग हेतु AJNIFM और 'माइक्रोसॉफ्ट' के बीच समझौता

'अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट' (AJNIFM) तथा दिग्गज सॉफ्टवेर कंपनी 'माइक्रोसॉफ्ट' ने हाल ही में एक मसौदा पत्र पर हस्ताक्षकर किये हैं। इस साझेदारी के तहत AJNIFM में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और उभरती प्रौद्योगिकियों के उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इस साझेदारी का प्राथमिक लक्ष्य भारत में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन के भविष्य को बदलने तथा उसे नया रूप देने हेतु क्लाउड, AI एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाना है। इस साझेदारी के तहत माइक्रोसॉफ्ट प्रौद्योगिकी, उपकरण व संसाधन प्रदान करेगा तथा सरकारी अधिकारियों को कुशल बनाएगा और उनमें नेतृत्त्व क्षमता का विकास करेगा। 'अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट' (AJNIFM) सार्वजनिक नीति, वित्तीय प्रबंधन तथा अन्य प्रशासनिक मुद्दों के क्षेत्र में पेशेवरों के कौशल निर्माण में विशेषज्ञता का केंद्र है, जो मुख्य तौर पर पेशेवर क्षमता एवं अभ्यास के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1993 में वित्त मंत्रालय के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी।

स्वामी विवेकानंद

04 जुलाई, 2021 को विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु 'स्वामी विवेकानंद' की 119वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 12 जनवरी, 1863 को तत्कालीन 'कलकत्ता' (बंगाल प्रेसीडेंसी) में जन्मे स्वामी विवेकानंद को बचपन में नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जाना जाता था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद की मुलाकात वर्ष 1881 में ऐसे समय में हुई थी जब विवेकानंद एक आध्यात्मिक संकट के दौर से गुज़र रहे थे और भगवान या ईश्वर के अस्तित्त्व जैसे प्रश्नों पर विचार कर रहे थे। रामकृष्ण परमहंस के शुद्ध और निस्वार्थ भाव ने स्वामी विवेकानंद को काफी प्रभावित किया तथा दोनों के बीच एक आध्यात्मिक गुरु-शिष्य संबंध शुरू हो गया। अपने गुरु के नाम पर विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन तथा रामकृष्ण मठ की भी स्थापना की। विश्व में भारतीय दर्शन विशेषकर वेदांत और योग को प्रसारित करने में विवेकानंद की महत्त्वपूर्ण भूमिका है, साथ ही ब्रिटिश भारत के दौरान राष्ट्रवाद को अध्यात्म से जोड़ने में इनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। उन्होंने सितंबर 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वैश्विक ख्याति अर्जित की तथा इसके माध्यम से ही भारतीय अध्यात्म का वैश्विक स्तर पर प्रचार-प्रसार हुआ। जनवरी 1897 में वे भारत वापस लौट आए, वापस लौटने के बाद 01 मई, 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। जून 1899 में वह एक बार फिर पश्चिम की यात्रा पर गए, जहाँ उन्होंने अपना अधिकांश समय अमेरिका के पश्चिमी तट पर बिताया। वर्ष 1902 के शुरुआती महीनों में उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा और 4 जुलाई, 1902 को उनके जीवन का अंत हो गया।

अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस

04 जुलाई, 2021 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (USA) का 245वाँ स्वतंत्रता दिवस आयोजित किया गया। 04 जुलाई, 1776 को कॉन्टिनेंटल कॉन्ग्रेस द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा किये जाने के बाद से यह दिन अमेरिका में एक महत्त्वपूर्ण संघीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। यद्यपि अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध की शुरुआत अप्रैल 1775 में हुई थी, किंतु प्रारंभ में उपनिवेशों ने ब्रिटिश शासन से पूर्ण अलगाव की मांग नहीं की थी; इसके बजाय उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर अधिक स्वायत्तता की मांग की थी। हालाँकि संघर्ष के प्रारंभिक दौर में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा किये गए व्यवहार के चलते यह मांग धीरे-धीरे पूर्ण स्वतंत्रता में परिवर्तित हो गई। 2 जुलाई, 1776 को फिलाडेल्फिया के स्टेट हाउस में उत्तरी अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेशों में से 12 के प्रतिनिधियों ने स्वयं को ब्रिटिश साम्राज्य से अलग करने के पक्ष में मतदान किया। इसके पश्चात् 04 जुलाई, 1776 को कॉन्टिनेंटल कॉन्ग्रेस के सदस्यों ने 'डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस' पर हस्ताक्षर किये और संपूर्ण विश्व के समक्ष अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस दस्तावेज़ के निर्माण में उस समय के प्रसिद्ध राजनेता एवं राजनयिक 'थॉमस जैफरसन' ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि बाद मेंअमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति (1801-09) बने।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस

प्रतिवर्ष जुलाई माह के पहले शनिवार को 'अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस' का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य आम जनमानस के बीच सहकारी समितियों के विषय में जागरूकता बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र द्वारा संबोधित प्रमुख समस्याओं को हल करने में सहकारी आंदोलन के योगदान को उजागर करना है। इस दिवस का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन और सरकारों, स्थानीय, राष्ट्रीय एवं

अंतर्राष्ट्रीय समेत सभी स्तरों पर हितधारकों के बीच साझेदारी को मज़बूत तथा विस्तारित करना भी है। गौरतलब है कि 16 दिसंबर, 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने एक प्रस्ताव पारित कर जुलाई 1995 के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में घोषित किया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की स्थापना की शताब्दी को चिह्नित करता है। तभी से प्रतिवर्ष 'अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस' का आयोजन किया जा रहा है। यह दिवस इस तथ्य को सिद्ध करने का अवसर प्रदान करता है कि किस प्रकार स्वयं सहायता और एकता के सहकारी मूल्यों के साथ-साथ सामाजिक रूप से उत्तरदायी नैतिक मानकों के आधार पर एक मानव-केंद्रित व्यवसायिक मॉडल असमानता को कम करने, साझा समृद्धि एवं कोविड-19 के विरुद्ध उचित प्रतिक्रिया देने में महत्त्वपूर्ण हो सकता है।

नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड-फील्ड इन्फ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर

हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने 'नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड-फील्ड इन्फ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर' (NEOWISE) टेलिस्कोप के कार्यकाल में दो वर्ष का विस्तार किया है। इस विस्तार के पश्चात् नासा का यह 'नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट' (NEO) हंटिंग स्पेस टेलीस्कोप जून 2023 तक कार्य करेगा। दिसंबर 2009 में 'वाइड-फील्ड इन्फ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर' (WISE) मिशन के रूप में लॉन्च किया गया यह टेलिस्कोप मूलत: अवरक्त तरंगदैर्ध्य के माध्यम से संपूर्ण आकाश का सर्वेक्षण, क्षुद्रग्रहों, सितारों और गहरे अंतरिक्ष में दिखाई देने वाली कुछ आकाशगंगाओं का पता लगाने का कार्य कर रहा था। इसके पश्चात् दिसंबर 2013 में नासा के ग्रह विज्ञान विभाग द्वारा इसे 'नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट' (NEO) हंटिंग स्पेस टेलीस्कोप के रूप में पुनरुद्देशित किया गया, जिसका प्राथमिक कार्य सौरमंडल में पृथ्वी के करीब से गुज़रने वाले क्षुद्रग्रहों और धूमकेतुओं की पहचान करना है। अब तक इस टेलिस्कोप ने 1,850 से अधिक 'नियर-अर्थ ऑब्जेक्टस' (NEOs) की पहचान की है और उनके बारे में जानकारी प्रदान की है, जिससे हमें अपने निकटतम सौरमंडल को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली है।

निपुण भारत' पहल

केंद्रीय शिक्षामंत्री ने हाल ही में 'पठन-पाठन में दक्षता और संख्यात्मक कौशल की समझ विकसित करने हेतु राष्ट्रीय पहल'- 'निपुण भारत' का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों में पठन-पाठन,लेखन एवं संख्यात्मक कौशल की दक्षता विकसित करना है। ज्ञात हो कि यह पहल देश की नई शिक्षा नीति के अनुरूप है और प्राथमिक शिक्षा के दौरान बच्चों में सीखने एवं संख्यात्मक कौशल की समझ को विकसित करने में काफी मददगार साबित होगी। इस पहल को केंद्र प्रायोजित योजना- 'समग्र शिक्षा' के तत्त्वावधान में लॉन्च किया गया है। इस पहल के माध्यम से मुख्य तौर पर क्षमता निर्माण के मूलभूत वर्षों में बच्चों को स्कूली शिक्षा तक पहुँच प्रदान करने, उन्हें शिक्षा में संलग्न रखने, उच्च गुणवत्ता विकसित करने और प्रत्येक बच्चे की प्रगति पर नज़र रखने आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 'निपुण भारत' पहल का मूल उद्देश्य 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को पूरा करना है। इस पहल के माध्यम से शिक्षक बुनियादी भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक कौशल विकसित करने के लिये प्रत्येक बच्चे पर ध्यान केंद्रित करेंगे तथा उन्हें बेहतर पाठकों व लेखकों के रूप में विकसित करने में मदद करेंगे। इस प्रकार 'निपुण भारत' पहल के तहत आधारभूत स्तर पर सीखने के अनुभव को समग्र रूप से एकीकृत, समावेशी, आनंददायक और आकर्षक बनाने की परिकल्पना की गई है।

जीवन बीमा निगम अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु में बढ़ोतरी

हाल ही में केंद्र सरकार ने 'भारतीय जीवन बीमा निगम (स्टाफ) विनियम, 1960' में संशोधन करते हुए 'भारतीय जीवन बीमा निगम' के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है। गौरतलब है कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) सहित कुछ विशिष्ट अपवादों को छोड़कर अधिकांश सार्वजनिक उपक्रमों के शीर्ष अधिकारियों के लिये सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष ही है। बीते माह केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के अंत में जीवन बीमा निगम (LIC) के प्रस्तावित 'प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव' (IPO) के मद्देनज़र LIC के वर्तमान अध्यक्ष एम.आर. कुमार को नौ माह के कार्यकाल विस्तार की मंज़ूरी दी थी। ज्ञात हो कि इस वर्ष अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.75 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिये वित्तीय वर्ष 2021-22 में 'जीवन बीमा निगम' का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) जारी करने की घोषणा की थी। सरकार ने सार्वजनिक प्रस्ताव को सुविधाजनक बनाने के लिये पहले ही 'वित्त अधिनियम 2021' के साथ-साथ 'जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956' में संशोधन कर दिया है। संशोधन के एक हिस्से के रूप मे सरकार ने लिस्टिंग की सुविधा के लिये LIC की अधिकृत पूंजी को 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 25,000 करोड़ रुपए कर दिया है। विदित हो कि वर्तमान में LIC में सरकार की 100 फीसदी हिस्सेदारी है।

पिंगली वेंकैया

04 जुलाई, 2021 को उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार करने वाले प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और कृषि वैज्ञानिक पिंगली वेंकैया की पुण्यतिथि पर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। 2 अगस्त, 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले में जन्मे पिंगली वेंकैया ने प्रारंभिक शिक्षा भटाला पेनमरू और मछलीपट्टनम में प्राप्त की तथा 19 वर्ष की आयु में उन्होंने अफ्रीका में एंग्लो बोअर युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में सैनिक के रूप में कार्य किया। इसी युद्ध के दौरान दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए वे गांधी जी से मिले एवं उनसे काफी प्रभावित हुए। अफ्रीका से लौटने के बाद पिंगली वेंकैया ने अपना अधिकांश समय कृषि और कपास की खेती विषय पर शोध करते हुए बिताया। उन्होंने लाहौर के एंग्लो वैदिक स्कूल में संस्कृत, उर्दू और जापानी का अध्ययन भी किया। वर्ष 1918 तथा वर्ष 1921 के बीच पिंगली वेंकैया ने कॉन्ग्रेस के लगभग प्रत्येक अधिवेशन में एक ध्वज की मांग का आह्वान किया। राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए वर्ष 1921 में राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस की एक बैठक में गांधी जी ने वेंकैया से नए सिरे से डिज़ाइन तैयार करने को कहा। प्रारंभ में वेंकैया ने ध्वज में केवल लाल और हरे रंग का ही प्रयोग किया था, जो क्रमश: हिंदू तथा मुसलमान समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। किंतु बाद में इसके केंद्र में एक चरखा और तीसरे रंग (सफेद) को भी शामिल किया गया। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस द्वारा इस ध्वज को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। 4 जुलाई, 1963 को पिंगली वेंकैया की मृत्यु हो गई।

गुलजारी लाल नंदा

04 जुलाई, 2021 को देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा की 123वीं जयंती का आयोजन किया गया। 4 जुलाई, 1898 को सियालकोट (पंजाब) में जन्मे गुलजारी लाल नंदा ने लाहौर, आगरा और इलाहाबाद से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय (1920-1921) में श्रम समस्याओं पर एक शोध अध्येता के रूप में काम किया तथा वर्ष 1921 में नेशनल कॉलेज (बॉम्बे) में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। इसी वर्ष वे असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए। स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका के लिये उन्हें वर्ष 1932, वर्ष 1942 और वर्ष वर्ष 1944 में जेल भी जाना पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मार्च 1950 में वे उपाध्यक्ष के तौर पर 'योजना आयोग' (वर्तमान नीति आयोग) में शामिल हुए। सितंबर 1951 में उन्हें केंद्र सरकार में योजना मंत्री नियुक्त किया गया। वर्ष 1959 में उन्होंने जिनेवा में आयोजित 'अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन' में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ने 27 मई, 1964 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके पश्चात् 11 जनवरी, 1966 को ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद एक बार पुन: प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 15 जनवरी, 1998 में अहमदाबाद में उनकी मृत्यु हो गई।

दलाई लामा

06 जुलाई, 2021 को 14वें दलाई लामा, तेनज़िन ग्यात्सो का 86वाँ जन्मदिवस आयोजित किया गया। दलाई लामा का जन्मदिवस तिब्बती समुदाय के सबसे भव्य आयोजनों में से एक के रूप में मनाया जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में दलाई लामा को सबसे महत्त्वपूर्ण धार्मिक नेता माना जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म का मानना है कि दलाई लामा करुणा के बुद्ध की अभिव्यक्ति हैं, जिन्होंने मानवता की सेवा हेतु पुनर्जन्म का विकल्प चुना है। ध्यातव्य है कि दलाई लामा के चयन की प्रथा काफी पुरानी है और पहले दलाई लामा की पहचान 15वीं शताब्दी में की गई थी। लामा, बौद्ध धर्म का एक शीर्षक है जिसका अर्थ 'श्रेष्ठ' से है, इसे आधिकारिक तौर पर केवल कुछ चुनिंदा तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाता है, जो आध्यात्मिकता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म के 14वें दलाई लामा- तेनज़िन ग्यात्सो का जन्म 6 जुलाई, 1935 को तिब्बत में हुआ था। उनकी पहचान 13वें दलाई लामा के पुनर्जन्म के रूप में की गई थी, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे। वर्ष 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया, तो किशोर होने के बावजूद वे राजनीतिक सत्ता संभालने के लिये मज़बूर हो गए। वर्ष 1959 में भारत में शरण लेने के पश्चात् दलाई लामा तिब्बत की स्वायत्ता और स्वतंत्रता के प्रमुख वैश्विक अधिवक्ता और नैतिक नेता के रूप में उभरे। वर्ष 1989 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

'खादी प्राकृतिक पेंट'

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को 'खादी प्राकृतिक पेंट' का 'ब्रांड एंबेसेडर' घोषित किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने जयपुर स्थित खादी प्राकृतिक पेंट की नई स्वचालित निर्माण इकाई का वर्चुअल रूप से उद्घाटन भी किया। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा विकसित 'खादी प्राकृतिक पेंट' को जनवरी, 2021 में लॉन्च किया गया था। पर्यावरण के अनुकूल और गैर-विषैले रंगों से निर्मित 'खादी प्राकृतिक पेंट' में एंटी-फंगल एवं एंटी-बैक्टीरियल गुण मौजूद हैं। गाय के गोबर पर आधारित यह पेंट लागत प्रभावी और गंधहीन है तथा यह भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा भी प्रमाणित है। खादी प्राकृतिक पेंट दो रूपों में उपलब्ध है - डिस्टेंपर पेंट और प्लास्टिक इमल्शन पेंट। खादी एवं ग्रामोद्योग

आयोग (KVIC) का यह पेंट भारी धातुओं जैसे- सीसा, पारा, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम आदि से मुक्त है। 'खादी प्राकृतिक पेंट' स्थानीय स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा देगा और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से स्थायी स्थानीय रोज़गार का सृजन करेगा। एक अनुमान के अनुसार, इस नए पेंट के माध्यम से किसानों/गौशालाओं को प्रति पशु प्रतिवर्ष लगभग 30,000 रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकेगी।

दिलीप कुमार

हाल ही में बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग के रूप में प्रसिद्ध मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। दिलीप कुमार को भारतीय सिनेमा के सबसे महानतम अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 11 दिसंबर, 1922 को पेशावर के 'किस्सा खवानी बाज़ार' क्षेत्र (वर्तमान पाकिस्तान) में जन्मे दिलीप कुमार ने अपने फिल्मी कॅरियर की शुरुआत वर्ष 1944 में 'ज्वार भाटा' फिल्म के साथ की थी। भारत के सबसे महान अभिनेताओं में से एक के रूप में प्रसिद्ध दिलीप कुमार का फिल्मी कॅरियर लगभग पाँच दशकों तक विस्तृत रहा। उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में देवदास, मुग़ल-ए-आज़म, गंगा जमुना, राम और श्याम, नया दौर, मधुमती, क्रांति, विधाता, शक्ति और मशाल आदि शामिल हैं। दिलीप कुमार को भारतीय अभिनेता में सबसे अधिक पुरस्कार जीतने हेतु गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सूचीबद्ध किया गया है। उन्हें भारत के प्रथम 'मेथड एक्टर' का भी श्रेय दिया जाता है। दिलीप कुमार को वर्ष 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और वर्ष 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। दिलीप कुमार की अंतिम फिल्म वर्ष 1998 में रिलीज़ हुई थी।

प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग संबंधी प्रस्तावित नियम

ई-कॉमर्स सेगमेंट के नियंत्रण के पश्चात् सरकार ने हाल ही में प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को नियंत्रित करने के लिये नए मसौदा नियम प्रस्तावित किये हैं। ये प्रस्तावित नियम 'प्रत्यक्ष विक्रेता कंपनियों' को पिरामिड और मनी सर्कुलेशन योजनाओं में शामिल होने से प्रतिबंधित करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, ये प्रस्तावित नियम सही दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम हैं, जो उद्योग को औपचारिक बनाने और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद करेंगे। मसौदा नियमों के तहत प्रत्यक्ष बिक्री में शामिल कंपनियों के लिये एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, एक शिकायत निवारण अधिकारी और एक नोडल संपर्क अधिकारी की नियुक्ति करना अनिवार्य होगा। साथ ही इन कंपनियों को स्वयं को 'उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग' के साथ भी पंजीकृत कराना होगा, जिसके लिये कंपनी का भारत में एक कार्यालय होना अनिवार्य है। ये नियम कंपनियों के लिये दोषपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं हेतु उपभोक्ताओं को रिफंड प्रदान करने का भी निर्देश देते हैं, जिसके लिये 90 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है। विदित हो कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ, एजेंटों को तैनात करती हैं जो कंपनी से उत्पाद खरीदते हैं और फिर उन्हें प्रत्यक्ष तौर पर उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं। एक अनुमान के अनुसार, भारत में वर्तमान में प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग का बाज़ार मूल्य तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए है और इसमें पिछले पाँच वर्षों में 12-13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

पश्चिम बंगाल में विधान परिषद

हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद-169 के तहत राज्य में विधान परिषद के गठन हेतु राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है। कानून के मुताबिक, यदि पश्चिम बंगाल के इस प्रस्ताव को राज्यसभा और लोकसभा का समर्थन मिलता है तो राज्य में अधिकतम 94 सदस्यों (कुल विधानसभा सीटों का एक-तिहाई) वाली विधान परिषद का गठन किया जाएगा। वर्तमान में केवल छह राज्यों- बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में विधान परिषद मौजूद है। ज्ञात हो कि पूर्व में पश्चिम बंगाल में भी विधान परिषद थी, हालाँकि वर्ष 1969 में वाम दलों की तत्कालीन गठबंधन सरकार ने विधान परिषद को समाप्त कर दिया था। वास्तव में यह उच्च सदन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य था। गौरतलब है कि भारत में विधायिका की द्विसदनीय प्रणाली है। जिस प्रकार संसद के दो सदन होते हैं, उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी हो सकती है। अनुच्छेद 169 के तहत भारतीय संसद को विधान परिषद का गठन करने और विघटन करने का अधिकार प्राप्त है। इस संबंध में सर्वप्रथम संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा एक संकल्प पारित किया जाता है, जिसका पूर्ण बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है।

सड़कों पर रहने वाले बच्चों के लिये दिल्ली सरकार की नीति

दिल्ली सरकार ने महामारी की स्थिति के मद्देनज़र सड़कों पर रहने वाले बच्चों के कल्याण के लिये एक नीति तैयार की है। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) द्वारा तैयार की गई यह नीति हॉटस्पॉट क्षेत्रों में निवास करने वाले ऐसे बच्चों की पहचान करने और उन तक मास्क तथा अन्य उपकरण पहुँचाने में नागरिक समाज संगठनों की प्रत्यक्ष भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। यह नीति इस बात का भी सुझाव देती है कि ज़िला प्रशासन सड़कों पर निवास करने वाले बच्चों (18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर) को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवी के रूप

में प्रशिक्षण देने पर विचार कर सकता है, जिससे उन्हें सम्मानजनक रोज़गार प्राप्त करने में मदद मिलेगी और साथ ही वे समान पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की भी सहायता कर सकेंगे। इस नीति में बच्चों को बचाने और उनके संरक्षण के लिये 'ज़िला कार्य बल' (DTF) के साथ एक 'ज़िला बाल संरक्षण अभिसरण समिति' (DCPCC) के गठन का भी प्रस्ताव किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी और साथ ही इसमें प्रदेश के गैर-सरकारी संगठनों व 'दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग' के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

वीरभद्र सिंह

हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 23 जून, 1934 को हिमाचल प्रदेश के 'शिमला' में जन्मे वीरभद्र सिंह कुल छह बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। वीरभद्र सिंह ने मार्च 1998 से मार्च 2003 तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा में में विपक्ष के नेता के तौर पर भी कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार में केंद्रीय पर्यटन और नागरिक उड्डयन उप मंत्री, उद्योग राज्य मंत्री, केंद्रीय इस्पात मंत्री तथा केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री के रूप में भी काम किया था। वह दिसंबर 2017 में हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले की अर्की विधानसभा से 13वीं विधानसभा के लिये भी चुने गए थे।

अंटार्कटिका में 'काई' की एक नई प्रजाति

पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के ध्रुवीय जीव वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस प्रजाति के नमूने वर्ष 2016-2017 के अभियान के दौरान एकत्र किये गए थे। इन नमूनों पर किये गए पाँच वर्षीय अध्ययन के पश्चात् वैज्ञानिकों ने अंततः अंटार्कटिका की इस नई प्रजाति की पुष्टि कर दी है। वैज्ञानिकों ने इस नई प्रजाति का नाम देवी 'सरस्वती' (जिन्हें 'भारती' के नाम से भी जाना जाता है) के नाम पर 'ब्रायम भारतीएंसिस' रखा है। ज्ञात हो कि पौधों को जीवित रहने के लिये पोटेशियम, फास्फोरस, सूर्य के प्रकाश और पानी के साथ नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वहीं अंटार्कटिका का केवल 1 प्रतिशत हिस्सा ही बर्फ से मुक्त है, ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि 'काई' (Moss) की यह विशिष्ट प्रजाति चट्टान और बर्फ में इस क्षेत्र में किस प्रकार जीवित रही। वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया कि इस प्रकार की 'काई' मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पेंगुइन बड़ी संख्या में प्रजनन करते हैं। पेंगुइन के मल में नाइट्रोजन होता है। ऐसे में ये पौधे मूल रूप से पेंगुइन के मल पर जीवित रहते हैं, जो उन्हें इस विशिष्ट जलवायु में जीवित रहने में मदद करते हैं। विदित हो कि यह खोज भारतीय अंटार्कटिका मिशन के लिये महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ष 1981 में मिशन की शुरुआत के बाद यह पहली बार है जब पौधों की किसी प्रजाति की खोज की गई है। अंटार्कटिका में भारत का पहला स्टेशन वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था, जो कि वर्ष 1990 में बर्फ में दब गया था। इसके पश्चात् दो नए स्टेशनों- मैत्री और भारती को क्रमशः वर्ष 1989 और वर्ष 2012 में कमीशन किया गया, जो आज भी कार्य कर रहे हैं।

'प्लेनेट TOI-1231'

पृथ्वी की कक्षा से परे जीवन की तलाश में वैज्ञानिकों ने एक नए एक्सोप्लेनेट की खोज की है, जहाँ का वातावरण समृद्ध है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, 'प्लेनेट TOI-1231' पृथ्वी से 90 प्रकाश वर्ष दूर एक लाल डवार्फ तारे की परिक्रमा कर रहा है। यह ग्रह पृथ्वी के आकार से साढ़े तीन गुना बढ़ा है और पृथ्वी से 57 डिग्री सेल्सियस गर्म है। ऐसे में इस ग्रह पर अब ज्ञात अपेक्षाकृत छोटे ग्रहों की तुलना में सबसे बेहतर वातावरण है और एक नए ग्रह की तलाश करने की दिशा में यह काफी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। इस एक्सोप्लेनेट की खोज नासा के शोधकर्त्ताओं द्वारा की गई है। अपनी कक्षा के करीब होने के बावजूद शोधकर्त्ताओं ने ग्रह को अपेक्षाकृत ठंडा पाया है। यह ग्रह अपने आकार के कारण रहने योग्य है और साथ ही इसकी विशिष्ट वातावरणीय संरचना वैज्ञानिकों को इसके अध्ययन का विशिष्ट अवसर प्रदान करती है। इस ग्रह का अवलोकन हमें अपने सौरमंडल समेत तमाम ग्रह प्रणालियों की संरचना एवं गठन के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा और पृथ्वी के समान एक नए ग्रह की खोज में मददगार साबित होगा। एक्सोप्लेनेट का आशय हमारे सौरमंडल से बाहर पाए जाने वाले किसी ग्रह से है, जो कि विशिष्ट सितारे की परिक्रमा कर रहा है। पहले एक्सोप्लेनेट की खोज 1990 के दशक में की गई थी और तब से अब तक ऐसे हज़ारों खगोल निकायों की खोज की जा चुकी है।

हैती के राष्ट्रपति 'जोवेनल मौइसे' की हत्या

हाल ही में हैती के राष्ट्रपति 'जोवेनल मौइसे' की उनके निजी आवास पर हत्या कर दी गई है। इस घटना के पश्चात् हैती में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। 48 वर्षीय व्यवसायी और राजनेता 'जोवेनल मौइसे' ने 7 फरवरी, 2017 को हैती के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। विदित हो कि वर्ष 1957 से वर्ष 1986 तक फ्रेंकोइस और जीन-क्लाउड डुवेलियर की क्रूर तानाशाही के अंत के बाद से हैती गंभीर गरीबी और अपराध के साथ राजनीतिक अस्थिरता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। कैरेबियन सागर में स्थित देश हैती, हिसपनिओला द्वीप के पश्चिमी हिस्से में स्थित एक छोटा सा देश है। हैती 'तैनो भाषा' का एक शब्द है, जिसका अर्थ है 'पहाड़ी देश'। वर्तमान में हैती के लगभग 11 मिलियन

निवासी मुख्य रूप से अफ्रीकी मूल के हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में फ्राँसीसी औपनिवेशिक नियंत्रण और दासता को समाप्त कर हैती दुनिया का पहला अश्वेत नेतृत्व वाला गणराज्य तथा स्वतंत्र कैरिबियन राज्य बना था। 'पोर्ट-ऑ-प्रिंस' हैती की राजधानी है। हैती दोनों अमेरिकी महाद्वीपों का एकमात्र देश है जिसे दुनिया के सबसे कम विकसित देशों में गिना जाता है।

माटेओ बेरेटिनी

विश्व के 9वें नंबर के टेनिस खिलाड़ी माटेओ बेरेटिनी (Matteo Berrettini) विंबलडन के मेन्स सिंगल्स के सेमीफाइनल में विश्व के18वें नंबर के ह्यूबर्ट हर्काज़ (Hubert Hurkacz) को हराकर विंबलडन इतिहास में सिंगल्स के फाइनल में पहुँचने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बन गए। 25 वर्षीय बेरेटिनी ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुँचने वाले इटली के पहले खिलाड़ी भी हैं।

राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस

राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड (National Fisheries Development Board- NFDB) के सहयोग से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस (National Fish Farmers' Day) मनाया जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य स्थायी स्टॉक एवं स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिये देश के मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन के तरीके को बदलने पर ध्यान आकर्षित करना है। यह दिवस मत्स्य किसानों, उद्यमियों, मछुआरों, हितधारकों और मत्स्य पालन में योगदान के लिये मत्स्य पालन से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति को सम्मानित करने हेतु मनाया जाता है। यह दिवस वैज्ञानिक डॉ केएच अलीकुन्ही और डॉ एचएल चौधरी की याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिन्होंने जुलाई, 1957 में कार्प मछलियों का प्रेरित प्रजनन का आविष्कार किया था। वर्ष 2021 में 21वाँ राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जा रहा है।

आईएनएस तबर

हाल ही में भारतीय नौसेना पोत तबर (INS Tabar) ने इतालवी नौसेना के फ्रंटलाइन फ्रिगेट के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लिया। आईएनएस तबर ने 3 जुलाई को भूमध्य सागर में चल रही तैनाती के हिस्से के रूप में नेपल्स के बंदरगाह में प्रवेश किया। कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन महेश मंगिपुडी (Mahesh Mangipudi) ने अपने प्रवास के दौरान नेपल्स अथॉरिटी के प्रीफेक्ट (फ्राँस), क्षेत्रीय इतालवी नौसेना मुख्यालय और तटरक्षक मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस अभ्यास में कई नौसैनिक ऑपरेशन जैसे- वायु रक्षा प्रक्रियाएँ, संचार अभ्यास, समुद्र में पुन: पूर्ति तथा दिन एवं रात में क्रॉस डेक हेलो ऑपरेशन शामिल थे। यह अभ्यास इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने और समुद्री खतरों के खिलाफ संयुक्त संचालन को मज़बूत करने हेतु पारस्परिक रूप से लाभदायक था।

अमेज़न ने गुजरात में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया

अमेज़न (Amazon) ने भारत में गुजरात के सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है। अमेज़न के डिजिटल केंद्र ऐसे केंद्र हैं जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को ई-कॉमर्स के लाभों के संदर्भ में जानने का अवसर प्रदान करेंगे। MSME अमेज़न डिजिटल केंद्र पर जा सकते हैं और ई कामर्स, GST तथा कराधान समर्थन, शिपिंग एवं रसद समर्थन, कैटलॉगिंग सहायता व डिजिटल मार्केटिंग सेवाओं के लाभों पर प्रशिक्षण सहित तीसरे पक्ष की सेवाओं का फायदा उठा सकते हैं। कंपनी ने विक्रेताओं को पूरे भारत और वैश्विक स्तर पर ग्राहकों तक पहुँचने में सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है तथा प्रौद्योगिकी, रसद वितरण, बुनियादी ढाँचे एवं डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण निवेश किया है, जिससे अधिक ग्राहकों व व्यवसायों को सामूहिक रूप से ऑनलाइन पहुँच प्रदान करने में मदद मिली है।

अंटार्कटिका में सक्रिय झीलें

हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि अंटार्कटिका की जल प्रणाली में 130 से अधिक सक्रिय झीलें हैं और इसका विकास भविष्य में बर्फ की चादर की गतिशीलता के लिये एक बड़ी अनिश्चितता बन सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, अंटार्कटिक बर्फ, जो ऊपर से शांत एवं स्थिर दिखाई देती है, धीरे-धीरे अपनी नींव से कमज़ोर होती जा रही है और ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। बर्फ के पिघलने से उसके नीचे कई झीलें बन गई हैं, जिससे जलमार्ग की एक प्रणाली विकसित हुई है जो अंतत: समुद्र तक पहुँचती है। अंटार्कटिक जल प्रणाली की खोज सर्वप्रथम वर्ष 2007 में स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशनोग्राफी के ग्लेशियोलॉजिस्ट हेलेन फ्रिकर द्वारा की गई थी। अब वैज्ञानिकों ने एक-दूसरे से जुड़ी सक्रिय झीलों के पूरे नेटवर्क का पता लगाया है, जो समय के साथ और सक्रिय होती जा रही हैं। अंटार्कटिक की सतह में सक्रिय झीलों का निर्माण विभिन्न कारकों जैसे- ऊपरी बर्फ का भारी वज़न, बर्फ की चादर की सतह एवं चट्टानों के बीच घर्षण और पृथ्वी से आने वाली गर्मी आदि का परिणाम होता है। विदित हो कि हाल ही में अंटार्कटिका

में एक विशाल बर्फ से ढकी झील कुछ ही दिनों में गायब हो गई थी, जिससे वैज्ञानिकों के बीच ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंता और अधिक बढ़ गई थी। शोधकर्त्ताओं का मत है कि शेल्फ के नीचे बनी सक्रिय झीलें इस बड़े बदलाव का प्रमुख कारण हैं। इस घटना के कारण अनुमानित 21 अरब से 26 अरब क्यूबिक फीट पानी समुद्र में पहुँच गया था।

मलाला दिवस

संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 12 जुलाई को महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिये वैश्विक स्तर पर 'मलाला दिवस' का आयोजन किया जाता है। 12 जुलाई, 1997 को पाकिस्तान में जन्मी मलाला यूसुफज़ई एक सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं, जो महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में अनवरत संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने पाकिस्तान में बालिका शिक्षा पर प्रतिबंध का सार्वजनिक और ज़ोरदार विरोध किया तथा बालिकाओं को शिक्षित करने की आवश्यकता की वकालत की। मलाला को अंतर्राष्ट्रीय ख्यति तब प्राप्त हुई जब मात्र 15 वर्ष की आयु में कट्टरपंथियों द्वारा उनकी हत्या का प्रयास किया गया। गौरतलब है कि 10 अक्तूबर, 2014 को मलाला युसुफजई को 'बच्चों और महिलाओं की शिक्षा के लिये संघर्ष करने हेतु भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्त्ता कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त तौर पर नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस तरह वह सबसे छोटी उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता हैं। इसके अलावा वर्ष 2012 में उन्हें पाकिस्तान सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने युवा लड़कियों को स्कूल जाने में मदद करने के लिये एक गैर-लाभकारी संगठन 'मलाला फंड' की भी स्थापना की है। मलाला को कनाडा की मानद नागरिकता से भी नवाज़ा जा चुका है।

'ग्रेवेलिया बोरो' और 'डेक्सिपस क्लेनी' मकड़ियाँ

हाल ही में पश्चिमी असम के चिरांग रिज़र्व फॉरेस्ट की 'झारबारी रेंज' में भूमिगत मकड़ियों की दो नई प्रजातियों - ग्रेवेलिया बोरो और डेक्सिपस क्लेनी की खोज की गई है। इन दोनों मकड़ियों को बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में खोजा गया है। पहली मकड़ी यानी 'ग्रेवेलिया बोरो' का नाम बोडो समुदाय के नाम पर रखा गया है और यह मिट्टी, वनस्पति तथा रेशम से बने कॉर्क जैसे जाल के साथ बिलों का निर्माण करती है। ये मकड़ियाँ रेतीली-दोमट सतह से लगभग 10-15 सेंटीमीटर नीचे भूमिगत रहती है। वहीं 'डेक्सिपस क्लेनी' एक ओरिएंटल जंपिंग मकड़ी है, जिन्हें पहली बार इस क्षेत्र में देखा गया है। इस मकड़ी को मूलत: 129 वर्ष पूर्व स्वीडिश पुरातत्त्वविद् टॉर्ड टैमरलान थोरेल द्वारा खोजा गया था। 'डेक्सिपस क्लेनी' 'साल्टिसिडे' परिवार की सदस्य है, जो पृथ्वी पर मकड़ियों का सबसे बड़ा परिवार है।

कोंगु नाडू: तमिलनाडु

हाल ही में तमिलनाडु में 'कोंगु नाडू' क्षेत्र को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। विदित हो कि 'कोंगु नाडु' न तो पिन कोड वाला कोई स्थान है और न ही किसी क्षेत्र को औपचारिक रूप से दिया गया कोई नाम है। इसे प्राय: पश्चिमी तमिलनाडु के हिस्से को इंगित करने के लिये प्रयोग किया जाता है। तमिल साहित्य में इसे प्राचीन तमिलनाडु के पाँच क्षेत्रों में से एक के रूप में संदर्भित किया गया था। साथ ही संगम साहित्य में भी एक अलग क्षेत्र के रूप में 'कोंगु नाडु' का उल्लेख मिलता है। वर्तमान तमिलनाडु राज्य में इस नाम का उपयोग अनौपचारिक रूप से एक ऐसे क्षेत्र को संदर्भित करने के लिये किया जाता है जिसमें नीलगिरि, कोयंबटूर, तिरुपुर, इरोड, करूर, नमक्कल और सलेम ज़िले शामिल हैं, साथ ही इसमें डिंडगुल ज़िले के ओड्डनछत्रम एवं वेदसंदूर क्षेत्र तथा धर्मपुरी ज़िले में पप्पीरेड्डीपट्टी क्षेत्र भी शामिल हैं। यह नाम ओबीसी समुदाय' कोंगु वेल्लालर गौंडर' से लिया गया है, जिनकी इन ज़िलों में महत्त्वपूर्ण उपस्थिति है। इस क्षेत्र में नमक्कल, सलेम, तिरुपुर और कोयंबटूर जैसे प्रमुख व्यावसायिक व औद्योगिक केंद्र भी शामिल हैं। हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान जिन नए मंत्रियों के नाम की सूची जारी की गई है, उसमें तमिलनाडु से आने वाले मंत्रियों के नाम के साथ ज़िले के स्थान पर 'कोंगु नाडु' नाम दिया गया है, जो कि स्वयं में एक ज़िला नहीं है। ऐसे में सरकार पर तमिलनाडु में क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने और राज्य को दो हिस्सों में विभाजित करने का आरोप लगाया जा रहा है।

राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र

इस वर्ष मानसून के पश्चात् लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र (NDRC) के निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। ज्ञात हो कि बिहार शहरी विकास विभाग ने गंगा से लगभग 200 मीटर की दूरी पर NDRC के भवन के निर्माण की मंज़ूरी दी है। गौरतलब है कि बिहार में इस अनुसंधान केंद्र का निर्माण इस लिहाज़ से भी महत्त्वपूर्ण है कि बिहार में विश्व की गंगा डॉल्फिन आबादी का 50 प्रतिशत हिस्सा मौजूद है। यह केंद्र डॉल्फिन के संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के साथ-साथ उसके बदलते व्यवहार, उत्तरजीविता कौशल, भोजन की आदतों, मृत्यु के कारणों और अन्य विभिन्न पहलुओं पर गहन शोध का अवसर प्रदान करेगा। गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय जलीय जीव' के रूप में मान्यता दी गई थी। इसे 'वन्य जीवन (संरक्षण)

अधिनियम' के तहत अनुसूची-I में शामिल किया गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) द्वारा इसे लुप्तप्राय प्रजाति घोषित किया गया है। गंगा डॉल्फिन दुनिया की चार 'फ्रेश वाटर' डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। अन्य तीन प्रजातियाँ चीन की यांग्त्ज़ी नदी (अब विलुप्त), पाकिस्तान में सिंधु नदी और दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नदी में पाई जाती हैं।

नेपाल के नए प्रधानमंत्री: शेर बहादुर देउबा

हाल ही में नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा को बहाल कर दिया है और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को नेपाली कॉन्ग्रेस के प्रमुख 'शेर बहादुर देउबा' को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक, शेर बहादुर देउबा को अपनी नियुक्ति के एक माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा। बीते पाँच माह में यह दूसरी बार है जब न्यायालय ने सदन को बहाल किया है। फरवरी माह में भी न्यायालय द्वारा इसी प्रकार की कार्रवाई की गई थी। गौरतलब है कि बीते दिनों 21 मई को प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली की सिफारिश पर संसद भंग कर दी गई थी और छह महीने में नए चुनाव कराने का आदेश दिया था। इसके पश्चात् नई सरकार के गठन के लिये न तो के.पी. शर्मा ओली और न ही विपक्ष बहुमत प्रदर्शित करने में सफल हो पाए थे। नेपाली कॉन्ग्रेस के प्रमुख शेर बहादुर देउबा का जन्म 13 जून, 1946 को नेपाल के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र के दडेलहुरा ज़िले में हुआ था। वर्ष 1971 में उन्होंने नेपाल छात्र संघ की स्थापना की और उसके अध्यक्ष बने तथा वर्ष 1980 तक इस पद पर रहे। वर्ष 1896 में उन्होंने 'नेपाली कॉन्ग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी' का गठन किया। शेर बहादुर देउबा के पास बेहतरीन राजनीतिक अनुभव है और इस बार वे पाँचवीं बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे।

यूरो कप 2020

हाल ही में इटली ने इंग्लैंड को हराकर दूसरी बार यूरोपीय चैंपियनशिप जीत ली है। इससे पहले इटली की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने वर्ष 1968 में यूगोस्लाविया को हराकर यूरोपीय चैंपियनशिप का खिताब जीता था। इसके अलावा इटली ने वर्ष 2000 और वर्ष 2012 में भी यूरोपियन चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालीफाई किया था, किंतु वह फाइनल मुकाबले में जीत हासिल नहीं कर पाई थी। वहीं इंग्लैंड बीते 55 वर्षों में अपना पहला फाइनल मुकाबला खेल रहा था। यूरोपीय चैंपियनशिप (जिसे 'यूरो कप' के रूप में भी जाना जाता है) 'यूरोपीय फुटबॉल संघ समूह' के सदस्य देशों के बीच आयोजित एक चतुर्भुज फुटबॉल (सॉकर) टूर्नामेंट है। 'यूरो कप' अथवा 'यूरोपीय चैंपियनशिप' को 'फीफा विश्व कप' के बाद विश्व के दूसरे सबसे महत्त्वपूर्ण फुटबॉल टूर्नामेंट के रूप में जाना जाता है। यूरोपीय चैंपियनशिप (जिसे तब 'यूरोपीय राष्ट्र कप' के रूप में जाना जाता था) का आयोजन पहली बार वर्ष 1960 में किया गया था।

यशपाल शर्मा

वर्ष 1983 की विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे पूर्व भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा का हाल ही में 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यशपाल शर्मा वर्ष 1983 में भारत की विश्व कप विजेता के नायकों में से एक थे। विश्व कप के दौरान उन्होंने 34.28 की औसत से 240 रन बनाकर भारत की जीत में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यशपाल ने क्षेत्रीय स्तर पर तब ख्याति हासिल की, जब वर्ष 1972 में उन्होंने जम्मू-कश्मीर स्कूल के विरुद्ध पंजाब स्कूल के लिये खेलते हुए 260 रन बनाए। इसके पश्चात् उन्हें पंजाब की टीम के लिये चुन लिया गया। वर्ष 1978 में पाकिस्तान के विरुद्ध खेलते हुए उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय कॅरियर की शुरुआत की थी। वर्ष 1979 से वर्ष 1983 तक के अपने कॅरियर में यशपाल ने भारत के लिये 37 टेस्ट मैच खेले और दो शतक एवं नौ अर्द्धशतक के साथ 1606 रन बनाए। रणजी ट्रॉफी में भी यशपाल शर्मा का कॅरियर काफी बेहतरीन रहा और उन्होंने इस दौरान तीन टीमों (पंजाब, हरियाणा तथा रेलवे) का प्रतिनिधित्त्व किया। वह एक अंपायर भी थे और कई एकदिवसीय मैचों में बतौर अंपायर हिस्सा भी लिया। इसके अलावा यशपाल शर्मा ने उत्तर प्रदेश रणजी टीम के कोच के रूप में भी काम किया था।

विश्व स्तर पर 'खादी' ब्रांड का पंजीकरण

'खादी और ग्रामोद्योग आयोग' (KVIC) ने हाल ही में तीन देशों- भूटान, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और मेक्सिको में अपने ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया है। यह विश्व स्तर पर 'खादी' ब्रांड को पहचान प्रदान करने एवं उसके संरक्षण की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। इससे पूर्व 'खादी और ग्रामोद्योग आयोग' को छह देशों- जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन तथा यूरोपीय संघ में 'खादी' शब्द का ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल था और अब ऐसे देशों की संख्या नौ तक पहुँच गई है। इन देशों में 'खादी और ग्रामोद्योग आयोग' ने खादी कपड़े, खादी के रेडीमेड कपड़ों और ग्रामीण उद्योग के उत्पादों जैसे- खादी साबुन, खादी सौंदर्य प्रसाधन, खादी अगरबत्ती से संबंधित विभिन्न वर्गों में पंजीकरण हासिल किया है। यह ट्रेडमार्क पंजीकरण विश्व स्तर पर 'खादी' ब्रांड नाम के किसी भी दुरुपयोग को रोकने में सहायक होगा। साथ ही यह कदम

इस लिहाज से भी महत्त्वपूर्ण है कि कई देशों में निजी कंपनियों द्वारा 'खादी' ब्रांड का अनुचित पंजीकरण हासिल करने के मामले सामने आए थे। गौरतलब है कि 'खादी और ग्रामोद्योग आयोग' सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है, जिसका प्राथमिक कार्य खादी एवं ग्रामोद्योगों की स्थापना तथा विकास के लिये सुविधाएँ एवं सहायता प्रदान करना है।

बैस्टिल दिवस

प्रतिवर्ष 14 जुलाई को फ्राँस के राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसे अंग्रेज़ी में प्राय: 'बैस्टिल दिवस' के रूप में भी जाना जाता है। इस दिवस को औपचारिक रूप से फ्राँस में 'ला फेट नेशनल' कहा जाता है। गौरतलब है कि यह दिवस 14 जुलाई, 1789 को फ्राँस में बैस्टिल (एक प्रकार का सैन्य किला और जेल) के पतन का प्रतीक है, जब एक क्रोधित भीड़ ने बैस्टिल पर धावा बोल दिया था, जो कि फ्राँसीसी क्रांति की शुरुआत का संकेत था। बैस्टिल को प्रारंभ में लगभग 1300 के दशक के दौरान पेरिस शहर के पूर्वी प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले किले के रूप में बनाया गया था। बाद में इसे 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान जेल एवं महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों की नज़रबंदी के लिये एक कैदखाने के रूप में उपयोग किया जाने लगा। इसी के साथ 'बैस्टिल' को राजशाही के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। 14 जुलाई, 1789 को क्रांतिकारियों की क्रोधित भीड़ ने इस पर धावा बोल दिया और धरनास्थल पर हिरासत में लिये गए सात कैदियों को रिहा कर दिया गया। इस घटना को मुख्य तौर पर फ्राँसीसी क्रांति के आरंभ का संकेत माना जाता है, जिसे विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है।

'मातृ कवचम' अभियान

केरल सरकार राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराने के लिये जल्द ही 'मातृ कवचम' नाम से एक अभियान की शुरुआत करेगी। इस अभियान के तहत राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं को आशा कार्यकर्त्ताओं द्वारा वार्ड स्तर पर पंजीकृत किया जाएगा। स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक उपकेंद्र पर क्षेत्र की सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण एवं टीकाकरण हो। गौरतलब है कि कोविड-19 गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चे के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, ऐसे में गर्भवती महिलाओं का प्राथमिकता के साथ टीकाकरण करना उनके तथा बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता है।

लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना

हाल ही में नेपाल ने पूर्वी नेपाल में 679 मेगावाट की 'लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना' विकसित करने के लिये भारत की प्रमुख जलविद्युत 'सतलुज जलविद्युत निगम' (SJVN) के साथ 1.3 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, जो कि पड़ोसी हिमालयी राष्ट्र में भारत द्वारा शुरू की गई दूसरी मेगा परियोजना है। इस संबंध में 'नेपाल इन्वेस्टमेंट बोर्ड' और 'सतलुज जलविद्युत निगम' के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं। वर्ष 2017 के लागत अनुमानों के आधार पर यह नेपाल की सबसे बड़ी विदेशी निवेश परियोजना है, जिसे पूर्वी नेपाल में संखुवासभा और भोजपुर ज़िलों के बीच विकसित किया जाएगा। इस परियोजना को 'बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर' (BOOT) मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। 679 मेगावाट की 'लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना' 1.04 बिलियन डॉलर की 900 MW की 'अरुण-3 जलविद्युत परियोजना' के बाद भारत द्वारा शुरू की गई दूसरी मेगा परियोजना है। अरुण-3 जलविद्युत परियोजना पूर्वी नेपाल के संखुवासभा ज़िले में अरुण नदी पर है। नेपाल सरकार और 'सतलुज जलविद्युत निगम' लिमिटेड ने परियोजना के लिये मार्च 2008 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे। इस परियोजना का निर्माण भी 30 वर्ष की अवधि के लिये 'बिल्ड ओन ऑपरेट तथा ट्रांसफर' मॉडल के आधार पर किया गया था।

महाराष्ट्र की नई 'इलेक्ट्रिक वाहन' नीति

महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में नई 'इलेक्ट्रिक वाहन' नीति और उद्योगों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करके 'इलेक्ट्रिक वाहन' निर्माण कंपनियों एवं संबद्ध व्यवसायों को राज्य में आकर्षित करने की अपनी योजना का अनावरण किया है। महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2021 का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहन देना, इनके उत्पादन को बढ़ावा देना और आवश्यक बुनियादी अवसंरचना को मज़बूत करना है। यह नीति 'इलेक्ट्रिक वाहन' संबंधी उद्योगों को राज्य में मेगा परियोजनाओं की 'डी+' श्रेणी के तहत सभी लाभ प्रदान करती है, चाहे उनकी विनिर्माण इकाई किसी भी स्थान पर मौजूद हो। गौरतलब है कि प्राय: 'डी+' श्रेणी के लाभ राज्य के सबसे कम विकसित क्षेत्रों में मौजूद उद्योगों को प्रदान किये जाते हैं। राज्य में बेचे जाने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स के साथ-साथ पंजीकरण शुल्क से भी छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही इस नीति के तहत प्रोत्साहन वितरण प्रणाली को पूर्णत: डिजिटल बनाया जाएगा। इसी नीति के प्राथमिक उद्देश्यों में यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में वर्ष 2025 तक पंजीकृत नए वाहनों में कम-से-कम 10 प्रतिशत 'इलेक्ट्रिक वाहन' शामिल हों; अप्रैल 2022 तक सभी नए सरकारी वाहन 'इलेक्ट्रिक वाहन' हों; वर्ष 2025 तक छह शहरी केंद्रों (मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती और नासिक) में सार्वजनिक परिवहन का 25% का विद्युतीकरण और शहरी क्षेत्रों एवं राजमार्गों में 2,500 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना शामिल है।

विश्व युवा कौशल दिवस

विश्व भर में प्रतिवर्ष 15 जुलाई को 'विश्व युवा कौशल दिवस' आयोजित किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को आवश्यक कौशल बढ़ाने के महत्त्व को समझने में मदद करना है, ताकि उन्हें रोज़गार, कार्य और उद्यमिता के बारे में महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद मिल सके। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र नामित एक कार्यक्रम है जो युवाओं, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों, फर्मों, नियोक्ताओं, श्रमिक संगठनों, नीति निर्माताओं तथा विकास भागीदारों के बीच संवाद का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। 18 दिसंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में नामित किया था। यह दिवस 'इंचियोन घोषणा: एजुकेशन 2030' की स्थापना को भी चिह्नित करता है, जो सतत् विकास लक्ष्य-4 का एक हिस्सा है। ज्ञात हो कि शिक्षण और प्रशिक्षण 'एजेंडा-2030' का महत्त्वपूर्ण भाग है तथा SDG-4 'समावेशी एवं समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने व सभी के लिये सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने' पर ज़ोर देता है। 'एजुकेशन 2030' मिशन मुख्यत: तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।

विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026

हाल ही में बैडमिंटन के वैश्विक शासी निकाय 'विश्व बैडमिंटन महासंघ' (BWF) ने घोषणा की है कि वर्ष 2026 में 'विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप' की मेज़बानी भारत द्वारा की जाएगी। यह दूसरी बार होगा जब भारत द्वारा 'विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप' की मेज़बानी की जाएगी, इससे पूर्व वर्ष 2009 में हैदराबाद में इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। ज्ञात हो कि इसी महत्त्वपूर्ण टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय बैडमिंटन के लिये काफी महत्त्वपूर्ण होगा। विश्व बैडमिंटन महासंघ (BWF) बैडमिंटन खेल का एक अंतर्राष्ट्रीय शासकीय निकाय है, जिसे 'अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति' (IOC) और 'अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति' (IPC) द्वारा बैडमिंटन के लिये वैश्विक शासी निकाय के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इसकी स्थापना 5 जुलाई, 1934 को नौ संस्थापक सदस्य संघों के साथ लंदन में की गई थी। वर्तमान में इस महासंघ में 196 सदस्य संघ शामिल हैं। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर (मलेशिया) में स्थित है।